लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पाँचवाँ सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit. Fumigated On Parliament Library

[खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol.XIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 12 मंगलवार, 6 अगस्त, 1968/ 15 श्रावण, 1890 (शक)

No. 12–Tuesday, August 6, 1968/Sravana 15, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता.प्र.संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
331	रूस तथा अन्य देशों के साथ व्यापार	Trade with U.S.S R. and other countries	209–214
333	रेलवे सम्पत्ति की चोरी	Theft of Railway Property. ...	214-220
334	पाकिस्तान द्वारा रोक लिया गया भारतीय माल तथा उपकरण	Indian Goods and Equipments held by Pakistan	220–221
335	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान और भारत द्वारा पकड़े गये भारवाहक जहाज	Cargo Vessels Captured by Pakistan and India during Indo-Pakistan Conflict ...	221–227

प्रश्नों के लिखित उत्तर/ WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :

ता० प्रश्न संख्या/ S. Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
332	रूस को निर्यात के लिये माल डिब्बों के निर्माण के लिये सार्थसंघ	Consortium for Production of Wagons for Export to U.S.S.R.	227 228
336	संयुक्त उपक्रमों के लिये भारत-श्रीलंका करार	Indo-Ceylon Agreement for Joint Ventures ...	228
337	विदेशों में रहने वाले सम्बन्धियों से ट्रैक्टरों का उपहार	Gift of Tractors from Relations Abroad ...	229
338	दुर्गापुर में इस्पात कारखाने तथा मिश्रधातु इस्पात कारखाने में हड़ताल	Strike in Durgapur Steel Plant and Alloy Steel Plant, Durgapur ...	229–230

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. सं./S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
339	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड	Durgapur Project Ltd.	230
340	आंध्र प्रदेश में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone for Andhra Pradesh	230–231
341	पाकिस्तानी नावें और माल लौटाना	Release of Pakistani Boats and Goods ..	231
342	यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश	Britain's entry into European Common Market	231
343	हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर परियोजना में पूंजी विनियोजन	Investment in Hindustan Zinc Smelter Project	232
344	इस्पात के सौदों पर सरकार समिति का प्रतिवेदन	Report of Sarkar Committee on Steel transactions ..	232
345	सेलम में इस्पात कारखाना	Steel Plant at Salem	232–233
346	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की चीनी मिलें	Sugar Mills under British India Corporation...	233
347	कॉफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Cofee Board Employees	234
348	मैसर्स कूपर एलन कम्पनी, कानपुर	M/s Cooper Allen Company, Kanpur... ..	234
349	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये केन्द्रीय बैंक	Central Bank for Small Scale Industries ...	235
350	दिल्ली के चारों ओर वृत्ताकार रिंग रेलवे	Ring Railway Around Delhi	235–236
351	राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against S.T.C. Officers	236
352	रेलवे कर्मचारियों के लिये आयुर्वेदिक इलाज	Ayurvedic Treatment for Railway Employees	236–237
353	उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना	Setting up of new Industries in U.P.... ...	237

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

ता.प्र.संख्या / S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
354	आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार	Trade with Australia. ...	238
355	डीजल इंजन वर्कशाप, बख्तियारपुर (बिहार)	Diesel Engine Workshop. Bhaktiarpur (Bihar)	238
356	कोयले की कीमत में वृद्धि	Increase in price of Coal ..	238-239
357	रेलवे भोजन विक्रेता कार्मिक संघ	Railway Catering Vendors' Trade Unions ...	239-240
358	भारतीय कारों के मूल्य	Prices of Indian Cars ...	240-241
359	भारी मशीनी औजार कारखाने द्वारा निर्यात	Exports by H.M.T.	241
360	भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार	Indo-African Trade	241
अता. प्र. सं./U. S. Q. Nos.			
2815	आयात तथा निर्यात लाईसेंसों की शर्तों का उल्लंघन	Violation of Terms of Import and Export Licences ... –	242
2816	चमड़े और खालों का निर्यात	Export of Hides and Skins	242-243
2817	रूस को रेल माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway Wagons to U.S.S.R ..	243
2818	पश्चिम बंगाल को कोयले पर रायल्टी	Payment of Royalty on Coal to West Bengal Government	243-244
2819	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में लघु उद्योग	Development of Small-Scale Industries in Andaman and Nicobar Islands .. –	244
2821	नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	Neyveli Lignite Corporation ...	244
2822	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	Bharat Heavy Electricals Ltd. ..	245
2823	गैस सिलंडरों का निर्माण	Manufacture of Gas Cylinders	245-246
2824	बकरी की कमाई हुई और कच्ची खालों का निर्यात	Export of Tanned and Raw Goat Skins ..	246

2825	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्री लिमिटेड, नांगलोई, दिल्ली	M/s Hindustan General Industry Limited, Nangloi, Deihi	246–247
2826	रुरकेला उर्वरक कारखाने में बिना बिक्री उर्वरक का स्टाक	Unsold stock of Fertilizers in Rourkela Fertilizer Factory	247
2827	लीबिया में एस्वेस्टोस सीमेंट कारखाना	Absestos Cement Plant in Libya	247–248
2828	भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में लगाई गई पूंजी	Investments made by Indian Industrialists Abroad	248–250
2829	नैमित्तिक रेलवे श्रमिकों को सिविल दरों पर भुगतान	Payment of Civil Rates to the Casual Railway Labour	250
2830	अफगानिस्तान से फलों का आयात	Import of fruits from Afghanistan	250–251
2831	केरल में रबड़ के बागान	Rubber Plantations in Kerala ...	251
2832	रूसी सहायता से ट्रैक्टरों का निर्माण	Mauufacture of Tractors with Soviet Assistance ..	251
2833	पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods	251-252
2834	भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की अचल सम्पत्ति का अवैध हस्तांतरण	Illegal transfer of landed property of Pakistan citizens in india	252–253
2835	सास टावर (प्राइवेट) लिमिटेड तथा सास इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता	SAA S Tower (Pvt.) Ltd., and SAAS Eng. Co. (Pvt) Ltd., Calcutta	253
2836	डालमिया के सीमेंट कारखानों को विदेशी मुद्रा की मंजूरी	Sanctioning of foreign exchange to Dalmia Cement factories ..	253
2838	हिन्दुस्तान जिंक प्रद्रावक परियोजना	Hindustan Zinc Smelter project	254

2839 मिश्रित इस्पात के निर्माण के लिये परमिटों पर रोक	Ban on permits for the manufacture of Alloy Steel	254-255
2840 रेलवे विभाग में गूंगे और बहरे विद्यार्थियों को रोज–गार देना	Employment of Dumb and Deaf students in Railway department	255
2841 शाहाद रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधायें	Passenger amenities at shahad Railway station	255-256
2842 लघु उद्योग में मंदी सम्बन्धी अध्ययन दल	Study team on recession in small scale industries ..	256
2843 खान ब्यूरो के क्षेत्राधिकार का विकास	Expansion of Jurisdiction of the Bureau of Mines ..	256-257
2844 केलों का निर्यात	Export of Bananas	257
2845 रूस के साथ व्यापार	Trade with U.S.S.R.	257-259
2846 लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क	Export Duty on Iron Ore	259
2847 हथकरघों के निर्यात के लिये प्रोत्साहन	Incentives for Export of Handlooms	259
2848 फास्फेट के निक्षेप	Deposits of Phosphate	259-260
2849 दिल्ली–फिरोजपुर सैक्सन पर पंजाब मेल में अत्या–धिक भीड़	Overcrowding in Punjab Mail on Delhi–Ferozepore Section ...	260
2850 ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन	British India Corporation	260-261
2851 न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	New Victoria Mills, Kanpur	261
2852 सूती धागे का रक्षित भण्डार	Buffer stock of Cotton Yarn ..	262
2853 मस्टर रोल में गड़बड़ी	Muster roll Embezzlement ...	262
2854 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी	Diesel Locomotive Works, Varanasi	263
2855 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन	United Nations Conference on Trade and Development	263
2856 चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन	Chandigarh Railway Station ...	263-264

2857	पूर्वोत्तर रेलवे में माइक्रोवेव संचार प्रणाली	Microwave Communication System in N.E. Railway	264
2858	बहुत अच्छी फसल और आयातित खाद्यान्नों की ढुलाई	Transportation of Bumper Crop and Imported Foodgrains	264-265
2859	संकट ग्रस्त कपड़ा मिल्स	Sick Textile Mills	265-266
2860	भूमिगत रेलों के लिये सहायता	Assistance for underground Railways ...	266
2861	छोटी कार	Small Car	266-267
2862	सहकारी औद्योगिक बस्तियां	Cooperative industrial Estates ... —	267-268
2863	बन्द कोयला खानों के लिये बाजार	Markets for Closed Collieries. ...	268
2864	दिल्ली से लखनऊ के लिये जनता गाड़ी	Janata Train from Delhi to Lucknow	268-269
2865	शाहदरा-सहारनपुर रेलवे लाइन	Shahdara-Saharanpur Railway line	269
2867	सीमेंट के मूल्य	Price of Cement	269
2868	मशीनी औजारों की गणना	Census of Machine Tools .. —	269-270
2869	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	Heavy Electricals Ltd., Bhopal — ...	270-271
2871	कपड़ा उद्योग	Textile Industry	271-272
2872	उद्योगों का विकास	Development of Industries	272
2873	मद्रास में बन्द कपड़ा मिलों सम्बन्धी समिति	Committee on closed Textile Mills in Madras	272
2874	रेलवे द्वारा कोयले की खरीद	Purchase of Coal by Railways	272-273
2875	कोयले की कमी के कारण रेल गाड़ियों का बन्द किया जाना	Suspension of Train Servics due to shortage of Coal — ...	273

2876	तामिलनाड में शाखा लाइनों को उखाड़े जाने के विरोध में अभ्यावेदन	Representation against dismantling of Branch Lines in Tamilnad	273-274
2877	भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के मुख्यालय का स्थानांतरण	Shifting of Head Office of Bharat Aluminium Company	274
2878	पोलेण्ड के साथ व्यापारिक तथा औद्योगिक सहयोग	Trade and Industrial Collaboration with Poland	274-275
2879	दिल्ली मेन तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों का दुर्व्यवहार	Misbehaving by Railway Staff at Delhi Main and New Delhi Stations	275
2880	ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Report of Expert Team of British Steel Corporation	275
2881	चेंगल रेलवे स्टेशन को दूसरे स्थान पर ले जाना	Shifting of Chengal Railway Station	275-276
2882	रेलवे बोर्ड की आशुलिपिक सेवा सम्बन्धी योजना	Railway Board's Stenographers, Service Scheme	276
2883	रेलवे की पटरी की जांच पड़ताल करने वाली गाड़ी	Track Recording Car	277
2884	भोपाल से जी. टी. एक्सप्रेस रेलगाड़ी की टिकटें जारी करना	Issue of Tickets for G.T. Express from Bhopal	277
2885	ट्यूनीशिया के साथ व्यापार करार	Trade agreement with Tunishia	278
2886	रेलवे सुरक्षादल में सहायक उप-निरीक्षकों का चयन	Selection of A S.I.S. of Railway Protection Force	278-279
2887	दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड, पश्चिम बंगाल	Durgapur Chemicals Ltd., West Bengal ...	279
2888	ट्रैक्टर बेचने वाली फर्मों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against firms selling Tractors ...	279-280

2889	छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries	280
2890	दिल्ली से लखनऊ के बीच सीधी गाड़ी सेवा	Direct Train Service from Delhi to Lucknow..	280–281
2891	रेल गाड़ियों के कंडक्टर गार्ड के लिये बैठने का स्थान	Seat for conductor Guard in Trains	281
2892	रुई के मूल्यों में वृद्धि की मांग	Demand for increase in prices of Cotton ..	281
2893	महाराष्ट्र सरकार द्वारा बन्द कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना	Taking-over of closed textile mills by Maharashtra Government	282
2894	पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे क्वार्टर	Railway quarters on N.E. Railway	282–283
2895	रेलवे अधिकारियों के लिये जीपें	Jeeps for Railway Officers.	283
2896	जीपों पर भारतीय रेलों द्वारा व्यय	Expenditure incurred by Indian Railway on Jeeps	283
2897	वाराणसी जिले में रेलवे कर्मचारियों का गैर-सरकारी डाक्टरों द्वारा उपचार	Treatment of Railway Employees by Private Doctors in Varanasi District	283–284
2898	रेलवे की भूमि का कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को कृषि के लिये दिया जाना	Allotment of Railway land to Railway Employees and others for cultivation ..	284–285
2899	रनिंग लोको शेडों के रेलवे कर्मचारियों के लिए वर्दियां	Uniforms for Railway staff of running loco sheds	285

2900	बाढ़, तोड़ फोड़ और हड़तालों के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to floods, sabotage and Strikes ...	285
2901	रेलवे अधिकारियों द्वारा वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा	Travel in Air-conditioned coaches by Railways officers	286
2902	भेड़, बकरी की चर्बी, रुई और ऊन आदि का आयात	Imports of Mutton Tallow, Cotton and Wool etc.	286–287
2903	व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Trade Delegations	287
2904	रेल के माल डिब्बों का रूस को निर्यात	Export of Railway Wagons to U.S.S.R. ..	287–288
2905	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Hindustan Steel Ltd.	288
2906	मैसर्स कूपर एलेन लिमिटेड, कानपुर	M/s Coper Allen Ltd., Kanpur	288–289
2907	हड्डियों का निर्यात	Export of Bones ..	289
2908	हौजरी के ऊनी माल का निर्यात	Import Replenishment for woolen Hosiery exporters	289–290
2909	यमन के साथ व्यापार	Trade with Yemen ...	290
2910	इस्पात मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Steel	290–291
2911	बन्द कपड़ा मिलों सम्बन्धी समितियां	Committee on closed Taxtile Mills	291
2912	रेलवे सलाहकार समिति	Railway Advisory Committee	291-292
2913	इस्पात, खोन तथा धातु मंत्रालय में कदाचार के मामले	Cases of Malpractices in Ministry of Steel, Mines and Metals	292
2914	सलाहकार समितियां तथा बोर्ड	Advisory Committees and Boards	292-293
2915	सोनाई रेलवे स्टेशन	Sonai Railway Station	293

प्रश्नों के लिखित उत्तर–जारी/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Cont

2916	खनन तथा संबंधित मशीनरी परियोजना, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Project' Durgapur	293–294
2917	मिश्र धातु औजार तथा विशेष इस्पात कारखाने के लिये पटरथ (बिहार) में भूमि	Land for Alloy Tool and Special Steel Plant at Patrath(Bihar)	294
2918	कोयले पर स्वामित्व	Royalty on Coal. ...	294–295
2919	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd.	295
2920	रेल दुर्घटनायें	Railway Accidents	295–297
2921	रेल गाड़ियों से खतरे की जंजीरे हटाई जाना	Removal of Alarm Chains from Trains ...	297
2922	भारी मशीन निर्माण परियोजना, रांची	Heavy Machine Building Project, Ranchi ...	297–298
2923	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	298–299
2924	लोहे की चकतियां (आयरन डिस्क)	Iron Discs .. –	299–300
2925	भारी मशीनों तथा औजारों के सम्बन्ध में आधारभूत अनुसंधान तथा डिजाइन	Fundamental Research and Designs for Heavy Machines and Tools	300
2926	बाढ़ के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railway due to Floods	300–301
2927	उपभोक्ता वस्तुओं में चीनी माल के साथ प्रतियोगिता	Competition from China in Consumer Goods	301
2928	रेलवे बोर्ड की टेंडर समिति	Railway Board's Tender Committee ...	301
2929	नाइलोन धागा बनाने के लिए, बिड़ला बन्धुओं को लाइसेंस	Licence to the Birlas for manufacture of Nylon Yarn	301–302

2930	विभिन्न प्रकार की चादरों की मांग	Demand for different varieties of Sheets	302
2931	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को होने वाली हानि	Loss incurred by Hindustan Steel Ltd.	302-303
2932	जुलाई, 1968 में फण्टियर मेल का दिल्ली में देर से पहुँचना	Late arrival of Frontier Mail at Delhi ...	303
2933	चुपड़ा-गोरखपुर सैक्सन पर कोयले की चोरी	Theft of Coal on Chupra-Gorakhpur Section ...	303-304
2934	कनाड़ा से निकल की खरीद	Purchases of Nickel from Chanda	304
2935	अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर संघ	All-India Station Masters' Association	304
2936	रेलवे के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for Railways	304-305
2937	इस्पात की वितरण प्रणाली में सुधार	Improvement in Distribution System of Steel	305
2938	भारतीय सीमेंट निगम द्वारा दो कारखानों की स्थापना	Setting up of two Plants by Cement Corporation of India	305
2939	पूर्वी अफ्रिका को भारतीय चाय प्रतिनिधि मन्डल	Indian Tea Delegation to East Africa ...	305-306
2940	रेलवे सुरक्षा समिति	Railway Protection Committee ...	306
2941	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन	Heavy Engineering Corporation	307
2942	भारत का निर्यात व्यापार	India's Exports	307
2943	विदेशियों के नियंत्रणाधीन कम्पनियों में भारतीय कर्मचारी	Indians in Foreign Controlled Companies ...	307-308
2944	भारतीय उद्योगों में विदेशी सहयोग	Foeign Collaboration in Indian Industries	308
2945	साँपों का निर्यात	Export of Snakes ...	309
2946	बिहार का सर्वेक्षण	Survey of Bihar	309

2947	इस्पात की चादरों तथा नालियों की बिक्री	Sale of Steel Sheets and Pipes	309–310
2948	कम्पनियों को लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences to Companies ...	310
2949	कीमती पत्थरों का आयात	Import of Precious Stones	310
2950	उद्योगों में बेकार क्षमता	Idle Capacity in Industries ...	310–311
2951	चौथी पंचवर्षीय योजना में चाय का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Tea during Fourth Plan ...	311
2953	अल्मोनियम की उत्पादन लागत	Cost of Production of Aluminium ...	311–312
2954	भारत-यूगोस्लाविया आर्थिक सहयोग	Indo-Yugoslavia Economic Co-operation ...	312
2955	रेलवे का भाड़ा ढांचा	Freight structure of Railways	312
2956	त्रिपुरा में मध्यम तथा लघु उद्योग	Medium and Small Scale Industries in Tripura	312–313
2957	यूगोस्लाविया को भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Trade Delegation to Yugoslauia ...	313–314
2958	उत्तर रेलवे के रोपड़ तथा नंगल बांध सैक्सन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों को सुविधायें	Passengers' and Employees' Amenities on Rupar-Nangal Dam section of the Northern Railway ...	314
2959	जगाधरी रेलवे वर्कशाप के इन्सपैक्टर आफ वर्क्स के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Inspector of Works, Jagadhari Railway Workshop	314–315
2960	लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Industries	315–316
2961	समस्तीपुर से दरभंगा तक बड़ी लाइन	B.G. Line from Samastipur to Darbhanga ...	316
2962	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों से निकाला गया कोककर कोयला	Coking Coal Produced by N.C.D.C. Collieries	316–317

2963	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ...	317
2964	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	National Coal Development Corporation ...	317
2965	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोरबा साझेदारी योजना	Korba partnership scheme of the N.C.D.C. ...	318
2966	दिल्ली में कारखानों के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences to Factories in Delhi ...	318
2967	जीवाजीगंज स्टेशन के निकट रेलवे फाटक	Crossing near Jivajigang Station	318-319
2968	वृत चित्र	Documentaries	319
2969	पश्चिम रेलवे में स्वतः वादित घंटिया	Automatic ringing of bells on Western Railways	319
2970	इस्पात का मूल्य	Price of Steel	319-320
2971	कोरबा स्थित अलुमिनियम	Korba Aluminium Plant ...	320
2972	रूसी सहायता प्राप्त इलाहाबाद सम्पीड़ित्र संयंत्र	Soviet-aided Allahabad Compressor Plant ...	320
2973	लघु उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का निर्यात	Export of procucts manufactured by Small Scale Industries	320-321
2974	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कोयले का उत्पादन	Production of Coal in National Coal Development Corporation	321-322
2975	आयातित स्टेनलेस स्टील तथा उससे बने बर्तनों आदि के दाम	Prices of imported stainless steel and utensils etc. made therefrom ...	322-323
2976	दिल्ली के लिये भूमिगत तथा उपरि मोनो रेल प्रणाली	Underground and Overhead Manorail system for Delhi ...	322-323
2977	विमानों की खरीद	Purchase of Aircrafts. ...	323

2978	विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारी	Indian Personnel in Foreign Firms	323
2979	उड़ीसा में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Orissa	324
2980	औद्योगिक बस्तीयों के लिये शैडों का आवंटन	Allotment of Sheds for Industrial Estates ...	324-325
2982	रेलवे में स्टैनोग्राफर	Stenographers on Railways	325
2983	क्षेत्रिय रेलों में, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारी	Senior and Junior Scale Officers on Zonal Railways ...	326
2984	आयात के मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	C.B.I. Enquiry into Import Cases ...	326
2985	गढ़ी हुई वस्तुओं तथा ढली हुई वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस	Import Licences for Forgings and Castings and Castings	326-327
2986	कोचीन-दिल्ली डिब्बे में सोने का स्थान बुक करना	Booking of Sleeping Accommodation in Cochin-Delhi Bogie ..	327-328
2987	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा छपाई की मशीनों का निर्माण	Manufacture of Printing Machines by H.M.T.	328
2988	जमालपुर इंजन मरम्मत वर्कशाप	Jamalpur Engine repair Workshop ...	328-329
2989	हिन्दूमलकोट तथा श्रीगंगानगर के बीच बड़ी लाइन	B.G. line between Hindumalkote and Sriganganagar	329
2990	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बंगलोर कारखाने में हड़ताल	Strike in Hindustan Machine Tools Factory Banglore ...	329-330
2991	औद्योगिक लाइसेंस जारी करना	Issue of Industrial Licences.	331

अता.प्र.संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2993	विदेशों से तकनीशनों को भारत में मंगाना	Technology bought from Abroad.	331-333
2994	भारत के उद्योगों में विनियोजन पूंजी	Capital invested in Industries in India..	333
2995	भारतीय निर्यात	India's Exports	333-334
2996	यूगोस्लाविया के साथ व्यापार	Trade with Yugoslavia.	334
2997	हरियाणा में लोहे का एक कारखाना स्थापित करना	Setting-up of an Iron Plant in Haryana	334-335
2998	ब्रिटेन को काफी का निर्यात	Export of Coffee to U.K. ...	335
2999	मुरादाबाद डिवीजन में एक गैंगमैन से फिश प्लेट का बरामद होना	Recovery of Fish-plate from Gangman in Moradabad Division ...	335
3000	मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें बंद होना	Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh ..	335-336
3001	अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ी का देरी से चलना	Late running of Amritsar Express	336
3002	मध्य रेलवे के गार्डों का सम्मेलन	Conference of Central Railway Guards ..	336
3003	मध्य प्रदेश में औद्योगिक परियोजनायें	Industrial Projects in Madhya Pradesh ...	336
3004	हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल	Heavy Electricals, Bhopal ... –	337-338
3005	हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल	Heavy Electricals, Bhopal	338
3006	हैवी इलैक्ट्रीकल्स, भोपाल	Heavy Electricals, Bhopal	339
3007	भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के कोरबा कारखाने के प्रबन्ध निदेशक के रूप में इंडियन अल्यूमिनियम कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of General Manager of Indian Aluminium Co. as Managing Director of Korba Unit of Bharat Aluminium Co. Ltd. ...	339

U.S.Q.Nos.	विषय	Subject	Pages
3008	स्वेज नहर बन्द हो जाने के कारण भारत को हुई वित्तीय हानि	Financial loss to India as a result of Closure of Suez Canal	339–340
3010	कोयला पर स्वामित्व की दर	Rate of Royalty on Coal	340
3011	सरकारी इस्पात संयंत्रों में श्रम संकट	Labour Crisis in Public Sector Steel Plants ...	340–341
3012	औद्योगिक कारखानों में संगणक (कम्प्यूटरों) का लगाया जाना	Installation of Computers in Industrial Units ...	343–344
3013	मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड	M/s. Indian Copper Corporation Ltd... ...	341–343
3014	बिजली से चलने वाले हलों और मछली पकड़ने के इलैक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण के लिये कारखाने	Factories for Manufacture of Power Tillers and Electronic Equipment for Fishing ...	344–345
3015	गांवों में उद्योगों की स्थापना	Rural Industrialisation.	345
3016	कोयला खान	Collieries ...	345
3018	केरल में इल्मेनाइट के निक्षेप	Deposits of Ilmenite in Kerala	345–346
3019	तुमकुर जिले में नये उद्योग	New Industry in Tumkur District	346–347
3020	महाराष्ट्र में सोने जैसे पीले पत्थरों का पाया जाना	Gold like Yellow Stones discovered in Maharashtra	347
3021	पारादीप क्षेत्र में उद्योग	Industries in the Paradeep Area	347–348
3022	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को हानि या लाभ	Loss/Profit to Steel Plants in Public Sector ...	348
3025	लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Licences.	348–359

3026	मध्य रेलवे में इटारसी स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल	Foot-Bridge at Itarsi Station (C. Rly.) ...	349
3027	माल डिब्बों की कमी	Shortage of Goods Wagons	349-350
3028	ढके हुए वैगनों का निर्माण	Manufacture of Covered Wagons	350
3029	नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के लेखा मुख्यालय के लेखपालों का रेलवे बोर्ड में सतर्कता निरीक्षकों के रुप में लिया जाना	Transfer of Accountants in Northern Railway Head Quarters Office, New Delhi as Vigilance Inspectors in Railway Board's Office	350-351
3030	रेलवे में सतर्कता निरीक्षक	Vigilance Inspectors on Railways	351
3031	ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tracior Manufacturing Plant ..	351-352
3032	दिल्ली, रोहतक, भिवानी तथा बीकानेर को मिलाने वाली मोटर गेज लाइन	M.G Line connecting Delhi, Rohtak, Bhiwani and Bikaner	352
3033	द्वीवा-दहानु-तारापुर रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Diva, Dahanu and Tarapore Railway line ... —	352
3034	साफ्ट कोक	Soft Coke	353
3035	भिन्न-भिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की कीमतें	Prices of different types of Tractors ... —	353
3035	दतिया स्टेशन पर रेल गाड़ियों का रोका जाना	Stoppage of trains at Datia Station	353-354
3037	ग्वालियर-शिवपुर कलां सैक्सन पर रेलवे स्टेशनों में बिजली लगाना	Electrification of Railway Stations on Gwalior-Sheopur-Kelan Section	354
3038	भिलाई इस्पात कारखाने को बिजली की सप्लाई	Supply of Electricity to Bhilai Steel Plant	354
3039	मध्य प्रदेश में कोरबा तथा पठार खेड़ा में कोयला खानें	Collieries at Korba and Patharkheda in Madhya Pradesh --	355

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3040	कोयले का मूल्य	Price of Coal ...	355
3041	मध्य रेलवे की यातायात लेखा शाखा के दूसरी श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति	Promotion of Clerks Grade II of Traffic Accounts Branch, Central Railway ...	355-356
3042	उत्तर प्रदेश की खनिज सम्पत्ति	Mineral Wealth of U. P. ..	356
3043	ललितपुर रेलवे स्टेशन को खजुराहो, अजयगढ़, नरायनी तथा अटारा से मिलने वाली रेलवे लाइन	Railway line connecting Lalitpur Station with Khajuraho, Ajaygarh, Naraini and Atara	356-357
3044	केरल से निर्यात	Exports from Kerala	357
3045	कोयला खानों का आधुनिकीकरण	Moderanisation of Coal Mines ..	357
3046	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of administrative structure of Public Sector Steel Plants	358
3047	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में बने विद्युत चालित इंजन	Electric Locomotives manufactured at C.L.W.	358
3048	इन्टेगरल कोच फैक्टरी	Integral Coach Factory	358-359
3049	छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन	Incentive to Small Scale Industries ...	359
3050	निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहन के लिये दावे	Claims for Export Incentives	359-360
3051	औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का पुनरीक्षण	Revision of Industrial Policy Resolution ...	360
3052	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खनिज पदार्थ	Minerals in Andaman and Nicobar Islands ...	360-361

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता.प्र.संख्या./U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3053	दीमापुर – मनीपुर रोड़ स्टेशन पर सीटों का आरक्षण	Reservation of Seates at Dimapur-Manipur Road Station	361–362
3054	मनीपुर में उद्योग	Industries in Manipur	362
3055	मनीपुर हथकरघा उत्पाद	Manipur Handloom Products	362–363
3056	सिल्चर रेल पर्यन्त से जिरी तक रेलवे लाइन का निर्माण	Railway line from Silchar Rail-head to Jiri ...	363
3057	बिहार में सुपाल से प्रताप गज तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण	Survey of Railway line from Supaul to Pratapganj (Bihar) ...	363–364
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	364–368
	मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन करने के बारे में सरकार के निर्णय के फलस्वरूप देश में बिजली उपक्रमों के कर्मचारियों में कतिथ असंतोष	Reported discontent among employees of electricity undertakings following Goverment's decision to amend Wage Board Recommendations	364
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	368-371
	अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1968-69	Demands for Supplementary Grants (General), 1968–69	371
	राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya-Sabha	371
	सभा का कार्य	Business of the House ...	371
	बैंकिग विधियां (संशोधन) विधेयक खंड 2 से 30 और 1	Banking Laws (Amendment) Bill-Contd Clauses 2 to 30 and 1 ..	372-398
	पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	372

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री मोराजी देसाई	Shri Morarji Desai ..	377
सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जा निष्कासन) संशोधन विधेयक—जारी	Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill—Contd. ..	398
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha	398
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	398
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	399
श्री द्वा. ना. तिवारी	Shri D.N. Tiwary ..	399
श्री हुचे गौडा	Shri M.H. Gowd	399

लोक-सभा

LOK-SABHA

मंगलवार, 6 अगस्त, 1968/15 श्रावण, 1890 (शक)

***Tuesday, August* 6, 1968/*Sravana* 15, 1890 (*Saka*)**

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रूस तथा अन्य देशों के साथ व्यापार

***331. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस सरकार से कहा है कि भारत को निर्यात की जाने वाली अपनी वस्तुओं के मूल्यों में, जो कि रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप बहुत बढ़ गये हैं, रियायत करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में हमारे प्रयत्नों के कुछ परिणाम निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारत का विचार इस समस्या को किस प्रकार हल करने का है ; और

(घ) क्या अन्य देशों ने भी, जिसके साथ हमारा व्यापार रुपयों में है, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, अथवा रुपये के अवमूल्यन से होने वाले प्रभावों पर विचार किया है और इसके फलस्वरूप मूल्यों में रियायत की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) सोवियत रूस तथा उन अन्य देशों, जिनके साथ भारत द्वारा रुपये में भुगतान करने की व्यवस्था है, से आयातित वस्तुओं के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्तर पर निर्धारित किये जाते हैं और जून, 1966 में रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, उन मूल्यों का रुपये के रूप में पुनः समजंन करना पड़ा था। शेष विश्व से आयातित वस्तुओं के विषय में भी वही स्थिति है।

अतः भारत सरकार द्वारा मूल्यों में कुछ रियायत मांगने का प्रश्न नहीं उठता। कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र के आयातकों सहित भारत के आयतक, कुछ विशेष वस्तुओं के विश्व मूल्य संचलनों के कारण कम मूल्यों पर बातचीत करने में समर्थ हुए हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या समस्त चौथी पंच वर्षीय योजना में आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में रुस के साथ भारत सरकार का हाल में कोई दीर्घकालीन करार हुआ है अथवा दीर्घकालीन करार करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो जहां तक उपभोक्ता वस्तुओं और पम्परागत वस्तुओं का हमारे निर्यात तथा मशीनरी के आयात से सम्बन्ध है। क्या वर्तमान व्यापार व्यवस्था में परिवर्तन होगा ताकि हमारी निर्मित वस्तुओं का 60 प्रतिशत निर्यात हो सके और रूस से मशीनों का आयात कम किया जा सके ?

श्री दिनेश सिंह : रूस के साथ हम आगामी पांच वर्षों के लिये व्यापार योजनाओं तथा व्यापार करारों के सम्बन्ध में शीघ्र ही विचार विमर्श करने वाले हैं और माननीय सदस्य के सुझावों को हम अवश्य ध्यान में रखेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह सच है कि इस प्रकार की कुछ शिकायत है कि रूस से जिसके साथ हमारा रुपयों में भुगतान व्यापार है, हम अपनी निर्यातित वस्तुओं के मूल्य अधिक ले रहे है ? क्या यह सच नहीं है कि हम अमरीका को निर्यात किये जाने वाले प्रति जोड़ा जूतों का मूल्य 12 से लेकर 15 रुपये तक लेते हैं।, जबकि रूस से हम उसी जोड़े का मूल्य 10 रुपया लेते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : रूस और भारत के बीच व्यापार केवल सरकारी क्षेत्र निगमों के माध्यम से ही नहीं अपितु गैर-सरकारी क्षेत्र के माध्यम से भी होता है और भारत में गैर-सरकारी पक्षों तथा रूस में निर्यात गृहों द्वारा बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निश्चित किये जाते हैं, किसी विशेष वस्तु का मूल्य बताना मेरे लिये कठिन है, यदि हम ऐसी तुलना करें और मैं सरकार की ओर से विभिन्न देशों के बीच विक्रय मूल्यों में अन्तर का ब्यौरा दूं, तो वे लोग अथवा देश या तो मूल्यों में कमी करने को कहेंगे या फिर और दूसरे सस्ते बाजार ढूंढेंगे। किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि रुपयों में भुगतान वाले देशों के साथ जिनमें रुस भी है व्यापार करना हमारे लिए बहुत लाभप्रद है।

श्री कृ० मा० कौशिक : क्या यह सच है कि भारत द्वारा सप्लाई किये गये इंजीनियरिंग तथा अन्य वस्तुओं के लिये हमारी सरकार ने रूस जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों के लिये आस्थगित भुगतान की शर्तें लगा रखी हैं और यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने इस पर

इस आधार पर आपत्ति नहीं की है कि रूस जो विकसित तथा उद्योगों से भरपूर है, इस रियायत का हकदार नहीं है ? यदि हां, तो रूस को यह रियायत क्यों दी गई हैं ?

श्री दिनेश सिंह : आमतौर पर हमने आस्थगित भुगतान की कोई शर्तें नहीं रखी हैं, हो सकता है कि एकल निर्यातकों ने कुछ ऋण सुविधाएं दी हो, लेकिन रुपये में भुगतान वाले देशों तथा भारत के बीच जो व्यापार होता है वह वार्षिक व्यापार योजना का अंग है जिसका सन्तुलन बनाये रखना होता है, इसलिये ऋणों का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता, इसके अतिरिक्त रूस से हम जो कुछ भी माल खरीदते हैं, रूस उतने ही मूल्य का माल भारत से खरीदता है, जो हमारे लिये अत्यधिक लाभप्रद है, कोई भी, चाहे वह विश्व बैंक हो अथवा अन्य कोई निकाय, हमारे ऐसे व्यापार करार के बारे में, जो हमारे लिये लाभप्रद है, आपत्ति कैसे कर सकता है, यदि विश्व बैंक इस बारे में इतनी अधिक रूचि लेता है, तो उसे अपने सदस्यों को भी हमसे माल खरीदने के लिए मनवाना चाहिए ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : प्रश्न यह था कि क्या रूस को पेश की गई आस्थगित भुगतान की शर्तों के सम्बन्ध में विश्व बैंक ने कोई आपत्ति उठाई है ।

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने बताया आस्थगित भुगतान की शर्तें पेश करने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि विश्व बैंक ने कोई आपत्ति उठाई है, तो मुझे विश्वास है कि मेरे साथी वित्त मन्त्री उत्तर दे सकेंगे ।

श्री हेम बरुग्रा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्वेज नहर निरन्तर रूप से बन्द पड़ी है और इसका रूस के साथ हमारे व्यापार सम्बन्धों पर बुरा असर पड़ा है, क्या यह सच नहीं है कि श्री कोसीगिन ने अपने दिल्ली के पिछले दौरे में यह सुझाव दिया था कि दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से होकर मार्ग बनाया जाये और यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? दूसरे, क्या रुपये के अवमूल्यन का रूस के साथ हमारे व्यापार पर कोई असर पड़ा है ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, रूस के लिये भू-मार्ग का हम स्वागत करेंगे । इस समय सरकार के सामने कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है । जहां तक रुस के साथ हमारे व्यापार पर अवमूल्यन के प्रभाव का सम्बन्ध है, रुस के साथ हमारा व्यापार बढ़ा है ।

श्री हेम बरुग्रा : उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है, जो बिल्कुल स्पष्ट हैं अर्थात, क्या श्री कोसीगिन ने पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के रास्ते रुस को जाने के लिये एक भू-मार्ग बनाने का सुझाव दिया था । अब मन्त्री महोदय कहते हैं कि उसको क्रियान्वित करना रूस का काम है । किन्तु श्री कोसीगिन चाहते थे कि भारत इसे क्रियान्वित करे । इस सुझाव को क्रियान्वित करने के लिए भारत रुस को किस सीमा तक सहयोग देगा ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने बताया हम रुस के साथ तथा भू-मार्ग खुलने का स्वागत करते है । हो सकता है ऐसा सुझाव किसी अन्य मन्त्रालय में प्राप्त हुआ हो । किन्तु मेरे विचार से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है ।

Shri M. A. Khan : What is the quantum of our trade with Russia and other Socialist countries and to what extent has it increased or decreased ?

Shri Dinesh Singh : At present about 13 percent of our trade is with rupee are countries.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या भारत सरकार ने हमारी उन वस्तुओं के लिए रुस से क्रया-देश प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जिन पर मंदी का बुरा असर पड़ा है या विपणन की कठिनाइयों के कारण जिन्हें हमारे उद्योग पूरी क्षमता पर उत्पादित करने या बेचने की स्थिति में नहीं है । यदि हां, तो इस प्रकार की किन किन वस्तुओं पर चर्चा की गई है और रूस की ओर से क्या उत्तर मिला है ?

श्री रंगा : विशेष रूप से कपड़ा ।

श्री दिनेश सिंह : जी, हां । हम रूस से मन्दी से प्रभावित वस्तुओं के निर्यात के बारे में बातचीत करते रहे हैं । सभा को विदित है कि हम रेलवे के माल डिब्बों के निर्यात के लिए रूस से बातचीत करते रहे हैं । जब 50,000 माल डिब्बों का प्रस्तावित क्रयादेश मिल जायेगा, तो इससे हमारे उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच है कि रुपया भुगतान के तरीके से हमारे देश को हानि पहुंच रही है, यदि नहीं, तो क्या इसके कोई प्रमाण है कि इस पद्धिति से हमें लाभ पहुंच रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : रुपया भुगतान व्यवस्था केवल एक लेखा-जोखा भुगतान व्यवस्था है और जैसा कि मैंने पहले बताया है रुपया व्यापार से मुख्य लाभ यह है कि यह एक संतुलित व्यापार है और इसके साथ ही यह हमारे उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिये प्रोत्साहन देता है ।

Shri Maharaj Singh Bharati : May I know whether, after taking into account the debt service charges, we are maintaining a favourable balance of trade with Russia ? Is it a fact that Russia can be prepared to buy more from us if our present imports from western countries are obtained from Russia, if so, what efforts are being made in that direction ?

Shri Dinesh Singh : Yes Sir, it is true that efforts are being made.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : रूस को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कृषि पर आधारित वस्तुओं का क्या अनुपात है और क्या यही अनुपात रूस से आयात की जाने वाली वस्तुओं में कृषि सम्बन्धी मशीनों का भी है ? क्या कारण है कि रुस से पिछले दो वर्षों में एक भी टैक्टर आयात नहीं किया गया जब कि पाकिस्तान 8000 ट्रैक्टर आयात कर रहा है ? पिछले 8–9 महीने से किस विषय पर बातचीत हो रही है ?

श्री दिनेश सिंह : कृषि उद्योगों की निर्यात सम्बन्धी जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है । व्यापार योजना के अन्तर्गत हमारे पास रुस से टैक्टर और फालतू पुर्जे आयात करने की व्यवस्था है । पिछले दो वर्षों में हमने ट्रैक्टर आयात किये हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that Russia charges from us more for all the commodities that what it charges from other East European countries, if so, whether the hon. Minister discussed this matter in his recent tour of Russia, if so, the results thereof ?

Shri Dinesh Singh : This is not correct.

श्री नाथ पाई : इस सभा में हुई बहस से पता चलता है कि तथाकथित रुपया व्यापार के सम्बन्ध में काफी भ्रम और गलतफहमी पैदा हो गई है । क्या इस गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकार का विचार, तथाकथित रुपया व्यापार क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार के समूचे ढांचे की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करने का है ?

श्री दिनेश सिंह : इस तथाकथित भ्रम तथा संशय की जानकारी मुझे नहीं है और मैं यह भी नहीं जानता कि माननीय सदस्य किन विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं । जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने जब भी कोई सन्देह पैदा हुआ है उसे प्रत्येक अवसर पर दूर किया है । मैं नहीं समझता कि इस प्रयोजन के लिये किसी समिति की आवश्यकता है ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि रूस हमारे माल डिब्बों के प्रस्तावित निर्यात के बदले में रुस हमें ऐसे विमान और अन्य मशीनें देने का प्रयत्न कर रहा है जिन्हें हम अपने लिये लाभप्रद नहीं समझते और जिन्हें हम अन्य देशों से कम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं । रुस हमसे जो वस्तुएं खरीदेगा उनके बदले में हम जो चाहे खरीद सकते हैं ।

श्री रंगा : क्या यह सच है कि यद्यपि रुसी ट्रैक्टरों के मूल्य अपेक्षाकृत कम हैं, किन्तु वे फालतू पुर्जों के बहुत ऊंचे मूल्य लेते हैं और उनकी मरम्मत के लिये अपेक्षित तकनीकी जानकारी भी नहीं देते और हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : देश में रूसी ट्रैक्टरों की लोकप्रियता को देखते हुए मैं ऐसा नहीं कहूंगा । यदि मरम्मत सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं न होती और यदि फालतू पुर्जों की इतनी भारी कमी होती, तो रूसी ट्रैक्टरों के लिये हमारे पास इतनी लम्बी प्रतीक्षा सूची नहीं होती ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : चूंकि रूस में भारत की दस्तकारी की वस्तुएं और कपड़ा बहुत पसंद किये जाते है, क्या रूप में उनके सम्बन्ध में प्रचार करने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : रूस में माल का क्रय और विक्रय स्वतन्त्र रुप से नहीं होता है ; आयात संगठनों के द्वारा माल खरीदा जाता है । रूस में अपनी वस्तुएं लोकप्रिय बनाने के लिये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । मास्को में हमारे राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय है । पिछली बार जब मैं मास्को में था, तो हमने रूस के विदेश व्यापार मन्त्री से, रुस में भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने की सम्भावनाओं के बारे में बातचीत की थी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know whether in view of the prevailing international prices, it is profitable for us to import goods from Russia and East European countries ?

Shri Diensh Singh : Yes Sir. It is profitable and that is why we import.

श्री पीलु मोडी : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में रूसी रुबल की तुलना में रुपये का अवमूल्यन 85 प्रतिशत तक हो चुका है। ऐसी हालत में तो मुझे विश्वास है कि वह भारत और रुस के बीच व्यापार को संतुलित कर सकते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि रुस के साथ हमारा व्यापार संतुलित नहीं है। क्या रुबल और रुपये के मूल्य में ती इस अनुचित अंन्तर के होते हुए हम रुस के साथ व्यापार करेंगे या इस अन्तर को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहें हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने कहा हमें पिछली स्थिति को बदलना होगा। किन्तु मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सही है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अवमूल्यन के पश्चात रुबल और रुपये के मूल्यों में कोई अन्तर पड़ा है।

रेलवे सम्पत्ति की चोरी

* 333. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों तथा रेलवे परिसरों में रेलवे सम्पत्ति की चोरी तथा अन्य अपराधों के मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्रों में रेलवे में होने वाले अपराधों को रोकने के लिये और अधिक संसाधन उपलब्ध करने में असमर्थता प्रकट की है ; और

(ग) यदि हां, तो अपराध को रोकने के लिए रेलवे पुलिस को और सुदृढ बनाने के हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलों में रेल सम्पत्ति की चोरी तथा अन्य अपराधों में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) हाल में इस विषय पर मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श किया गया था और उन्होंने पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। लेकिन, कुछ मुख्य मन्त्रियों ने कहा है कि पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव के कारण पुलिस दल की संख्या बढ़ाने में बाधा पड़ी है। विशेष रुप से रेलों के कुछ बदनाम खण्डों पर अपराध की घटनाओं के विश्लेषण के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ताकि सरकारी रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा सके।

Shri Yajna Datt Sharma : Is the hon. Minister aware as to what extent the cases of thefts are increasing in Railways ? Last time it was in the newspaper that the cases of thefts of one lakh rupees are taking place daily in Mughalsarai and similarly, from Amritsar Station many railway coaches, coal, and spare parts were stolen and long ago

Central Bureau of Investigation made an inquiry. In this background I would like to know from the hon. Minister whether the railway workers, who inform the Railway Department or to the higher authorities about theft are penalised and demoted or transferred to other departments by the bureaucrats involved in such misdeeds ? Therefore, I want to know whether provision will be made in the Railway Department for special investigation on the basis of information given by the railway workers and will set-up a agency to go into the departments of the cases of thefts and will give incentives to the workers who give such informations ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमारे पास इस सम्बन्ध में सारी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष अभिकरण हैं । इसके साथ साथ राज्य सरकार का गुप्तचर विभाग भी कार्य कर रहा है । यह सच है कि जहां तक राज्य सरकार की पुलिस अर्थात् सरकारी रेलवे पुलिस का सम्बन्ध है, उसकी आदेश शाखा (आर्डर ब्रान्च) पर्याप्त है जबकि अपराध शाखा (क्राइम ब्रान्च) पर्याप्त नहीं है, यह बात राज्यों के मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में उठाई गई थी और उसमें इस बात पर चर्चा भी हुई थी, वे अपराध शाखा में सरकारी रेलवे पुलिस के बल को बढ़ाने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हो गये हैं, जहां तक उन सूचनाओं का सम्बन्ध है जो विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त होते हैं हम उन पर तुरन्त कार्यवाही करते है, इस सम्बन्ध में यह जानना रूचिकर होगा कि हमारे पास सन् 1966 का रेलवे सम्पत्ति अवैध अधिकार अधिनियम है जो इस वर्ष 1.4.68 से लागू किया गया तथा इन तीन महीनों के दौरान रेलवे न्यायाधीशों ने 1571 पंजीकृत मामलों में से 761 मामलों को अपने हाथ में ले लिया है और इस सम्बन्ध में लगभग 1980 व्यक्ति हिरासत में ले लिये गये हैं, इस अधिनियम के अन्तर्गत हमारा अपना दण्डाधिकारी का पद है और अपना अभियोजन अधिकारी है । हम चोरी तथा अपराध के बढ़ते हुए मामलों के बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

Shri Yajna Datt Sharma : Will the Government make arrangements for providing incentives to those railway workers who inform about the thefts because if they will be given encouragement that they will prove themselves a better agency than others ? Whether they will be given any encouragement for the valuable information they give and whether arrangements will also be made to protect them from the anti-social machinery which prosecutes them ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जो लोग न केवल इस सम्बन्ध में अपितु अन्य मामलों में भी हमें विशेष जानकारी देते हैं, उन्हें पारितोषिक देने के लिए हमने प्रबन्ध कर रखा है ।

Shri K. N. Tiwary : How much money is given by the Central Government to State Governments for Government Railway Po ice and whether it is a fact that the cases of thefts of Railway property and other crimes are not given the same priority as the cases of thefts etc. are given in States ?

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं इस मत में सहमत नहीं । वास्तव में, राज्य सरकारें इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता दे रही हैं । जहां तक आदेश शाखा (आर्डर ब्रान्च) का सम्बन्ध है जैसा मैंने पहले निर्देश किया इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा किये गये खर्चे को हम बर्दास्त करते हैं, जहां तक अपराध शाखा (क्राइम ब्रान्च) का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इन सारी चीजों पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत विचार किया जायेगा । यह रेलवे प्रशासन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता ।

Shri Satya Narayan Singh : Whether it is a fact that instead of giving incentives to the workers, who give information about thefts. the persons who destroy the property and make away with them are given protection and they are promoted by the officers inspite of repeated complaints made against them ?

श्री चे० मु० पुनाचा : ऐसी बातें मेरे ध्यान में नहीं आयी हैं। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष जानकारी है तो मैं उसे प्राप्त कर बहुत खुश होऊंगा।

Shri Sheo Narain : I would like to know from the hon. Railway Minister whether the crimes have increased or decreased, and since when these have increased what is the strength of police ? I want to cite an example that last time when I travelled I got down at Basti Station at 2 A. M. There I saw that both T. T. Babu and the policeman were harrassing a traveller from Bombay when I intervened they became very angry. I want to say that there is no body to check all these things in Railway Department.

श्री चे० मु० पुनाचा : मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र आवश्यक कार्यवाही के लिए इस बात को सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाये होंगे।

Shri Sheo Narain ! Please let me know whether the crime has increased or decreased ?

श्री एस० कन्डप्पन : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि रेलवे संरक्षण बल के प्रारम्भ से ही रेलवे में चोरी के मामले बढ़ गये हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि रेलवे संरक्षण बल के चालू होने के पश्चात् राज्य सरकारों ने रेलवे की इस समस्या को सुलझाने के बारे में अपनी पहल कदमी खो दी है, क्योंकि वे सोचते हैं कि यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है क्योंकि उनके पास अपना संरक्षण बल है। विगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए तीसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा। क्या सरकार का इसमें अन्तर्निहित खर्चे को सहन करते हुए पूरे मामले पर विचार करने तथा उत्तरदायित्वों को सम्पूर्ण रूप से राज्यों को सौंपने का प्रस्ताव है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर देते हुए मेरा यह कहना है कि हमारी एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है, मेरे माननीय मित्र श्री शान्तिलाल शाह उसके सभापति हैं, वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं और आशा है कि उनकी रिपोर्ट 15 सितम्बर तक प्राप्त हो जायगी, उस रिपोर्ट के मिल जाने पर सिफारिशों पर समुचित विचार करते हुए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

जहां तक रेलवे संरक्षण बल तथा सरकारी रेलवे पुलिस का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि सरकारी रेलवे पुलिस ने अपने उत्तरदायित्व को कभी भी अस्वीकार नहीं किया है केवल इसलिये कि रेलवे संरक्षण बल अस्तित्व में आ गया है। रेलवे संरक्षण बल सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए तथा अन्य कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए रेलवे की एक निगरानी करने वाली संस्था है। सरकारी रेलवे पुलिस ने अपने को अपनी जिम्मेवारियों से विमुक्त नहीं किया है। लेकिन तथ्य यह है कि रेलवे संरक्षण बल के बिना चोरी तथा अन्य ऐसे ही मामलों में और अधिक वृद्धि हो गई होती।

श्री एस० कण्डप्पन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या चोरी तथा अन्य मामलों में रेलवे संरक्षण बल स्थापित होने के बाद कोई वृद्धि हुई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक रेलवे सम्पत्ति की चोरी तथा अन्य अपराधों के मामलों का सम्बन्ध है इनमें सामान्य वृद्धि हुई है।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : I want to know from the hon. Minister that amount of thefts taken place during the last one year and in which State it was the maximum ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : In Bihar.

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं अलग अलग आंकड़े नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं अखिल भारतीय आँकड़े बताने में समर्थ हूँ।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन।

डा० रानेन सेन : यह पता चला है कि रेलवे कर्मचारियों का एक वर्ग भी चोरी के इन मामलों में शामिल है, कम से कम इन चोरी आदि के मामलों में सांठ-गांठ अवश्य है। इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि रेलवे अधिकारियों को उन वस्तुओं तथा माल को जिनकी रेलगाड़ियों से चोरी हो जाती है, बदलने में लम्बा समय क्यों लगता है ? रेलवे संरक्षण बल की लापरवाही के कारण यात्रा करने वाले लोगों को क्यों दन्डित किया जाय ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह बात सच है कि चोरी आदि के इन मामलों में रेलवे के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके अनुसार पिछले तीन महिनों के दौरान नये अधिनियम को लागू करने के पश्चात् हिरासत में लिये गये 1980 व्यक्तियों में से 344 रेलवे कर्मचारी थे और 38 रेलवे संरक्षण बल के कर्मचारी थे......(व्यवधान)। रेलवे कर्मचारियों के चोरी आदि के इन मामलों में शामिल होने को रोकने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जहां तक चोरी किये गये माल के स्थान पर बदले में माल देने का सम्बन्ध है, ज्योंहि चोरी होती है हम उसके बदले में माल देने के लिये भरसक प्रयत्न करते हैं लेकिन कभी कभी यह व्यवहारिक रूप से कठिन हो जाता है जब कि चलती गाडियों में लगातार चोरियां होती हैं, विशेषकर (व्यवधान)।

डा० रानेन सेन : बिजली के बल्बों को बदलना बड़ा कठिन है।

श्री नाथपाई : उन 300 रेलवे कर्मचारियों में से रेलवे बोर्ड के कितने कर्मचारी हैं ? (व्यवधान)।

श्री चे०मु० पुनाचा : कोई भी नहीं।

श्री नाथपाई : कृपया इस बात को स्पष्ट कीजिए कि रेलवे बोर्ड के कितने कर्मचारी इन मामलों में शामिल हैं ?

श्री चे० मु० पुनाचा : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

श्री सोनावने : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे सम्पत्ति (अवैध अधिकार) अधिनियम लागू करने के पश्चात् रेलवे पुलिस अथवा रेलवे संरक्षण बल ने स्वप्रेरणा से रेलवे वर्कशाप के द्वितीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी के संदिग्ध कर्मचारियों अथवा अधिकारियों की खोज की है, जो प्रायः इस प्रकार के मामलों में अन्तर्गस्त हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां, कई मामलों की खोज की है ।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, you know that Shri Upadhaya was murdered while he was travelling by rail. Our hon. Member from Mysore Shri Dassppa has stated that last month while he was travelling by rail with his younger daughter, his goods worth Rs. 3000—were stollen. May I know whether any memorandum has been received from him, and if so, what action has been taken in that regard ?

श्री चे० मु० पुनाचा : हमें इस सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है तथा इस मामले पर विचार किया जा रहा है और सरकारी रलेवे पुलिस इसकी जांच कर रही है ।

Shri Sitaram Kesri : Barauni station is an important junction in my State, where thousands of passengers daily come and go. There are two types of collies–one approved and the other unapproved. These unapproved coolies are also allowed in the platform. May I know whether the hon. Minister is aware that these unapproved coolies steal goods from the Barauni Station as a result 10 to 15 passengers are deprived of their goods daily. In this connection a great movement has also been started there. Have you received any memorandum ? May I know whether any schemehas been formulated to prevent those unapproved coolies from going on the platform, for increasing the number of coolies and reducing cases of crimes or whether any action has been taken ?

श्री चे० मु० पुनाचा : माल को उतारने व चढ़ाने के लिए अनधिकृत व्यक्तियों के रेलवे प्लेटफार्म और उसके आसपास आने के सम्बन्ध में कड़ी निगरानी रखने के बारे में सम्बन्धित रेलवे को अनुदेश दे दिये गये हैं । उनको रेलवे स्टेशन के आसपास आने की अनुमति नहीं दी जा रही है । मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित रेलवे ने आवश्यक कार्यवाही कर ली होगी ।

श्री लोबो प्रभु : रेलवे की ये चोरियां रेल के डिब्बों, रेलवे लाइनों तथा माल गोदामों में होती है । इन तीनों अनुभागों के लिए कार्यभारी है । मेरा प्रश्न यह है कि यद्यपि पुलिस की जिम्मेवारी है लेकिन यह जिम्मेवारी गौंड़ है और सम्बन्धित कार्यभारियों के जिम्मेदारी के बाद की चीज है । क्या मंत्री महोदय ने विचार किया है कि इन तीन अनुभागों की निगरानी और पहरे से सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा जाता, इस प्रकार स्पष्टीकरण मांगने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है कि क्या उन्होंने आवश्यक सावधानी बरती थी तथा कहां उनसे चूक हुई ? जब तक यह नहीं किया जाता, जब तक उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी नियत नहीं की जाती मै सोचता हूं चोरी घटेगी नहीं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : अधिकतर चोरियां याड़ों में होती हैं, यार्ड का क्षेत्र बहुत बड़ा है, और वह जंगले से सुरक्षित है, वहां सशस्त्र सिपाही गश्त लगाते हैं तथा पुलिस के कुत्ते भी

रात को चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार के प्रबन्ध से अच्छे परिणाम निकले हैं. कार्यभारी अधिकारी इन चोरी के मामलों के लिए उत्तरदायी हैं लेकिन माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि रेलवे का काम चौबीसों घंटे चलता है और वहां काम करने वाला एक ही अधिकारी नहीं होता बल्कि तीन या चार अधिकारी बारीबार काम करते हैं, इस हालत में किस पर उत्तरदायित्व डाला जाय ? यह काम इतना आसान नहीं हैं जितना माननीय सदस्य समझ रहे हैं।

श्री हेम बरूग्रा : मैं कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ, अपने पूर्वाधिकारी श्री अनन्तशयनम आयंगार ने एक बार इसी सभा में कहा था कि किसीने उनकी आम की दो पेटियां भेजी वह पेटियां तो बिल्कुल ठीक थीं किन्तु उनके अन्दर एक भी आम नहीं था क्या आपके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार का सुधार हुआ है ?

श्रध्यक्ष महोदय : में श्री हेम बरूआ से निवेदन करता हूं कि ये मुझे एक आम की पेटी भेजें जिससे मैं उसके बारे में सूचना दे सकूं।

Shri Shiv Charan Lal : Whether it is a fact that the cases of theft daily occur in the passenger train which runs between Delhi and Farookhabad and the passengers are looted in the brood day light and the guard or the safeguard party does not accompany the train ? If so, what steps the Government have taken to prevent all such incidents ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस क्षेत्र में तथा अन्य दूसरे कुख्यात क्षेत्रों में चोरी के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और राज्य सरकारें चलती गाड़ियों में हथियारों से सुसज्जित रक्षकों की व्यवस्था करने के बारे में हाल ही में सहमत हो गयी हैं।

Dr. I. Ahmad : Chichari and Choudhury Bandh are two stations which fall between Hazaribagh Road and Parasa Nath Stations. At these two stations the wagons are stopped and the bags of rice and other goods are taken out from them. Once Batas' shoes were taken out and afterwards Cthose Shoes were sold in the Markets. To stop these cases of thefts whether any special arrangements have been made by the Government ?

Shri Shri Chand Goyal : The hon. Minister has stated that some Chief Ministers have shown their inability to check there thefts,and that they would not be able to give full cooperation for preventing such theft cases until they get financial assistance from the Centre. I want to Know that last year due to such cases of thefts if railway property and also the theft of the other goods which the railway transports. The railway have lost the faith of the public and is running in losses, then Keeping all this in view whether the Government would give assistance to these States so that they may be able to give full cooperation to prevent this loss and the theft of the railway property ?

श्री चे० मु० पुनाचा : यह मामला विचाराधीन है।

श्रध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, संख्या 334.

Shri Hukam Chand Kachwai : Alongwith this Q. No. 335 and 341 may also be taken.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 335 का उत्तर प्रश्न संख्या 334 के साथ ही दिया जाय। किन्तु प्रश्न संख्या 341 इससे भिन्न है। प्रश्नों के दो वर्गों के बीच तीन साल का अन्तर है।

पाकिस्तान द्वारा रोक लिया गया भारतीय माल तथा उपकरण

+
334 **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाबू राव पटेल :
श्री निहाल सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये माल और अन्य उपकरण अभी तक पाकिस्तान के कब्जे में हैं :

(ख) यदि हां, तो वह सामान क्या है और उसका मूल्य कितना है : और

(ग) इसे वापस लेने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के लगभग 70 लाख रुपये के माल के सिवाय जिसे पाकिस्तान ने छोड़ दिया है और दो जहाजों के बदले में दो जहाज छोड़ दिये गये है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) संघर्ष के समय दोनों सरकारों द्वारा जब्त की गयी सम्पत्तियों, परिसम्पत्तियों, माल आदि को वापस करने के सम्पूर्ण मामले पर विचार करने के लिये, लड़ाई की समाप्ति के बाद से ही पाकिस्तान सरकार के साथ किये गये सभी प्रयत्न अब तक अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में असफल रहें हैं। फिर भी इस दिशा में प्रयत्न जारी हैं।

विवरण

31 मार्च, 1968 तक भारतीय राष्ट्रिकों तथा फर्मों से प्राप्त दावों के आवेदन-पत्रों से संकलित दावों का संक्षेप।

क्रमांक	दावे का स्वरूप	धनराशि
1.	तटस्थ तथा पाकिस्तानी जहाजों से करांची पर उतारा गया माल	4,73,08,199
2.	पाकिस्तान में भारतीय फर्में जो उस सरकार ने ले ली हैं	58,29,13,725
3.	पाकिस्तान के राज्य-क्षेत्र में भारतीय बैंकों की परिसम्पत्तियां	8,23,39,325

4.	पाकिस्तान में व्यक्तियों तथा फर्मों पर वाणिज्यिक दावे	2,10,66,420
5.	पाकिस्तानी कम्पनियों में भारतीय शेअर	2,01,02 716
6.	वेतन, भविष्यनिधि तथा आनुतोषिक के लिये पाकिस्तान स्थित नियोजकों पर भारतीय राष्ट्रिकों के दावे (पाकिस्तान द्वारा रोक दिये गये)	43,46,701
7.	भारत की चाय जो पाकिस्तान सरकार ने प० बंगाल तथा आसाम के मध्य मार्ग में जब्त की।	2,14,80,799
8.	भारत का पटसन माल जो पाकिस्तान सरकार ने प० बंगाल तथा आसाम के मध्य मार्ग में जब्त किया।	2,26,15,336
9.	भारत के जहाज, मोटर नौकाएं, फ्लेट, साइड पेडल्ड स्टीमर आदि	6,73,30,656
10.	भारत का माल जो पाकिस्तान सरकार ने प० बंगाल तथा आसाम के मध्य मार्ग में जब्त किया।	4,00,13,810
11.	भारत की पाकिस्तान से अचल सम्पत्ति जो पाकिस्तान सरकार ने ले ली।	10,28,41,050
12.	भारतीय राष्ट्रिकों से उनके पाकिस्तान से लौटते समय पाकिस्तान सरकार द्वारा ले ली गयी चल सम्पत्ति।	2,74,060
	योग	1,01,26,32,797

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान और भारत द्वारा पकड़े गये भारवाहक जहाज

*335 **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान द्वारा क्रमशः पकड़े गये और रोके गये भारवाहक जहाजों की संख्या और मूल्य क्या क्या हैं :

(ख) क्या ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् भारत और पाकिस्तान ने उनमें से कुछ जहाज एक-दूसरे को लौटाये हैं : और

(ग) यदि हां, तो कितने-कितने जहाज लौटाये गये हैं और उनका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 1965 के संघर्ष के दौरान लगभग 807 करोड़ रु० मूल्य के 186 भारतीय जहाज तथा लगभग 1·70 करोड़ रु० मूल्य के 4 पाकिस्तानी जहाज क्रमशः पाकिस्तान एवं भारत की सरकारों द्वारा पकड़े गये थे ।

(ख) तथा (ग) ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर होने के बाद 1·26 करोड़ रु० मूल्य के दो पाकिस्तानी जहाजों का 1·34 करोड़ रु० मूल्य के दो भारतीय जहाजों के बदले पारस्परिक आधार पर आदान-प्रदान किया गया ।

Shri Yashpal Singh : It seems from the statement that they are in possession of our properties worth more than one hundred crore rupees; I want to know from the Government what concreate steps have been taken by them besides writing letters or sending Protest Notes, so that we may get our goods back ? Besides Protest Notes, what other measures are contemplated by the Government ? Why the scheme has failed and why the measures, which have proved futile, are being applied again and again ?

Shri Dinesh Singh : We have to apply those methods which are used for setting the disputes between the two countries, although these may be old methods and might not have proved successful on certain occassions. We sent them Protest Notes and wherever we got the chance we, talked with them and tried to solve problem.

Shri Yashpal Singh : I want to know how much goods we seized during the 18 days conflict between India and Pakistan and how much has been returned by us and what is the remainder ?

Shri Dinesh Singh : I have already given full information regarding the cargoes we seized and returned to them and I have already stated their value.

श्री बाबूराव पटेल : इन दो देशों के बीच की इस लूटपाट में अन्तर कितना है ? माल पकड़ने के इस सिलसिले में अन्तर हमारे पक्ष में हैं अथवा पाकिस्तान के पक्ष में ? हमने 100 करोड़ रुपये से अधिक का माल खो दिया है और हमें निकट भविष्य में इसके मिलने की आशा नहीं है । सरकार पाकिस्तान के सामने कब तक झुकना चाहती है और अन्य तरीकों से कब तक अपने माल के दावों को आगे प्रस्तुत करना नहीं चाहती है ?

श्री नाथ पाई : जब तक वे शक्ति में हैं ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच कोई व्यापार नहीं है ... ...

श्री नाथ पाई : उन्होंने लूटपाट के बारे में पूछा था, उन्होंने लूटपाट के अन्तर के बारे में पूछा था ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने लूटपाट का कोई अभिलेख नहीं रखा है ।

Shri Nihal Singh : Whether the non-return of goods cannot be construed violation of Tashkent Agreement ? If so, whether the hon. Minister will bring this thing to the notice of those under whose auspicious that Agreement was signed ?

Shri Dinesh Singh : This has been discussed in this House many times that according to Tashkent declaration they should return our goods. So far as bringing this to the

notice of others is concerned, the hon. Member knows that we have discussed this matter outside also, besides the discussions held in this House. I would like to say one thing that in all such matters we should not depend upon others and should settle such things ourselves.

Shri Beni Shanker Sharma : Just now the hon. Minister has stated in the reply to our question that Pakistan released our two ships on reciprocal basis and we also released their two ships, I want to know whether the flatb ats which go from West Bengal to Assam and in which jute is sent are in possession of Pakistan. Whether Pakistan has released any flatboat or not ? I want to ask one more question. You recently want to Russia. Russia had a big hand in the Tashkent Agreement, whether you put forward all these matters before the Russian Prime Minister and whether you told him that according to Tashkent Agreement they should press Pakistan and should endeavour to make Pakistan return our goods and other things in lieu of our unilateral release of her (Pakistan) goods ?

Shri Dinesh Singh : We have not released the flat of Pakistan which we seized.

An hon. Member : How many flatboats were seized ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has not heard me. I have categorically told that we have not released the flat boats which seized by us. They had seized 74 flatboats.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why did you seize that flat boat ? May I know whether you seized that flatboat by mistake ?

Shri Dinesh Singh : So far as bringing this matter to the notice of Russia is concerned we have told them about it.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह देखते हुए कि पाकिस्तान से अपनी सम्पत्ति को छुडाने के लिये अब तक के हमारे प्रयत्न असफल रहे हैं और इस सम्बन्ध में पाकिस्तान की ओर से कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हुई है और यह भी देखते हुए कि पाकिस्तान ने अभी तक 350 करोड़ रुपये के मूल्य का जो हमारा ऋण देना था, उसे भी नहीं चुकाया है और अब यह बिलकुल स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से समस्या को हल करने की हमारी भाषा का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं क्या वे अपनी भाषा के स्वर को तथा सरकार के स्वर को बदलने के लिये तैयार हैं तथा क्या वे व्यवहारिक दृढ़ आग्रह के रवैये को अपनाने के लिए तैयार हैं ताकि पाकिस्तान अधिक अनुकूल ढंग से व्यवहार करे क्योंकि हमारी दृष्टि में अब तक उसकी प्रतिक्रिया प्रतिकूल हो रही है ?

श्री दिनेश सिंह : सभा इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के सम्बन्ध में हमारे कई स्वर थे जिसके परिणामस्वरूप युद्ध को जन्म मिला। किन्तु मैं अभी भी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बर्ताव करने का शान्तिपूर्ण बातचीत के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने सभा के सामने एक विस्तृत विवरण रखा है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान ने लगभग 101 करोड़ रुपये के हमारे माल तथा अन्य वस्तुओं को जब्त कर रखा है। उन्होंने इस सभा में पहले हमें यह भी बताया था कि

हमारे पास पाकिस्तान का जो माल है वह कुछ ही करोड़ रुपये का है । इस बात को देखते हुए कि सरकार पाकिस्तान के साथ पारस्परिक आधार पर आदान-प्रदान करने के बारे में बातचीत कर रही है, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पाकिस्तान की चुनौती का सामना करने के लिये इस मामले में क्या कुछ कार्य किया है ? मैं जानना चाहता हूं पाकिस्तान के जो नागरिक यहां काम कर रहे हैं क्या उनके पास शेयर हैं अथवा क्या यहां पाकिस्तान का कुछ और माल है, जिसको अभी जब्त नहीं किया गया है, किन्तु जिसको पारस्परिक आधार पर जब्त किया जाना चाहिये ?

दूसरे, हमारे राष्ट्रपति की रूस की यात्रा के पश्चात जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा अपनी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए उनके द्वारा जो पारस्परिक प्रयत्न किये जा रहे हैं, उनकी रूस सरकार सराहना करती है । क्या ये पारस्परिक प्रयत्न हैं ? क्या पाकिस्तान द्वारा किसी भी मामले को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए कोई प्रयत्न किये गये हैं ? केवल हम ही एकतरफे प्रयत्न कर रहे हैं और पाकिस्तान केवल सख्ती से व्यवहार कर रहा है और उसने हमारी सारी सम्पत्ति जब्त करली है, इस बात को देखते हुए मैं जानना चाहता हूँ क्या यह कहना भारत सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि विज्ञप्ति में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये तथा क्या हमारी सरकार अब भी रूस को बतायेगी कि उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई भी पारस्परिक प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं तथा जो भी प्रयत्न किये जा रहे है, वे केवल हमारी ओर से ही किये जा रहे हैं तथा पाकिस्तान की ओर से समझौते के कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पारस्परिक आधार पर आदान-प्रदान का सम्बन्ध है सभा इस बात को जानती है कि युद्ध के बाद हमने तब पाकिस्तानी नागरिकों की सम्पत्ति को जब्त किया था, जब उन्होंने भारतीय नागरिकों की सम्पत्ति को जब्त किया और यह पारस्परिक आधार पर किया गया कार्य था । हमने पाकिस्तानी नागरिकों की सम्पत्ति को अभिनिश्चित किया और उस सम्पत्ति को जब्त कर लिया जो पाकिस्तानी नागरिकों की सिद्ध की जा सकती थी । इसमें बड़ा अन्तर है क्योंकि यह स्पष्ट है कि हमारे नागरिकों की पाकिस्तान में अधिक सम्पत्ति है और पाकिस्तानी नागरिकों की अपेक्षाकृत भारत में कम सम्पत्ति है, इसीलिये यह असन्तुलन है ।

जहां तक रूस को सूचित करने का प्रश्न है जैसा मैंने कहा, हमने रूस को यह बताने के लिए हर सम्भव अवसर का लाभ उठाया है कि हमने ताशकन्द घोषणा को कार्यान्वित करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये हैं, किन्तु पाकिस्तान की ओर से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

श्री बलराज मधोक : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । उस विज्ञप्ति में, जो हमारे राष्ट्रपति की रूस यात्रा के बाद जारी की गयी थी, रूस वालों ने यह कहा है कि पाकिस्तान तथा भारत द्वारा समझौते के लिए पारस्परिक प्रयत्न किये जा रहे हैं, क्या हमारी सरकार रूस सरकार को बतायेगी कि कोई पारस्परिक प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं ? केवल भारत

की ओर से ही ऐसे प्रयत्न अवश्य किये जा रहे हैं तथा पाकिस्तान की ओर से कोई भी ऐसे प्रयत्न नहीं किये जा रहे ? क्या मंत्री महोदय ने इस बात की ओर रूस सरकार का ध्यान दिलाया है ?

श्री दिनेश सिंह : जैसा मैंने कहा जो कुछ रूस के लोग कहते हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है ।

श्री लीलाधर कटकी : विवरण से यह पता चलता है कि पाकिस्तान द्वारा हमारे जहाजों से चाय, पटसन तथा अन्य वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में जब्त की गयी थी, इस माल का क्या हुआ ? उनको बेचा गया है अथवा वे नष्ट हो गयी हैं ? पाकिस्तान द्वारा जब्त किये गये माल का क्या हुआ ? कीमत के अलावा माल का वास्तव में क्या हुआ ?

श्री दिनेश सिंह : हमने सुना है कि पाकिस्तान पकड़े हुए माल में से कुछ माल को जो कि भारतीय नागरिकों का था, बेचता जा रहा है और हमने एक कड़ा विरोध-पत्र भेजा है कि अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा को देखते हुए उन्हें उस माल को नहीं बेचना चाहिये क्योंकि वह भारतीय नागरिकों का है ।

श्री नाथ पाई : वास्तव में सरकार की यह बात बहुत संतोषप्रद तथा नई शक्ति प्रदान करने वाली थी कि हमें अपने अधिकारों की वैध रक्षा करने के लिये अपने पांव पर खड़े होना चाहिये । क्या मैं ताशकन्द घोषणा के अनुच्छेद 8 को पढ़ूं, जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी लिखा है :

"वे आगे, लड़ाई के दौरान एक दूसरे द्वारा एक-दूसरे की जब्त की गई सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को लौटाने के बारे में चर्चा करने को सहमत हो गये हैं ।"

मंत्री महोदय ने हमें पाकिस्तान को दिये गये विरोध-पत्रों की निस्सारता तथा सोवियत संघ के पास इस मामले को ले जाने की निस्सारता तथा असंगतता के बारे में भी बताया है । इसके प्रकाश में तथा पाकिस्तान के अन्तर्राष्ट्रीय जलदस्युता के प्रकाश में, क्या सरकार इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि इस मामले में एक बड़े परिमाण में भारतीय माल का प्रश्न भी अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं यह सुनकर बड़ा खुश हूं कि यहां तक कि इतनी देर के बाद भी माननीय सदस्य ने यह महसूस किया है कि हम सदा अपने पर निर्भर रहे हैं और सरकार ने ऐसा करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किये हैं ।......

श्री नाथ पाई : अब, वह यह महसूस करना आरम्भ कर रहे हैं ।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का सम्बन्ध है हम नहीं समझते कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने पर कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध होगा ।

श्री नाथ पाई : क्या उन्होंने इस बात की जांच करायी है ? सरकार की ओर से इस प्रकार का वचन बड़ी गम्भीर बात है । मेरा प्रश्न राष्ट्रीय हित के लिए आधारभूत महत्त्व का

प्रश्न है । क्या उन्होंने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के बारे में कुछ सोचा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री नाथ पाई : मैं नहीं सोचता कि उन्होंने कभी इस विषय पर विचार किया है ।

Shri George Fernandes : Recently a Bill has been passed in this House regarding the arrangement of the enemy property which we have seized. When the Bill was introduced we came to know that we had Pakistani property worth about Rs. 25 crores while to-day it is said that goods worth more than Rs. 101 crores are in possession of Pakistan. May I know from the Government whether Pakistan has also taken such steps to prepare a Bill with a view to keep that property with her for ever ? May I know whether you have got any such information ? You have replied to Shri Nath Pai to-day also that we do not want to go to the International Court. I want to know from the hon. Minister what steps they propose to take to get back their remaining property worth Rs. 75 crores because we have Pakistani goods worth Rs. 25 crores only and Pakistan is in possession of our goods worth Rs. 101 crores ?

Shri Dinesh Singh : So far as the first part of the question is concerned, in which he has asked whether Pakistan has prepared any such Bill through which they can take over our goods for ever. In this regard I have to say that we have got no information that they have prepared such a Bill through, which they will own our property. So far as the law is concerned, they have also got the some law with regard to enemy property which we have. So far as the second part of the question is concerned, I will tell him and Shri Nath Pai, who mentioned about the International Court that they should see the relations between India and Pakistan and then decide whether it will be useful to go to International Court at this moment ?

Shri George Fernandes : I had asked what another measures were thought of by Govt. ? If we have not to go to the International Court and if there is no use, we agree to it. Do not go to the arbitrator. What we got after going to Kutch ? But tell us know about the another measures being taken by the Govt. ?

श्री नाथ पाई : मैंने किसी अन्य प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को भेजने के बारे में नहीं कहा था, मैं केवल अवैध रूप से पकड़ी गई उस सम्पत्ति के प्रश्न को भेजने के बारे में जानना चाहता था जिसे पाकिस्तान से हमें छुड़ाना है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने न्यायालय में जाने का कोई विकल्प सोचा है ?

Shri Dinesh Singh : The enemy property Bill was moved in this very session and full discussion has taken place with regard to all these matters.....

Shri George Fernandes : No discussion took place on this matter.

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, the hon. Minister may be asked to reply the question of Shri George Fernandes.

Shri Dinesh Singh : The only difference is that he is speaking loudly while I am speaking mildly.

Shri George Fernandes : This is not the way of answering questions. I had asked what measures the Government has thought of about the remaining property worth Rs. 75 crores. It is a question of the money of thousands of people and is it not Governments' money......

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब वह सभा का समय बरबाद नहीं कर सकते ।

Shri Randhir Singh : Pakistan is in possession of our goods worth Rs. 101 crores and we are in possession of Pakistani property worth Rs. 25 crores only. I want to know from the hon. Minister if Pakistan does not return our goods at any cost then whether the Pakistani goods worth Rs. 25 crores will remain with the Government or this will be given to the persons who have come to India from Pakistan and who have been paid less compensation and will he try to give them maximum out of this amount to compensate them ?

Shri Dinesh Singh : It is for us to take the decision in respect of the persons who have come here from Pakistan as a what has to be given to them. I do not think that it will be a good bargain to exchange property worth Rs. 101 crores with the property worth Rs. 25 crores. We have to keep that aside and have to make full efforts to restore the property of our nationals which is in illegal possession of Pakistan.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has accepted that we Speak loudly and he speaks mildly only he speaks in a mild tone whose case is weak.

Pakistan has withheld our goods worth Rupees One hundrad and one crores twenty six lakhs, thirty two thousands and even hundred and ninety seven. Do you think that any progress has been made by the actions taken so far and whether they will return our goods ? If not, what strong steps the Government are going to take in this matter so that we can get back that property. The hon. Minister has stated that most of our goods are being sold. What actioni s being taken so that Pakistan does not sell our goods and how much time it will take to get back the remaining property ?

Shri Dinesh Singh : I have just told that we are taking every possible peaceful step in this matter. Whereever we meet them we raise this matter, and whenever we get a chance we raise this matter. So far as speaking loudly or mildly is concerned, the hon. Member knows many proverbs. One proverb is that the barking dogs seldom bite.

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, my question has not been answered. I had asked what progress has been made ?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूस को निर्यात के लिए माल डिब्बों के निर्माण के लिए सार्थसंघ

332. **श्री दामानी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूस को निर्यात के लिये माल डिब्बों के निर्माण के लिये धन जुटाने के लिये एक सार्थसंघ बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके लिए अपेक्षित अन्तर्देशीय धन सम्बन्धी कोई अनुमान लगा लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) सोवियत रूस को निर्यात करने के लिए माल डिब्बों के उत्पादन के निमित्त आवश्यक आन्तरिक वित्त के निर्धारण का कार्य राज्य व्यापार निगम ने अपने हाथ में ले लिया है और बैंकों का एक सार्थ-संघ स्थापित करने का एक सुझाव प्राप्त हुआ है। इस पर विचार किया जा रहा है।

संयुक्त उपक्रमों के लिये भारत सरकार श्रीलंका करार

*336. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार बढ़ाने और श्रीलंका में संयुक्त उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से दोनों देशों के मध्य नई दिल्ली में 31 मई, 1968 से चार दिवसीय वार्ता चाय और व्यापार के विषय में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन किन विशिष्ट योजनाओं पर विचार किया गया था और उन पर क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) उन निर्णयों की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) भारत-श्रीलंका चाय तथा व्यापार वार्ता 31 मई तथा 6 जून, 1968 के बीच हुई थी। जहां तक चाय का संबंध है, मिश्रित तथा पैकेट बंद चाय की बिक्री बढ़ाने के लिये, एक संयुक्त सार्थ-संघ के विधान का मसौदा तैयार करने तथा उसके उद्देश्यों, कार्यों, वित्तीय एवं प्रशासकीय ढांचे और कार्यों के क्षेत्र को ठीक प्रकार से निर्धारित करने के लिये एक कार्यकारी दल की स्थापना करने पर दोनों देश सहमत हो गये। ज्योंही श्रीलंका सरकार इस निश्चय का अनुसमर्थन करेगी, त्योंही कार्यकारी दल की स्थापना कर दी जायेगी।

संयुक्त बाजार सर्वेक्षणों, विशेषतः नई बिक्री के स्त्रोतों की वांछनीयता के संदर्भ में वर्तमान नीलामी व्यवस्था की संयुक्त समीक्षा, विपणन स्थितियों के बारे में समय समय जानकारी का आदान प्रदान दोनों देशों में किये जाने वाले चाय गवेषणा संबंधी कार्य में समन्वय करने के लिये एक संयुक्त समिति स्थापित करने आदि के सम्बन्ध में अन्य महत्व पूर्ण निर्णय किये गये।

इन निर्णयों की कार्यान्विति के लिये किये जाने वाले उपायों पर श्रीलंका के साथ शीघ्र ही बातचीत करने का विचार है।

इन वार्ताओं में पिछले कुछ वर्षों में भारत तथा श्रीलंका के बीच व्यापार प्रवाह पर भी समीक्षा की गई और यह देखा गया कि प्रत्येक देश की निर्यात संभाव्यताओं तथा उनकी

आयात आवश्यकताओं से संगत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार एव सहयोग बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश है। भारत तथा श्रीलंका के बीच व्यापार, उद्योग, उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग, पर्यटन का संवर्द्धन आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग के लिये निरन्तर उपाय तय करने तथा उन्हें लागू करने के कार्य का भार संभालने के लिये एक आर्थिक सहयोग सम्बन्धी संयुक्त समिति स्थापित करने पर दोनों देश सहमत हो गये। इस समिति द्वारा, दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी विशिष्ट सुझावों पर बातचीत की जायेगी। यह संयुक्त समिति वर्ष में एक बार, बारी-बारी से एक बार नई दिल्ली और एक बार कोलम्बो में बैठक करेगी। इसकी पहली बैठक इस वर्ष में होने की आशा है।

Gift of Tractors from Relations Abroad

337. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have allowed Indians working in foreign countries to send tractors as gifts to their relations in India with a view to removing the acute shortage of tractors ;

(b) if so, whether these tractors would be exempted from tax ;

(c) the number of relations to whom the sender can send the tractors and the number of tractors that can be sent by him and whether any ceiling has been fixed in this regard; and

(d) the number of years for which this policy has been adopted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Safi Qureshi) : (a) No, Sir. A proposal to make available tractors at around export prices to agriculturists who obtain from their relatives abroad remittances in foreign exchange for financing their purchase is at present under consideration.

(b) to (d) : Does not arise.

दुर्गापुर में इस्पात कारखाने तथा मिश्र धातु इस्पात कारखाने में हड़ताल

338. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा दुर्गापुर में मिश्र धातु इस्पात कारखाने के मजदूरों ने 12 जुलाई, 1968 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल का सामना करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये थे ;

(ग) वर्ष 1967 और 1968 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़तालों तथा दुर्गापुर में अन्य श्रम-संकटों के कारण उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ; और

(घ) दुर्गापुर में विशेष रूप से तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात कारखानों में सामान्य रूप से औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

इस्पात, खान और धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) हड़ताल को रोकने के लिए प्रयत्न किये गये जिनमें श्रम-उप-आयुक्त को सूचित करना भी शामिल है, लेकिन इससे मामला सुलझ नहीं सका। तब स्थिति का सामना करने के लिए कई कदम उठाये गये इनमें कारखाने की मशीनों को क्षतिग्रस्त न होने देने के लिए सीमित उत्पादन करना और काम करने के इच्छुक कर्मचारियों और अफसरों को काम पर लाने का प्रबन्ध करना आदि शामिल थे ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है यद्यपि इस प्रकार की हानियों का ठीक ठीक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

(घ) भिलाई में मालिक-मजदूर संबंध संतोषजनक है । राउरकेला में इस वर्ष के आरम्भ से स्थिति अच्छी हो गई है । ऐसा लगता है कि दुर्गापुर में अशांति का प्रमुख कारण मजदूर यूनियनों की आपसी प्रतिद्वींता है । प्रतिस्पर्धी मजदूर संघ को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न राज्य सरकार को सुपुर्द किया जा रहा है । कारखाने के प्रबन्धक भी कर्मचारी संबंधी नीति में सुधार करने और श्रमिक सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन मालिक मजदूर सम्बन्धों को अच्छा बनाने के लिये मजदूरों को भी चाहिये कि वे अपने वर्तमान रवैये में सुधार करें ।

दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड

*339. श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल की स्थापना से लेकर अब तक उस में लगातार भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्रति वर्ष कुल कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने घाटे के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में निर्बाध व्यापार क्षेत्र

*340. श्री अदिचन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में या उसके पास किस अन्य स्थान में, कांडला के समान एक निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के प्रश्न पर क्या निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या ऐसा एक क्षेत्र स्थापित करने की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मे शामिल की जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश या अन्य किसी स्थान पर कोई निर्बाध व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का अभी सरकार का कोई विचार नहीं है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Release of Pakistani Boats and Goods

***341. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to return the Pakistani boats seized in the Indian territorial waters near Jakhav and Mandvi on the Kutch border in the months of January and February 1968;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that Government have returned the goods loaded on these boats to Pakistan; and

(d) if so, the details of the goods returned and the value thereof?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) & (b) : Out of 30 Pakistani vessels apprehended during January-February last, two vessels were found to have indulged in smuggling activities and as such necessary action is being taken against them. Government of India have decided to release the remaining 28 vessels, as they were not found to be involved in any subversive activities.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन का प्रवेश

***342. श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री श्र'बुचेजियान :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने कहा है कि ब्रिटेन के यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश करने से भारत को लाभ होगा और इससे विकासशील देशों को सहायता मिलेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को किसी ऐसे निश्चित कथन के बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु ब्रिटेन सरकार समय समय पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती रही है ।

(ख) भारत सरकार का दृष्टिकोण सुविहित है और सदन में बताया जा चुका है ।

Investment in Hindustan Zinc Smelter Project

*343. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the capital investment so far in the Hindustan Zinc Smelter Project located at Debari near Udaipur (Rajasthan), since the time it was taken over by the Central Government from the Metal Corporation;

(b) the break-up of this capital invested for the development of Zawar mines and the construction of the Smelter and the total amount of capital after taking into account the above capital and the capital of the ex-company ; and

(c) the details of the total loss incurred so far with the name of the unit and the reasons therefor?

The Minister of state in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) (a) & (b) : Total amount of capital invested by the Central Government in the Hindustan Zinc Limited as on 31.7.1968, both in the form of equity and loans, is Rs. 11.5925 crores. Out of this, a sum of about Rs. 1.50 crores was incurred on the development of Zawar mines and a sum of about Rs. 4.50 crores on the Zinc Smelter Project. The balance of Rs. 5.5925 crores was utilised towards discharge of old company's liabilities common to both the units and working capital.

At the time of takeover of the undertaking of the Metal Corporation of India Limited be the Government, the Capital of the Company amounted to about Rs. 2.99 crores comprising of equity/preferential capital and reserves.

(c) The accounts of the Hindustan Zinc Limited have not yet been finalised and as such financial results are not available.

इस्पात के सौदों पर सरकार समिति का प्रतिवेदन

*344. **श्री मधु लिमये** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के सौदों के बारे में सरकार समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ;

(ख) क्या इस समिति के एक सदस्य द्वारा दिये गये विमति टिप्पणी पर भी सरकार ने विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या निर्णय किया हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने इस्पात जांच समिति के प्रतिवेदन और एक सदस्य द्वारा किये गये विमति टिप्पण पर विचार कर लिया है । इस प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय इस्पात, खान और धातु मंत्रालय के तारीख 10 मई 1968 के संकल्प संख्या एस० सी० II-14 (3) / 68 में दिये गये हैं जो प्रतिवेदन सहित सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

सेलम में इस्पात कारखाना

*345. **डा० रानेन सेन** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में शामिल की जायेगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए लोहे और इस्पात के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की चीनी मिलें

***346 श्री नायनार :**
श्री उमानाथ :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **औद्योगिक विकास एवं समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी के आंशिक विनियंत्रण के समय ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की कई चीनी मिलों को बेच दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं और वे मिलें किस-किस व्यक्ति को तथा कितने-कितने रुपयों में बेची गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख), ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के पास कोई चीनी कारखाने नहीं हैं। इनके पास कानपुर शुगर वर्क्स लिमिटेड के 3,00,000 हिस्सों में से, 1,42,466 ईक्विटी हिस्से तथा चम्पारन शुगर कम्पनी लिमिटेड के 1,80,000 हिस्सों में से 75,300 हिस्से थे। इनमें से कानपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड के 142,000 हिस्से तथा चम्पारन शुगर वर्क्स लिमिटेड के 75,300 हिस्से क्रमश: 15 लाख तथा 22.5 लाख रुपयों में मैसर्स प्रसन्न चन्द बोथरा एण्ड सन्स को बेच दिये गये। इन दोनों चीनी कम्पनियों के अपने छै चीनी कारखाने हैं। यह सूचित किया गया है कि ब्रिटिश इन्डियन कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने, 1967-68 की चीनी नीति की घोषणा के पश्चात, अगस्त, 1967 के अन्त में इस मामले पर निर्णय किया था।

(ग) तथा (घ) विभाग को मामले पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो परीक्षान्तर्गत है।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

*347 श्री प० गोपालन : श्री अ० क० गोपालन :
श्री अनिरुद्धन : श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या वाणिज्य मन्त्री 7 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1695 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस अधिनियम के अन्तर्गत काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने में किस प्रकार की कानूनी जटिलतायें हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन कानूनी जटिलताओं की जांच करली है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है; और

(ङ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) : बोनस प्राप्ति के लिये काफी बोर्ड के कर्मचारियों की पात्रता का निश्चय करने में यह प्रश्न मुख्य है कि क्या काफी बोर्ड ऐसी संस्था है अथवा नहीं जो लाभ के प्रयोजन से स्थापित की गई हो। कानूनी पक्ष के अलावा, इस मामले के निर्णय का अन्य संस्थाओं पर जो प्रशासनिक प्रभाव पड़ेगा उस पर भी सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। इन सभी पक्षों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और यथाशीघ्र निर्णय किया जायेगा।

मैसर्स कूपर एलन कम्पनी, कानपुर

*348 श्री सत्य नारायण सिंह :
श्री अब्राहम :
श्री रमानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूपर एलन कम्पनी, कानपुर को एक नई कम्पनी का रूप देने का जिसकी संयुक्त रूप से मालिक सरकार तथा ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन होगी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम सहित सरकार तथा अन्य राज्य वित्तीय संस्थाओं के पास 39 प्रतिशत हिस्से हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिये सरकार का विचार और हिस्से खरीदने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) तथा (ख) : जैसा कि 23जुलाई, 1968 को लोकसभा, तारांकित प्रश्न संख्या 37 के भाग (क) तथा (ग) के उत्तर में कहा गया था, 28 जून, 1968 को की गई, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन की वार्षिक साधारण बैठक में, हिस्से धारियों ने, कम्पनी की कूपर एलन ब्रान्च तथा नार्थ वैस्ट टैरनी ब्रान्च को अपनी वर्तमान स्थिति से, कुल अन्य शर्तों के साथ, 'कूपर एलन एण्ड नार्थ वैस्ट टेनरी लिमिटेड' के नाम तथा शैली के अन्तर्गत, नियमित होने के लिये प्रस्तावित, एक कम्पनी को बेचे देने अथवा अन्तरण करने का अनुमोदन करते हुये, एक संकल्प पारित किया था। यह कम्पनी 100 प्रतिशत, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन की एक सहाय होगी। फिर भी निदेशकों में से एक ने, इस इकाई को, प्रतिरक्षा मन्त्रालय को बेच देने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन में, भारत के राष्ट्रपति के 22.21 प्रतिशत हिस्से हैं, जीवन बीमा निगम के पास 16.67 प्रतिशत तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया, के पास 0.62 प्रतिशत हिस्से है।

(घ) सरकार के पास अधिक हिस्से खरीदने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) सरकार कम्पनी के कार्य की उन्नति के लिये अनेक मार्गोपायों की परीक्षा कर रही है।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए केन्द्रीय बेंक

***349 श्री श्रीचन्द गोयल**
श्री शारदानन्द
श्री भारत सिंह चौहान
श्री जगन्नाथ राव जोशी
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, हां। लघु उद्योग बोर्ड ने सिफारिश की है कि 'लघु उद्योगों के लिए राष्ट्रीय विनियोजन गृह' नामक एक अलग वित्तीय संस्था स्थापित की जानी चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है।

Ring Railway Around Delhi

***350 Shri Bal Raj Madhok :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the time by which the Ring Railway around Delhi is likely to be started and the number of daily trains to be introduced in the beginning;

(b) the number of Railway level crossings, over-bridges and under-bridges which are to be constructed on the ring railway line and on each road intercepting the railway line; and

(c) the progress made so far in the construction of Railway bridges and under-bridges and the time by which they are likely to be completed ?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The line is likely to be opened for goods traffic by 31-12-1968. The question of introducing passenger trains has not so far been considered. The same will be decided only when the line is due for opening for passenger trains, which is not expected to be before 1970.

(b) Level-crossings	10
Road-Over bridges	
Road-Under bridges	NIL

(c) Railway's portion of the work is practically completed, the overall progress being 98%. Two road-over bridges have also been opened to road traffic. The opening of the other two over-bridges is pending as the road approaches to be built by the Delhi Administration are not yet ready.

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*351 **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम के चेयरमैन तथा कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कदाचारों के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) : राज्य व्यापार निगम के भूतपूर्व चेयरमैन सहित कुछ अधिकारियों द्वारा, किये गये सौदों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा उन पर विचार किया जा रहा है।

कुछ अन्य मामलों के बारे में जिन पर राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई थी, भ्रष्टाचार की शिकायतों को वर्ष 1966–68 में केन्द्रीय जांच विभाग ने जांच करने के लिये अपने हाथ में लिया। ये मामले कार्यवाही के विभिन्न चरणों में हैं।

रेलवे कर्मचारियों के लिये आयुर्वेदिक इलाज

*352 **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिये आयुर्वेदिक उपचार का कोई प्रबन्ध नहीं है जिसके फलस्वरुप बहुत से कर्मचारी जिनका अंग्रेजी (एलोपेथी) दवाईयों में कोई विश्वास नहीं है निजी रुप से आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक इलाज का प्रबन्ध है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयुर्वेदिक इलाज कराने वाले रेलवे कर्मचारियों को इस इलाज पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं तथा रेलवे कर्मचारियों को आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) दिल्ली क्षेत्र में रेल कर्मचारियों को आयुर्वेदिक उपचार की सुविधाएं अभी तक नहीं दी गयी हैं। फिर भी, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि जो रेल कर्मचारी एलोपैथी में विश्वास नहीं करते, वे प्राइवेट तौर पर आयुर्वेदिक उपचार कराते हैं, लेकिन रेलवे अस्पतालों और स्वास्थ्य यूनिटों में जाने वालों की बढ़ती हुई भारी संख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एलोपैथिक उपचार रेल कर्मचारियों में बहुत लोकप्रिय है।

(ख) जी हां, दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिल्ली क्षेत्र में परीक्षण के रूप में दो आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं।

(ग) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत भी उस योजना से बाहर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से कराये गये इलाज का खर्च कर्मचारियों को वापस नहीं दिया जाता।

(घ) स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए सरकार ने एलोपैथी से भिन्न चिकित्सा पद्धतियों को अभी तक मान्यता नहीं दी है। लेकिन परीक्षण के रुप में, दिल्ली क्षेत्र में रेल कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से इलाज कराने की सुविधाएं देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

Setting up of new Industries in U. P.

*353 **Shri Prakash vir Shastri** : **Shri Ram Avtar Sharma** :
Dr. Surya Prakash Puri : **Shri Shiv Kumar Shastri** :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the possibilities of setting up new Industries in Uttar Pradesh have been further considered;

(b) if so, whether a decision is proposed to be taken in view of the industrial backwardness of Uttar Pradesh; and

(c) the time by which a final decision will be taken in the matter ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs : (Shri Fakhrudin Ali Ahmed) : (a) to (c) : The Fourth Five Year Plan is at present under preparation. The question of setting up of new public sector industrial projects in U. P. as well as other States, both in the Central and State Sectors is under examination in connection with the preparation of the Fourth Plan. In deciding the locations of public sector projects various techno-economic considerations including the relative industrial backwardness different regions and States will be taken into account. As the Fourth Plan period is due to commence on April 1, 1969, the contents of the plan including the location of different industrial projects to be taken up in the Public Sector may be expected to be furnished well before that date.

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

*354 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने अपने आस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान उस देश में चीनी माल के अधिक मात्रा में पहुंच जाने के कारण आस्ट्रेलिया को भारतीय कपड़ों के निर्यात की वर्तमान कठिनाइयों के बारे में आस्ट्रेलिया सरकार से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दोनों देशों द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये किसी करार पर हस्ताक्षर करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

डीजल इंजन वर्कशाप, बख्तियारपुर (बिहार)

*355 **श्री सीताराम केसरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बख्तियारपुर में डीजल इंजन वर्कशाप स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक सर्वेक्षण तथा स्थान का चयन किया गया था;

(ख) क्या बाद में वर्कशाप कलकत्ता स्थानान्तरित कर दिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि बख्तियारपुर में निर्माण लागत सस्ती पड़ती; और

(घ) यदि हां, तो वर्कशाप को बख्तियारपुर की बजाय कलकत्ता में स्थापित करने का निर्णय किन कारणों से किया गया ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

कोयले की कीमत में वृद्धि

*356 **श्री क० लकप्पा :**
श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे (विभाग) अपने द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कोयले के लिये अधिक मूल्य देने को सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिक मूल्य देने के लिये सहमत होने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हां । एक बयान सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें कीमतों में वृद्धि का विवरण दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1633-68**]

(ख) सरकार ने कोयले की कीमतों की जांच की है और इन वृद्धियों को उचित माना है ।

रेलवे भोजन विक्रेता कार्मिक संघ

***357 श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे भोजन विक्रेता कार्मिक संघों द्वारा रेलवे खान-पान तथा यात्री सुविधा समिति को दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर कमीशन प्राप्त विक्रेताओं को लाइसेंस देने अथवा उन्हें रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग के अन्तर्गत वेतन पाने वाले नियमित कर्मचारियों के रूप में रोजगार देने और उन्हें अन्य रेलवे कर्मचारियों के समान अधिकार और विशेषाधिकार देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) रेलवे ने भोजन व्यवस्था के पुराने ठेकेदारों के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को रखा गया है ।

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु०पुनाचा):(क) रेलवे खानपान और यात्री-सुविधा समिति ने, इन मामलों के सम्बन्ध में समिति को दिये गये अभ्यावेदनों और सभी अन्य सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) **सिफारिश नं०** 10 (i)

चल यूनिटों के परिचालन में होने वाले घाटे को कम करने के उद्देश्य से समिति निम्नलिखित सिफारिश करती है :--

(i) वेतन और कमीशन पर बेयरे नियुक्त करने की परिपाटी के बदले कोई अन्य प्रणाली अपनायी जाये जिससे बेयरों को फिर प्रोत्साहन मिलने लगे ।

(2) **सिफारिश नं०** 15

समिति की राय है कि स्टेशनों पर विभागीय खानपान व्यवस्था की अर्थ-सक्षमता के हित में वेंडिंग की वर्तमान व्यवस्था जारी रखी जाये ।

(3) **सिफारिश नं०** 18

समिति की राय है कि जिन स्टेशनों पर विभागीय खानपान व्यवस्था है, वहां वेंडिंग का काम ठेकेदारों को न देकर, अलग-अलग वेंडरों को कमीशन के आधार पर दिया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त सिफारिश (1) विचाराधीन है। सिफारिशें (2) और (3) सरकार द्वारा मान ली गयी है – और उन पर अमल करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है।

(ख) ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

भारतीय कारों के मूल्य

358 **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ियों के निर्माताओं ने कहा है कि यदि पाण्डे समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करना है तो कारों के मूल्य बढ़ाये जायें;

(ख) क्या भारतीय कारों के वर्तमान मूल्य अमरीका, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में विद्यमान मूल्य की तुलना में ठीक हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना के विकल्प के रूप में इस उद्योग में सरकार की अधिक भागिता के द्वारा बड़े पैमाने पर कारों के निर्माण के द्वारा प्राप्त होने वाली मितव्ययता का लाभ उठाने के बारे में विचार करेंगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद) : (क) मोटर कार किस्म जांच समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लेने के पश्चात् उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अधीन देश के तीन कार निर्माताओं को संविहित अनुदेश जारी कर दिये गये थे जिससे इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि समिति द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों का पालन किया जा सके। इन संविहित अनुदेशों की एक प्रति लोक-सभा में 23 जुलाई, 1968 को दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या 463 के उत्तर के साथ संलग्न थी। निर्माताओं को दिए गए अनुदेशों में एक अनुदेश देने का विचार यह है कि जिस वारंटी के साथ कारें बेची जाती हैं वह 12 वर्षों की अवधि तक या 16,000 किलो मीटर की दूरी तय कर लेने में से जो भी पहले हो, समान रूप से मान्य होगी। कार बनाने वाली कम्पनियों में से एक कम्पनी में अब तक वारंटी की जो अवधि दी जाती थी वह अब निर्धारित की गई अवधि से कम है। इस कम्पनी ने यह बताया है कि वह जैसा कि अनुदेश में व्यवस्था की गई है वारंटी की अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हैं, बशर्ते कि इससे पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार पर सरकार ध्यान दे और उसे इस बात की अनुमति दी जाये कि वह इस अतिरिक्त भार का अपने विक्रय मूल्य में उचित रूप से नियोजन कर सके। कम्पनी ने इस कारण मूल्य में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष निवेदन नहीं किया है। कारें बनाने वाली अन्य कम्पनियों ने भी जिनमें अब तक दी जाने वाली वारंटी की अवधि अब निर्धारित की गई अवधि से कम है, यह कहा है कि मोटर कार किस्म जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से उन्हें अतिरिक्त वित्तीय वायदे करने पड़ेंगे। फिर भी उन्होंने भी इस कारण मूल्य में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष निवेदन नहीं किया है।

(ख) देश में निर्मित कारों के मूल्य उसी प्रकार के माडलों की जिन देशों में वे बनाई जाती हैं, उन देशों की अपेक्षा अधिक हैं। इसके अनेक कारण हैं जिनमें कम उत्पादन हो तथा उत्पादन लागत अधिक आना सम्मिलित है।

(ग) छोटी कार परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने के प्रश्न पर योजना आयोग से बात चीत की जा रही है। कार उत्पादन में बचत करने के लिए आवश्यक और व्यवहारिक सभी उपाय करने के बारे में भी सरकार विचार करेगी। प्रश्न में दिया गया विशेष सुझाव नोट कर लिया गया है।

भारी मशीनी औजार कारखाने द्वारा निर्यात

***359 श्री नि० र० लास्कर : औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि भारी मशीनी औजार कारखाने में निर्मित माल के निर्यात को दुगुना करने के लिए सरकार कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या इस कारखाने के कुछ विशेषज्ञों ने यूरोपीय देशों का और अमरीका का दौरा किया था; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में एजेन्ट नियुक्त करने का इस कारखाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर अपना निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है और उसने वर्ष 1968–69 में 1 करोड़ रु० के मूल्य के मशीनी औजारों का लक्ष्य रखा है।

(ख) जी, हां।

(ग) ब्रिटेन और पश्चिम यूरोप में एजेन्टों की नियुक्ति कर दी गई है।

Indo African Trade

***360 Shri Om Prakash Tyagi**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the European Economic Community has decided to grant associate status to the East African countries of Kenya, Uganda, Tanzania etc.;

(b) if so, the repercussions of this decision on India's trade with East African countries;

(c) whether such a decision of the European Economic Community is not contrary to the policy of the U. N. C. T. A. D.; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) : The Agreement between the EEC and the East African States of Kenya, Uganda, Tanzania was signed on 26th July 1968. Its implications for our trade is being examined. Thereafter action will be taken by Government both bilaterally and multilaterally, as necessary.

आयात तथा निर्यात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन

2815 श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में आयात तथा निर्यात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों को वस्तुतः दण्ड दिया गया, उनके नाम तथा पते क्या हैं और प्रत्येक मामले में क्या-क्या दण्ड दिया गया; और

(ख) इसी अवधि में इन अपराधों के लिये जिन व्यक्तियों अथवा फर्मों के नाम काली सूची में दर्ज किये गये, उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) वर्ष 1967 में आयात तथा निर्यात लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करने पर जिन व्यक्तियों या फर्मों का लाइसेंस प्राप्त करने से अपवर्जित किया था उन के नाम तथा पते दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1634/68**]

चमड़े और खालों का निर्यात

2816. श्री बाबूराव पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बकरी, भेड़ तथा गोजातीय पशुओं के कमाये हुए चमड़े और खालों का गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष पशुवार और देशवार कितनी कितनी मात्रा में निर्यात किया गया हैं तथा उनका मूल्य कितना कितना था;

(ख) उस अवधि में इन खालों पर किस दर से निर्यात शुल्क लगाया गया है तथा कितना धन इकट्ठा किया गया;

(ग) क्या निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से इन खालों पर निर्यात शुल्क हटाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है तथा उसकी तारीख क्या थी; और

(ङ) कौन-कौन से देशों से खालों के निर्यात के मामले में हमारे प्रतियोगी हैं तथा उनका कितना वार्षिक निर्यात होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1635/68**]

(ख) 6-6-1966 से, कमायी हुई तथा बिना कमायी, सभी प्रकार की खालों, चमड़ियों तथा चमड़ों पर, परन्तु चमड़े के बने माल को छोड़कर, मूल्यानुसार 10 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क लगाया गया था। 7-2-1968 से उसमें निम्नलिखित संशोधन किये गये :—

(1) बकरी, भेड़ तथा गोजातीय पशुओं एवं उनके शावकों के तैयार चमड़े और साथ ही गोजातीय पशुओं (बछड़ों की चमड़ियों को छोड़ कर) की कमायी हुई खालों को शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

(2) सांप की चमड़ियों के शुल्क को मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया ।

निर्यात शुल्क से निम्नलिखित राजस्व की प्राप्ति हुई :

1966–67	5.06 करोड़ रु०
1967–68	5.84 करोड़ रु०
अप्रैल–मई, 1968	1.49 करोड़ रु०

(ग) जी, हां ।

(घ) 6–6–1966 को लगाये गये निर्यात शुल्क को 7–2–1968 से उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित कर दिया गया है।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रूस को रेल माल डिब्बों का निर्यात

2817. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को रेल के माल डिब्बों के निर्यात के प्रश्न पर बातचीत करने के लिये एक सरकारी दल रूस जाने वाला है;

(ख) यदि हां, तो क्या माल डिब्बों के निर्माण में काम आने वाली विशेष प्रकार की टाइल टेन्सिल केपेसिटी की चादरों के विषय में भी चर्चा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या पत्र-व्यवहार के माध्यम से उनकी इस यात्रा के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती थी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सोवियत रूस को रेलवे माल डिब्बों का निर्यात करने के प्रश्न पर बातचीत करने के निमित्त किसी सरकारी दल के रूस जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पश्चिम बंगाल को कोयले पर रायल्टी

2818. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कोयला खानों तथा नियोजकों ने वर्ष 1960 से 1968 तक की अवधि के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कोयले पर रायल्टी नहीं दी हैं;

(ख) प्रत्येक कोयला खान की तरफ कितनी राशि बकाया है; और

(ग) उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) (ख) और (ग) प्रश्न ऐसे विषय पर है जिसका सम्बन्ध मुख्यतया राज्य सरकार से है। तथापि, सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में लघु उद्योग

2819. श्री के० आर० गणेश : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे पैमाने के कितने तथा कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये गये हैं और इनमें क्या क्या वस्तुएं बनाई जाएंगी;

(ख) इन उद्योगों के लिये अब तक कितना ऋण मंजूर किया गया है तथा 1968 में उनके लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या मंजूर राशि उस राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है; और

(घ) जिन लघु उद्योगों को ऋण दिये गये हैं उन्होंने क्या प्रगति की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) सम्बन्धित प्राधिकारियों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

2821. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने खानों के पानी के प्रयोग से 836 एकड़ भूमि में खेती की है; और

(ख) यदि हां, तो 1965-66 और 1966-67 में इसका कुल उत्पादन और खर्च कितना था ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां। 800 एकड़ से अधिक भूमि विकास तथा ऐसी खेती के लिये उद्दीष्ट की गई है।

(ख) 1965-66 वर्ष के दौरान 3.22 लाख रुपये के खर्चे की तुलना के 2.33 लाख रुपये की प्राप्ति हुई। 1966-67 वर्ष के दौरान 5.59 लाख रुपये के खर्चे की तुलना में 4.89 लाख रुपये की प्राप्ति हुई।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

2822. श्री कृ० मा० कौशिक : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 5,79,07,669 रुपये का घाटा हुआ था;

(ख) क्या गत वर्ष भी इसको भारी घाटा हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने इतने बड़े घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए इसके कार्य संचालन की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके लाभ पर चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । 1965-66 के अन्त तक कुल हानि 1,47,36,894 रु० की ।

(ग) तथा (घ) प्रारम्भ में अधिक पूंजी विनियोजन और स्थापना की अवधि लम्बी होने के कारण उत्पादन प्रारम्भ करने तथा श्रम उत्पादिता के धीरे-धीरे निर्माण और भारी वैद्युत उपकरणों के निर्माण में लगने वाले लम्बे समय आदि को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रकार के पूंजीगत इन्जीनियरी परियोजना द्वारा उत्पादन के कुछ प्रारम्भिक वर्षों में हानि उठाना कोई असामान्य बात नहीं है । इसके अतिरिक्त उपक्रम पांच परियोजनाओं से मिलकर बना है जो निर्माण तथा उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में है । इन परियोजनाओं में से हाई प्रेशर बायलर संयंत्र तिरुची नामक एक परियोजना ने वर्ष 1967-68 में थोड़ा सा लाभ कमाया है । दूसरी परियोजनाओं में भी निर्माण कार्य पूरा हो जाने और उत्पादन में गति आ जाने से स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा ।

गैस सिलंडरों का निर्माण

2823. श्री गा० शं० मिश्र : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस सिलन्डर बनाने वाले किन्हीं निर्माताओं ने गैस सिलन्डरों के स्थान पर काम आने वाले देशी सिलंडर बनाने के लिये हाल ही में सरकार को तथा सरकारी उपक्रमों को कोई पेशकश की हैं तथा देशी सिलंडर बनाने के लिये सरकार से किसी प्रकार की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पक्ष का नाम क्या है, और गैस सिलंडर सप्लाई करने की शर्तें क्या है तथा उसे सरकार से किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तथा उसके प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : हमें गैस सिलेण्डरों के किसी ऐसे निर्माता के बारे में पता नहीं है जो पिछले कुछ समय में सरकार और सरकारी क्षेत्र के माल मंगाने वालों को आयातित हाई प्रेशर गैस सिलेन्डरों के स्थान पर देश में निर्मित स्थानापन्न सिलेंडर देने के लिए तैयार हों। तरल पेट्रोल के गैस सिलेंडर पहले से ही देश में तैयार किये जा रहे हैं और उनके आयात पर रोक लगी हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बकरी की कमाई हुई और कच्ची खालों का निर्यात

2824. श्री शिव चन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकरी की कमाई हुई और कच्ची कितने कितने मूल्य की खाल का प्रति वर्ष विदेशों को विशेषकर (पाकिस्तान) को निर्यात किया जाता है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होती है; और

(ख) गत पांच वर्षों में देशवार इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इसी अवधि में उन देशों से सामान्य रूप से और पाकिस्तान से विशेष रूप से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) बकरी की कमाई हुई तथा कच्ची खालों एवं बकरी के बच्चे की खालों के निर्यात का कुल मूल्य निम्न प्रकार था :

1963-64	49,79 लाख रु०	)
1964-65	41,38 लाख रु०	)
1965-66	33,00 लाख रु०	) अवमूल्यन के बाद के आंकड़े
1966-67	46,59 लाख रु०	)
1967-68	31,49 लाख रु०	)

पिछले पांच वर्षों में देशवार कुल निर्यातों का एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1636/68]**

पाकिस्तान को नगण्य मात्रा में निर्यात किया गया, जिसके आंकड़े 1963-64 में 15,000 रु०, 1964-65 में 18,000 रु० तथा 1965-66 में 6,000 रु० हैं। 1966–67 तथा 1967–68 में कोई निर्यात नहीं किया गया।

M/s Hindustan General Iudustry Limited Nangloi, Delhi

2825. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the details of the goods exported by M/s. Hindustan General Industry Limited, Nangloi, Delhi during the last five years and the names of the countries to which goods were exported and the amount of foreign exchange earned thereby: and

(b) whether it is a fact that some of the importing countries have stopped importing goods of this firm as these were found to be of inferior quality ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) Official statistics are not maintained exporter but on a commodity basis.

It is however understood that M/s. Hindustan General Industry Limited, Nangloi, Delhi have not exported any goods during the last five years.

रुरकेला उर्वरक कारखाने में बिना बिक्री उर्वरक का स्टाक

2826. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रुरकेला उर्वरक कारखाने में तैयार किये गये उर्वरक भारी मात्रा में बिना बिके पड़े हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार इस कारखाने से उत्पादन का कितना अंश खरीदती है; और

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार उत्पादन का अपना अंश नहीं उठा रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) राउरकेला उर्वरक कारखाने के पास जुलाई 1968 के अन्तिम सप्ताह में लगभग 30,000 टन कैल्सियम एमोनियम नाइट्रेट का स्टाक था। इसकी तुलना में जुलाई 1968 में कारखाने को 28,733 टन के लिए आर्डर मिले हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास अभी 37,441 टन माल के प्रेषण के आर्डर हैं।

(ख) इस समय व्यवस्था यह है कि भारत सरकार कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत ले लेती है और उसे केन्द्रीय उर्वरक संगठन को विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए दे देती है। शेष 50 प्रतिशत की खुले बाजार में बिक्री होती है।

(ग) जी हां।

लीबिया में एस्बेस्टोस सीमेंट कारखाना

2827. श्री स० भ० अगाड़ी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने एक भारतीय फर्म को लीबिया में एस्बेस्टोस सीमेंट कारखाना लगाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस भारतीय फर्म ने इस परियोजना में कितनी अंश पूंजी लगाई है;

(ग) क्या कोई विदेशी मुद्रा दी गई है अथवा इस सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव रखा गया है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) जी हां। भारतीय फर्म को भारतीय मशीनों के निर्यात के बदले 50,000 लीबियाई पोंड मूल्य के ईक्विटी शेयर लेने की अनुमति दी गई है। विदेशी मुद्रा को भेजने की कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) यह एक भारतीय-लीबियाई-कुवैती संयुक्त उद्यम होगा। नई कम्पनी की, जिसे लीबिया में नियमित करने का प्रस्ताव है, अधिकृत तथा चुकता पूंजी क्रमशः दस लाख तथा 5,00,000 लीबियाई पौंड होगी। इसके 51 प्रतिशत शेयर लीबिया वालों, 39 प्रतिशत कुवैती भागीदार तथा 10 प्रतिशत भारतीय फर्म द्वारा लिये जायेंगे।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में लगाई गई पूंजी

2828. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगपतियों द्वारा 31 मार्च, 1968 तक विदेशों में कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) यह पूंजी किन-किन देशों में लगाई गई है;

(ग) जिन व्यक्तियों फर्मों ने पूंजी लगाई है उनके नाम क्या हैं; और

(घ) यह पूंजी किन शर्तों पर लगाई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी, : (क) 31 मार्च, 1968 तक विश्व के विभिन्न भागों में 51 परियोजनाओं की स्थापना की मंजूरी दी गई थी जिनमें अनेक भारतीय उद्योगपतियों की लगभग 11.8 करोड़ रु० की शेयर पूंजी लगेगी।

(ख) ये परियोजनाएं निम्नलिखित देशों में स्थापित की जायेंगी :

1. इथोपिया
2. घाना
3. केनिया
4. लिबिया
5. नाइजीरिया
6. तंजानिया
7. युगांडा
8. जाम्बिया
9. श्री लंका
10. इरान
11. इराक
12. लेबनान
13. सऊदी अरब
14. आयर्लैंड
15. उत्तरी आयर्लैंड
16. मलयेशिया
17. ब्रिटेन
18. कनाडा; तथा
19. कोलम्बिया

(ग) इन परियोजनाओं में निम्नलिखित भारतीय पार्टियां सहयोग दे रही हैं :

1) मेसर्स बिड़ला ब्रदर्स (प्राई०) लि०, कलकत्ता।
2) मैसर्स बाम्बे सौप फैक्टरी, बम्बई।
3) मसर्स डनकन ब्रदर्स एण्ड कं० प्राई० लि०, कलकत्ता।
4) मैसर्स एसकार्टस इन्टरनेशनल, फरीदाबाद।
5) मैसर्स के० टी० डोंगरे एण्ड कं० (प्राई०) लि०, बम्बई।
6) श्री आर० एम० गोकलदास, बम्बई।

7) मैसर्स कर्मचन्द प्रेमचन्द, अहमदाबाद।

8) श्री एन० एल० कट्रैक्टर, बम्बई।

9) मैसर्स रेमंड वूलन मिल्स लि०, बम्बई।

10) मैसर्स प्रीमियर लाइटिंग इण्डस्ट्रीज (प्राई०) लि०, बम्बई।

11) मैसर्स एच० एल० मलहोतरा एण्ड संस (प्राई०) लि०, कलकत्ता।

12) मैसर्स इण्डियन कार्क मिल्स, बम्बई।

13) मैसर्स इण्डियन ह्यूम पाइप कं० लि०, बम्बई।

14) मैसर्स स्टैंडर्ड पैन्सिल फैक्ट्री, मद्रास।

15) श्रीमती सरला सोमानी, बम्बई।

16) मैसर्स बंगाल एनामेल वर्क्स, कलकत्ता।

17) मैसर्स जय इन्जीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता।

18) मैसर्स जनरल इन्डस्ट्रीज कं० (प्राई०) लि०, कलकत्ता।

19) मैसर्स स्वास्तिक ग्लास वर्क्स, चन्द्रपुर।

20) मैसर्स डी भोर इंडस्ट्रीज (प्राई०) लि०, बम्बई।

21) मैसर्स अशोक लेलेण्ड्स, मद्रास।

22) मैसर्स कमानी मैटल्स एण्ड एलोयस लि०, बम्बई।

23) मैसर्स महिन्द्र एण्ड महिन्द्र लि०, बम्बई।

24) मैसर्स इलैक्ट्रिकट कंस्ट्रक्शन एण्ड इक्युपमेंट कं०, कलकत्ता

25) मैसर्स पार्ले बाटलिंग कं० (प्राई०) लि०, बम्बई।

26) डा० ए० सरूप, कलकत्ता।

27) मैसर्स अहमद ऊमरभाय, बम्बई।

28) मैसर्स गाडरेज एण्ड वायस मैन्यूफेक्चरिंग कं० (प्राई०) लि०, बम्बई।

29) मैसर्स इन्टर ट्रेड कारपोरेशन, विशाखापटनम।

30) मैसर्स जे० ग्लास इण्डस्ट्रीज, पूना।

31) मैसर्स गड़वड़े प्लास्टिक (प्राई०) लि०, बम्बई।

32) मैसर्स नफतलाल गागलभाई कं० (प्राई०) लि०, बम्बई।

33) मैसर्स अखिल हार्डबोर्डस लि०, बम्बई, तथा

34) मैसर्स इण्डियन टूल मैन्युफैक्चरर्स लि०, बम्बई।

विदेशों में संयुक्त औद्योगिक, उद्यमों में भारतीय भागीदार को केवल इस रूप में अनुमति दी जाती है कि भारत से देशी मशीनों, उपकरण, तकनीकी जानकारी आदि का निर्यात किया जा सकता है। सामान्यतः नकद राशि भेजने की अनुमति नहीं है।

नैमित्तिक रेलवे श्रमिकों को सिविल दरों पर भुगतान

2829. श्री चक्रपाणि : श्री एस्थोस :
श्री नम्बियार : श्री नायनार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दिनांक 18 जनवरी, 1968 को एक परिपत्र संख्या ई० (एम० 6) 1167 सी०एल०/48 जारी किया था जिसमें यह अनुदेश दिया गया है कि नैमित्तिक पारी के श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी के रूप में कलेक्टर द्वारा निर्धारित सिविल दरों पर भुगतान किया जाये और स्थानीय स्थिति और काम के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए रेलवे ऊंची दरें भी घोषित कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड के इन अनुदेशों को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ की बिलासपुर शाखा के मंत्री से कोई ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जिस पत्र का हवाला दिया गया है, उसकी एक प्रति अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी गई। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1637/68]

(ख) और (ग) रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किये गये आदेशों में किसी घटना विशेष की स्थिति में निर्दिष्ट कार्रवाई करने की व्यवस्था है। इस पर अमल करने का प्रश्न तभी उठेगा जब कोई घटना हो। यदि अपील न किये जाने का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में लाया जायेगा, तो उसकी जांच की जायेगी।

(घ) जी हां।

(ङ) अभ्यावेदन में कहा गया है कि सिविल प्राधिकारी ने 1.1.1968 से नैमित्तिक मजदूरों की दर में संशोधन कर दिया था और रेल प्रशासन ने उसे 1.4.1968 की बजाय 1.5.1968 से लागू किया है। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

Import of fruits from Afghanistan

2830. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of the firms and companies which have imported fruits from Afghanistan against forged licences during the last three years; and

(b) the action taken by Government against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Quareshi) : (a) As for as Government are aware, no fruits have been imported from Afghanistan against forged licences during the last three years.

(b) Does not arise.

केरल में रबड़ के बागान

2831. श्री अविचन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चौथी पंचवर्षिय योजना में केरल में रबड़ बागान के विकास के लिये केरल सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो परिव्यय सहित उस योजना का ब्यौरा क्या है और उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रूसी सहायता से ट्रैक्टरों का निर्माण

2832. श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री वि० ना० शास्त्री :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी सहायता से ट्रैक्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) मैसर्स गाजियाबाद इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली ने सोवियत रूस के मेसर्स प्रोमाशेकस्पोर्ट के सहयोग से कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव में प्रारम्भ में 20 अश्व शक्ति से कम के 10,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाने की सुविधाओं की स्थापना और बाद में 50 अश्व शक्ति के प्रतिवर्ष 5000 ट्रैक्टर बनाने की सुविधाओं की स्थापना करने की व्यवस्था है। फर्म से परियोजना की स्थापना के लिए आवश्यक विनियोजन के विस्तृत तथा वास्तविक अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें भूमि का मूल्य, भवन, आयातित मशीनों, औजारों, बरमों इत्यादि तथा देश में ही प्राप्त किए जाने वाले मशीनों, औजारों का मूल्य पृथक-पृथक दिखाया गया है। इन ब्यौरों की अभी प्रतिक्षा की जा रही है।

पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

2833. श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि वर्ष 1967-68 में पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात गत वर्ष से अधिक था परन्तु प्राप्त हुआ प्रति इकाई मूल्य कम था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य देशों से प्रतियोगिता के फलस्वरूप वर्ष 1967-68 में पटसन के माल से प्राप्त होने वाले औसत एकक मूल्य में गिरावट आई । कालीनों के अस्तर तथा अन्य विशिष्ट माल जैसी उन मदों के, जिनके विदेशी बाजारों में ऊंचे दाम मिलते हैं, बडी मात्रा में निर्यात द्वारा एकक मूल्य में सुधार किया जा सकता है । ऐसी मदों के, जिनके लिए सामान्यतः अपेक्षाकृत ऊंचे एकक मूल्य मिलते हैं तथा जिनके निर्यात की तत्काल सम्भावनाएं हैं, उत्पादन के विविधिकरण तथा प्रोत्साहन के लिए सरकार ने पटसन उद्योग को वित्तीय सहायता देने के लिए 5 करोड़ रुपये की भी अलग से व्यवस्था की है । इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उत्पादन विकास के गवेषणा कार्यक्रम के लिए विपणन विकास निधि को भी सहायता दी जाती है ।

भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की अचल सम्पत्ति का अवैध हस्तांतरण

2834. श्री यशवंत शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में भारत में उन पाकिस्तानी नागरिकों की अचल सम्पत्तियों के अवैध हस्तांतरणों के मामले हुए है जिन्हें पाकिस्तान द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के समय शत्रु की सम्पत्ति घोषित किया गया था और उनके मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 1965 में जारी की गई अधिसूचना का उल्लंघन करके यह धन पाकिस्तान भेजा गया है;

(ख) क्या भारत के रिजर्व बैंक को कोई सूचना दिये बिना ही अचल सम्पत्ति का यह हस्तांतरण हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक को सूचित किया था कि पाकिस्तानी सम्पत्तियों की बिक्री अथवा आदान-प्रदान के पंजीकरण के कुछ मामलों की जानकारी पश्चिमी बंगाल के पंजीकारों ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता के मुद्रा-विनिमय नियंत्रण विभाग को दी थी।

चूंकि भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की सभी अचल सम्पत्तियां 10 सितम्बर, 1965 से शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं, अतः पश्चिमी बंगाल की सरकार से कहा गया कि ऐसी सम्पत्तियों का विक्रय अथवा आदान-प्रदान अवैध होगा । तदनुसार, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने संबद्ध प्राधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी कि वे पाकिस्तानी सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण के मामले अभिरक्षक को सूचित करें । शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक ने पश्चिमी बंगाल में जिला अधिकारियों को विशेषतः बता दिया है कि 10 सितम्बर, 1965

को अथवा उसके पश्चात पाकिस्तानी सम्पत्तियों की बिक्री अथवा आदान प्रदान के सभी सौदे अवैध हैं और उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती।

चूंकि दोनों देशों के मध्य धन को भेजने की सुविधायें नहीं हैं, अतः बिक्री से प्राप्त आय को पाकिस्तान भेजने का प्रश्न नहीं उठता।

Saas Tower (Pvt.) Limited and Saas Engineering Co. (Pvt.) Ltd. Calcutta

*2835. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the dates when the SAAS Tower Private Limited and the SAAS Engineernig Company Private Limited, 9, Waterloo Street, Calcutta were registered;

(b) the number of Government and private contracts so far obtained by both these companies and the value thereof; and

(c) the names of persons who have been directors and shareholders of these companies so far ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Messrs. SAAS Tower Private Limited and SAAS Engineering Company Limited registered on May 25, 1967 and July 13, 1965 respectively.

(b) The information is not available.

(c) S/Shri Bimal Chandra Guha, Sunil Roy Choudhaury, Promode Kumar Saha and Asim Kumar Sarkar have been the directors as well as the only shareholders of M/s. SAAS Tower Private Limited since its incorporation.

S/Shri Asim Sarkar Kumar Promode Kumar Saha and Sunil Roy Choudhury have been the directors as well as the shareholders of M/s. SAAS Engineering Company Private Limited since its incorporation. S/Shri Amitava Ghosh and Nikhil Ranjan Sarkar were also on the board of directors. But they do not hold any shares of the company. Shri Amitava Ghosh was Director of the Company from July 13, 1965 to September 28, 1965 and Shri Nikhil Ranjan Sarkar from November 10, 1965 to March 28, 1966.

*Original Question is in Hindi.

Sanctioning of foreign exchange to Dalmia Cement factories

2836. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 255 on the 13th February, 1968 and state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned to each of the Dalmia Group of Cement factories in Haryana, Madras and Orissa from the date of their establishment to date;

(b) the amount of foreign exchange demanded by these cement factories during the year 1968-69 so far; and

(c) the action taken by Government for sanctioning the foreign exchange to them ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Hindustan Zinc Smelter Project

2838. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the number of the officers and employees newly appointed in the Hindustan Zinc Smelter Project at Debari near Udaipur (Rajasthan) during the last three years with expenditure incurred on them; and

(b) the total amount of expenditure incurred on travelling and other facilities provided to the newly appointed staff and the present expenditure of the Company and the source of its income ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) 45 officers and about 814 staff and workmen including casual labour have been appointed in the Zinc Smelter during the last three years. Yearwise additional expenditure on account of salaries and allowances for the newly appointed staff is as under :-

1965-66	... Nil
1966-67	... Rs. 8.00 lakhs approximately.
1967-68	.. Rs. 18.00 lakhs approximately.

(b) Total amount of expenditure incurred on travelling and other facilitier provided to the newly appointed staff during the last three years was about Rs. 1.60 lakhs. The Zinc Smelter having gone into production from 1.1.1968, the present monthly average of expenditure on recurring and revenue account for the whole Company is about Rs. 46.00 lakhs. The source of income of the Company is from sale proceeds of zinc, lead, superphosphate silver and cadmium produced by the Company.

Ban on permits for the manufacture of Alloy Steel

2839. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have now decided to impose a ban on issuing permits for the manufacture of Alloy steel;

(b) if so, whether the existing production capacity is sufficient to meet all the requirements;

(c) the amount of production, import and requirement of Alloy steel in the next three years, year-wise; and

(d) whether it is also a fact that the existing capacity of Alloy steel is not being fully utilised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) Except under the general policy to allow diversification of production by existing units within certain limits, creation of fresh capacity for alloy and special steels has been placed on the "banned list" for the period April 1968 March, 1969.

(b) Existing production is not adequate to meet the demand fully at present. However, after implementation of the schemes which have already been sanctioned, the demand is expected to be met internally to a considerable extent.

(c) According to the recent estimates of the NCEAR, the demand for alloy and special steels by 1970-71 will be 380,290 tonnes. Capacity set up so far is over 150 000 M.T. per year. This will increase as the schemes already sanctioned are implemented and imports will automatically diminish.

(d) Due to the general recessionary trend there has been some reduced production of alloy steels.

Employment of Dumb and deaf Students in Railway Department.

3840. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that education is being imparted to some dum and deaf children with the assistance of the Railway Department and the Railway Administration has given assurance that the said children would be provided with suitable jobs in the Railway Department after they have completed their education ;

(b) is so, the number of such students as have been provided with jobs by the Railway Department so far ;

(c) Whether Railway Department would implement their assurance in future also after the dumb and deaf chileren have completed their education ;

(d) Whether Government have received representations in this regard stating that jobs are not being provided for the dumb and deaf children even after completion of their education; and

(e) if so, the action being taken by Government on these representations?

Minister for Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Former part........Yes.

Latter part......No.

(b) & (c) Do not arise.

(d) Yes.

(e) A representation was received standing that handicapped children who receive education with Railway assistance should be provided employment. As far as education is concerned, assistance from Staff Benefit Fund is available for this purpose. As for the employment there are instructions regarding employment of handicapped persons on Railways but there are no special instructions regarding employment of children of railway employees.

Passenger amenities at Shahad Railway Station

3841. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any representation from the Shahad Passengers' Association of the Central Railway wherein it has been stated that amenities are not provided to the passengers at Shahad Railway station;

(b) whether it is a fact that thousands of passengers get down at Shahad station every year go to Bithoba Temple, which is a prominent religious place in that area, but the Railway authorities have failed to provide amenities to the passengers on that station; and

(c) if so, whether Government propose to provide amenities to passengers at Shahad station ?

Minister for Railway (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) and (c) Shahad is a suburban Station situated on the north-east section between Kalyan and Kasara. The passenger traffic is heavy on two days in a year-on "Ekadeshi" days in the month of Ashad and Kartik, when quite a large number of persons visit

Vithoba Temple. The station is already provided with amenities, such as, platform cover of 150' X 20' each on the Up and the Down platforms, adequate tube lighting, benches and concrete platforms, on Up & Down platforms for passengers to sit, one lavatory, one urinal and water tap connections. In addition, work is underway to provide a foot over bridge to connect the Up and Down platforms.

It is proposed to further augment the amenities available at this station as follows subject to approval by the Suburban Railway Users Consultative Committee and availability of funds:

(i) Full length platform cover over Up and Down platforms.

(ii) Asphalting of road connecting the level crossing with the new Booking Office.

(iii) Shifting of the shed from the Up platform to a new location on the upside near the entrance for providing covered accommodation at the proper place.

लघु उद्योग में मंदी सम्बन्धी अध्ययन दल

2842. डा० रानेन सेन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में मंदी सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या–क्या मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :–

उदार ऋण सुविधाओं का विस्तार भारत सरकार की ऋण गारन्टी योजना का उदार बनाया जाना, लघु क्षेत्र के लिये पर्याप्त तकनीकी तथा प्रबन्धीय परामर्श संबन्धी सहायता की व्यवस्था करना, माल बेचने में परामर्श की सेवाएं, लघु उद्योगों को अपने उत्पादों को सुसंगठित रूप से बेचने में सहायता करने के लिए व्यापार केन्द्रों की स्थापना, लघु उद्योग क्षेत्र को सरकारी खरीद का समुचित भाग मिलना, सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सामूहिक आर्डर प्राप्त करने के लिए लघु उद्योग एककों से विशिष्ट कन्सोर्टियम की स्थापना करना, कमी वाले कच्चे माल का लघु क्षेत्र को पर्याप्त सम्भरण करना, देश में मशीनी औजारों की भावी मांग के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए गोष्ठियों का आयोजन करना।

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

खान ब्यूरो के क्षेत्राधिकार का विकास

2843. डा० रानेन सेन : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान ब्यूरो का काम बढ़ाने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो को गवेषणा सम्बन्धी अतिरिक्त उत्तरदायित्व संभालने और खनन उद्योग को सलाह देने योग्य बनाने के हेतु संस्था में एक परामर्शदाता कक्ष स्थापित करने का निश्चय किया गया है। यह योजना विचाराधीन है।

केलों का निर्यात

2844. डा० रानेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से केलों का निर्यात बहुत कम हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत वर्ष कितने मूल्य का तथा कितने केलों का निर्यात किया गया; और

(घ) केलों का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) कारण निम्नलिखित है :-

(1) केवल गत कुछ वर्षों में ही केलों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विशिष्ट प्रयत्न किया गया है। कुछ वर्षो पूर्व इटली को केलों के निर्यात में सफलता नहीं मिली थी। बड़े पैमाने पर निर्यात करने से पूर्व शीघ्र बिगड़ जाने वाली वस्तु को सुदूर गन्तव्य स्थानों को भेजने की व्यवहार्यता का निश्चय करना था।

(2) यद्यपि भारत केलों का एक बड़ा उत्पादक है परन्तु निर्यात की जाने वाली किस्म का केला पत्तनों के पास के क्षेत्र में पैदा नहीं होता। केलों के इक्ट्ठा करके पत्तनों तक पहुँचाना एक बड़ी समस्या है।

रूस के साथ व्यापार

2845. श्री दामानी : **श्री रवि राय :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मास्को में रूस की सरकार के साथ हाल में हुई उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) सोवियत संघ ने भारत की आयात की जाने वाली वस्तुओं तथा उस देश को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में क्या परिवर्तन किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) 23 जून, 1968 से 26 जून, 1968 तक मास्को में भारत के वाणिज्य मंत्री और रूस के विदेश व्यापार मंत्री के बीच जो बातचीत हुई थी, वह विभिन्न विषयों पर हुई थी और मुख्य रूप इस विषय पर था कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जायें।

जिन विषयों पर चर्चा की गई थी, उन्हें निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है :-

(क) वर्तमान आयात निर्यात व्यापार की प्रवृतियां; और

(ख) वाणिज्यिक तथा आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में नई सम्भावनाएं।

दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि भारत-रूस व्यापार में अत्यधिक वृद्धि होने का कारण यह है कि दोनों देश पारस्परिक हित के आधार पर व्यापार क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। भारत की बढ़ती हुई विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रूस से मशीनों और उपकरणों का आयात, भारत से रूस को सभी परम्परागत तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के बराबर कर दिया गया है।

अन्त में दोनों मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत से परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने की गुंजाइश है। बातचीत से यह संकेत मिला है कि दोनों देशों के बीच अभी और व्यापार बढ़ेगा।

भारतीय व्यापारी संगठनों को रूसी उपभोक्ताओं की पसंद की जानकारी देने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई थी, ताकि भारत से बढ़िया किस्म की और लोकप्रिय वस्तुओं का निर्यात किया जा सके।

दोनों मन्त्रियों ने दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग की संभावना के बारे में भी चर्चा की थी और यह सहमति प्रकट की गई थी कि चमड़ा, चमड़े से बनी वस्तुओं, फलों के रस और ट्रैक्टरों के मामले में संभावनाएं विद्यमान हैं। अन्य क्षेत्रों में सहयोग के बारे में जो अग्रेतर चर्चा की जायेगी।

रूस ने भारत से कपड़े, जूते, पटसन की वस्तुएं और फलों के रस जैसी उपभोक्ता वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदने की इच्छा प्रकट की।

इस बात पर भी सहमति प्रकट की गई कि दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये अपेक्षित व्यावहारिक कार्यवाही की जानी चाहिये। इन निर्णयों को उत्तरोत्तर क्रियान्वित किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये और 1971-75 के लिये एक नये व्यापार करार को अन्तिम रूप देने के लिये इस वर्ष या अगले वर्ष के आरम्भ में बातचीत की जायेगी।

भारत से बड़ी संख्या में माल डिब्बे खरीदने की अपनी इच्छा दोहराई है। यह भी स्वीकार किया गया है कि रूस द्वारा अपेक्षित माल डिब्बों के तकनीकी विवरण संबन्धी जानकारी लेने देने के काम में संतोषजनक प्रगती हुई है। रेलवे माल डिब्बों के मामले में भारत अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव शीघ्र ही पेश करेगा।

भारत सरकार रूसी सहयोग से एक निर्यात–प्रधान जूता कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। सरकार इस बात को भी अपेक्षित कर रही है कि इसके लिये क्या उपकरण और मशीनें रूस से खरीदी जा सकती है।

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क

2846, श्री दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज अयस्क सलाहकार समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि लोह–अयस्क पर लगे निर्यात शुल्क में संशोधन किया जाये ताकि निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) जी, हां। लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क का संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

हाथकरघों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन

2847. श्री एस० आर० दामानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह जताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाथकरघों के निर्यात के लिये नकदी के रूप में प्रोत्साहन देने संबन्धी किसी योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वाणिज्द मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ हथकरघा उत्पादों के निर्यात के लिये नकद सहायता दे रहा है जो निर्यातित कपड़े की किस्म और जिन देशों को वे भेजे जा रहे हैं उनके आधार पर जहाज पर मूल्य के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत के मध्य अलग अलग होती हैं। यह योजना 1 अप्रैल, 1968 से एक वर्ष के लिये लागू रहेगी।

फासफेट के निक्षेप

2848. श्री एस० आर० दामानी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसूरी–देहरादून क्षेत्र में हाल में 50 मील लम्बी एक फासफेट पट्टी का पता लगा है ;

(ख) क्या वहां पर इस खनिज पदार्थ को बड़े पैमाने पर निकालने का काम शुरू हो गया है; और

(ग) इस देश के उर्वरक उद्योगों को कहां तक सहायता मिलेगी और फासफेट के आयात पर प्रति वर्ष खर्च की जाने वाली विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा फासफेट राक की उपलभ्य राशि तथा श्रेणी के निर्धारण के लिये पट्टी का अभी समन्वेषण किया जा रहा है। विदोहन कार्य निक्षेप को सिद्ध करने के पश्चात ही किया जा सकता है।

(ग) क्योंकि भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था अभी सर्वेक्षण कर रही है, अतः इस समय इस बात के संकेत नहीं मिल सकते कि यह निक्षेप देश के उर्वरक उद्योग के लिये किस सीमा तक सहायक होंगे और किस सीमा तक विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

दिल्ली–फिरोजपुर सेक्शन पर पंजाब मेल में अत्यधिक भीड़

2849. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली–फिरोजपुर खंड पर पंजाब मेल में अत्यधिक भीड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो इस खंड पर यात्रियों को अतिरिक्त रेल गाड़ियों की सुविधा प्रदान करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या हरियाणा–एक्सप्रेस को भटिंडा तक चलाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यातायात सम्बन्धी औचित्य की कमी।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन

2850. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन के तीनों निदेशकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके बोर्ड ने नियुक्ति से प्रबन्ध नियंत्रण रखने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है;

(ख) क्या इन निदेशकों ने सरकार से कहा है कि वह गैर-सरकारी लोगों के हाथ से प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये शीघ्र कार्यवाही करे तथा कारपोरेशन को और अधिक हानि तथा वित्तीय दिवाला निकलने को रोकें; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को, एक हिस्सेधारी के नाते, कम्पनी के निदेशक मंडल में, कोई निदेशक नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। फिर भी, दो निदेशकों ने, जिनके नाम एक हिस्सेधारी के नाते सरकार द्वारा कम्पनी के लिये, चुने जाने के लिये, मौलिक रूप से सुझाये गये थे, संकेत दिया है कि कम्पनी के निदेशक मंडल में बहुमत के बिना, वह इसके प्रबन्ध में कोई प्रभावी पग नहीं उठा सकते।

(ख) और (ग) कम्पनी के प्रबन्ध के कुछ पहलुओं के बारे में कुछ निदेशकों ने असंतोष व्यक्त किया है। कम्पनी के लेखे की किताबों का, कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया है। रिपोर्ट विचाराधीन है। प्रतिरक्षा मंत्रालय भी, कूपर एलन इकाई को अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर

2851. श्री नायनार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री गणेश घोष :
श्री रमानी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह 9 फरवरी, 1968 को कानपुर में कपड़ा मिल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को मिले थे;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ क्या क्या बातचीत हुई;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सलाह करके सरकार का विचार कानपुर में न्यू विक्टोरिया मिल्स को खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मिल के कब तक चालू होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) वाणिज्य मंत्री 9 जुलाई, 1968 को कानपुर में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिले और उनसे कानपुर के कपड़ा उद्योग की स्थिति के बारे में बातचीत की। कुछ अन्य मामले भी उठाए गये, जो अन्य उद्योगों के कर्मचारियों से सम्बन्धित थे।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जिस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जा रहा है उससे मिल यथाशीघ्र अंशतः फिर चालू हो सकेगी।

सूती धागे का रक्षित भण्डार

2852. **श्री नायनार :** **श्री ग्र० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ : **श्री रमानी :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दक्षिण भारतीय मिल मालिक संघ को यह आश्वासन दिया था कि सूती धागे का रक्षित भण्डार बनाने के लिये सरकार 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या उस आश्वासन को पूरा किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था तथापि उपान्त राशि (मार्जिन मनी) के लिये सरकार की गारंटी पर स्टेट बैंक आफ इंडिया से धन प्राप्त करके दक्षिण भारतीय मिल मालिक संघ और तमिलनाड मिल मालिक संघ द्वारा दक्षिण भारत की मिलों की सूती धागे के स्टाक रखने सम्बन्धी योजना विचाराधीन हैं।

मस्टर रोल में गड़बड़ी

2853. **श्री प० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अब्राहम : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 7 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने श्री टी० के० चोपड़ा के विरुद्ध मामलों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) मस्टर रोल में गड़बड़ियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध खेतड़ी तांबा परियोजना अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जांच अभी प्रगति पर है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चार अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों में से एक को 28 मार्च, 1968 को सेवा से उन्मुक्त किया गया और दो की 19 जून, 1968 को छंटनी की गई थी। चौथे व्यक्ति को एक अन्य प्रायोजना में स्थानान्तरित कर दिया गया है और उसे दोषारोप-पत्र दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी

2854. श्री सत्यनारायण सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी को 'ओपन लाइन' (नियमित) घोषित कर दिया है अथवा इसे अब भी 'परियोजना' माना जा रहा है;

(ख) यदि इसे 'ओपन लाइन' (नियमित) घोषित कर दिया गया है, तो क्या अन्य रेलों से स्थानान्तरित होकर आये हुए कर्मचारियों के धारणाधिकारों को डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी को हस्तान्तरित कर दिया गया है;

(ग) यदि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी को अभी तक 'ओपन लाइन' (नियमित) घोषित नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1966-67 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने कितने इंजनों का निर्माण किया ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह एक परियोजना है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) निर्माण-कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं।

(घ) 55 डब्ल्यू० डी० एम० 2 रेल इंजन।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन

2855. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली में हुए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन पर सरकार ने कुल कितना धन व्यय किया था; और

(ख) क्या सरकार को विदित है कि ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि यदि दूरदर्शिता से काम किया जाता तो बहुत सा धन बचाया जा सकता था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच अंकटाड-द्वितीय के विषय में जिस करार पर हस्ताक्षर किये गये थे उसकी शर्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिनेवा में उनके मुख्यालय पर अंकटाड-द्वितीय सम्मेलन बुलाने के बजाय नयी दिल्ली में बुलाने के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत सरकार द्वारा की जानी है। इस सम्मेलन के लेखाओं का अन्तिम विवरण संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इन लेखाओं की जांच करने के बाद ही सरकार की कुल वित्तीय देयता का आंकलन हो सकता है।

(ख) जी, नहीं।

चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन

2856. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास में किन कारणों से विलम्ब हुआ है, जबकि बहुत पहले उसके लिये धन मंजूर किया जा चुका था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इस काम की मंजूरी नहीं दी गयी है। धन की कमी के कारण इस काम को निर्माण-कार्यक्रम में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे में माइक्रोवेव संचार प्रणाली

2857. श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि :
श्री नम्बियार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों के समय पर चलने की स्थिति को सुधारने के लिये पूर्वोत्तर रेलवे माईक्रोवेव संचार प्रणाली आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या हैं तथा इस पर अनुमानतः कुल कितना धन खर्च होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। पूर्वोत्तर रेलवे में माइक्रोवेव संचार-प्रणाली की व्यवस्था करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है तथा गोरखपुर-कटिहार और गोरखपुर-लखनऊ खण्डों पर माइक्रोवेव सम्पर्क स्थापित करने का कार्यक्रम बनाया गया हैं। चूंकि माइक्रोवेव संचार-प्रणाली से ऐसे विश्वसनीय, पर्याप्त और सुधरे किस्म के परिचालन सर्किटों की व्यवस्था हो जाने की आशा है जिनसे प्रत्यक्षतः परिचालन कुशलता बढ़ेगी, अतः युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गाड़ियों के समय-पालन में सुधार करने का यह महत्वपूर्ण उपादान होगा।

(ख) गोरखपुर-कटिहार खण्ड पर 45 लाख रुपये की अनुमानित लागत से माइक्रोवेव संचार-प्रणाली की व्यवस्था करने के काम की मंजूरी दी जा चुकी है और काम हो रहा है। गोरखपुर-लखनऊ खण्ड में माइक्रोवेव संचार-प्रणाली की व्यवस्था करने का काम 1968–69 के निर्माण-कार्यक्रम में अनुमोदित कर दिया गया है। इस काम की अनुमानित लागत 28 लाख रुपये है।

Transportation of Bumper Crop and Imported Foodgains

2858. Shri Bal Raj Madhok :
Shri Sharda Nand :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri N. R. Laskar :
Shri Chengalraya Naidu :
Shri Shri Gopal Saboo :
Shri Liladhar Kotoki :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate facilities could not be made available by the Railways for the transportation of bumper crop this year and the large quantity of imported foodgrains;

(b) whether it is also a fact that sudden arrangements made therefor have resulted in acute shortage of Railway wagons for other industries;

(c) whether Government are aware of the fact that it is adversely affecting the industries; and

(d) if so, the immediate and long-term measures adopted by Government so for to prevent the lose being caused thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) Adequate facilities were made available by the Railways for transportation of the bumper rabi crop and the large quantity of foodgrains improted this year. The diversion of covered wagons for preferential movement of foodgrains has resulted in some shortage of covered wagons for those industries which are unable to utilise open wagons, such as, cement and lime factories. With the on-set of the monsoon, the procurement and loading of indigenous foodgrains on Government account has been substantially curtailed and adequate covered wagons are now being made available for loading of cement and other commodities which can be loaded only in covered wagons. Steps are also being taken by the Food Ministry to reduce the quantum of imports and provide adequate storage accommodation in the loading areas so as to reduce the pressure on the rail transport system during the grain loading seasons.

Sick Textile Mills

2859. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of sick textile mills in India at present and the causes thereof; and

(b) the action being taken by Government to give them assistance ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) It is presumed that by 'sick textile mills' Hon'ble Member means cotton textile mills which are in bad condition. From the information available, it appears that more than 100 mills may be placed in this category. The main causes of the bad condition of some of the mills are financial difficulties, uneconomic working, inefficient management, obsolescent machinery in high cost of production.

(b) The National Textile Corporation, established recently, will help modernisation of mills already taken over, or to be taken over in future, by Government,

2. Other mills can also receive financial assistance for modernisation from the Institutional Financing Agencies.

3. The bank rate was recently lowered by 2 per cent.

4. The Industrial Development Bank of India has perpared a scheme for the supply of textile machinery to mills for rehabilitation and modernisation on deferred payment and the period of deferred payment is extended upto 7 years in suitable cases. Relaxation in rediscounting facility has also been allowed.

5. A Working Group appointed by the Reserve Bank of India has examined the question of relaxation of credit limits and margins on loans by commercial banks to textile mills to provide for additional finance for modernisation and working capital. On the basis of its interim report, the Reserve Bank has issued instructions to the scheduled banks. The final report of the group has also been received very recently and is under examination.

6. Twelve sick mills have already been taken over by the Government and placed under Authorised Controllers.

7. Government has to give guarantee, jointly with the State Governments, to make available credit facilities in the case of some mills while a few more cases are under consideration.

8. A special rebate on the sale of handloom cloth and loans for Apex Cooperative Societies have also been given to ease the position of accummulation of stocks of yarn. A scheme for retention of stock of yarn of South Indian Mills has been sanctioned.

9. 2% increase in the ex-mill prices of controlled cloth except for grey dhoties and saris has also been given.

Assistance for Undeiground Railways

2860. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Manibhai J. Patel :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has proposed to take assistance for running undergronnd Railways;

(b) if so, the details of the negotiations held with the Soviet Government in this connection;

(c) the names of places proposed to be linked by underground railways;

(d) whether it is also proposed to construct an underground Railway in Delhi; and

(e) if not, the reason therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (e) A Study Team on Metropolitan Transport has been formed under the aegis of the Planning Commission, to examine the transport problems of Metropolitan Cities of Calcutta, Bombay, Madras and Delhi. Proposals for underground Railways, etc., are being examined by this team. The Railways will, however, offer whatever help that may be required of them by the Planning Commission. The question of obtaining foreign assistance if any is required will, no doubt, be considered by the Study Team when the proposals are finalised.

Small Car

2861. Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Sitaram Kesri :
Shri Om Parkash Tyagi :
Shri K. Suryanarayana :
Shri B. N. Shastri :
Shri N. K. Sanghi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Vikram Chand Mahajan :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) since when the scheme to manufacture small car is being considered and the time likely to be taken in taking a decision in the matter;

(b) the number of schemes received by Government in this connection and the details of the schemes which were considered favourably by Government;

(c) whether it has not been posssible to take a decision in this connection because some of the concerned officers are mixed up with the capitalists who manufacture cars in India; and

(d) if so, whether Government would inquire into this matter through some judicial agency ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The proposal for the manufacture of a small car in the country has been engaging the attention of Government off and on, since 1959. The proposal was revived again last year. As stated in reply to Starred Question No. 40 answered in the Lok Sabha on the 23rd July, 1968, the availability of resources for the small car project during the Fourth Five Year Plan is now being a scertained from the Planning Commission. On receipt of the views of the Commission, the other aspects of the proposal will be examined further. It is, therefore, difficult to indicate at this stage when a decision will be taken in the matter.

(b) Fourteen detailed schemes were received last year. Government have not yet decided in favour of any particular scheme.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सहकारी औद्योगिक बस्तियां

2862. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगरीय क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के नमूने की औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के बारे में प्राक्कलन समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना को बढ़ावा देने के काम में कितनी प्रगति हुई है तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि औद्योगिक बस्तियों को बढ़ावा देने और उन्हें स्थापित करने का उत्तर-दायित्व राज्य सरकारों का है, अतः प्राक्कलन समिति द्वारा सहकारिता के नमूने पर औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के बारे में की गई सिफारिश उनकी जानकारी में ला दी गई है। विभिन्न राज्यों में बसाई गई तथा निर्माणाधीन सहकारी औद्योगिक बस्तियों की संख्या नीचे दी गई है :—

	स्थापित बस्तियों की संख्या	उन बस्तियों की संख्या जिनमें निर्माण कार्य हो रहा है	योग
आन्ध्र प्रदेश	1	–	1
गुजरात	6	3	9
गोआ	–	1	1

महाराष्ट्र	22	36	58
मध्य प्रदेश	1	–	1
मद्रास	3	1	4
राजस्थान	1	–	1
उत्तर प्रदेश	1	–	1
	35	41	76

बन्द कोयला खानों के लिये बाजार

2863. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्द कोयला खानों को जिनमें भारी पूंजी लगी पड़ी है, खोलने से पहले बाजार ढूंढने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुछ कोयला खानों के बन्द होने के कारण हुई क्षति को पूरा करने के लिये सरकार का क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग) अब तक बन्द की गई कोयला खानों (आसाम कोयला क्षेत्र की कुछ कोयला खानों को छोड़कर जो कि कठिन परिस्थितियों के अन्तर्गत खनन की तथाकथित ऊंची लागत के कारण बन्द हुई) को या तो उनमें उपलब्ध राशि में निश्शेष हो जाने पर अथवा उनमें उत्पादित कोयले के निम्न श्रेणी के, जो उपभोक्तताओं के द्वारा उठाया नहीं जाता; होने के कारण बन्द करना पड़ा। अपने उत्पाद के लिये बाजार ढूंढना कोयला खानों का अपना काम है और सरकार द्वारा कोई प्रत्युपाय किये जाने का विचार नहीं है।

Janata Train from Delhi to Lucknow

2864. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is heavy rush of passengers in the trains between Lucknow and Delhi and a large number of passengers are unable to board the train;

(b) whether Government propose to run a Janata train between Delhi and Lucknow in view of heavy passenger traffic on this section;

(c) if so, the time by which this new train is proposed to be introduced; and

(d) if not, the alternative measures proposed to be taken to give facility to the passengers on this section ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) Some overcrowding has been noticed on through trains running between Delhi and Lucknow. Introduction of an additional train between these points is, however, not feasible at present for want of spare line capacity on the saturated Moradabad-Bareilly and Lucknow-Unnao sections

enroute, lack of terminal facilities at Lucknow and shortage of additional coaches. As and when additional resources become available, the question of providing an additional service between Delhi and Lucknow will be duly considered.

Shahdara-Saharanpur Railway Line

2865. Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a final decision in regard to the abolition of the contract of Shahdara-Saharanpur Railway line after the expiry of the present contract has been taken;

(b) if not, the time by which this decision is likely to be taken; and

(c) whether Government are considering the question of converting this line into a broad gauge line ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) There is no specific period of time at the end of which the contract of this Railway expires. The question of taking a decision in regard to the abolition of the contract does not, therefore, arise.

(c) It is proposed to make an Engineering and Traffic Survey to assess the financial implications of a conversion of this line to Broad Gauge.

Price of Cement

2867. Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Industrial, Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the number of producers of cement has increased further;

(b) if so, whether it has also in any way affected the prices of cement; and

(c) whether Government have taken any decision to ensure the avilability of cement easily at fair prices in the villages ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :(a) Yes, Sir. New units have come up after the end of the Third Plan period.

(b) No, Sir.

(c) Instructions have been issued that Cooperative Societies can obtain release orders for acquiring cement direct from the Regional Offices of the Corporation for arranging supply to rural areas. The cement suppliers have also been instructed that more cement than hitherto should flow to rural areas through the traditional dealers. A continuous watch is being kept to see rural areas do not suffer for want of cement.

मशीनी औजरों की गणना

2868. श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने मशीनी औजारों की दूसरी बार गणना आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य और कारण क्या है; और

(ग) क्या इस बारे में एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मशीनी औजारों की गणना से उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे मशीनी औजारों के काम करने की अवधि तथा देश में लगाए गए मशीनी औजारों के सामान्य ढांचे के बारे में जानकारी मिल जायेगी । इस जानकारी का संकलन हो जाने पर इन्जीनियरी एककों को देश तथा विदेशों में ऐसे ही एककों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा शक्ति का पता लग जायगा । ये आंकड़े आने वाले वर्षों में मशीनी औजारों की मांग का बुद्धिसंगत अनुमान का आधार भी बनेंगे ।

देश में लगे मशीनी औजारों की संख्या के विश्वसनीय आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं । इस प्रकार की गणना की आवश्यकता पर तकनीकी संस्थाओं जैसे मशीनी औजारों की विकास परिषद तथा मशीनी औजारों की राष्ट्रसंघीय गोष्ठी द्वारा बल दिया गया था । भारत सरकार ने इसके अनुरूप गणना करने का निश्चय किया है ।

(ग) जी हां । काम समाप्त हो जाने और रिपोर्ट छप जाने पर मशीनी औजारों की गणना रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

2869. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 1970 तक कुल 32 करोड़ रुपये का घाटा होगा ;

(ख) क्या कोई इस घाटे को कम करने के उद्देश्य में उत्पादन बढ़ाने के हेतु कोई योजनायें बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त कारखाना इस घाटे की अवस्था को दूर करके कब तक मुनाफा कमाने लग जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) तकनीकी परामर्शदाताओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ही यह अनुमान लगाया गया था और जो सरकार द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था कि इस उपक्रम को 1970 तक 32 करोड़ रुपये तक की हानि होगी । इतने अधिक पूंजी विनियोजन और धीरे-धीरे उत्पन्न की गई इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता और श्रम-उत्पादिता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की और इतनी बड़ी विशिष्ट परियोजनाओं में उत्पादन के पहले कुछ वर्षों में इतनी हानि हो जाना

कोई असाधारण बात नहीं है। निर्माण करने वाली विभिन्न कर्मशालाओं में हुए उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि तथा उत्पादन में हुए सुधारों को देखते हुए अनुमान यह लगाया गया है कि 1971-72 तक कम्पनी उस वर्ष तथा उससे आगे के लिये लाभ कमाने योग्य हो जायेगी।

कपड़ा उद्योग

2871. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा उद्योग के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में हुई व्यापार बोर्ड की बैठक में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी कि यदि उन समस्याओं, जिनका कपड़ा उद्योग को इस समय सामाना करना पड़ रहा है, सुलझाने के लिये शीघ्र कार्यवाही न की गई तो स्थिति नियन्त्रण से बाहर हो जायेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने कपड़ा निगम बनाने का प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है ;

(ग) क्या इन उद्योगपतियों ने सरकार से बार-बार यह शिकायत की है कि इस उद्योग में वर्तमान संकट को दूर करने के लिए आंशिक उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) कपड़ा उद्योग को सहायता देने के लिए उससे विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संसद् में 1 मई, 1968 को घोषित उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) सहकारी समितियों द्वारा हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर 5 प्रतिशत की आम छूट के अतिरिक्त चार सप्ताह की अवधि के लिए 5 प्रतिशत की विशेष छूट देने की मंजूरी दी गई है जो कि बाद में 3 माह की कुल अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(ख) शीर्ष सहकारी समितियों द्वारा धागा खरीदने तथा जमा करने हेतु उन्हें पुनः ऋण देने के लिए मद्रास सरकार को 50 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है।

(ग) इन्डियन काटन मिल्स फेडरेशन की आत्म-निर्भरता योजना के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने निर्यात के जहाज पर मूल्य के 5 प्रतिशत की सामान्य दर पर अतिरिक्त नकद सहायता देने का निश्चय किया है।

(घ) शंकु चीजों पर धागे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भाड़ा अवकलों के रूप में प्रति 10 पौंड पर 2 रुपये की अतिरिक्त विशेष नकद सहायता की अनुमति दी गई है। इससे ब्रिटेन को निर्यात कर रही विशेषतः दक्षिण भारतीय मिलों को

सहायता मिलेगी। विदेशी खरीददारों को मानक किस्म के सूत का संभरण सुनिश्चित करने हेतु दक्षिण भारतीय मिल निर्माता संघ को एक निर्यात दल बनाने के लिए भी कहा गया है।

(ङ) इस समय उद्योग के और विस्तार को रोक दिया गया है; केवल नवीकरण तथा प्रतिस्थापन के लिए ही छूट दी जायेगी।

ऊपर दिये गये उपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं।

उद्योगों का विकास

2872. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 मई, 1968 को 'पेट्रियट' नामक दैनिक समाचार पत्र में छपा इस आशय का समाचार सच है जिसमें बताया गया है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया है कि उन तरीकों को बदला जाये, जिनसे देश में उद्योगों के विकास पर अधिक लागत आती है, ताकि अधिकतर उद्योगों को नियंत्रणों और लाइसेन्सों से मुक्त कराया जा सके, जिससे वे प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर अपना विकास कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद की 10वीं जयन्ती के अवसर पर दिए गए अपने भाषण में सामान्य शब्दों में योजना आयोग के पत्र 'एप्रोच टु दि फोर्थ फाइव इयर प्लान' में दिए गए सुझावों का उल्लेख किया था।

(ख) सरकार की नीति यह है कि नियंत्रण तभी लगाए जाने चाहिये जब कि अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से ऐसा करना अधिक लाभ पूर्ण हो।

मद्रास में बन्द कपड़ा मिलों सम्बन्धी समिति

2873. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में बन्द कर दी गई 5 सूती कपड़ा मिलों के कार्य की स्थिति पर विचार करने वाली त्रि-सदस्यीय जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे द्वारा कोयले की खरीद

2874. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 जुलाई, 1967 को विभिन्न रेलों के पास कोयले के कितने भण्डार थे और 31 अगस्त, 1967 तक कितने कोयले की खरीद की गई थी ;

(ख) 1967 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा सिंगरेनी कोयला खान से प्रतिमास कितना और किस किस्म का कोयला खरीदा गया था; और

(ग) 20 जुलाई, 1967 से 30 सितम्बर, 1967 तक निगम तथा सिंगरेनी कोयला खान को स्थानीय कोयले के लिए कितना मूल्य देने के लिए बातचीत की गई अथवा कितना मूल्य दिया गया ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) (ख) और (ग) विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1638/68**]

कोयले की कमी के कारण रेल गाड़ियों का बन्द किया जाना

2875. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी के कारण कितनी गाड़ियां स्थगित की गई तथा कितने समय तक स्थगित की गई; और

(ख) इन गाड़ियों के स्थगित किये जाने के परिणामस्वरूप कितनी मील रेलवे लाइनें कितने यात्री तथा माल यातायात की कितनी मात्रा अर्न्तग्रस्त हुई तथा इसका कितने मील रेलवे लाइनों पर प्रभाव पड़ा; और

(ग) रेलगाड़ी सेवा बन्द किए जाने के कारण 16 सितम्बर, 1967 को डिपुओं में कितना कोयला जमा हो गया था।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) कोयले की कमी के कारण 7.9.1967 से 14.9.1967 तक की अवधि में कुछ गाड़ियां कम कर दी गयी थीं। कम की गयी गाड़ियों की संख्या प्रतिदिन अलग अलग थी, निलम्बित सवारी गाड़ियों की औसत संख्या 615 थी।

(ख) 7-9-67 से 14-9-67 तक की पूरी अवधि में लगभग 2,97,726 सवारी गाड़ी किलोमीटर प्रभावित हुए।

(ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय कोयला खानों के डिपुओं के गड्ढों में पड़े हुए कोयले के स्टाक से है। इन डिपुओं में कोयला इकट्ठा हो जाने का कारण यह नहीं था कि गाड़ियां निलंबित कर दी गयी थीं, बल्कि इसका कारण यह था कि निर्जी क्षेत्र की अधिकतर कोयला खानों ने रेलों को कोयला लादने से इन्कार कर दिया था। 16 सितम्बर, 1967 को जितना स्टाक जमा था उसके आँकड़े उपलब्ध नहीं है। कोयला नियंत्रक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार सितम्बर, 1967 के अन्त में कोयला खानों के गड्ढों में 59.23 लाख मीटरिक टन का स्टाक था जबकि पिछले महीने के अन्त में यह स्टाक 55.36 लाख मीटरिक टन रहा।

तामिलनाड में शाखा लाइनों को उखाड़े जाने के विरोध में अभ्यावेदन

2876. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाड में चार शाखा लाइनों को उखाड़े जाने के विरोध में सरकार को मद्रास सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सरकार ने मद्रास सरकार से चार शाखा लाइनों के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया था और उससे इस बात की पुष्टि करने को कहा था कि इन शाखा लाइनों के बन्द होने कि स्थिति में यदि सड़क परिवहन की क्षमता को बढ़ाना जरूरी हो, तो ऐसा करने में कोई कठिनाई तो नहीं होगी। मद्रास सरकार ने अभी तक इन चार लाइनों में से केवल एक के सम्बन्ध में उत्तर दिया है और इसके बन्द करने के खिलाफ राय जाहिर की है। अन्य तीन लाइनों के सम्बन्ध में अभी तक मद्रास सरकार से कोई उत्तर या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है।

भारत अल्यूमीनियम कम्पनी के मुख्यालय का स्थानान्तरण

2877: श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में भारत अल्यूमीनियम कम्पनी के मुख्यालय को हटाकर उसकी दो परियोजनाओं के स्थान के निकट ले जाने के मामले में कोई निर्णयकर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को प्रायोजना सम्बन्धी परामर्शकरारों सहित प्रारम्भिक प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिये जाने तक अस्थायी तौर पर अपना मुख्यालय दिल्ली में ही रखने की अनुमति दे दी गई है। इसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही दोनों प्रायोजनाओं में से एक के निकट किसी उपयुक्त स्थान पर से स्थानान्तरित करने के प्रश्न पर इन प्रारम्भिक प्रबन्धों के पूरा हो जाने के पश्चात विचार किया जायेगा।

पौलेण्ड के साथ व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग

2878. श्री सीताराम केसरी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौलेण्ड तथा भारत के बीच व्यापार के अग्रेतर विस्तार तथा उद्योग में सहयोग के लिये दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई योजनाओं के कुल वित्तीय प्रभाव क्या होंगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं, । व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग के अग्रेतर विस्तार के लिए पोलैण्ड एवं भारत में अभी हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली मेन तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों का दुर्व्यवहार

2879. श्री क० लकप्पा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों के गैर-जिम्मेदाराना तथा असभ्य व्यवहार की बहुत सी घटनायें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं । लेकिन कुछ शिकायतें मिली थीं ।

(ख) शिकायतें मिलने पर उनकी पूरी तरह जांच की गई और गलती करने वाले कर्मचारियों को प्रतिरोधक दण्ड दिये गये । इस तरह की शिकायतों को कम करने और उनकी मौके पर जांच करने के लिए भी पर्याप्त उपाय किये गये हैं ।

ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

2880. श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन के नियंत दल ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

चैंगल रेलवे स्टेशन को दूसरे स्थान पर लेजाना

2881. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में चैंगल रेलवे स्टेशन को इसके पहले स्थान से वर्तमान स्थान पर ले जाने के बारे में संसद सदस्य श्री स० चं० सामान्त के साथ सर्व श्री बी० सी० गांगुली और पी० सी० अलवारा द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) उस स्टेशन को नये स्थान पर ले जाने के कारण तथा माल यातायात में यदि कोई वृद्धि हुई है तो कितनी तथा रेलवे स्टेशन को नये स्थान पर ले जाने के बाद से अब तक यात्री और माल यातायात के मासवार आंकड़े क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के चैंगाइल स्टेशन से सम्बन्धित जो मामले मध्यस्थता के लिए सर्व श्री बी० सी० गांगुली और पी० बी० ऐबनरा को सौंपे गये थे, उनके बारे में किए गए विनिश्चयों का एक विवरण सं० (1) है। सभा पटल पर रखा गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1639/68**]।

(ख) एक विवरण सं० 2 जिसमें इस स्टेशन के 1965, 1966, 1967 और 1968 (जून तक) के सवारी और माल यातायात का ब्यौरा और औसत मासिक आंकड़े दिये गये हैं। यातायात में कुछ वृद्धि हुई है। सभा पटल पर रखा गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1639/68**]।

रेलवे बोर्ड की आशुलिपिक सेवा सम्बन्धी योजना

2882. श्री अदिचन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड की आशुलिपिक सेवा सम्बन्धी योजना कब से लागू की गई हैं।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भर्ती किए गए आशुलिपिकों की वरिष्ठता, सेवा-पुष्टि आदि के निर्धारण के सम्बन्ध में सरकार क्या नीति अपना रही है;

(ग) क्या उन सब, आशुलिपिकों को, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के आधार पर सीधे भरती किये गये थे सब दृष्टियों से समान समझा जा रहा है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1-12-1954 से।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर नियुक्त किये गये बाहरी स्टेनोग्राफरों की पारस्परिक वरिष्ठता सामान्यतः उनके योग्यताक्रम के आधार पर निर्धारित की जाती है। पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त स्टेनोग्राफर उन स्टेनोग्राफरों से वरिष्ठ होते हैं जो बाद में ली गयी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं।

(ग) (घ) और (ङ) 1962 से पहले बोर्ड के कार्यालय में केवल उन्हीं रेल कर्मचारियों की नियमित और दीर्घकालिक स्टेनोग्राफरों के रूप में नियुक्ति की जाती थी जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते थे। ऐसे सभी स्टेनोग्राफरों की पारस्परिक वरिष्ठता रेलवे बोर्ड कार्यालय में उनके ग्रेड में उनकी निरन्तर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती थी। अतः इस सम्बन्ध में कोई असमानता नहीं है।

रेलवे की पटरी की जांच पड़ताल करने वाली गाड़ी

2883. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पटरियों की जांच पड़ताल करने वाली गाड़ी का, जो दक्षिण रेलवे तथा मध्य रेलवे के शत प्रतिशत देशी पुर्जों से बनाई गई थी, परीक्षण आयातित गाड़ी की तुलना में सफल और सन्तोषजनक सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य सरकारी क्षेत्र में शुरू किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलपथ अभिलेखी यान के लिए परीक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं ।

(ख) परीक्षण के परिणाम उपलब्ध होने पर ही आगे निर्माण-कार्य शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

भोपाल से जी० टी० एक्सप्रेस रेलगाड़ी की टिकटें जारी करना

2884. **श्री सं० चं० सामन्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० टी० एक्सप्रेस गाड़ी तथा कुछ अन्य रेलगाड़ियों में भोपाल, जो राज्य की राजधानी है, से झांसी अथवा इटारसी जाने के लिए पहले दर्जे के यात्रियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों को अपने लिये और अपने परिचारकों के लिये टिकट नहीं मिलते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले दर्जे के यात्री, अपने उस परिचारक को जिसको उन्होंने भोपाल जैसे स्टेशन पर उतारा था, इन स्टेशनों से नये टिकट खरीद कर उपयुक्त स्टेशनों तक आगे यात्रा करने के लिये अथवा वापसी पर अपने साथ गाड़ी में नहीं चढ़ा सकते हैं; और

(ग) क्या ऐसे प्रतिबन्ध हटाने का सरकार का विचार है जिनसे यात्रियों को असुविधा हो रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) मध्य रेलवे ने 1 जून, 1968 से नई दिल्ली और बल्हारशाह के बीच दक्षिण एक्सप्रेस और जी० टी० वातानुकूल एक्सप्रेस से यात्रा करने पर दूरी का प्रतिबन्ध लगाया था और इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत पहले दर्जे के यात्री और उनके परिचर भी इन गाड़ियों में भोपाल से झांसी या इटारसी तक यात्रा नहीं कर सकते थे;

यह प्रतिबन्ध महीना समाप्त होने से पहले हटा लिया गया ।

(ख) पहले दर्जे के यात्रियों के परिचरों के लिये उस रास्ते के किसी स्टेशन से किसी स्टेशन तक के टिकट खरीदे जा सकते हैं जिसके लिये पहले दर्जे के टिकट खरीदे गये हैं ।

(ग) भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता

क्यूनीसिया के साथ व्यापार करार

2885. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चौगलराया नायडू :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि हाल ही में भारत तथा ट्यूनीसिया के बीच एक व्यापार सम्बन्धी करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ट्यूनीसिया को कितनी सहायता दिये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत तथा ट्यूनीसिया के मध्य 5 अक्तूबर, 1960 को हुआ व्यापार करार अब भी लागू है। स्वेज नहर के बन्द होने और आशा अन्तरीप होकर अधिक लम्बे मार्ग द्वारा अधिक भाड़ा पड़ने से उत्पन्न कठिनाइयों, विशेषतः ट्यूनीसिया से राक फास्फेट के लदान के सम्बन्ध में, विचार-विमर्श करने के लिये एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल जुलाई, 1968 में ट्यूनीसिया गया था। दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डल इस बात पर सहमत थे कि स्वेज नहर के पुनः खुलने तक ट्यूनीसिया से भारत को किये जाने वाले फास्फेट के लदानों को आस्थगित रखना होगा। इस बीच दोनों देशों के मध्य व्यापार को सुचारू बनाये रखना सुनिश्चित करने के लिये और ट्यूनीसिया को भारत से अपनी अत्यावश्यक मांग की खरीद करने हेतु आर्थिक साधन जुटाने में समर्थ बनाने के लिये यह तय हुआ कि भारत ट्यूनीसिया के केन्द्रीय क्रय संगठन को किसी उपयुक्त अभिकरण के माध्यम से दो करोड़ रुपये का एक अल्पकालीन ऋण देगा। इस ऋण को दिये जाने के निश्चित तरीके, इसे देने वाले अभिकरण और नियमों तथा शर्तों के बारे में विचार किया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षादल में सहायक उप निरीक्षकों का चयन

2886. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 की परीक्षा के आधार पर पूर्व रेलवे के लिये रेलवे सुरक्षा दल में चुने गये सहायक उस निरीक्षकों की संख्या कितनी थी;

(ख) उप परीक्षा में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(ग) परीक्षाफल कब घोषित किया गया था; और

(घ) चुने गये व्यक्तियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यतायें क्या थीं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) सहायक उप-निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति के लिये 61 प्रधान रक्षकों को चुना गया है।

(ख) 281 प्रधान रक्षकों ने परीक्षा में भाग लिया था।

(ग) परीक्षा-फल 26-2-1968 को प्रकाशित किया गया।

(घ) रेलवे सुरक्षा दल ने सहायक उप निरीक्षकों के पद के लिये चुने गये 61 प्रधान रक्षकों में से 5 इन्टरमीडिएट, 31 मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण थे और बाकी 25 रक्षक मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा में अनुतीर्ण थे ।

दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल

2887. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम 'दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड में इस समय कितने अधिकारी कितने कर्मचारी तथा कितने तकनीकी कर्मचारी और कितने गैर तकनीकी कर्मचारी हैं ?

(ख) क्या इस कम्पनी के कर्मचारियों की सूची विदेशी सलाहकार कम्पनी मेसर्स क्रेक्स एण्ड कम्पनी, पेरिस तथा दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कर्मचारी सूची में किये गये उपबन्धों के आधार पर भर्ती की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड में, अब कुल कर्मचारियों की सख्या 792 हैं । वर्गीकरण निम्न-लिखित है:—

वर्ग	तकनीकी	अतकनीकी	योग
1. अधिकारी	41	13	54
2. कर्मचारी गण	447	291	738
	488	304	792

(ख) मैसर्स क्रेक्स एण्ड कम्पनी, पेरिस, ने दुर्गापुर के कारखाने के लिए 470 कर्मचारियों सहित, एक जन प्रबन्ध प्रतिरुप की सिफारिश की थी । जिसके पश्चात, दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा 1130 कर्मचारियों के योग सहित, एक जन प्रबन्ध प्रतिरुप बनाया गया था । अब, कम्पनी ने, मैसर्स क्रेक्स एण्ड कम्पनी, पेरिस के मुख्य प्रतिनिधि से परामर्श करके, विभिन्न उत्पादन श्रमालयों के अन्तिम जन प्रबन्ध प्रतिरुप तैयार कर लिये हैं ।

(ग) कम्पनी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दुर्गापुर कैमिकल्स द्वारा संशोधित जन प्रबन्ध प्रतिरुप के अनुरुप कर्मचारी-गण की भर्ती के आधार पर, भर्ती की गई है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Complaints against firms selling Tractors

2888. Shri Praksh Vir Shastri
Shri Shiv Kumar Shastri
Shri Ram Avtar Sharma:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints about private firms selling tractors at higher prices, and

(b) if so. whether any new decisions have been taken to ensure that the farmers got tractors at fixed price ?

The Minister of Industrial development and Company Affairs (Shri Fakhruddin ali Ahmed : (a) & (b) : The Tariff Commission had been requested to institute an enquiry with a view to determining fair selling prices of tractors manufactured in the country. After the receipt and examination of the Commission's report, the ceiling selling prices of various makes of indigenous tractors have been notified, with effect from the 3rd June, 1968, under the provisions of Tractors (Price Control) Or der, 1967. Government have not received any complaint that the tractor manufacturer or their dealers are selling tractors at prices in excess of the prescribed ceilings, after the issue of this notification.

छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास

2889. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि भारत की अधिक जनसंख्या को देखते हुए जापान की भांति भारत के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास अधिक उपयुक्त होगा :

(ख) यदि हां, तो क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की बजाय छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है : और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां

(ख) और (ग) भारत की अगामी पंचवर्षीय योजनाओं में लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि चौथी योजना के अन्तर्गत सहायक छोटे कारखाने और बड़े कारखानों के सम्बन्ध उत्तरोत्तर सुदृढ़ किये जाने चाहिये, ताकि और अधिक लघु एकक सहायक एककों के रूप में स्थापित किये जा सकें ।

Direct Train Service From Delhi to Lucknow

2890. Shri Om Prakash Tyagi : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Delhi-Moradabad-Lucknow Railway line is quite important from traffic point of view,

(d) whether it is afact that the passengers are facing great inconvenience in the absence of a direct train service from Delhi to Lucknow in the morning,

(c) if is, whether Government propose to run an express train service from Delhi to Lucknow in the morning, and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) Some representations have been received for the introduction of a day-train between Delhi and Lucknow.

(c) & (d) : Introduction of an additional train between Delhi and Lucknow is not, at present, feasible for want of spare line capacity on the saturated Moradabad-Bareilly and Lucknow-Unnao sections enroute, lack of terminal facilities at Lucknow and shortage of additional coaches. As and when additional resources become available, the question of providing an additional service between Delhi and Lucknow will be duly considered.

Seat for Conductor Guard in Trains

2891. ***Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in the absence of any definite seat being provided to the Conductor Guard posted in the first class compartments, the passengers experience great difficulty in establishing contact with him on small stations,

(b) if so, whether Government propose to reserve a seat for him in the middle or at the entrance of the coaches so that it is easy for the passengers to establish contact with him, and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Instructions are in force that the Conductor Guard should be provided a seat on a train in the brake-van alongwith the Guard of the train. In addition, the Conductor Guard should wear a distinctive arm-band and move about on the platform at stations while the train is halting so as to be of assistance to passengers of all classes.

In view of this arrangement, passengers should not experience difficulty in contacting him at small stations.

(b) & (c) Do not arise.

Demand for increase in prices of Cotton

2892. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government have increased the prices of controlled varieties of cloth but have not increased the subsidised prices of cotton,

(b) whether the Cotton Advisory Committee have suggested in a meeting held recently at Bombay that the Government purchase price of all varieties of cotton be increased by 5 per cent, and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi Qureshi) : (a) Position with regard to price increase in respect of controlled cloth has been explained in the statement laid by Commerce Minister on the Table of the Lok Sabha on the 1st May, 1968. As regards cotton, there are no such prices as 'subsidised prices' fixed by Government.

(b) The Cotton Advisory Board is reported to have suggested at its meeting held on the 4th July, 1968, that an increase ranging from 1 to 5% may be given in support prices of cotton during the 1968-69 season.

(c) Cotton price policy for the 1968-69 season is under consideration.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा बंद कपड़ा मिलों का प्रबंध अपने हाथ में लेना

2893. **श्री देव राव पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में कितने कपड़ा मिल बंद हो गये हैं अथवा बंद होने वाले हैं और उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कितने मिल अपने कब्जे में ले लिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): महाराष्ट्र राज्य में सात कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं। राज्य की किसी भी मिल से उसके बंद होने की संभावना का कोई नोटिस नहीं मिला हैं। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन भारत सरकार ने पांच कपड़ा मिलें अपने हाथ में ली हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे क्वार्टर

2894. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के क्वाटरों की संख्या कितनी है, तथा उनमें कितने क्वाटर टाइप 1 के हैं, कितने टाइप 2 के और कितने टाइप 3 के हैं :

(ख) उनमें ऐसे क्वाटरों की संख्या कितनी है, जिनमें टट्टियां नहीं है, तथा उनमें कितने क्वाटर टाइप 1 के हैं, कितने टाइप 2 के और कितने टाइप 3 के :

(ग) ऐसे क्वाटरों की संख्या कितनी है, जिनमें बिजली नहीं हैं तथा उनमें कितने क्वार्टर टाइप 1 के हैं कितने टाइप 2 के और कितने टाइप 3 के : और

(घ) रेलवे के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कितने-कितने प्रतिशत कर्मचारियों को क्वाटर दिये गये है :

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे क्वार्टरों की संख्या इस प्रकार है:-

टाइप I	20565
टाइप II	11413
टाइप III	835

(ख) टाइप I के लगभग 30 प्रतिशत और टाइप II के 9 प्रतिशत क्वार्टरों में टट्टियों की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(ग) जिन क्वार्टरों में बिजली नहीं है उनकी संख्या इस प्रकार है:--

टाइप I	14578
टाइप II	4387
टाइप III	206

(घ) लगभग 90 प्रतिशत श्रेणी I के कर्मचारियों को: 90 प्रतिशत श्रेणी II कर्मचारियों को, 34 प्रतिशत श्रेणी III के कर्मचारियों को और 37 प्रतिशत श्रेणी IV के कर्मचारियों को क्वार्टर दिये गये हैं।

रेलवे अधिकारियों के लिये जीपें

2895. श्री अ० क० गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में रेलवे अधिकारियों को कितनी जीपें दी गई हैं :

(ख) यह जीपें कब से रेलवे अधिकारियों को दी गई हैं :

(ग) भारतीय रेलों के प्रभार में दी गई इन जीपों की कुल लागत कितनी है :

(घ) रेलवे अधिकारियों को जीपें देने का उद्देश्य क्या था और उनकी उपयोगिता क्या है : और

(ङ) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के लिये जापें खरीदने का कारण रेलवे को लाभ पहुंचाने की अपेक्षा एक विशेष विदेशी सार्थ का हित करना था ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जीपों पर भारतीय रेलों द्वारा व्यय

2896. श्री अ० क० गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीपों को चलाने तथा उनका देखरेख के लिए भारतीय रेलवे द्वारा रखे गये ड्राइवरों तथा क्लीनरों को 1966-67 में कुल कितने वेतन तथा भत्ते दिए गए : और

(ख) उक्त अवधि में जीपों में खर्च हुए पेट्रोल, डीजल तेल आदि पर कुल कितना व्यय हुआ ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वाराणसी जिले में रेलवे कर्मचारियों का गैर-सरकारी डाक्टरों द्वारा उपचार

2897. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारी, जिन्हें रेलवे डाक्टरों पर भरोसा नहीं होता और जो अपने विश्वसनीय डाक्टरों से इलाज कराते हैं, उन्हें बिना अनुमति के अनुपस्थित माना जाता है और बीमारी के कारण अनुपस्थित रहने के प्रमाण के लिए पंजीकृत तथा मान्यता प्राप्त डाक्टरों से प्रमाण-पत्र देने पर भी उनके वेतन आदि में कटौती कर दी जाती है।

(ख) वाराणसी जिले (उत्तर-पूर्व रेलवे) में जनवरी, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक कितने रेलवे कर्मचारियों ने गैर-सरकारी डाक्टरों से इलाज कराया :

(ग) उनमें से कितने रेलवे कर्मचारियों को बिना वेतन की छुट्टी पर मानकर उनका वेतन नहीं दिया गया हैं; और

(घ) उक्त अवधि में कितने कर्मचारियों के विरुद्ध, उनके गैर-सरकारी डाक्टरों से इलाज कराने के कारण अनुपस्थित रहने के लिए अनुशासनात्मक तथा अपील नियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) तक : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे की भूमि का रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को कृषि के लिये दिया जाना

2898. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे की भूमि को रेलवे कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को कृषि के लिए देते समय क्या कसौटी अपनाई गई है :

(ख) क्या यह सच है कि वाराणसी जिले (पूर्वोत्तर रेलवे) में रेलवे अधिकारियों को कुछ भूखंड दिये गये हैं, और अन्य भूमि प्राप्त करने के अधिकारी रेलवे कर्मचारियों की उपेक्षा की गई हैं :

(ग) क्या यह भी सच है कि गोरखपुर में काम करने वाले कुछ रेलवे अधिकारियों को खेती के लिए भूखंड झांसी में या वाराणसी जिले के किसी स्थान पर दिये गये हैं, परन्तु उनके पास खेती करने के साधन मौजूद नहीं हैं और उन्होंने जमींदारों की भांति उन भूखंडों को खेती करने के लिए 'बटाई' व्यवस्था के आधार पर अन्य लोगों को दे दिया है,

(घ) क्या रेलवे प्रशासन ऐसी भूमि को देने के सम्बन्ध में ऐसी कोई न्यायोचित नीति बनाने पर विचार कर रहा है जिसके आधार पर ऐसी भूमि-भूमिहीन रेलवे कर्मचारियों को ही दी जाये और क्रमशः चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाये; और

(ङ) ऐसे कितने रेलवे कर्मचारी हैं जिन्होंने वाराणसी जिले में रेलवे भूमि प्राप्त करने के लिए अपेक्षित किराया जमा करा दिया था, और जिन्हें न तो भूमि दी गई और न ही उन्हें पिछले वर्ष या इससे भी अधिक समय से अभी तक जमा राशि वापस की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) स्टेशन सीमा और रेलवे बस्तियों में रेलवे की खेती योग्य फालतू भूमि रेल कर्मचारियों को उनके आवेदन पत्र प्राप्त होने के क्रम में लाइसेंस पर दी जाती है । इसी प्रकार स्टेशनों के बीच की खेती योग्य फालतू भूमि सामान्यतः उसके निकटस्थ खेत के स्वामी को राज्य सरकार द्वारा या सीधे रेल प्रशासनों द्वारा लाइसेंस पर दी जाती है।

(ख) जी नहीं । रेल कर्मचारियों से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के क्रम में भूमि का आवंटन किया जाता है ।

(ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय भूसी में भूमि के आवंटन से है न कि झांसी में । भूसी में एक एकड़ भूमि का आवंटन एक अधिकारी के नाम किया गया है जो इस समय

गोरखपुर में तैनात है। वे किसी अन्य एजेंसी द्वारा इसमें खेती करवा रहे हैं। यह भू-खण्ड पहले राज्य सरकार को दिया गया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसका बन्दोबस्त नहीं किया जा सका और काफी समय तक इस पर खेती नहीं की जा सकी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 1963-64 में 11 रेल कर्मचारियों ने वाराणसी जिला के मांझी स्टेशन पर भूमि के लिए आवेदन दिया था और उन्होंने आवश्यक लगान भी जमा कर दिया था। माझी की भूमि का सिविल प्राधिकारियों द्वारा गलती से आवंटन कर दिया गया था। रेल कर्मचारियों से कहा गया था कि वे या तो वैकल्पिक भूमि के लिए या लगान की वापसी के लिए आवेदन दें। 11 में से 5 कर्मचारियों ने वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन दिया था और उन्हें भूमि आवंटित कर दी गयी थी। बाकी 6 कर्मचारियों ने न तो वैकल्पिक भूमि के लिए आवेदन दिया और न ही रकम वापस करने के लिए।

रनिंग लोको शैडों के कर्मचारियों के लिए वर्दियां

2899. श्री विश्व नाथ मैनन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के रनिंग शेडों में काम कर रहे कर्मचारियों के किन वर्गों को वर्दियां सप्लाई नहीं की जाती हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या रनिंग लोको शेडों के कर्मचारियों को इंजनों की सफाई तथा फिटिंग अपने निजी कपड़े पहने हुए करनी पड़ती है जिसके परिणाम स्वरुप उनके कपड़े बहुत गन्दे हो जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को वर्दियां सप्लाई करने पर विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेलों के रनिंग लोको शेडों में काम करने वाले कर्मचारियों की कोटियां जिन्हें वर्दियां नहीं दी जाती, अलग-अलग रेलों में भिन्न-भिन्न है। इन कोटियों में लोको और सहायक लोको फोरमैन, बायलर चार्जमैन और कुशल तथा अर्धकुशल कारीगर शामिल है। इन कोटियों के कर्मचारियों को वर्दियां नहीं दी जातीं क्योंकि ये जनता के सम्पर्क में नहीं आते।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

बाढ़, तोड़-फोड़ और हड़तालों के कारण रेलवे को हानि

2900. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में रेलवे कर्मचारियों की हड़तालों, तोड़ फोड़ आग बाढ़ के कारण रेलवे की कुल कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे अधिकारियों द्वारा वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा

2901. श्री अब्दुल गनी दार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के पदनाम क्या हैं।

(ग) उन्हें वातानुकुलित डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति दिये जाने के कारण हैं, और

(घ) रेलवे को इस प्रकार कितना धन व्यय करना पड़ता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) (ख) और (ग) जैसा कि रेलों पर है, रेल मंत्रालय में केवल अवर प्रशासी ग्रेड और इससे ऊपर वाले पदों के अधिकारी ही उस समय वातानुकूल डिब्बों में यात्रा कर सकते हैं जब वे ड्यूटी पर हों। सरकार के उच्च अधिकारियों को वातानुकूल दर्जे में यात्रा करने का जो अधिकार है यह उसी के अनुरूप है। सुविधा पासों पर यात्रा करते समय सभी राजपत्रित अधिकारियों को यह अनुमति है कि वे पहले दर्जे और वातानुकूल दर्जे के किराये के अन्तर की एक तिहाई देकर वातानुकूल दर्जें में यात्रा कर सकते हैं।

(घ) रेलवे अधिकारियों द्वारा ड्यूटी पर या अन्यथा की गयी यात्रा के सम्बन्ध में रेल प्रशासनों द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते।

भेड़ बकरी की चर्बी, रुई और ऊन आदि का आयात

2902 श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भेड़ बकरी की चर्बी, रुई, ऊन आदि की हमारी मांग हमारे देशी संसाधनों से पूरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन वस्तुओं का आयात करने के लिये लाइसेंस क्यों जारी किये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में इन वस्तुओं का आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई: और

(घ) किन-किन पक्षों ने इन वस्तुओं का आयात किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भेड बकरी की चर्बी, रुई तथा ऊन का आयात उन उद्योगों की कच्चे माल की मांग की पूर्ति के लिये आवश्यक हैं जो इनका प्रयोग करते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जारी किये गये आयात लाइसेंसों के ब्यौरे, जिनमें उन पक्षों के नाम भी शामिल हैं जिनको लाइसेंस दिये गये, मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात द्वारा प्रकाशित औद्योगिक

लाइसेंस, आयात लाइसेंस और निर्यात लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद् पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

वर्ष 1965-66 से 1967-68 में भेड़ बकरी की चर्बी, रुई तथा ऊन का आयात

	मूल्य हजार रु० में		
विवरण	1965-66	1966-67	1967-68
1. भेड़ बकरी की चर्बी	48,784	20,280	77,130
2. रुई	4,62,060	5,64,338	8 34,815
3. ऊन	50,304	1 14,633	1,18,034

व्यापार प्रतिनिधि मंडल

2930. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में कितने व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेजे गये, उनमें से कितने में मंत्री शामिल हुए ;

(ख) इन प्रतिनिधि मंडलों का उद्देश्य क्या था; और

(ग) प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल पर कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० शफी कुरेशी) : (क) गत पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा 62 व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों को भेजे गये हैं और उनमें से 10 में मंत्री शामिल थे। इन आंकडों में व्यापारियों द्वारा विदेशों में भेजे गये बिक्री / अध्ययन दल शामिल नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) : इन व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के प्रयोजन, प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम तथा प्रत्येक पर किये गये व्यय का एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा गया (**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1640-68**)

रेल के माल डिब्बों का रूस को निर्यात

2904. श्री स० मो० बनर्जी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस को 10,000 रेलवे माल डिब्बों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह माल डिब्बे रेलवे वर्कशापों में बनाये जायेंगे, और

(ग) यदि नहीं, तो यह सभी माल डिब्बे गैर सरकारी क्षेत्र में बनवाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) रूस को निम्नलिखित माल डिब्बों के निर्यात किये जाने की सम्भावना है:—

1969	10–112	प्रोटोटाइप
1970–71	2000	
1971–72	4000	
1972–73	8000	
1973–74	10,000	
1974–75	10,000	
1975–76	10,000	
1976–77	10,000	

(ख) इनमें से कुछ माल डिब्बों का रेलवे वर्कशाप में निर्माण करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) गैर–सरकारी क्षेत्र में माल डिब्बों के निर्माण में बड़ी प्रगति हुई है और इस क्षेत्र ने माल डिब्बों के निर्माण करने में पर्याप्त क्षमता अर्जित करली है। रूस द्वारा माल डिब्बों के आदेशों को पूरा करने का इस प्रकार प्रबन्ध किया जायेगा कि देश में उपलब्ध क्षमता का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाये।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष की नियुक्ति

2905. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों के कार्यालयों को सुधारने की दृष्टि से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो अध्यक्ष की योग्यतायें क्या है;

(ग) क्या इसके लिये कोई चयन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो अन्य उम्मीदवारों के विवरण क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) से (घ) अध्यक्ष और निदेशक-मण्डल में उसके साथियों का यह कर्तव्य है कि वे कम्पनी को दक्षता से तथा ठीक ढ़ंग से चलायें। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष को उद्योग, व्यापार और प्रशासन क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है। वह कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके है जैसे निदेशक, हिन्दुस्तान लेवल, निदेशक, इंडियन इनस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, कलकत्ता, अध्यक्ष, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया। अन्य क्षेत्रों के कई व्यक्तियों के नामों पर भी विचार किया गया था।

मैसर्स कूपर एलेन लिमिटेड, कानपुर

2906. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में कूपर एलेन कम्पनी में पूरी क्षमता से कार्य होना आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस कारखाने को अपने नियन्त्रण में लेने का अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस अनिश्चितता और बिलम्ब के क्या कारण है।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) (क) तथा (ख) कूपर एलन ब्रान्च, ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की एक इकाई के रूप में, वित्त व्यवस्था द्वारा आरोपित सीमाओं में, चलाई जा रही है।

(ग) तथा (घ) प्रति रक्षा मन्त्रालय, कूपर एलन इकाई को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रहा है।

हड्डियों का निर्यात

2907. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हड्डियों का निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1965–67 तक हड्डियों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) से (ग) वर्ष 1966-67 के निर्यात की तुलना में वर्ष 1967–68 में पिसी हुई हड्डियों का निर्यात परिमाण तो बढ़ा परन्तु मूल्य के हिसाब से कम हुआ। वर्ष 1965–66 से 1967-68 तक निर्यात निम्न-लिखित थे:–

परिमाण लाख कि.ग्रा० में

मूल्य लाख रुपयों मे (अवमूल्यन के पश्चात के)

वर्ष	परिमाण	मूल्य
1965–66	565	441
1966–67	679	552
1967–68	750	516

कई देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कम इकाई मूल्य की वसूली के फलस्वरूप मूल्य में गिरावट आई।

हौजरी के ऊनी माल का निर्यात

2908. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या वाणिज्य मन्त्री 30 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रजिस्टर्ड आयातकों को हौजरी के ऊनी माल के निर्यात की आयात संपूर्ति की अनुमति देने के बारे में कपड़ा आयुक्त के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) तथा (ख) ऊनी हौजरी के बदले पंजीकृत निर्यातकों को दी जाने वाली आयात प्रतिपूर्ति के बारे में वस्त्र आयुक्त के प्रतिवेदन पर सरकार अब भी विचार कर रही है।

Trade with Yemen

2909. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Yemen is desirous of increasing her trade with India; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) (a) Yes, Sir.

(b) The question of increasing the volume of trade within the framework of the present state of the two economies, is under constant review, and our Ambassador in Cairo is making a detailed assesment of such possibilities.

इस्पात मूल्यों में वृद्धि

2910. **श्री प्रेम चन्द वर्मा ।** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस्पात की कीमतों में वृद्धि करने सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में वृद्धि करने का क्या आधार है और प्रत्येक किस्म के इस्पात के मूल्यों में कितनी वृद्धि की जायेगी ?

(ग) पिछली बार मूल्य कब बढ़ाये गये थे और किन नये उपकरणों से बाध्य होकर पुनः मूल्य बढ़ाये जा रहे हैं; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में इस्पात की चीजों के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं; और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि उत्पादन क्षमता के बढ़ते ही कीमतें कम हो जायें ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) (क) जी, हां। संयुक्त सयंत्र समिति ने 31–7–68 को नये मूल्यों की घोषणा की थी।

(ख) और (ग) एक विवरण, जिसमें 29 जुलाई, 1968 की और 30 जुलाई, 1968 की अर्धरात्रि के पश्चात् तथा 31-7-68 से लागू कीमतें तथा की गई मूल्य वृद्धि का

ब्यौरा है। इससे पहले मूल्यों में व्यापक संशोधन 1 मई, 1967 को किया गया था और यह एक वर्ष की अवधि के लिये था। उसके पश्चात् इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि कोयले की कीमत, रेल भाड़े, बिक्री-कर वेतन और मंहगाई भत्ते इत्यादि में वृद्धि के कारण हुई, सभा पटल पर रखा गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1641/68]**

(घ) एक अन्य संलग्न विवरण में भारत में तथा विदेशों में कुछ प्रकार के इस्पात के मूल्यों की तुलना की गई है। सरकार इस बात का भरसक प्रयत्न करती है कि उत्पादन में वृद्धि से तथा उत्पादन क्षमता में विस्तार करके मूल्यों को समुचित सीमा में रखा जाय।

बन्द कपड़ा मिलों सम्बन्धी समितियां

2911. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत सी कपड़ा मिलें बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन कपड़ा मिलों में उत्पादन बन्द हो गया है, उनके बन्द होने के कारण क्या हैं, उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है तथा कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन मिलों के बन्द होने के कारणों का पता लगाने और उन्हें पुनः चलाने का सुझाव देने के लिये जांच समितियां नियुक्त करने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या कोई समितियां नियुक्त की गई हैं, और यदि हां, तो उन समितियों के सदस्यों के नाम क्या क्या हैं, उनके निर्देश पद क्या हैं, और जांच-कार्य पूरा करने के लिये कितना समय-निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जून, 1968 के अन्त में 55 कपड़ा मिलें बन्द थी।

(ख) से (घ) एक विवरण (अंग्रेजी मे) सभा पटल पर रखा गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1642/68]**

रेलवे सलाहकार समिति

2912. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बन्धित विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों तथा इस प्रकार के अन्य संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक सदस्य को क्या कार्य दिया गया है;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड के सदस्यों में सार्वजनिक कार्यकर्ता कितने हैं तथा अधिकारीगण कितने हैं;

(ग) क्या सदस्य केवल एक बार के लिये मनोनीत किये जाते हैं और यदि नहीं, तो एक सदस्य को कितनी बार पुनः मनोनीत किया जा सकता है तथा एक बार का कार्यकाल कितना होता है; और

(घ) वर्ष 1967–68 में इन समितियों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1643/68]**

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के कदाचार के मामले

2913. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या इस्पात. खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक की अवधि में उनके मन्त्रालय से भ्रष्टाचार घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दण्डनीय अपराधों सम्बन्धी कितने मामलों का पता चला है;

(ख) उनसे कितने अधिकारियों (श्रेणीवार) और गैर-सरकारी व्यक्तियों का सम्बन्ध है;

(ग) कितने मामलों में अभियोग चलाये गये और कितने मामले केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपे गये;

(घ) 1967–68 में इस प्रकार के कितने मामलों का पता चला था, उनमें से कितने मामलों में दण्ड दिया गया तथा कितने व्यक्तियों के विरूद्ध दिया गया तथा कितने व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गई और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों की रोकथाम के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात. खान तथा धातु उप–मन्त्री (श्री राम सेवक) (क) से (घ) जहां तक इस्पात, खान और धातु मंत्रालय का सम्बन्ध है, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है जिससे किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी व्यक्ति का सम्बन्ध हो ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सलाहकार समितियां तथा बोर्ड

2914. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से सम्बद्ध विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों अथवा ऐसे अन्य संगठनों के नाम क्या हैं तथा उनके सदस्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक को क्या क्या काम सौंपे गये हैं;

(ख) प्रत्येक समिति अथवा बोर्ड में कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और कितने सदस्य सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन एक ही बार के लिये होता है और यदि नहीं, तो एक सदस्य का कितनी बार पुनः नाम निर्देशित किया जा सकता है और एक बार नाम निर्देशन की अवधि कितनी है; और

(घ) वर्ष 1967–68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Sonai Railway Station

2915. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Railway be pleased to state :

(a) the names of stations between Achhnera and Kasganj Jn., on the metre gauge line which are running at loss at present;

(b) whether it is also a fact that the income from the passengers fare from Bhainsa, Parkham and Mursan stations on this line is lesser than the income from passengers on Sonai Railway station;

(c) the reasons for which Government are not giving their approval for a junction at Sonai station; and

(d) whether Government are making arrangements for booking goods temporarily on Sonai Railway station on an experimental basis to find out the extent of profit or loss to the Railway Administration ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) Financial results cannot be worked out station-wise.

(b) Passenger earnings of Parkham and Mursan stations are higher and those of Bhainsa lower than the passenger earnings of Sonai station.

(c) Sonai station is a flag station situated between Mursan and Raya stations on the Mathura-Hathras M. G. Section. There is no proposal for providing a junction at Sonai station. There is, however, a proposal to provide a crossing station between Mursan and Raya stations at a site that may be found suitable from operational point of view.

(d) No, Investigations show that there is no traffic justification for opening Sonai station for goods booking.

Mining and Allied Machinery Project, Durgapur

2916. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the capital invested in the Mining and Allied Machinery Project, Durgapur as also the amount of foreign capital invested therein;

(d) the nature of equipment manufactured in the said factory, the number of its employees and the respective number of Indians and foreigners among them; and

(c) the amount of foreign exchange earned by the factory during the past five years ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) (a) The total capital invested upto 31—3—1968 amounted to Rs. 48.80 crores. Of this, Rs. 19.05 crores was in the form of equity and Rs. 29.75 crores as loans. No foreign capital has been invested.

(b) Coal Mining Machinery and Allied products e. g. conveyors, coal cutters, combines and loaders, haulages and winches, pumps fans, locomotives, coal beneficiation equipment and other miscellaneous equipment and spare parts. The number of employees as on 1—4—1968 was 6473, out of which 12 were foreigners.

(c) No exports have yet taken place.

मिश्र धातु औजार तथा विशेष इस्पात कारखाने के लिए पटरथ (बिहार) में भूमि

2917. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने पटरथ में एक मिश्र धातु (एलोय) औजार तथा विशेष इस्पात संयन्त्र स्थापित करने के लिये बिड़ला ब्रदर्स को 8244 एकड़ भूमि 2500 रुपये प्रति एकड़ की दर से देने का निर्णय किया था :

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब तथा किस प्रकार किया गया; और

(ग) प्रस्तावित संयन्त्र की वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) (क) बिहार सरकार ने बिड़ला ग्रुप की एक फर्म–मैसर्स बिहार एलाय स्टील्स लिमिटेड, को मिश्र इस्पात औजारी और विशेष इस्पात का एक कारखाना लगाने तथा कारखाने के कर्मचारियों की बस्ती बनाने के लिए 2500 रुपये प्रति एकड़ की दर से 526.49 एकड़ भूमि दी है ।

(ख) बिहार सरकार ने 6 फरवरी, 1967 को उपर्युक्त कम्पनी के आवेदन पर यह निर्णय किया था ।

(ग) इस कम्पनी ने एलाट की गई भूमि में से 483.59 एकड़ काश्तकारी भूमि का औपचारिक रूप से कब्जा ले लिया है। उन्होंने 42.90 एकड़ सरकारी भूमि का कब्जा भी ले लिया है जिसके लिए औपचारिक आदेश अभी जारी किये जाने हैं । इस कम्पनी ने तकनीकी सहयोग के लिए फ्रांस को स्नेदर ग्रुप से समझौता कर लिया है । बिजली और पानी की व्यवस्था भी कर ली गई है। परिधि रेखा और सीमा रेखा सर्वेक्षण तथा भूमि के नीचे की जांच करने का काम पूरा हो गया है । सरकार उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कम्पनी उपकरणों के आयात के लिए आवश्यक आयात लाइसेंस ले सके ।

कोयले पर स्वामित्व

2918. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने मांग की है कि कोयले पर स्वामित्व, जो आज कल मूल्य के आधार पर लगाया जाता है, भार के आधार पर लगाया जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) (क) और (ख) राज्य सरकारों ने, आम तौर पर, यह प्रार्थना की कि कोयले पर स्वामिस्व भार के आधार पर हो। कोयला मन्त्रणा परिषद् ने भी अभी हाल ही में इसे सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है। आगे ब्यौरों पर अभी विचार हो रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

2919. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अमरीका तथा कनाडा को मशीनी उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास स्वरूप वहां पर तीन एजेंट नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं, जिन्हें एजेंट नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) इन एजेन्टों को कुल कितना पारिश्रमिक दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) अभी तक दो अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है और उनके नाम हैं, मैसर्स ग्लोबल डेवलपमेंट डिजाइन, कैलीफोर्निया, संयुक्त राज्य अमरीका तथा मैसर्स इस्टर्न मशीन्स इन्कारपोरेटिड, मेरीलैंड, वाशिंग्टन, संयुक्त राज्य अमरीका। मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर तथा उपरोक्त पार्टियों के बीच जो अभिकरण सम्बन्धी प्रबन्ध हैं, वह एक व्यापारिक समझौता है और उनके विवरण जैसे इन अभिकर्ताओं को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा अभिकरण व्यवस्था की दूसरी शर्तों को प्रकट करना उपयुक्त नहीं समझा जाता है।

रेल दुर्घटनायें

2920. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे में 1 मार्च, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक कुल कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुई;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए और उन्हें अथवा उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिकर के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ग) रेलवे सम्पति की कुल कितनी हानि हुई;

(घ) प्रत्येक कारण से कितनी-कितनी दुर्घटनायें हुई; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये अविलम्ब किये गये उपायों का मोटा ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) 1-3-1967 से 31-3-1968 तक टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतर जाने, समपारों पर सड़क यातायात से टकरा जाने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में आने वाली गाड़ी-दुर्घटनाओं के रेलवेवार आंकड़े नीचे दिये गये हैं:-

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	111
पूर्व	65
उत्तर	161
पूर्वोत्तर	168
पूर्वोत्तर सीमा	167
दक्षिण	144
दक्षिण—मध्य	128
दक्षिण-पूर्व	122
पश्चिम	128
जोड़	1194

(ख) इन दुर्घटनाओं में 234 व्यक्ति मारे गये और 1045 व्यक्ति घायल हुए।

मार्च, 1967 से मार्च, 1968 तक भारतीय रेल अधिनियम और घातक दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप कुल में 5,14,283 रु० का भुगतान किया गया।

गाड़ी दुर्घटनाओं में रेल कर्मचारियों के मारे जाने या घायल होने की स्थिति में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत की गयी प्रतिकर की रकम के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को लगभग 1,59,18,350 रु० की क्षति का अनुमान है।

(घ) 1194 दुर्घटनाओं में से 725 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण, 143 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों की गलती के कारण, 150 दुर्घटनाएं रेल उपस्कर की खराबी के कारण, 118 दुर्घटनाएं आकस्मिक ढंग की और 12 दुर्घटनाएं तोड फोड़ के कारण हुई। 20 दुर्घटनाएं ऐसी थीं जिनका कारण निश्चित नहीं किया जा सका। 26 दुर्घटनाओं के कारणों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) कर्मचारियों को, विशेष रूप से गाड़ी परिचालन से सम्बद्ध व्यक्तियों को इस बात से अवगत कराने के लिए संरक्षा अभियान और तेज कर दिया गया है ताकि उन्हें निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने की कितनी आवश्यकता है। यह देखने

के लिए स्थानिक जांच का काम तेज कर दिया गया है कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और जल्दबाजी के तरीके न अपनायें ।

रेलगाड़ियों से खतरे की जंजीरें हटाई जाना

2921. श्री बाबू राव पटेल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी-मानिकपुर और बान्दा-कानपुर लाइनों पर चलने वाली रेलगाड़ियों से खतरे की जंजीरों को हटा दिया गया है;

(ख) क्या इससे इस क्षेत्र में जो डाकुओं से आतंकित है, डाकुओं को सहायता नहीं मिलेगी;

(ग) खतरे की जंजीरों को खेंचने से होने वाले बचाव की सुविधा से यात्रियों को वंचित करने के बाद इन लाइनों पर सुरक्षा के क्या वैकल्पिक उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) अब तक अन्य किन-किन क्षेत्रों में खतरे की जंजीर हटाने के इस नये विचार को लागू किया गया है अथवा निकट भविष्य में लागू किया जायेगा; और

(ङ) यात्रियों और विशेषकर महिला यात्रियों को खतरे में डालकर यह खतरनाक प्रयोग करने के क्या विशेष कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) खतरे की जंजीरें हटायी नहीं गयी थीं, बल्कि 1-4-68 से 30-4-68 तक नाकाम कर दी गयी थीं । फिलहाल खतरे की जंजीरों की सामान्य व्यवस्था चालू है ।

(ख) जिस अवधि में खतरे की जंजीर के उपकरण नाकाम कर दिये गये थे । उसके दौरान सम्बन्धित खंडों पर गाड़ियों में डकैती की कोई घटना नहीं हुई ।

(ग) जिस समय खतरे की जंजीरें नाकाम कर दी गयी थीं, उस समय रात में चलने वाली सवारी गाड़ियों में रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस का पहरा लगाया जाता था ।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) कुछ गाड़ियों/खंडों में खतरे की जंजीर नाकाम करने का कारण यह था कि असामाजिक तत्व गाडियों को अनियमित ढंग और बिना किसी उचित कारण से रोकने के लिए खतरे की जंजीरों का बहुत अधिक दुरूपयोग कर रहे थे । इससे गाड़ियों जिनमें महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां भी शामिल हैं के चलने में बुरा प्रभाव पड़ता था और यात्री जनता को बड़ी असुविधा होती थी । रेल प्रशासनों को इस आशय के स्थायी आदेश दिये गये हैं कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के हित में महिलाओं के डिब्बों में खतरे की जंजीर चालू हालत में रखी जानी चाहिए ।

भारी मशीन निर्माण परियोजना, रांची

2922. श्री महाराज सिंह भारती : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची की भारी मशीन निर्माण परियोजना में, जिसमें 2 वर्ष पहले उसकी निधारित क्षमता में से 20 प्रतिशत तक निर्माण हो रहा था, अब पूरा उत्पादन होने लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोकारो इस्पात कारखाने के कारण ऐसा हुआ है अथवा किन्ही अन्य कारणों से;

(ग) क्या यह सच है कि भारी मशीन निर्माण परियोजना बोकारो इस्पात कारखाने के अतिरिक्त और किसी भी कारखाने से मशीनों के निर्माण के क्रयादेश स्वीकार नहीं कर रही है और यदि कोई क्रयादेश स्वीकार भी किया जाता है तो केवल इस शर्त पर कि अपेक्षित मशीनें चार वर्ष बाद तैयार की जायेंगी;

(घ) यदि हां, तो क्या ये सभी मशीनें, जिन्हें रांची में बनाया जा सकता था, विदेशों से मंगायी जा रही है; और

(ङ) क्या सरकार ने मशीनों का निर्माण करने वाले वर्तमान कारखानों की क्षमता बढ़ाने तथा नये कारखानें लगाने की योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) और (ख) इस प्रकार की परियोजना की स्थापना में अधिक समय लगना अवश्यम्भावी होता है, क्योंकि उत्पादन का काम धीरे-धीरे होता है और उत्पादन में वृद्धि करने में काफी समय लग जाता है जब तक कि कारीगर भारी और बढ़िया किस्म के प्राद्योगीकीय उपकरणों और मशीनों को चलाने में कुशलता प्राप्त न कर लें। सोवियत विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई भावी योजना के अनुसार 80,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की अन्ततोगत्वा क्षमता 1975-76 तक ही प्राप्त की जा सकती हैं।

(ग) जी, नहीं। भारी विद्युत निगम में बोकारो इस्पात संयन्त्र के लिए सबसे अधिक संख्या में उपकरण और मशीनें बनाई जाती हैं जिनमें लगभग 98,000 मीट्रिक टन मशीनी उपकरण, प्राद्योगकीय इस्पाती ढांचे तथा मशीनी औजार शामिल हैं। वर्तमान आर्डरों के आधार पर संयंत्र को 1970-71 तक काफी आर्डर मिल जायेंगे। इस संयन्त्र में जिस प्रकार की मशीनें बनाई जायेंगी उनके डिजाइन, प्राद्योगकीय प्रलेख तैयार करने में काफी समय लगता है, और मिली जुली "मशीनें बनाने में लगने वाले पर्याप्त समय के अतिरिक्त उनकी ढलाई, गढ़ाई तथा अन्य सामग्री की व्यवस्था करने में भी पर्याप्त समय लगेगा। अतः काफी पहले आर्डरों का दिया जाना आवश्यक है।

(घ) स्थायी प्रक्रिया के अनुसार केवल उन्हीं प्रकार के उपकरणों के आयात के लिए अनुमति दी जाती है जिस प्रकार के उपकरण देश में निर्धारित समय के अन्दर उपलब्ध न हो सकते हों।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Heavy Enrgineering Coporation, Ranchi

2923. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Industrial Devlopment and Company Affairs be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Heavy Engineering Corporation. Ranchi has requested Government to increase the price of the machines being supplied to the Bokaro Steel Plant;

(b) if so, the reaction of Government there to;

(c) whether it is also a fact that the cost of production of machines being produced by the Heavy Engineering corporation is more than the prices of those machines in International markets;

(d) if so, the reasons therefor;

(e) whether it is also a fact that in ranchi the machines are modern and labour and raw materials are cheaper than in the foreign countries; but the cost of production is more becuase of the mismanagement; and

(f) if so, the steps being taken in the matter ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b) : No, Sir The prices of machinery and equipment being manufactured by Heavy Engineering Corporation Ltd., for supply to the Bokaro Steel Plant are yet to be finalised and the question is under consideration.

(c) to (f) : While production costs, particularly for certain categories of specialised equipment, are fairly high in the HEC, it would not be correct to generalise that such costs are invariably higher than prices quoted by foreign suppliers for similar machinery and equipment nor would a comparisen be practicable in most cases. The cost of production during the early years of production of a heavy engineering complex such as the H. E. C. has to take in to account not only sizeable under-utilisation of capacity in certain sections where load and production tempo can be built up only over a period of time but also lobour productivity which only improves gradually as workers gather greater knowledge and experience. A number of steps are being taken in the H. E. C. not only to bring about increased production and better labour productivity but also to streamline the flow of materials and to ensure a greater degree of supervision and co-ordination between different levels of management.

Iron Dises

2924. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Industrial Development and company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any scheme for manufacturing iron discs which are being used in the agricultural implements in the country in lakhs every year due to increasing use of tractars and harrows driven by oxen;

(b) whether it is a fact that a ban has been imposed on the import of such discs and they are being manufactured in limited number indigenously resulting in crisis in factories manufacturing. agricultural implements : and

(c) if so, the steps taken to improve the situation ?

The Minister of Industrial Development and company Affairs (Shri Fekhruddin Ali Ahmed) : (a) Government have approved the schemes of the under-mentioned firms for the manufacture of high Carbon Steel Discs used in agricultural implements in the organised sector;-

S. No.	Name of firm	Capcity approved
(1)	M/s. Dates Ageney Ltd., New Dehli.	2.0 lakhs Nos· per annum

(2)	M/s. Growmore Food Corporation	1.5 lakhs	Nos. per
(3)	M/s, Agricultural Discs India Ltd.	1.0 lakhs	annum.

In addition to the above, some fresh proposals have been received for the manufacture of steel discs and these are under consideration. Steel discs required for Bullock-drawn implements are being manufactured in the small Scale sector.

(b) Import of high carbon steel plain discs of 16" 18" 20", 22" 24" and 26" is not permitted. Import of discs of other sizes is allowed to established importers upto 5% of the face value of their quota licence. The State Trading Corporation also holds stocks of discs of these sizes, from which all requirements of implement manufacturers can be met. Actual Users' requirements of small value are considered on adhoc basis if they are not able to procure their requirements from established importers.

It is reported that the indigenous manufacturers of agricultural discs are not getting enough orders. If adequate orders are forthcoming. they could not only increase their production but also increase their capacity.

(c) A meeting was arranged recently with the representatives of discs manufacturers and the implement manufacturers. It was agreed that indigenous production may not be adequate to meet the anticipated demand in full. Arrangements have, therefore, been made to allow import of discs through the Agro Industries Corporations for fair and equitable distribution to the farmers.

Fundamental Research and Designs for Heavy Machines and Tools

2925. **Shri Maharaj singh Bharti** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the progress made in respact of the work of fundamental research and designs proposed to be started for heavy machines and tools with Soviet assistance at Ranchi and the reasons for slow progress in this regard ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : In march, 1968, a protocol was signed with Giprome of USSR for assistance in strengthening and developing facilities for complete designing of plant and equipment relating to metallurgical industries in the country. It is proposed to develop the Central [illegible]eering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd., into a full--fledged Institute for [illegible]ing ferrous and non-ferrous plants and to develop the existing facilities in the Heavy Machine Building plant of H. E. C. Ranchi, for designing of eqnipment. A detailed programme is being drawn up regardiug the fields in and the extent to which Soviet expert assistance would be required and this is expected to be finalised with the Soviet authorities shortly. In view of the complex nature of this project and the detailed planning and programming that it involves, the progress made so far cannot be deemed to be slow or unsatisfactory.

बाढ़ के कारण रेलवे को हानि

2926. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई 1968 के प्रथम पखवाड़े में बाढ़ के कारण रेलवे सम्पति की कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) बाढ़ के दौरान मार्ग में रेलगाड़ियां खड़ी रहने के कारण कितने यात्री प्रभावित हुए; और

(ग) क्या क्या राहत कार्य किये गये तथा उन पर कितना धन खर्च हुआ ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उपभोक्ता वस्तुओं में चीनी माल के साथ प्रतियोगिता

2927, श्री रा० कृ० सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन की प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में नेपाल तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की मंडियां भारत के हाथ से निकलती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन मंडियों को पुनः प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मु० शफी कुरेशी) : (क) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) 1967–68 की अवधि में दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र को हमारे कुल निर्यातों में वृद्धि का रूख रहा, अलबत्ता नेपाल के मामले में इसी अवधि मे गिरावट आई। दक्षिण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में स्थित देशों के साथ व्यापार की स्थिति की सतत समीक्षा की जाती है और इन देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये समय समय पर समुचित कार्यवाही की जाती है।

रेलवे बोर्ड की टेंडर समिति

2928. श्री रवि राय : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड की टेंडर समिति ने कोयले के मूल्यों के बारे में कोयला उद्योग की संयुक्त कार्यकारी समिति के साथ कलकत्ता में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

नायलोन तागा बनाने के लिए बिड़ला बन्धुओं को लाइसेन्स

2929. श्री रवि राय : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे :

(क) क्या उनका ध्यान 24 जून, 1968 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक डच तथा पश्चिम जर्मन भागीदार के सहयोग से

बिडला बन्धुओं द्वारा स्थापित सेंचुरी-एनका कम्पनी को नायलोन का धागा बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी, हां। सम्पूर्ण प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न प्रकार की चादरों की मांग

2930 श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० सी० चादरों, बी० पी० चादरों और जी० बी० पी० चादरों की मांग सप्लाई से अधिक है और इनकी चोर-बाजारी होती है और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा ये चादरें आवंटित किये जाने पर भी निर्माता कम्पनियां प्राय इन्हें सप्लाई नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) उपलब्ध मात्रा का अच्छा वितरण सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) यह सच है जी० सी० चादरों बी० पी० चादरों और सी० आर० बी० पी० चादरों की मांग सप्लाई से अधिक है। इनके बाजार में बहुत अधिक मूल्य पर बेचे जाने के बारे में शिकायते प्राप्त हुई है। सप्लाई इस्पात--प्राथमिकता समिति द्वारा दी गई अग्रताओं पर की जाती है। इस्पात--प्राथमिकता सिमिति की सिफारिशों पर माल देने के पश्चात् ही उत्पादक दूसरे आर्डरों पर तिथिक्रम से माल सप्लाई करते है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जी० सी० चादरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। वर्ष 1968-69 में कुल उपलब्धि में 72,000 टन की वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार 1969-70 से और सी० आर० बी० पी० चादरों का उत्पादन भी 170,000 टन से बढ़कर 260,000 टन प्रति वर्ष हो जायेगा। इस समय गर्म बेलित बी० पी० चादरों के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं है।

(ग) वितरण की वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के बारे में सरकार कई सुझावों पर विचार कर रही है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को होने वाली हानि

2931. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को 1967–68 में 40 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां तो इस कम्पनी के तीनों इस्पात करखानों के कार्य में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) चूंकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्ष 1967–68 के हिसाब–किताब को कम्पनी के निदेशक मंडल ने अभी तक अनुमोदित नहीं किया है इसलिए कम्पनी को हुई हानि की ठीक राशि को बताना संभव नहीं है।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों के परिचालन में सुधार करने के लिए किये गये अथवा किये जा रहे उपायों की चर्चा 5 अप्रैल, 1968 को सदन के सभा पटल पर रखे गये हिदुस्तान स्टील लिमिटेड का कार्य–करण नामक पत्र में की गई है।

जुलाई, 1968 में फ्रण्टियर मेल का दिल्ली में देर से पहुंचना

2932. श्री अनतराव पाटिल : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सैन्ट्रल से 9 जुलाई, 1968 को रवाना हुई फ्रण्टियर मेल लगभग 60 घन्टे पश्चात 12 जुलाई को दिल्ली पहुंची थी;

(ख) क्या यह सच है कि कोटा तथा सवाई माधोपुर के बीच रेलवे पटरियों के टूट जाने के कारण गाड़ी को बिलम्ब हो गया था; और

(ग) क्या गाड़ी को कोटा–बीना लाईन की और मोड़ने के निर्णय में बहुत बिलम्ब हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

चौपड़ा–गौरखपुर सैक्शन पर कोयले की चोरी

2933. श्री कामेश्वर सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने चौपड़ा–गौरखपुर लाईन पर मसराख, राजापट्टी और डिगुआ डोबौवली में कोयले की बड़े पैमाने पर चोरी के वारे में पूर्वोत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर को एक पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो क्या आसूचना शाखा ने कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु पुनाचा) : (क) जी हां, 31.1.1968 को एक पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि राजापट्टी और दिघवा-दुबौली स्टेशनों के बीच रेल इंजनों से कोयले की चोरी होती है।

(ख) और (ग) जी हां, 30-3-1968 को पूर्वोत्तर रेलवे पर राजापट्टी और दिघवा दुबौली स्टेशनों के बीच फाटक नं० 18 पर रेलवे सुरक्षा दल की विशेष खुफिया शाखा के एक दस्ते द्वारा छापा मारा गया। दो अभियुक्त गिरफ्तार किये गये और लगभग 168 किलोग्राम कोयला जो वाई० पी० इंजन नं० 2545 से फेंका गया था बरामद किया गया। गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को बरामद किये गये कोयले सहित सिवान की सरकारी रेलवे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया जिन्होंने 30-3-68 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/411/409 के अन्तर्गत अपराध संख्या 14 के रूप में एक मामला दर्ज किया और मामले की जांच हो रही है।

कनाडा से निकल की खरीद

2934. श्री कामेश्वर सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का कनाडा से निकल खरीदने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस कीमत पर ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) कनाडा पतन पर 94 सेंट प्रति पौंड के जहाज पर भाव पर निकल खरीदने का प्रस्ताव है।

All-India Station Masters' Association

2935. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the All-India Association of Station Masters had sent any representation of Government in April last in regard to the checking of Railway accidents happening frequently;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) A representation on behalf of the unrecognised All India Station Masters Association was given by one of the Members of Parliament in April, 1968, which contains certain suggestions to avoid Rail Accidents and also making suggestions for improvement of the service conditions of Station Masters.

(c) The points raised in this representation are being examined on merits and appropriate action will be taken where necessary.

Pay Commission for Railways

2936. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a demand to set up a separate Pay Commission for Railways has been made; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) & (b) Demand for a separate Pay Commission for railway employees is frequently raised. The policy of the Government is not to set up a Pay Commission for railway employees in isolation.

Improvement in Distribution System of Steel

2937. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government of India are trying to improve the distribution system of steel;

(b) if so, whether its control is likely to be lifted; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel Mines & Metals (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) Statutory control over price and distribution of all categories of iron and steel has already been lifted with effect from May 1, 1967.

(c) Does not arise.

Setting up of two Plants by Cement Corporation of India

2938. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned the proposal of setting up two plants by the Cement Corporation of India, one each in Mysore and Madhya Pradesh; and

(b) if so, the difficulties in setting up a cement factory in the public sector at Bundi, Rajasthan, where limestone is available ?

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The Cement Corporation of India has not so far investigated the availability of limestone deposits in the Bundi area of Rajasthan. There are no difficulties as such for the setting up of a factory subject to other conditions being suitable. The present policy of Government is to put up cement factories, as far as possible, in the deficit areas. On this basis, Rajasthan has a lowar priority.

The cement industry has been de-licensed since the 13th May, 1966. It is no longer necessary for any one to obtain a licence from Government for setting up a cement factory any where in the country.

Indian Tea Delegation to East Africa

2939. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian Tea delegation is being sent to East Africa to boost our export of Indian tea;

(b) if so, the names of the countries to which India is exporting tea at present and at what rates;

(c) the steps being taken by Government to increase our exports of tea ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library. See. L. T. No. 1644/68]

(c) Some of the more important steps taken to promote our tea exports are : (i) participation along with other producing countries and the local tea trade in Tea Councils, which have been organised to promote consumption of tea as a beverage in certain areas. (ii) undertaking promotional measures for Indian tea through the offices of the Tea Board in the U. K., West Europe, U. A. R., the U. S. A. and Australia, (iii) taking part in trade fairs and exhibitions abroad. (iv) organising sampling of Indian tea in prominent hotels and restaurants, holiday resorts, etc., on special occasions, (v) advertisements through appropriate media of publicity in countries abroad and (vi) promotion of special packs containing pure Indian tea, with the cooperation of the local blonders and packers in selected markets.

The introduction of a uniform ad-valorem rate of export duty in February 1968 and the concessions extended in the Budget for 1968-69 in income tax assessment in respect of expenditure incurred on advertisement and publicity are also expected to help in promoting exports of tea.

Railway Protection Committee

2940. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Railway Protection Committee was set-up under the Chairmanship of Shri Shanti Lal;

(b) if so, the number of its members;

(c) the names of places visited by the Committee; and

(d) the details of its report ?

The Minister of Railways (Shri C. M, Poonacha) : (a) No Railways Protection Committee was set up under the Chairmanship of Shri Shanti Lal. However, a Committee named as 'High Powered Committee on Security & Policing of Railways' was set up under the Chairmanship of Dr. Ram Subhag Singh, the then Minister of State for Railways. After his appointment as Minister for Parliamentary Affairs and Communication, Shri Shantilal H. Shah, M. P. was appointed Chairman of this Committee.

(b) The Committee consists of 12 Members including the Chairman and Secretary Member.

(c)

1. Calcutta.	2. Bhubneshwar.	3. Cuttack.
4. Delhi.	5. Jaipur.	6. Madras.
7. Hyderabad.	8. Secunderabad.	9. Bhopal.
10. Chandigarh.	11. Ahmedabad.	12. Bombay.
13. Lucknow.	14. Gorakhpur.	15. Kanpur.
16. Shillong.	17. Gauhati.	18. Mariani.
19. Lumding.	20. Patna.	21. Bangalore.
22. Trivandrum.	23. Madurai.	24. Tiruchchirappalli
25. Nainital.	26. Simla.	

(d) The Committee has not yet submitted its report.

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन

2941. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग के चेयरमैन ने यह बताया है कि कारपोरेशन पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) रूस की सहायता प्राप्त 200 करोड़ रुपये की परियोजना को राष्ट्र के लाभ में चलाने के लिए नये चेयरमैन का विचार क्या उपचारी उपाय करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जिस वक्तव्य के ब्यौरे का उल्लेख किया गया है वह हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा दिया गया है और वह किस संदर्भ में दिया गया था उसका पता लगाया जा रहा है । जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

भारत का निर्यात-व्यापार

2942. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के शेष महीनों में निर्यात की संभावनाएं क्या हैं; और

(ख) गत वर्ष की इसी अवधि में हुए निर्यात के आंकड़ों की तुलना में इन सम्भावित आंकड़ों की स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) चालू पंचांग वर्ष के जनवरी–मई में 507.4 करोड़ रुपये का पुनर्निर्यात सहित निर्यात हुआ जो 1967 के इन्हीं महीनों की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक था । यद्यपि वर्ष के शेष महीनों में भावी निर्यात और गत वर्ष की उसी अवधि के निर्यात की ठीक-ठीक तुलना सम्भव नहीं है तथापि लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि वर्ष 1968 के प्रथम पांच महीनों में निर्यातों में जो वृद्धि का रुख दिखाई दिया वह बना रहेगा और 1968 में निर्यात, 1967 की अपेक्षा काफी अधिक होगा ।

विदेशियों के नियन्त्रणाधीन कम्पनियों में भारतीय कर्मचारी

2943. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशियों के नियन्त्रणाधीन कम्पनियों में इस समय कितने प्रतिशत भारतीय कर्मचारी हैं;

(ख) वर्ष 1965 तथा 1966 की तुलना में यह प्रतिशतता कितनी कम या अधिक है; और

(ग) इन कम्पनियों में कितने भारतीय प्रतिमास 2,500 रुपये अथवा उससे अधिक वेतन पा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1965,66 और 1967 को विदेशी स्वामित्व / नियंत्रित कम्पनियों में 1,000 रु० और उससे अधिक वेतन पाने वाले काम में लगे भारतीयों की स्थिति निम्न प्रकार थी :

वर्ष	भारतीयों का प्रतिशत
1965	84.4
1966	87.3
1967	90.5

(ग) विदेशी स्वामित्व/नियंत्रित कम्पनियों में काम में लगे भारतीयों के तीन वेतन वर्गों की संख्या जिनकी सूचना एकत्र कर ली गई थी, नीचे दी गई है।

वेतन वर्ग		काम में लगे भारतीयों की संख्या (1 जनवरी, 1967 को)
(1)	2,001 रु० -- 3,000 रु०	3,907
(2)	3,001 रु० – 5,000 रु०	1,873
(3)	5,000 रु० से ऊपर	371

भारतीय उद्योगों में विदेशी सहयोग

2944. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में भारतीय उद्योगों में विदेशी कम्पनियों का सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ विशेष मार्ग-दर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) भारतीय उद्योगों में विदेशी सहयोग के लिए विशेष मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

सांपों का निर्यात

2945. श्री शिवचन्द्र झा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत विदेशों को सांपों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष देशवार कुल कितनी संख्या में सांपों का निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) सांपों का निर्यात, निर्यात नियंत्रण आदेश, 1968 के अन्तर्गत नियंत्रित नहीं है और न भारतीय व्यापार विशिष्टियों में इनका अलग से वर्गीकरण ही किया गया है । अतः सरकार को इसकी जानकारी नहीं है ।

Survey of Bihar

2946. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the Geological Survey of India have drawn up any scheme to conduct the survey of North Bihar; and

(b) if so, when this survey is proposed to be started and the names of the Districts in which it is to be conducted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) & (b) The groundwater investigations by the Geological Survey of India are in progress for the last several years in parts of North Bihar.

इस्पात की चादरों तथा नालियों की बिक्री

2947. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच वर्ष पहले रूरकेला इस्पात कारखाने ने कलकत्ता की एक फर्म को इस्पात की चादरें तथा नालियां बेची थीं, और बाद में उसी माल को बरौनी तेलशोधन कारखाने तथा इसी तरह की अन्य सरकारी संस्थाओं ने खरीद लिया था; और

(ख) यदि हां, तो किस दर पर वह माल बेचा गया था और किस दर पर बाद में खरीदा गया और दो सरकारी उपक्रमों के बीच हुए सौदों में कलकत्ता की फर्म को मुनाफा कमाने दिये जाने के क्या कारण थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) मई 1967 तक इस्पात की चादरों की बिक्री पर और उनके वितरण पर लोहा और इस्पात नियंत्रक का नियंत्रण था । उसके आदेश पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड सारे भारत की फर्मों (कलकत्ता की फर्में भी शामिल है) को चादरें सप्लाई करते थे । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को इस बात की जानकारी नहीं है कि आया इनमें से कोई फर्म किसी सरकारी संस्थान को ये चादरें आगे बेचती थी ।

1962 में कलकत्ता की एक फर्म का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला के साथ वाणिज्यक किस्म के 8–8 8–5/8 इंच व्यास के नलों की सप्लाई के लिए एक स्थाई करार था। बाद में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को पता चला कि 1963 के अंतक में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस फर्म से 452 टन के लगभग ऐसे नल खरीदे।

(ख) जब नलों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन ने टेण्डर मांगे तो इस फर्म ने 1160 रुपये प्रति टन का भाव दिया जबकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का भाव 1175 रुपये प्रति टन था।

कम्पनियों को लाइसेंसों का दिया जाना

2948. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कम्पनियां कितनी हैं जिन्हें पिछले छः वर्षों में लाइसेंस दिये गये थे, परन्तु उन कम्पनियों द्वारा उनका उपयोग न करने के कारण उनकी अवधि समाप्त हो गई;

(ख) उक्त अवधि में उनमें से कितने लाइसेंसों की अवधि बढ़ाई गई या उनको पुनः जारी किया गया; और

(ग) उक्त अवधि में लाइसेंसों के पुनः जारी करने के कितने मामले मंत्रिमंडल की आर्थिक विषयों सम्बन्धी समिति को अथवा मंत्रिमंडल को भेजें गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कीमती पत्थरों का आयात

2949. **श्री को० सूर्यनारायण :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के हीरे और पन्ना जैसे किमती पत्थरों का आयात किया गया है; और

(ख) आयातित कीमती पत्थरों का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1648/68]

[ख) तराशने, पालिश करने तथा परिष्कृत करने के बाद निर्यात करने के लिए रत्नों तथा आभूषणों का उत्पादन करने वाले वास्तविक उपभोक्ताओं को कीमती पत्थरों का आयात करने की अनुमति दी जाती है।

उद्योगों में बेकार क्षमता

2950. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के प्रथम छः महीनों में विभिन्न उद्योगों में सामान्यतः और इंजीनियरी, सीमेंट और कपड़ा उद्योग में विशेषतः कितनी क्षमता बेकार पड़ी थी;

(ख) इस वर्ष में भी इतनी क्षमता के बेकार रहने के क्या कारण थे; और

(ग) इसे कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना में चाय का उत्पादन तथा निर्यात

2951. श्री हिम्मतसिंहका : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये चाय के उत्पादन तथा निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये कितने एकड़ अतिरिक्त भूमि पर चाय की खेती करने का विचार है; और

(ग) इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अपनाई जाने वाली योजनाओं तथा उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि को पुनः चरणबद्ध किया गया है जिससे वह 1969–70 से आरम्भ होगी। चाय बागानों के विकास के लिये प्रस्ताव, जिनमें चाय के उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्य पुनः रोपण का परिमाण और अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अपेक्षित नव रोपण भी शामिल हैं, और वे विकास योजनाएं जिन पर इस अवधि में कार्यान्वित करने के लिये विचार किया जा सकता है चाय बोर्ड द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

अल्मोनियम की उत्पादन लागत

2953. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश में अल्मोनियम की उत्पादन लागत विश्व बाजार में इसकी कीमतों की अपेक्षा लगभग 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक प्रति टन अधिक है;

(ख) यदि हां, तो भारत में तुलनात्मक रूप से इसकी उत्पादन लागत अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(ग) विशेष कार्यवाही क्या की गई है तथा क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं; जिनसे भारतीय अल्मोनियम विश्व बाजार में इसके अन्य निर्यात कर्ताओं के अल्मोनियम के साथ प्रतियोगिता कर सके ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) अल्मोनियम उत्पादकों के, जो सब गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, वर्तमान उत्पादन लागत के संक्षिप्त आंकड़े, उपलब्ध नहीं है, जिनके द्वारा देश में, अल्यूमिनियम की उत्पादन लागत का विश्व में इसकी कीमतों से तुलना की जा सके ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारत अब तक ऐल्यूमिनियम का आयात करता रहा है और इसका निर्यात करने का अब तक प्रश्न नहीं उठा है । इस बारे में स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है और जब भी आवश्यक होगा सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही करेगी ।

भारत यूगोस्लाविया आर्थिक सहयोग

2954. श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत और यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में जुलाई, 1968 में एक राजलेख (प्रोटोकोल) पर हस्ताक्षर हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) तथा (ख) : बेलग्रेड में 29 जून से 2 जुलाई, 1968 तक हुई वार्ता की समाप्ति पर "बेलग्रेड में 29 जून से 2 जुलाई, 1968 तक भारत यूगोस्लाविया व्यापार तथा आर्थिक आयोग के द्वितीय सत्र के दौरान हुई वार्ता का समस्त सारांश" नामक दस्तावेज पर 2 जुलाई, 1968 को हस्ताक्षर हुए । दस्तावेज की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

रेलवे का भाड़ा ढांचा

2955. श्री य० अ० प्रसाद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के भाड़ा ढांचे का रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो अध्ययन किया जा रहा था वह पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उप-पत्तियां क्या हैं; और

(ग) क्या इनके परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

त्रिपुरा में मध्यम तथा लघु उद्योग

2956. श्री कीर्ति विक्रम देव बर्मन : क्या औद्योगिक, विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में त्रिपुरा में मध्यम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्योगों के लिये त्रिपुरा सरकार ने योजना में कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कुशल तथा अकुशल कर्मचारियों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये, रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर प्राप्त होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना फिलहाल तैयार की जा रही है और त्रिपुरा राज्य में स्थापित किये जाने वाले मध्यम और लघु उद्योगों का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय इन पर त्रिपुरा प्रशासन से परामर्श करके अन्तिम निर्णय किया जायगा।

यूगोस्लाविया को भारतीय प्रतिनिधि मंडल

2957. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में भारत से एक व्यापार प्रतिनिधि मण्डल यूगोस्लाविया गया था;

(ख) क्या उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये कई सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और क्या उन्हें स्वीकार कर लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां। अप्रेल, 1968 में भारतीय वाणिज्य मण्डल, कलकत्ता द्वारा प्रायोजित भारतीय यूगोस्लाव व्यापार दल यूगोस्लाविया गया था।

(ख) तथा (ग) भारतीय व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल ने यह अनुभव किया कि भारतीय वस्तुओं की बिक्री के लिये भारतीय तथा यूगोस्लाविया के व्यापारियों के बीच और अधिक सम्पर्क स्थापित किये जाने चाहिएं। प्रतिनिधि मण्डल को यह पता चला कि यूगोस्लाविया में हाल में उदार आयात नीति के शुरू किये जाने के कारण परम्परागत तथा अपरम्परागत दोनों प्रकार की वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। यूगोस्लाविया की सरकार ने, ऊंचे जहाजी भाड़े के कारण भारतीय निर्यातकों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को समझा और इस प्रश्न पर विचार करके भाड़े के सम्बन्ध में कुछ उपदान देने का आश्वासन दिया। अन्ततः भारतीय प्रतिनिधि मण्डल यूगोस्लाविया सरकार के साथ निम्नोक्त विषयों पर मिल जुल कर कार्य करने के लिये सहमत हो गया :

(1) व्यापार तथा औद्योगिक सहयोग को अधिक बढ़ाने के लिये नये क्षेत्रों का पता लगाने के लिये उन देशों में सर्वेक्षण करना;

(2) मुख्य उद्देश्यों से सम्बन्धित विशिष्ट कार्यों को करने के लिये यथावश्यक तदर्थ समितियां स्थापित करना;

(3) दोनों देशों में आर्थिक विकास की प्रवृतियों तथा सम्भावनओं के बारे में जानकारी का प्रचार करना;

(4) भारतीय-यूगोस्लाव आर्थिक सहकारिता को प्रोत्साहन तथा अधिक ध्यान देने के लिये औद्योगिक संस्थानों तथा बैंकों में अधिक रुचि उत्पन्न करना;

(5) भारतीय-यूगोस्लाव मामलों के सम्बन्ध में दोनों देशों द्वारा व्यापार तथा उद्योगों में अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में सम्बन्धित सरकारों को अभ्यावेदन भेजना;

(6) त्रिपक्षीय करार के अन्तर्गत की गई प्रगति की समीक्षा करना तथा इसकी उचित क्रियान्विति के लिये उपयुक्त कार्यवाही करना;

(7) दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तथा जानकारी का आदान-प्रदान करना; तथा

(8) ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन, जिनके फलस्वरूप भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक सम्बन्धों को अधिक घनिष्ट बनाने में प्रभावी योग मिल सकें।

उत्तर रेलवे के रोपड़ तथा नंगल बान्ध सेक्शन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों को सुविधायें

2958. श्री रामचरण : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल बांध सेक्शन के बारे में दिसम्बर, 1968 को समाप्त होने वाले पंजाब सरकार के साथ करार के बावजूद रेलवे बोर्ड ने यात्रियों तथा कर्मचारियों की सुविधाओं सम्बन्धी कुछ कार्य न करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने उक्त लाइन अपने हाथ में लेने पर एक विशेष मामले के रूप में यह सुविधायें देने का कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

Complaints Against Inspector of Works, Jagadhari Railway Workshop

2959. Shri Ram Charan : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that complaints have been received against the Inspector of Works, Jagadhari Railway Workshop regarding his corrupt practices and, if so, the number of complaints received:

(b) the number of commplaints that have been enquired into and the number of those which are yet to be looked into;

(c) whether it is also a fact that the I. O. W. has terminated the services of a Railway employee for his having lodged a complaint regarding some corrupt practices prevailing there; and

(d) if so, the action taken by Goverrment in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : Yes. Three complaints were received against the I. O. W., Jagadhari Railway Workshop.

(b) Two of these complaints have been investigated and the allegations contained therein have not been substantiated. The third complaint is under investigation.

(c) No such case of termination of service has come to notice.

(c) Does not arise.

लघु उद्योगों की स्थापना

2960. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्यम आय वर्ग के लोग, जिनके पास थोड़ी पूंजी है, अपेक्षित पूंजी न होने, बाजार की अनिश्चितता और एकाधिपतियों द्वारा घोर प्रतिस्पर्धा की जाने के कारण, लघु उद्योगों में पूंजी लगाने या लघु उद्योग आरम्भ करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) क्या व्यक्तियों को और विशेष रूप से सहकारी समितियों को ऋण के रूप में पूंजी देने, विपणन सम्बन्धी सुविधाएं देने और एकाधिपतियों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देने के लिये कोई व्यवस्था या संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) विकास आयुक्त, लघु उद्योग ने लघु उद्योगों के लिये अनेक ऐसी योजनाएं तैयार की है जो मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा थोड़ी पूंजी से चलाई जा सकती है ।

(ख) और (ग) सरकार ने लघु उद्योगों को अल्प और दीर्घ कालिक पूंजी के लिये ऋण की व्यवस्था करने और उनके उत्पादों आदि की विपणन व्यवस्था में सहायता करने के अनेक उपाय किये हैं । लघु एकक इस समय निम्नलिखित वित्तीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार है:—

(1) राज्य सरकारों से उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ।

(2) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा कुछ राज्य लघु उद्योग निगमों से–किराया–खरीद के आधार पर मशीनें खरीदने के लिये ।

(3) कार्यवाहक पूंजी, मध्यम अवधि के ऋणों और किश्तों पर ऋण के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया से ।

(4) वाणिज्यिक बैंकों।

(5) राज्य वित्तीय निगमों।

इनके साथ-साथ स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने लघु उद्योग स्थापित करने के लिये योग्यता प्राप्त इंजीनियरों और तकनीशियनों को वित्तीय सहायता देने के लिये हाल ही में एक योजना चलाई है। विकास आयुक्त, लघु उद्योग संगठन बहुत मामूली खर्च पर लघु औद्योगिक एककों की ओर से बाजार का सर्वेक्षण करवा कर उनकी सहायता करता है। इस प्रकार के अध्ययन का प्रयोजन निर्माताओं को जो वस्तुएं वो बना रहे हैं उनकी कितनी गुंजाइश है इससे अवगत कराना और इन उत्पादनों को बेचने में उन्हें कितनी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा तथा उनकी बिक्री बढ़ाने में उन्हें क्या करना होगा इस का मार्ग-दर्शन कराना है।

अनेक वस्तुएं केवल लघु क्षेत्र द्वारा ही विकास करने के लिये रक्षित कर दी गई हैं जिससे बड़े क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को दूर किया जा सके।

समस्तीपुर से दरभंगा तक बड़ी लाइन

2961. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी लाइन को समस्तीपुर से दरभंगा तक बढ़ाने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता की जांच करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों तथा व्यक्ति विशेषों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग से इस मामले की जांच करने का है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) समस्तीपुर-दरभंगा खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर एक दीर्घकालिक योजना के परिप्रेक्ष में विचार किया जा रहा है। इस परियोजना की व्यावहारिकता और अर्थ-क्षमता का पता लगाने के लिए चौथी योजना की अवधि में जांच-पड़ताल शुरू होने की संभावना है। ऐसी जांच पड़ताल करते समय इस विषय से सम्बन्धित उपयोगी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों से निकाला गया कोक-कर कोयला

2962. श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों से निकाला गया कोककर कोयला विकासशील इस्पात मिलों, भारी इंजीनियरी तथा अन्य मूल उद्योगों की आवश्यकताओं को न तो इस समय पूरा करने की स्थिति में है और न ही भविष्य में पूरा कर सकेगा;

(ख) क्या कोककर कोयला निकालने वाली गैर-सरकारी कोयला खाने अनुचित मूल्य वसूल करती हैं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से मनमाना मूल्य वसूल करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार प्रमुख कोककर कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इनके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

National Coal Development Corporation

2963. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to refer to pages 91 to 96 of the profit and Loss Account of the "Annual Statement and Accounts for 1966-67 of the National Coal Development Corporation" (Hindi Edition) and state:

(a) whether there is any ratio between the expenditure on salaries and wages etc. and the production of coal and if so, the details thereof;

(b) whether salary is included in the administrative expenditure; if not, the heads of expenditure included, therein;

(c) the ratio, if any, between the administrative expenditure and coal production;

(d) the ratio, if any, between the stores, repairs, capacity and fuel on the one hand and coal production on the other; and

(e) the ratio, if any, between the expenditure on "Welfare and other facilities" and that on "Salaries, wages etc." ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines & Metals (Shri Ram Sewak):(a) to (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

National Coal Development Corporation

2964. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state:

(a) whether in the case of coal mines of the National Coal Development Corporation, two mines out of three in Orissa, three out of six in Madhya Pradesh, five out of seven in Kanpur, three out of five in Bokaro and both the mines in Giridih are running at a loss and thus the Corporation has, in the year 1966-67 suffered a total loss of Rs. 1.43 crores, including the expenditure on security of the closed and suspended mines; and

(b) if so, the measures taken so far to reduce this loss and the future schemes in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines, and Metals (Shri Ram Sewak)(a): Yes, Sir.

(b) Steps are being taken to increase sales and production and reduce costs where feasible. An Enquiry Committee under the Chairmanship of Shri G. R. Kamat had been constituted to review the working of the N. C. D. C. This Committee will identify and assess difficulties and ascertain the causes therefor in respect of the various spheres of NCDC's activities. The Committee will also indicate what remedial action can be taken. Further steps will be taken after the committee submits its final report.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोरबा साझेदारी योजना

2965. श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोरबा साझेदारी योजना में वर्ष 1965-66 में 14.19 लाख रु० का लाभ हुआ परन्तु वर्ष 1966-67 में कोयले की बिक्री में वृद्धि होने के बावजूद 24.44 लाख रुपये का घाटा हुआ; और

(ख) यदि हां, तो इस घाटे के मुख्य कारण क्या थे तथा घाटा न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Issue of Licences to Factories in Delhi

2966. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Industrial, Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation and its officials are showing carelessness and committing irregularities in issuing licences to factories running within Delhi with the result that many factory owners are facing hardships;

(b) whether Government have received any memorandum in this connection; and

(c) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhrudeen Ali Ahmed) (a) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

(b) and (c) No such memorandum has been received in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs.

Crossing Near Jivajiganj Station

2967. Shri Shashi Bhushan : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum from the Agriculture Produce Market Committee Lashkar Mandal, Gwalior in regard to the difficulties being experienced by the traders and retail dealers in crossing the Railway line as a result of the shifting of the grain market of the city to a place near Jivajiganj Railway Station on the narrow gauge line;

(b) whether Government are aware that in view of the difficulties experienced due to single track at the place where the trucks "thelas" and bullock-carts have to cross the line, the said Committee had addressed communications to higher officers asking them to remove the difficulty by providing a supporting line of ten to fifteen feet but no action has so far been taken in this regard; and

(c) Government's reaction in regard to the decline of trade in Jhansi Division as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The Agricultural Product Market Committee Lashkar Mandal, Gwalior has asked for opening of a new level crossing between kilometres 1230/6-10 near Jivajiganj Station, although there already exist three level erossings between Kms. 1230/6 to 123010. Opening of one more level crossing, as asked for, within such a short distance is not considered necessary.

(c) The traffic from the Mandi would continue to come to Gwalior Broad Gauge Station for booking to Broad Gauge destinations even after the site of the Mandi is shifted near Jivajiganj Railway Station.

Documentaries

2968. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of documentaries produced in colour and black and white separately in the year 1967-68 with a view to promote export; and

(b) the total cost on their production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Only two documentary films in colour were produced. No black and white documentaries were produced, for export promotion.

(b) Total cost incurred was Rs. 47,416.62.

पश्चिम रेलवे में स्वतः वादित घंटिया

2969. श्री रा० की० श्रमीन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे में राजकोट-जेतलाना रोड़ पर स्वतः वादित घंटियों का नया प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या सब महत्वपूर्ण रेलवे फाटकों पर ऐसे प्रबन्ध करने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पश्चिम रेलवे के राजकोट-जेतलसर खण्ड पर राजकोट और भक्तिनगर के बीच समपार नं० 7 पर स्वयं बजने वाली चेतावनी घण्टी और फ्लेशिंग रोशनी की व्यवस्था की गई है।

(ख) यह युक्ति संतोषजनक काम दे रही है। राज्य सरकार के परामर्श से इसकी व्यवस्था बिना चौकीदार वाले कुछ-चुने हुए समपारों पर उत्तरोत्तर की जायेगी जिसका प्रारम्भिक खर्च राज्य सरकार और आवृती खर्च रेलों द्वारा वहन किया जायेगा।

इस्पात का मूल्य

2970. श्री रा० की० श्रमीन : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के विदेशी और अन्तर्देशीय मूल्य में भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां तो इनके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) भारत में इस्पात के मूल्य दूसरे देशों में इस्पात के मूल्यों के प्रायः समकक्ष है और इनमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं हैं। भारतीय मूल्यों में उत्पादन शुल्क, समीकृत भाड़े का तत्व आदि कई तत्व शामिल है। यदि इन्हें निकाल दिया जाये तो भारत में कई वर्गों के मूल्य दूसरे देशों के तत्सम्बन्धी मूल्यों की तुलना में कम बैठेंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोरबा स्थित एलुमिनियम संयंत्र

2971. श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी सहायता प्राप्त कोरबा एलुमिनियम संयंत्र को चालू करने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है, क्योंकि रूसी अधिकारी संयंत्र पर पूर्ण रूसी नियंत्रण पर बल दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों के कब तक दूर होने की संभावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूसी सहायता प्राप्त इलाहाबाद सम्पीडित्र संयंत्र

2972. श्री यशपाल सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी सहायता प्राप्त इलाहाबाद सम्पीड़ित्र संयंत्र की क्रियान्विति में कुछ कठिनाई अनुभव की जा रही है, क्योंकि रूसी अधिकारी संयंत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए आग्रह कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां कब तक दूर हो जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का निर्यात

2973. श्री यशपाल सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या लघु उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) लघु उद्योगों के निर्यात में वृद्धि के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है ;

(1) राज्य व्यापार निगम 'लघु उद्योगों के लिए निर्यात सहायता' नामक एक योजना चला रहा है । इस योजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनमें अन्य बातों के साथ साथ ये भी शामिल हैं ; लदान के पश्चात वित्तीय सहायता, लदानपूर्व निर्यात वित्तपोषण, निर्यात प्रलेखों के बारे में सहायता, निर्यात विपणन में प्रशिक्षण, माल को पोत द्वारा रवाना करने में सहायता, समुद्री बीमे की अनुकूल प्रीमियम दरें प्राप्त करने, पैकिंग आदि में सहायता ।

(2) लघु उद्योगों के क्षेत्र से निर्यात की समस्याओं का अध्ययन करने और निर्यात बढ़ाने के लिये मार्गोपायों का सुझाव देने के लिए औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय के अधीन लघु उद्योग बोर्ड ने निर्यात सम्बर्धन सम्बन्धी स्थायी समिति गठित की है । इस समिति की अब तक दो बैठकें हुई है ।

(3) आयातित मशीनें, नकद सहायता आदि सम्बन्धी वे सब प्रोत्साहक जो अन्य निर्माता-निर्यातकों को उपलब्ध हैं; लघु उद्योग के निर्यातक कारखानों को भी उपलब्ध हैं ।

(4) छोटे व्यापारी-निर्यातकों के सम्बन्ध में जिनकी नियमित बिक्री 2 लाख रुपये तक है, निर्यात ऋण तथा गारन्टी निगम ने अपनी पैकिंग ऋण गारंटी योजना के अधीन क्षतिपूर्ति को 90 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है जब कि वे मामले में यह 66·2/3 प्रतिशत है । निर्यात में लगे औद्योगिक संस्थाओं को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की उद्योगों के लिये ऋण गारन्टी योजना के अधीन वाणि बैंकों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त है । नियमित क्रयादेशों को पूरा करने अथवा अपनी निर्यात हुण्डियां सिकारने हेतु इस योजना के अन्तर्गत पैकिंग ऋण प्राप्त के लिये ऋण सुविधाएं उपलब्ध है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का उत्पादन

2974. श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों से कोयले के उत्पादन में मई, 1968 के महीने में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में यह कमी कितनी है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय के उपमन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आयातित स्टैनलैस स्टील तथा उससे बने बर्तनों आदि के दाम

2975. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित स्टेनलैस स्टील और उससे बने बर्तनों तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भारी अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ख) मूल्यों में इस असमानता को दूर करने तथा इन वस्तुओं में हो रही चोर बाजारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के लिये भूमिगत तथा उपरि मोनो प्रणाली

2976. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिद्धान्त रूप से इस बात पर सहमत हो गई है कि अब दिल्ली में शीघ्र ही भूमिगत रेलवे का निर्माण किया जाना चाहिये ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय इन्जीनियरों को सुरंग बनाने के तरीकों का काफी अनुभव है और बड़े पैमाने पर विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी ;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली में जमीन के ऊपर चलने वाली रेलवे प्रणाली के वित्तीय पहलुओं पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली के लिये भूमिगत रेलवे व्यवस्था की तुलना में जमीन के ऊपर चलने वाली रेल व्यवस्था अधिक उपयोगी सिद्ध होगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) (ग) और (घ) भारत के महानगरों, अर्थात कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में परिवहन की समस्याओं की जांच करने के लिए योजना आयोग के तत्वाधान में एक महानगर परिवहन अध्ययन दल बनाया गया है। यह अध्ययन दल द्रुत परिवहन प्रणालियों (भूगत रेलें/मोनो रेल आदि) से संबन्धित

प्रस्तावों की जांच कर रहा है और विदेशी सहयोग की आवश्यकता के बारे में निश्चित करना इस दल पर निर्भर है। योजना आयोग रेलों से जो सहायता चाहेगा उसे दी जायेगी।

विमानों की खरीद

2977. श्री म० ला० सोंधी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विमान जैसी मदों की खरीद के लिये विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में भुगतान की सुविधा पर सर्वप्रथम विचार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नवीनतम टैक्नौलॉजी वाले उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के प्रश्न को ध्यान में रखा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है। सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखने के बाद ही विनिश्चत किया जायेगा।

विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारी

2978. श्री म० ला० सोंधी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती तथा पदोन्नति के मामले में भारतीय कर्मचारियों के प्रति कुछ विदेशी फर्मों द्वारा अपनाये गये भेद-भाव पूर्ण रवैये के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) इन मामलों में विदेशी फर्मों को सरकार द्वारा जारी किये गये वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ; और

(ग) क्या इस शिकायत को दूर करने तथा विदेशी फर्मों और उनके भारतीय कार्यकारी कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने के लिए सरकार का विचार एक उच्चस्तरीय जांच कराने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारत में किसी विशिष्ट विदेशी फर्म के विरुद्ध इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) सरकार द्वारा विदेशी फर्मों के लिए अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों आदि के बारे में कोई विशिष्ट मार्गदर्शक नियम निर्धारित नही किए गये हैं। फिर भी, विदेशी फर्मों में 'भारतीयकरण' को बढ़ावा देने के लिए 1960 में कुछ मुख्य मुख्य सिद्धान्त और लक्ष्य निर्धारित किए गए जिनका पालन विदेशी फर्मों को करना था।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उड़ीसा में रेलवे लाइनें

2979. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में चौथी योजना की अवधि में नई रेलवे लाइनों के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में बनायी जाने वाली नयी लाइनों के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। चौथी योजना में उड़ीसा में कटक से पारादीप तक अभी केवल एक नयी लाइन के निर्माण का काम शुरू किया गया है। फिलहाल चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में कोई और नयी लाइन बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक बस्तियों के लिए शेडों का आवंटन

2980. श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक बस्तियों के लिए बनाये गये बहुत से शेड न तो अलाट किये गये हैं और न ही उनका पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है जिससे देश को बहुत हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनका उपयोग वहां के लिए क्या उपचारी कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) ऐसे शेडों की संख्या कितनी है तथा वे कहां कहां पर हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक बस्तियों में बनाए गए शेडों में से कुछ अभी आवन्टित नहीं किए गये हैं या उनका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं हो सका है।

(ख) शेडों के अप्रयुक्त रहने का मुख्य कारण उनका खराब स्थान पर लगाया जाना तथा उद्यमियों का अभाव है। कुछ औद्योगिक बस्तियों में आवश्यक सुविधाएं जैसे बिजली तथा पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ औद्योगिक बस्तियों में किराया भी तुलनात्मक रूप से अधिक है।

औद्योगिक बस्तियों के कार्यक्रम का संसद की प्राकल्लन समिति द्वारा पुनरीक्षण किया गया है और उसकी सिफारिशें राज्य सरकारों की जानकारी में लाई गई है क्योंकि औद्योगिक बस्तियों की स्थापना तथा उन्हें बनाये रखना उनका उत्तरदायित्व है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे औद्योगिक बस्तियों के कार्य-कलापों का पुनरीक्षण करें और उन औद्योगिक बस्तियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दे जिनके पनपने की सम्भावनाएं हों और जो ठीक प्रकार से कार्य न कर रही हों।

(ग) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है; वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे में स्टेनोग्राफर

2982. श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेनोग्राफरों को रेलवे के विभिन्न जोनों में रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार नहीं भेजा जाता है जिसके परिणामस्वरूप उनमें बहुत असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित उसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध की जा रही भेदभावपूर्ण कार्यवाही को रोकने के लिये रेलवे जोनों तथा उनके डिविजनों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टेनोग्राफरों का काम इस प्रकार का होता है कि यदि उनकी कोई शिकायतें हों तो उनकी कड़ाई से जांच की जानी चाहिये तथा उनको दूर किया जाना चाहिए ;

(घ) यदि हां, तो क्या आवास सुधरे हुए वेतनमानों प्रशासनिक पदों आदि पर पदोन्नति के अवसरों के बारे में विशेषज्ञ आयोग द्वारा जांच कराने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : जी नहीं, लेकिन उत्तर रेलवे में रेलवे बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करने में बिलम्ब हुआ है ।

(ख) हालांकि अधिकतर मामलों में ग्रेड बढ़ाया जा चुका है, फिर भी कुछ ऐसे मामले देखने में आये हैं जहां 130—300 रुपये के निम्न ग्रेड के स्टेनोग्राफर वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं । इस त्रुटि को दूर करने के लिए उत्तर रेल प्रशासन द्वारा ऊंचे ग्रेड के पत्रों की मंजूरी देने से सम्बन्धित कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) स्टेनोग्राफरों का काम असाधारण किस्म का नहीं है । सभी कर्मचारियों की शिकायतों की ध्यानपूर्वक जांच करना और उन्हें दूर करना, यह प्रशासन की नीति है ।

(घ) स्टेनोग्राफरों की शिकायतों के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के किसी आयोग की नियुक्ति करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ङ) विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों के वेतन-मानों, पदोन्नति सरणियों आदि के सम्बन्ध में लगातार विचार किया जाता है और वर्तमान वेतनमान दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं । स्टेनोग्राफरों को अपनी लाइन में और कल्याण निरीक्षणालय के सामान्य पदों तथा श्रेणी II सेवा में सहायक कार्मिक अधिकारियों के रूप में पदोन्नति के लिए पर्याप्त सरणियां उपलब्ध हैं । जहां तक उनके आवास का संबंध है, उन्हें अपने 'सारभूत' अथवा 'असारभूत' वर्गीकरण के अनुसार अन्य कर्मचारियों के साथ बारी आने पर मकान दिया जाता है ।

क्षेत्रीय रेलों में, वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वेतन-मान वाले अधिकारी

2983. श्री गार्डिलिगन गौड : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में खण्डवार वरिष्ठ तथा कनिष्ठ वेतनमान पाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी कितनी है ;

(ख) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में खन्डवार कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वेतनमान पाने वाले स्टेनोग्राफरों की संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में खण्डवार काम करने वाले वरिष्ठ वेतनमान वाले ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें वरिष्ठ वेतनमान वाले स्टेनोग्राफर नहीं दिये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क), (ख) और (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयात के मामले के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2984. श्री गार्डिलिगन गौड : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वस्तुओं के आयात में गड़बड़ी से सम्बन्धित मामलों के बारे में जांच करने के लिये 31 अप्रैल, 1968 तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास कितने मामले दर्ज किये गये ; और

(ख) ये मामले किन-किन वस्तुओं के बारे में है और जांच सम्भवतः कब तक पूरी हो जायेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1–1–1964 से 30–4–1968 तक की अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच के लिये आयात तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से सम्बन्धित 352 मामले दर्ज किये ।

(ख) वे मामले इन वस्तओं के बारे में थे ; संश्लिष्ट धागा, गंधक, कृत्रिम रेशम धागा, रसायन, बेदाग इस्पात, एम० एस० चादरें, एच० बी० तार, औजार तथा मिश्र इस्पात, एम० एस० तार छड़े, जी० आई० तार, मोटर गाड़ी के पुर्जे, बी० बी० सैल, घड़ी के पुर्जे तथा औषधियां आदि ।

57 को छोड़ कर सभी मामलों की जांच 30 अप्रैल, 1968 तक पूरी हो गई । विचाराधीन मामलों की जांच पूरी होने में सम्भवतः कुछ समय लगेगा ।

गढ़ी हुई वस्तुओं तथा ढली हुई वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस

2985. श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'अनुपलब्धता प्रमाणपत्र, के आधार पर गढ़ी हुई वस्तुओं तथा ढली हुई वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस प्राप्त किये जा सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार ने 'अनुपलब्धता प्रमाण पत्रों' के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई यत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) इन वस्तुओं के बारे में आयात नीति यह है कि 50,000 रु० तक के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं के आयात के लाइसेन्स नियन्त्रित आधार पर दिये जाते है और 50,000 रु० से अधिक की आवश्यकता होने पर आवेदकों को अपनी आवश्यकता का विज्ञापन इण्डियन ट्रेड जर्नल में देना पड़ता है और देश के सम्भरणकर्ताओं को अपना उत्तर विज्ञापनदाताओं को (तकनीकी विकास महानिदेशालय के उप निदेशक (समायोजना) को एक प्रति सहित) विज्ञापन दिये जाने के 45 दिनों के अन्दर भेजना होता है। आयात लाइसेंस की अनुमति देश में उपलब्ध न होने के मामले में ही दी जाती है।

(ख) और (ग) यदि अनुपलब्ध प्रमाणपत्र के दुरुपयोग का कोई उदाहरण सरकार की जानकारी में आता है तो उस पर निःसन्देह आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

कोचीन–दिल्ली डिब्बे में सोने का स्थान बुक करना

2986. श्री अदिचन : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से नई दिल्ली आने-जाने वालों की सोने के स्थान के लिये बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के लिए कुछ समय पहले शयन-कक्ष वाला कोचीन-नई दिल्ली डिब्बा शुरु किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर भारत आने वाले यात्रियों के लिये एरणाकुलम बड़ा बुकिंग स्टेशन है और उस स्टेशन के लिये केवल 11 स्थान निर्धारित किये गये हैं जबकि यात्रियों की संख्या 100 से अधिक होती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे कर्मचारी तथा कुछ यात्रा अभिकरण स्थिति का अनुचित लाभ उठा कर उपलब्ध स्थानों का एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें 15 रुपये प्रति स्थान अधिक लेकर पुनः बेचते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस दुराचार तथा जनता के शोषण को रोकने तथा उस स्टेशन पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां। कुछ समय पहले से कोचीन हार्बर टर्मिनस और नयी दिल्ली के बीच एक 3 टियर शयन यान चलाया गया है। यह यान दोनों दिशाओं में हफ्ते में 5 दिन चलता है।

(ख) जी हां. उत्तर भारत आनेवाले यात्रियों के लिए एर्णाकुलम इस क्षेत्र का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बुकिंग स्टेशन है, लेकिन कोचीन हार्बर टर्मिनस जहां से यह गाड़ी रवाना

होती है और कई दूसरे महत्वपूर्ण स्टेशन हैं जहां कोचीन-नयी दिल्ली शयन यान में स्थान आरक्षित करने की मांग की जाती है। ऐसे सभी स्टेशनों से बुक किये जाने वाले यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कोचीन-नयी दिल्ली बोगी में कई स्टेशनों के लिए आरक्षण का उपयुक्त कोटा नियत कर दिया गया है और सबसे अधिक, अर्थात 14 शायिकाओं का कोटा एर्णाकुलम के लिए नियत है; यद्यपि यहां से यह गाड़ी रवाना नहीं होती। समय समय पर इस बात की समीक्षा की जाती है कि नियत कोटे का किस हद तक उपयोग हो रहा है और विभिन्न स्टेशनों पर आरक्षण की मांगों को ध्यान में रखकर कोटे में आवश्यक समंजन किया जाता है। दक्षिण रेलवे से इस मामले में, तत्काल समीक्षा करने के लिये कहा जा रहा है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में एक शिकायत की जांच की जा रही है और जांच पूरी होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बीच आरक्षण कार्यालय और गाड़ी के डिब्बों में अक्सर अचानक जांच की जा रही है ताकि अनाचार के जो मामले सामने आये, उन पर कार्रवाई की जा सके।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा छपाई की मशीनों का निर्माण

2987. श्री स० अ० अगाड़ी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखानों में छपाई की मशीनों का निर्माण करने का प्रस्ताव समाप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या किन्हीं अन्य विदेशी निर्माताओं के साथ नये सिरे से कोई बातचीत चलाई जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुछ पार्टियों के साथ बात-चीत चल रही है।

Jamalpur Engine Repair Workshop

2988. Shri Lakhan Lal Kapoor : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quantum of repair work of steam engines has declined in Jamalpur Workshop due to dieselisation and electrification as a result of which workers are not being recruited for the past so many years;

(b) whether it is also a fact that Government propose either to effect lock-out in Jamalpur Workshop or to sell it to the Tata Company;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the reasons due to which Government do not intend to increase production of some other types of articles in such a large workshop ?

Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (d) The reducation of steam loco repair load in Jamalpur Workshop as a result of dieselisation and electrification has been of set by eliminating steam loco repair work from Kanchrapara Workshop and transferring the load to Jamalpur Workshop, and by undertaking a large number of new lines of production viz., steam and diesel cranes, petrol tank wagons, steel casting, machines for printing Department, electrically and hydraulically operated jacks, locomotive spares and duplicates to meet maintenance requirements of Railways, etc. Surplus staff became available in Jamalpur Workshop as a result of introduction of incentive scheme and there was therefore no fresh recruitment, but the surplus staff have been utilised for the new lines of production.

(b) No.

(c) Does not arise.

B. G. Line Between Hindumalkote and Sriganganagar

2989. Shri P.L. Barupal : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the time by which the work of laying broadgauge line between Hindumalkote and Sriganganagar which is in progress at present is likely to be completed;

(b) the reasons for which work could not be completed so far when it was assured by the former Railway Minister, Dr. Ram Subhag Singh, at the time of inauguration of work on this line that work would be completed by the 2nd October, 1967; and

(c) the definite date by which this work would be completed to avoid resentment among the residents of this area due to the non-completion of work in time ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Target date for completion of this project has not yet been fixed.

(b) The reason for the slow progress is the inability or delay of the State Govt. to keep to the commitment in regard to 'Shramdan' for earthwork and supply of skilled and unskilled labour for construction of station buildings, quarters and platforms etc. While the State Govt. have since completed the earthwork for the main aligonment and also deposited the amount for labour charges for buildings recently, they are yet to complete the earthwork in the Ganganagar Station yard. The assurance given by the Minister of State for Railways, Dr. Ram Subhag Singh at the inauguration on 2-10-65 to complete the rail link by 2-10-66 was also subject to the State Govt. completing the earthwork within about two months of the inaugural function.

(c) Does not arise in view of replies to parts (a) and (b) above.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बंगलौर कारखाने में हड़ताल

2990. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर की हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के मजदूर 17 जुलाई, 1968 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या है; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बंगलोर स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के बोरिंग अनुभाग के कर्मचारियों ने 12 जुलाई, 1968 को औजार छोड़ो हड़ताल की थी। तत्पश्चात हड़ताल अन्य विभागों में भी फैल गई और 17 जुलाई, 1968 तक 5,100 कर्मचारियों में से औजार छोड़ो हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1,700 हो गई। औजार छोड़ो हड़ताल के कारण कारखाने के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यद्यपि राज्य श्रम आयुक्त ने समझौते के लिए तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी किन्तु वह विफल रही। स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और कर्मचारियों की अनुशासनहीनता, जिसने निरिक्षकों तथा स्वामिभक्त कर्मचारियों को धमकाने का स्वरूप ग्रहण कर लिया था, प्रबन्धकों के ध्यान में आई। जान या माल की क्षति होने का भी भय था। बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए मशीनी औजार कारखाने के प्रबन्धकों ने 17 जुलाई, 1968 के रात 11.30 बजे से कारखाने में तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी।

राज्य सरकार ने 22 जुलाई, 1968 से समझौते की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की थी। 23 जुलाई, 1968 को मैसूर सरकार के सचिव, खाद्य, नागरिक सम्भरण तथा श्रम विभाग और श्रम आयुक्त के सम्मुख हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कार्मिक के संघ तथा प्रबन्धकों में हुए समझौते के फलस्वरूप औजार छोड़ो हडताल को वापस ले लिया गया था। समझौते के अनुसार ताला बन्दी 27 जुलाई, 1968 से उठा ला गई थी जैसी कि करार में व्यवस्था है।

(ख) कर्मचारियों की मांगे ये थी :-

(1) बोरिंग अनुभाग के एक कर्मचारी को दिये गये चेतावनी पत्र का वापस लिया जाना, और

(2) रविवारों (छुट्टियों) को कर्मचारियों को काम चालू रखने के लिए न बुलाया जाना।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कार्मिक संघ तथा प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते के अनुसार संघ ने आश्वासन दिया है कि वहां अनुशासन संबन्धी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किन्तु उन्होंने ऐसे मामलों में वहां की चेतावनी अनुशासनात्मक कार्यवाही युक्ति संगत नहीं है, औद्योगिक विवाद के प्रश्न को उठाने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखा है। यह भी मान लिया गया है कि शिकायतों के निबटाने की प्रक्रिया को कारगर ढंग से चलाया जाय। इसको भी मान्यता दी गई है कि ऐसे अनुभागों में वहां काम साप्ताहिक अवकाश के दिनों में बन्द नहीं किया जा सकता, कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अनुसार वैकल्पित अवकास दे कर छुट्टी के दिन काम पर बुलाया जा सकता है, यह भी मान लिया गया है कि कर्मचारियों को छुट्टियों में काम करने के लिये तदर्थ भत्ता, जो अब तक दिया जाता रहा था, आगे भी जारी रखा जायेगा और प्रबन्धक उस भत्ते में वृद्धि के प्रश्न पर शीघ्र विचार करेंगे।

अतः उपर्युक्त मांगों पर सरकार को आगे कोई भी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

2991. श्री देवेन सेन : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के चार महिनों में नये उपक्रमों की स्थापना पुराने उद्योगों की क्षमता में पर्याप्त विस्तार तथा नई वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कुल कितने औद्योगिक लाईसेंस अलग अलग जारी किये गये; और

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत्त पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र को कितने कितने लाइसेंस जारी किये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जनवरी से अप्रैल, 1968 के चार महिनों में उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कुल मिला कर 67 लाइसेंस जारी किये गए थे। इनमें से 12 नए उपक्रम करने के लिए, 19 पर्याप्त विस्तार करने के लिए, 33 ने नई वस्तु के लिए, 2 उत्पादन चलाते रहने के लिए और एक स्थान बदलने के लिए था।

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :–

राज्य	नया उपक्रम	पर्याप्त विस्तार	नई वस्तुएं	उत्पादन चलाते रहने के लिए	स्थान परिवर्तन	योग
पश्चिम बंगाल	1	1	7	–	–	9
महाराष्ट्र	3	12	15	1	1	32

विदेशों से तकनीशनों को भारत में मंगाना

2993. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से तकनीशनों को भारत में मंगाने पर पिछले छः वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई और कितने अवसरों पर कुछ तकनीशनों को बार– बार बुलाया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में अनुसंधान कार्य तथा स्थानीय विकास कार्य पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ग) क्या हमारे देश ने इस बीच विदेशी औद्योगिक ग्रहण करने के लिये औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास कार्य में दक्ष लोग पर्याप्त संख्या में तैयार कर लिये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो हम ऐसी स्थिति में कब आ जायेंगे जब हमें विदेशी तकनीशनों को केवल एक ही बार बुलाना पड़ेगा;

(ङ) क्या समूचे संसार से प्रौद्योगिक विशेषज्ञों को भारत में बुलाने के कारण भारत को माल के विशिष्ट विवरणों की बहुत अधिक किस्मों का भार उठाना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप देशी उत्पादन की लागत बढ़ आती है; और

(च) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1961–62 से 1967–68 (30 सितम्बर, 1967 तक) रायल्टी के रूप में विदेशों में भेजी गई राशि नीचे दी गई है :–

1961-62	2.4 करोड़ रुपये
1962-63	3.6 " "
1963-64	4.6 करोड़ रुपये
1964-65	4.4 " "
1965-66	3.00 " "
1966-67	5.1 " "
1967-68	8.1 " "

उपलब्ध आंकड़ों को विस्तृत अध्ययन किये बिना यह ठीक-ठीक बता सकना कठिन है कि एक ही प्रकार की तकनीकी जानकारी एक से कितनी अधिक ली गई है।

(ख) अनुसंधान पर कुल कितना व्यय किया गया यह बताना सम्भव नहीं होगा क्योंकि इनका विस्तार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तकनीकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के तकनीकी विभागों, अनुसंधान सम्बन्धी सहकारी संगठनों और गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक फर्मों के अनुसंधान संस्थानों तक फैला हुआ है। फिर भी विगत छः वर्षों में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा व्यय की गई राशि नीचे बताई गई है :–

		रुपये लाख में
1961-62 1962-63 1963-64 1964-65 1965-66	तृतीय पंच वर्षिय योजना की अवधि	5,807.610
1966-67		1,760,000

(ग) तथा (घ) विदेशी तकनीकी जानकारी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त की जाती है जैसे रसायन तथा औषधिया, इलेक्ट्रोनिक्स, इन्जीनियरी, खाद्य उत्पादन इत्यादि। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तकनीकी जानकारी की संस्था और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों से बना अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) जो तकनीकी जानकारी का उद्गम स्त्रोत होगा, की स्थापना की जा चुकी है। इस दिशा में हुई प्रगति के बावजूद निर-

न्तर बढ़ रही विदेशी तकनीकी जानकारी को प्राप्त करने तथा ग्रहण करने के लिए एक समुचित आधार बनाने के लिए इससे भी अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

(ङ) तथा (च) विभिन्न स्त्रोतों से आयात की गई विदेशी तकनीकी जानकारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सरकार परिचित है और इस मामले की समय समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

भारत के उद्योगों में विनियोजन पूंजी

2994. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों तथा उन्हीं के समरूप निजी क्षेत्र के उद्योगों में (उद्योगकार) अब तक कुल कितनी पूंजी विनियोजित की गई है;

(ख) सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के प्रत्येक उद्योग अलग अलग शुद्ध वार्षिक बिक्री कितनी है; और

(ग) निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र में अधिक उत्पादन लागत तथा कम उत्पादन के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय निर्यात

2995. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967-68 में पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा के कारण कतिपय वस्तुओं का हमारा निर्यात काफी घट गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप किन किन भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई हैं;

(ग) इससे कुल कितनी हानि हुई है; और

(घ) सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) उन मुख्य मदों का एक विवरण (अंग्रेजी में), जिनके निर्यात में वर्ष 1966-67 की तुलना में 1967-68 में गिरावट आई है और जिनमें पाकिस्तान से भी प्रतिस्पर्धा है। इन मदों में से कच्चे पटसन, ऊन तथा सूती धागे में गिरावट मुख्यतः देश में माल की कमी के कारण थी पाकिस्तान से प्रतियोगिता के कारण नहीं। जहां तक पटसन के माल, चमड़ा तथा चमड़े के माल का संबन्ध है, हालांकि इनकी पाकिस्तान से प्रतियोगिता थी, फिर भी पाकिस्तान की प्रतियोगिता के कारण होने वाली हानि को आंकना कठिन है, क्योंकि इन मदों में गिरावट केवल प्रतियोगिता

के फलस्वरूप ही नहीं थी अपितु इसके अन्य अनेक कारण भी थे। यथा मूल्यों में गिरावट, संश्लिष्टों का बदल प्रयोग, जैसा पटसन के मामले में हुआ, तथा एकक मूल्य में गिरावट, जैसा कि क्रोम तथा ई० आई० के कमाये हुए चमड़े के मामले में था, सभापटल पर रखा गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1646/68]**

(घ) निर्यात संवर्द्धन के लिये किये जाने वाले उपायों का विस्तृत विवरण 23.7.68 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 465 के भाग (ङ) के उत्तर में सभापटल पर रखा गया था। पटसन के बने माल तथा चमड़े और चमड़े के बने माल का निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष रूप से किये गये कुछ उपाय संलग्न विवरण (अंग्रेजी में) सभापटल पर रखा गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1646/68]**

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार

2996. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में यूगोस्लाविया द्वारा भारतीय माल की खरीद काफी कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में किन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यूगोस्लाविया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) तथा (ख) जनवरी-अप्रैल, 1967 में भारत से यूगोस्लाविया को 661.01 लाख रुपये का निर्यात हुआ था, जबकि 1968 की उसी अवधि में निर्यात कम हो कर 272.76 लाख रुपये का रह गया। जिन वस्तुओं के कारण निर्यात में कमी हुई, वे ये है :-- पटसन उत्पाद, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, वेल्लित इस्पात के उत्पाद, मैंगनीज अयस्क, तेल-रहित खली, कमाई तथा अंशतः कमाई हुई खालें तथा चर्म, सूती वस्त्र तथा सगंध तेल।

(ग) उदार आयात नीति शुरु किये जाने के बाद से यूगोस्लाविया के व्यापार संगठन किसी भी देश से, जो भी हो उन्हें अधिकतम प्रतियोगी शर्तों पर माल दे, माल खरीदने के लिये स्वतन्त्र हो गये है।

(घ) यह बात वाणिज्य मंत्री द्वारा यूगोस्लाविया की हाल की यात्रा के अन्तरगत हुई वार्ता में महत्वपूर्ण विषयों में से एक थी। यूगोस्लाविया की सरकार वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापार संगठनों की, अपनी पसद के किसी भी बाजार से माल खरीदने की स्वायतत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती; परन्तु यूगोस्लाव सरकार भारत से माल खरीदने के लिये निश्चित प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है।

हरियाणा में लोहे का एक कारखाना स्थापित करना

2997. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा राज्य में लोहे का एक कारखाना स्थापित करने के लिये, भारत सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Export of Coffee to U K.

2998. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of coffce exported from India to U. K. during the year 1967 and the value thereof ? and

(b) the quantity of coffee likely to be exported to that country during the year 1968–69 and the amount of foreign exchange likely to be earned therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 1193 tonnes valued at Rs. 60.18 lakhs.

(b) Likely export of coffee to U. K. during the year 1968–69 is estimated at 900 tonnes, valued at Rs. 49.50 lakhs.

Recovery of Fish-Plate From Gangman in Moradabad Division

2999. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the rebly given to Unstarred Question No. 9950 on the 7th May, 1968 and state :

(a) whether the enquiry being conducted by the police against the gangman from whom a fish-plate was recovered and who was sent to Mughalpura police Station, has since been completed; and

(b) if so, the action so far taken against him ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) Section Officer, Government Railway Police Moradabad, on further investigation found that the arrested person was not a Gangman, but an outsider. A case on crime No. 226 U/s 379 Lps was registered at Police Station Mughalpura on 7.3.68, which is still under police investigation. No action has therefore, been taken against the Gangman.

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh

3000. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Textile Mills in Madhya Pradesh are likely to close down;

(b) whether the Textile Mill owners propose to reduce the salaries and dearness allowances of their workers; and

(c) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : a) and (b) The Government do not have any such information.

(c) Does not arise.

Late Running of Amritsar Express

3001. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Amritsar Express on its Bombay-Delhi rout had been running late during the period from June, to 10th July, 1968; and

(b) if so, the reasons thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) The late running of 57Dn. Bombay-Amritsar Express between Bombay VT and new Delhi during this period was due to a variety of factors, e. g., frequent detentions due to alarm chain pulling resulting in the dislocation of running schedules of the trains on the busy single line sections enroute failure of communication, breaches on the Western Railway entailing diversion of Western Railway trains over the saturated Central Railways rout with consequent increase in the number of crossings, etc. Every effort feasible is being made to bring about an improvement in the running of these trains.

Conference of Central Railway Guards.

3002. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some demands made at a Conference of the Central Railway Guards held in Itarsi on the 28th May, 1968 were sent to Government;

(b) if so, the decision taken by Government thereon and the time by which their demands are likely to be met; and

(c) the details of such demands as are not proposed to be met by Government and the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No official communication has been received by the Central Railway Administration.

(b) and (c) Do not arise.

Industrial Project in Madhya Pradesh

3003. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh have approached the Central Government to allot some industrial project in the public sector from the Central Pool to Madhya Pradesh; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No Sir.

(b) Does not arise,

हैवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल

3004. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में हैवी इलेक्ट्रीकल्स कारखाना स्थापित करने के लिए सरकार तथा मेसर्स ए० ई० आई० के बीच हुये परामर्श देने के करार में कई बातें छूट गई थी जिनके परिणामस्वरूप हुई हानि तथा काल्पनिक परामर्श शुल्क के कारण सरकारी कोष से अधिक धन खर्च करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उस परामर्शदात्री करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि स्विचगियर बनाने के बारे में परामर्शदात्री करार बल्क आयल संकट ब्रेक के लिए है जबकि वह अनेक कारणों से बेकार हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो सरकार भिन्नभिन्न आयल संकट ब्रेकर की आवश्यकता को जिसकी इस समय राज्य बिजली बोर्ड को बहुत अधिक जरुरत है सरकार किस प्रकार पूरा कर रही है;

(ङ) क्या सरकार ने मिनिमम आयल कटेंट संकट ब्रेकर के निर्माण के लिए काल्पनिक परामर्शदात्री शुल्क दिया है और यदि हां, तो कितना; और

(च) क्या बड़े हाइड्रोजेनरेटरो का वर्तमान परामर्शदात्री करार के अन्तर्गत आता है और यदि नहीं तो इसके लिए मेसर्स ए० ई० आई० को कितना अतिरिक्त शुल्क दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख) 1955 में भारत सरकार तथा मेसर्स एसोशियेटेड के बीच तकनीकी परामर्श देने वाला करार और संबंधित सभी मामलों तथा तत्वों पर पूरा ध्यान देने के पश्चात किया गया था। करार की एक प्रति (अंग्रेजी उत्तर के साथ) सभापटल पर रखी गई। यह सच नहीं है कि इसमें बहुत सी चूकें थी या परामर्श देने के लिये अधिक फीस दी गई थी। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1647-68]

(ग) करार में न केवल इकठे तेल के 11,33, तथा 66 के० वी० ब्रेकर ही सम्मिलित है, अपितु 132 तथा 220 के० वी० एयर ब्लास्ट प्रकार के ब्रेकर भी सम्मिलित हैं। गत सात वर्षों में 1·4 करोड़ रु० से अधिक मूल्य के 7,600 से भी अधिक इकठे तेल के ब्रेकर बनाए और बेचे गये हैं और इनकी मांग अब भी विद्यमान है। केवल 33 तथा 66 के० वी० निम्नतम प्रकार के सकिट अन्य उत्पादकों द्वारा बाजार में लाये गये हैं। दोनों ही किस्मों में कुछ अच्छाइयां तथा बुराइयां हैं। मूल्य की दृष्टि से निम्नतम तेल वाले ब्रेकरों को भी कुछ विशिष्ट विवरणों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है और यह कहना ठीक न होगा कि ये अब अप्रचलित हो गए हैं।

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० के हैदराबाद एकक तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कुछ कारखानों ने निम्नतम आयल ब्रेकरों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भोपाल में इस समय बनाये जा रहे जल-टर्बाइन तथा जनित्र (जेनेरेटर) करार की परिधि अर्थात् 1,50,000 के० डब्ल्यू० में आते हैं, पंजाब में डेहार परियोजना के लिये अब बनाये जा रहे 1,65,000 के० डब्ल्यू० के टर्बाइन तथा जनित्र (जेनरेटर) बनाए जा रहे हैं जो मूल समझौते की सीमा से बाहर है। इन मशीनों का सम्भरण 1971 तथा 1974 में होगा। इन मशीनों के निर्माण से उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के आकार-प्रकार को ध्यान में रखते हुए कि यह समझौता नवम्बर, 1970 में समाप्त हो जायेगा, इन मशीनों के ड़िजाइन तथा निर्माण के लिए इंग्लैंड के परामर्शदाताओं की तदर्थ तकनीकी सहायता प्राप्त करने का निर्णय किया गया है। टर्बाइन के परामर्शदात्री समझौते के अनुसार इंगलैंड के मैसर्स इंगलिश इलेक्ट्रिक कम्पनी लि० को 60,000 पोंड स्टर्लिग का भुगतान किश्तों में आठ वर्षों में किया जाना है। इससे मेल खाने वाले जनित्र (जेनरेटर) के लिए एसोशिएटेड इलेक्ट्रीकल इंडस्ट्रीज लि० से करार के लिए बातचीत चल रही हैं।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल

3005. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल में कर्मचारियों को काम बांटा जाता है और उनमें यह आशा की जाती है कि वे एक निश्चित समय में काम को पूरा करें और पंच कार्ड प्रणाली के द्वारा कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति देनी पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार ने इन समाचारों की जांच की है, कि प्रतिदिन काम पर केवल एक चौथाई कर्मचारी ही उपस्थित रहते हैं क्योंकि (एक) कर्मचारियों को जो काम दिया जाता है वह काम बहुत थोड़े समय में ही पूरा हो जाता है और वे बाकी समय के लिए, जो कि, एक विशिष्ट काम के लिए निश्चित होता है, वे काम से खाली रहते हैं :, और (दो) उपस्थिति लेने की पंच कार्ड प्रणाली में अनेक अनियमितताएं हैं और कर्मचारी काम पर हो या न हों उनकी उपस्थिति ली जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उपक्रम में प्रशासनिक ढांचे को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह सच है कि हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल में कारीगरों के लिए काम का वितरण निर्दिष्ट समय के अन्दर पूरा करने के लिए किया जाता है और उपस्थिति पंच कार्ड के द्वारा रखी जाती है।

(ख) इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि समाचार सही नहीं है। जब किसी कर्मचारी के पास काम नहीं होता तो उसका हिसाब रखने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली रखी गई है जिसे 'प्रतीक्षा समय' कहते हैं। यह 1967-68 में 7.5 प्रतिशत था। पंच कार्ड प्रणाली के नियमों का उल्लंघन करने के मामले नगण्य होते हैं। जिन घड़ियों पर कार्ड पंच किए जाते हैं उन पर सुपरवाइजरों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल

3006. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकलस लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्धकों ने, कारखाने को देखने की इच्छा रखने वाले नागरिकों के लिए भोपाल शहर से उस कारखाने के टाउनशिप तक निशुल्क बस सेवा आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बस यात्रा पर कितना व्यय होता है, तथा ऐसी व्यवस्था करने का क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जुलाई, 1968 से हेवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल के प्रबन्धकों ने महीनें में एक बार भोपाल शहर से कारखाने तक और वहां से वापस आने के लिए बस का चक्कर लगाने की योजना बनाई है जिससे जनता इस परियोजना निर्माण करने वाले एककों को देख सकें।

(ख) इस प्रकार के बस के चक्कर का व्यय लगभग 50 रुपये प्रतिमास आता है। इस योजना का उद्देश्य जो कम्पनी के जन सम्पर्क कार्यक्रम का अंग है, स्थानीय जनता को राष्ट्रीय परियोजना की प्रगति तथा विकास से परिचित होने का अवसर प्रदान करना है।

भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के कोरबा कारखाने के प्रबन्ध निदेशक के रूप में इंडियन अल्यूमिनियम कम्पना के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

3007. श्री गा० शं० मिश्र : क्या इस्पात खान तथा धात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इन्डियन अल्यूमिनियम कम्पनी के महाप्रबन्धक को भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के कोरबा कारखाने का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने नये महा प्रबन्धक से निर्माण लक्ष्य की कोई गारन्टी प्राप्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) (क) जी, नहीं।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वेज नहर का बन्द हो जाने के कारण भारत को हुई वित्तीय हानि

3008. श्री म० ला० सोंधी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने स्वेज नहर के बन्द हो जाने के फलस्वरूप भारत के हितों की हुई वित्तीय हानि के बारे में जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हानि को कम से कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : स्वेज नहर के बन्द हो जाने के फलस्वरूप भारत को हुई हानि का आंकलन संभव नहीं है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि भारत स्वेज नहर के पश्चिम के देशों से आयातों पर जो अधिक भाड़ा दे रहा है उसके कारण वह अनुमानतः 30 लाख डालर के लगभग अतिरिक्त व्यय कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इन देशों को हमारे निर्यात में बाधा भी पड़ी है, हलांकि इसके फलस्वरूप व्यापार में हो रही हानि की मात्रा बताना कठिन है।

कोयला पर स्वामिस्व की दर

3010. श्री रा० बरुआ : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी-कौस्टा समिति ने हाल ही में विभिन्न राज्यों को कोयले पर दी जाने वाली स्वामिस्व की दर के बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोयला सलाहकार परिषद् ने कुछ निर्णय किये थे और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या ये सब राज्यों को स्वीकार्य हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयला मंत्रणा परिषद की हाल ही में हुई बैठक में यह सिद्धान्त रूप से मान लिया गया है कि कुछ ब्यौरों के अधीन, जिनका अभी निर्धारण होना है, कोयले पर स्वामिस्व टनों के आधार पर उगाही जाये। राज्य सरकारों ने भी इस प्रस्ताव को मान लिया है।

सरकारी इस्पात सयंत्रों में श्रम संकट

3011. श्री रा० बरुआ :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी इस्पात संयंत्रों में कुछ दिन से श्रम संकट बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान देश के प्रत्येक इस्पात संयंत्र में अब तक कुल कितनी हड़तालें हुई और उनके कारण क्या थे ; और

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों में बिगड़ती हुई श्रम सम्बन्धी स्थिति को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने को छोड़कर जहां की श्रमिक स्थिति संतोषजनक नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है कि पिछले कुछ समय से सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में श्रम संकट बढ़ता जा रहा है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने में जनवरी-जुलाई 1968 की अवधि में कुल मिलाकर चार हड़तालें हुई जो 24 घंटे या उससे कम तक रही। ये हड़तालें कुछ पदों के भरने, पदोन्नति करने और कुछ बरखास्त कर्मचारियों को पुनः नौकरी में लेने के प्रश्नों को लेकर की गई थीं।

(ग) ऐसा लगता है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में यह अशान्ति प्रधानतः मजदूर संघों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण है। प्रतिस्पर्धी संघ को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। कारखाने के प्रबन्धक भी अपनी ओर से कर्मचारी संबंधी नीति में सुधार करने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे सम्बन्धों में सुधार हो सके।

औद्योगिक कारखानों में संगणक (कम्प्यूटरों) का लगाया जाना

3012. श्री रा० बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों में संगणक लगाने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितने तथा किन किन औद्योगिक कारखानों में संगणक लगाये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि इन संगणकों के लगाये जाने के कारण इन कारखानों में कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(घ) क्या यह सच है कि मजदूर संघों ने इसका विरोध किया है और यदि हां, तो उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि इलेक्ट्रानिक उपकरणों को केवल चुने हुए कामों में लागू किया जाय और समाज के हित को ध्यान में रखा जाय। इन उपकरणों के लागू किये जाने के फलस्वरूप छंटनी न की जाय और सभी मामलों में भारतीय श्रम सम्मेलन के 15 वें सम्मेलन में निर्धारित युक्तिकरण की प्रक्रिया का पालन किया जाये। कम्प्यूटरों का आयात करने के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच-पड़ताल करने की एक प्रक्रिया श्रम और रोजगार विभाग में अक्टूबर, 1966 से चल रही है। इस मामले पर अभी हाल ही में 18 जुलाई, 1968 को हुए स्थायी श्रम समिति के एक अधिवेशन में चर्चा की गई थी। इस चर्चा में जो विचार व्यक्त किए गए थे उनको सरकार इस विषय पर निर्णय करते समय ध्यान में रखेगी। तब तक, कम्प्यूटरों के आयात के सम्बन्ध में प्रस्तावों की छानबीन की वर्तमान प्रक्रिया चालू रहेगी।

(ख) और (ग) : श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ने हाल में इस सम्बन्ध में कुछ सूचना राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्रित की है उपलब्ध सूचना दी गई है :—

रेल मंत्रालय

(1) दो और रेल मार्गों और रेलवे बोर्ड कार्यालय में कम्प्यूटरों के लगाए जाने की आशा है। कम्पूटरों के लगाये जाने से रेलवे की रोजगार देने की क्षमता पर भविष्य में कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल अनुसचवीय कर्मचारी वर्ग की कुल संख्या मामूली कटौती की सम्भावना है और जब यातायात पुनः बढ़ने लगेगा तब और कर्मचारीं की भर्ती काम चलाने और अनुरक्षण कार्यों के लिए आवश्यक हो जायेगी।

जीवन बीमा निगम

(2) जीवन बीमा निगम ने एक कम्प्यूटर नवम्बर, 1965 में बम्बई में लगाया है और एक अन्य कम्प्यूटर को कलकत्ता में लगाने की योजना है। 383 स्थान जो फालतू हो जाएगें उनकी तुलना में 225 नए पद बनाए जाएगें। कुल स्थानों की कटौती की संख्या इस प्रकार 158 हो जायेगी जिन्हें तीन वर्षों के समय में विभाजित किया जायेगा सो बम्बई और कलकत्ता को मिला कर लगभग 50 प्रतिवर्ष होगें। जीवन बीमा निगम ने बताया है कि विस्थापित कर्मचारियों को बम्बई और कलकत्ता में ही उनके वेतन में बिना किसी कटौती के ही काम में लगा लिया जायगा।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया

(3) हनीवेल 400 कम्प्यूटर प्रणाली जो इस बैंक द्वारा लगाई जा रही है उसके अगस्त, सितम्बर, 1968 तक शुरू हो जाने की आशा है। इस प्रणाली को लागू करने से जितने लोगों को इस समय रोजगार मिला हुआ है न तो उसमें कोई कटौती होगी और न भविष्य में रोजगार की सम्भावना में वृद्धि के लिए ही कोई खतरा पैदा होगा। इसके विपरीत रोजगार के नए मार्ग खुल जाने की सम्भावना है।

इण्डियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन

(4) इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा उसके मुख्यालय नई दिल्ली में जनवरी, 1967 में आई० बी० एम० 1401 इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाया गया था। विभिन्न कार्य जो पहले गणना करने की परम्परागत मशीनों द्वारा किये जा रहे थे। उनको इस कम्प्यूटर द्वारा उसमें आवश्यक संशोधन करके किये जाने थे। इसे चलाने के कुछ काम 1970 के मध्य तक चलते रहने की सम्भावना है। इण्डियन एयर लाइन्स में कम्प्यूटर के प्रयोग से न तो स्थानों में कमी होगी और न होनी चाहिए, अपितु इससे वे कार्य भी किए जा सकेंगे जो अन्यथा नहीं किये जा सकते।

केबिनेट सचिवालय(सांख्यिकीय विभाग)

(5) इस विभाग द्वारा 10 हनीवेल 400 इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर प्राप्त किए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित इस विभाग के कम्प्यूटर केन्द्र में इनमें से दो पहले ही लगाए जा चुके हैं। और तीसरा जुलाई, 1968 में प्रयोग के लिए तैयार हो जायेगा। शेष 7 कम्प्यूटर निम्न लिखित संगठनों को नियत किए गए हैं :-

(1) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, बम्बई (उपर्युक्त (3) के द्वारा)

(2) अणु शक्ति आयोग, बम्बई।

(3) प्रति रक्षा अनुसन्धान तथा विकास प्रतिष्ठान, पूना।

(4) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स, बंगलौर।

(5) भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता।

(6) तेल या प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून।

(7) ज्वाइंट साइफर ब्यूरो, नई दिल्ली।

आशा है कि कम्प्यूटर अधिकांश केन्द्रों द्वारा इस्तेमाल किये जाने के लिए 1968 के अन्त तक तैयार हो जायेंगे। हनी वेल कम्पूटरों को लगाने के काम की इस प्रकार व्यवस्था की जा रही है कि इनसे बेकारी न उत्पन्न होने पाए।

लोहा तथा इस्पात विभाग

(6) भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित संयंत्रों मेंसे प्रत्येक के लिए आई॰ बी॰ एम॰ 1401 नमूने के एक सामान्य प्रयोजन अंक सम्बन्धी कम्प्यूटर के लिए आर्डर दे दिये गए हैं। भिलाई में अगस्त, 1967 में और राउरकेला में जून, 1968 में कम्प्यूटर लगा दिए गए थे। दुर्गापुर में अक्टूबर, 1968 में कम्प्यूटर लग जाने की आशा है। निकट भविष्य में विद्यमान कम्प्यूटरों से काम लेने की स्थिति में कोई परिवर्तन किये जाने का विचार नहीं है।

(घ) स्वचालित यत्रों के लगाए जाने का श्रम संघों ने विरोध किया है। उनकी प्रमुख आपत्तियां छटनी तथा एक काम से हटा कर दूसरे काम में लगाए जाने के सम्बन्ध में हैं।

मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड

3013. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड ने सिंघभूम जिले के छवीशा गांव में 2.25 वर्गमील में फैले हुए कल्कोपाइराइट के निक्षेपों को निकालने के लिए खनन पट्टे की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) क्या इस कारपोरेशन के पास पहले से ही 26.75 वर्ग मील के खनन पटेटे हैं ;

(ग) क्या स्वामिस्व और मुनाफे के रूप में मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन की और बिहार सरकार की 1,24,51,784 रु॰ की रकम बकाया है ;

(घ) यदि हां, तो इस कारपोरेशन को और भूमि का पट्टा देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ; और

(ङ) उक्त कारपोरेशन से राज्य सरकार की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन ने सिंघभूम जिले के छवीशा आदि गांवों के 2.25 वर्ग मील क्षेत्र पर कैल्कोपाइनाइट के लिये खनन पट्टा दिये जाने के लिए 6 मई, 1964 को

आवेदन पत्र दिया था । उनके पास सिंघभूम जिले में 26.75 वर्ग मील क्षेत्र पर तांबा अयस्क के लिये आगे ही खनन पट्टे हैं ।

(ग), (घ) और (ङ) खनिज समनुदान राज्य सरकारों द्वारा मंजूर किया जाता है और खनिजों पर स्वामित्व उनके द्वारा खान तथा खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, 1957, तथा तदधीन बनाये गये नियमों की व्यवस्था के अनुसार लिया जाता है । उसी प्रकार बकाया स्वामित्व की उगाही की कार्यवाही भी उसी अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जाती है ।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इण्डियन कापर कारपोरेशन ने तांबा अयस्क के सम्बन्ध में 27 अक्टूबर, 1964 से 30 जून, 1968, तक की अवधि के सभी स्वामित्व देय दे दिये हैं । तथापि, 1जून, 1958, से 20 अक्टूबर, 1964, तक की अवधि की 92.14 लाख रुपये की देय राशि अभी झगड़े में है और राज्य सरकार ने कारपोरेशन से इन की उगाही के लिये प्रमाण-पत्र मामले दायर कर दिये हैं ।

बिजली से चलने वाले हलों और मछली पकड़ने के इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण के लिए कारखाने

3014. श्री हेमराज : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के सहयोग और सहायता से बिजली से चलने वाले हल और मछली पकड़ने के इलेक्ट्रानिक उपकरण बनाने वाले कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना सरकारी क्षेत्र में की जायेगी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ; और

(ग) यदि उस कारखाने की स्थापना गैर-सरकारी क्षेत्र में होगी तो निर्माण करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जापान के सहयोग से शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिए अब तक गैर-सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं के लिए सहमति दी गई है :-

क्र० सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	निर्माण किये जाने वाले शक्ति चालित हल का नाम
1.	मैं० कृषि एंजिन्स प्रा० लि०, हैदराबाद ।	'अकितु'
2.	मैं० वी० एस० टी० मोटर्स लि०, बंगलौर ।	'मितसुबिशि'
3.	मैं० जे० के० काटन स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स, लि० कानपुर ।	'सतोह'

4. मे० एफ० डब्ल्यू० हिलगर्स, प्रा०
लि०, कलकत्ता । 'कुबोता'

मछली पकड़ने के लिए एलेक्ट्रानिक उपकरण हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र की एक फर्म, मेसर्स ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज को एक यंत्र बनाने के लिए जिसका नाम जापानी नमूने के आधार पर 'फिश फाइंडर' है, अनुमति दे दी गई है ।

Rural Industrialisation

3015. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the field of industrialisation during the last twenty years, the rural areas were neglected while encouragement was given to the urban areas; and

(b) whether Government propose to include schemes in regard to rural industrialisation in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhrudin Ali Ahmed) : (a) and (b) : No, Sir. A number of village and small industries including Khadi, seri-culture and coir and to an appreciable extent, the handloom, powerlooms and handicraft industries which are located mostly in rural areas, have been covered in the national scheme of planning and development since the beginning of the First Plan period. While it is true that a number of the modern small scale industries have been set up in or around the cities and larger towns, several measures have been taken in the past years to encourage their development in suitable rural areas also. Development of industries in the rural areas is considered to be of crucial importance in the context of the formulation of the Fourth Plan. Amongst the other schemes and programmes for industrialising rural areas is the Rural Industries Projects programme which has been initiated during the Third Plan period in 49 selected areas. The future expansion of the programme is under the consideration of the Government.

Collieries

3016. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the names of collieries in the country which have not been nationalised as yet;

(b) the names of private Companies running these collieries ; and

(c) when these collieries are likely to be nationalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a), (b) & (c) :—No private sector colliery has been nationalised. In the context of the growing needs of industrialisation and the economic regeneration of the country and the immense administrative problems involved in taking over the coal mines many of which are small, scattered and nearing exhaustion and with the country's resources limited as they are, nationalisation is not being considered at present.

केरल में इल्मेनाइट के निक्षेप

3018. श्री वासुदेवन नायर : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के तटवर्ती जिलों में इल्मेनाइट के भारी निक्षेपों को निकालने के लिये किसी कम्पनी को आशय-पत्र जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह आशय-पत्र किस कम्पनी के लिये जारी किया गया है ;

(ग) क्या उसने कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया है और यदि हां, तो किससे ; और

(घ) इस पर कुल कितनी पूंजी लगने का अनुमान है और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्राबोर्ड मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

(ग) जी, नहीं

(घ) इस पर कुल 45 करोड़ रुपये लगने की सम्भावना है और इसके परिणामस्वरूप वर्गवार निम्नलिखित रोजगार उपलब्ध होगा ।

1.	प्रबन्धक वर्ग	20
2.	निरीक्षक वर्ग	90
3.	क्लर्क वर्ग	100
4.	श्रमिक वर्ग	1000
5.	अन्य वर्ग	40
	कुल जोड़	1250

तुमकुर जिले में नये उद्योग

3019. श्री क० लकप्पा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुमकुर जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार को तुमकुर की जनता तथा उनके प्रतिनिधि से वहां पर नये उद्योग स्थापित करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का यह कार्य कब तक पूरा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री [श्री फखरुद्दीन अली अहमद] : (क) से (ग) : सरकार को मैसूर राज्य के तुमकुर जिले के लोगों की ओर से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु मैसूर सरकार ने बंगलौर स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान से कहा है कि वह तुमकुर जिले में उपलब्ध साधनों का औद्योगिक कार्यों में प्रयोग करने के विश्लेषण की

दृष्टि से सर्वेक्षण करे, वर्तमान स्थिति तथा भावी सम्भाव्यताओं का अध्ययन करे, और विद्यमान उद्योगों के विस्तार की सीमा तथा नए उद्योगों की स्थापना का पता लगाए। लघु उद्योग सेवा संस्थान की रिपोर्ट में नए-नए उद्योगों जैसे अस्थि आहार मिश्रित उवर्रक इमली के बीज से मांडी तैयार करना, रागी माल्ट, पानी बुझा चूना, केलिश्यिम कारबोनेट, ब्रुश बनाना, रेडियो के पुर्जे बनाना, रबड़ की गर्म निरोधक वस्तुएं तथा फाउन्टेन पेन बनाने आदि की स्थापना के लिये सुझाव दिए हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन और उपलब्ध स्थानीय साधनों से औद्योगिक विकास के लिए कार्यवाही करनी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आया है।

महाराष्ट्र में सोने जैसे पीले पत्थरों का पाया जाना

3020. श्री सोनावने : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में नागपुर जिले में मीवापुर गांव में नवम्बर, 1967 में सोने जैसे पीले पत्थर पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा वे पत्थर रासायनिक विश्लेषण के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राम सेवक) : (क) (ख) और (ग) हाल ही में पहली बार उमरेर तहसील में सोने के निक्षेपों के मिलने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में खबरे छपी है, जिन में प्रति टन शैल-सामग्री में 10 से 15 ग्राम सोना है। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संख्या ने पहले 1956-57 में और फिर 1961-62 में प्रारम्भिक सर्वेक्षण किये और यह पाया कि जलोड़ सोना किसी आर्थिक महत्व का न था सिवाय इसके कि बरसात के पश्चात् कुछ लोगों द्वारा हाथों से धोकर प्राप्त किया जा सके। भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था को महाराष्ट्र सरकार से रसायनिक विश्लेषण के लिये एक नमूना 18 जुलाई, 1968, को प्राप्त हुआ था। नमूने का अर्ध-मात्रात्मक वर्णक्रम लेखी (सैमीःक्वान्टिटिव स्पेक्ट्रोग्राफिक) विधि द्वारा विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि इसमें 0·002 प्रतिशत सोना था।

पारादीप क्षेत्र में उद्योग

3021. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारादीप क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिये उड़ीसा सरकार ने कुछ गैर-सरकारी उद्योगपतियों के आवेदनपत्रों की सिफारिश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगपतियों के क्या नाम हैं ;

(ग) इन आवेदनपत्रों की सिफारिश कब तथा किसके द्वारा की गई है ; और

(घ) उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिये राज्य सरकार द्वारा और किन आवेदन पत्रों की सिफारिश की गई है तथा उन उद्योगों की स्थापना के आवेदकों के क्या नाम हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1968 (1 जनवरी से 31 जुलाई तक) में उड़ीसा में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के 7 आवेदनों में से अब तक केवल 3 आवेदनों के बारे में राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक एक पारादीप क्षेत्र में स्थापित किये जाने के बारे में है। आवेदनों का ब्यौरा सामान्यतः उन पर निर्णय किये जाने से पूर्व प्रकट नहीं किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को हानि या लाभ

3022. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को कुल कितनी हानि या लाभ हुआ ;

(ख) क्या इस समय सरकारी क्षेत्र में कोई संकटग्रस्त इस्पात कारखाना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु-मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात कारखानों को वर्ष 1966-67 तक कुल मिलाकर 706 मिलियन रुपये का घाटा हुआ। अभी तक वर्ष 1967-68 का हिसाब किताब का कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने अनुमोदन नहीं किया है।

(ख) और (ग) कुछ समय से दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अच्छी तरह काम नहीं चल रहा है और पाण्डे समिति के प्रतिवेदन में कई त्रुटियों का वर्णन किया गया है, जिनमें रख-रखाव और श्रमिक झगड़े भी शामिल हैं। इस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि 10 अप्रैल 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी।

लाईसेंसों का जारी करना

3025. श्री वे० कृ० दास चौधरी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 9132 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कम्पनियों को जारी किये गये भिन्न भिन्न लाइसेंसों सम्बन्धी जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) यह जानकारी बहुत से सूत्रों से एकत्र करने की आवश्यकता है। अतः अभी तक इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सका है।

मध्य रेलवे में इटारसी स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये पुल

3026 श्री नाथूराम अहिरवार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के इटारसी स्टेशन पर बाहर से आने वाले बाहर को जाने वाले तथा स्थानीय यातायात में वृद्धि के कारण क्या पैंदल चलने वालों के लिये वर्तमान पुल अपर्याप्त है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पुल पर भीड़ के कारण इटारसी में रेलवे डाक सेवा वालों की हाल में हड़ताल हुई थी ;

(ग) क्या रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों ने थैलों के लाने ले जाने के लिये अलग रास्ते के उपलब्ध करने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) इटारसी स्टेशन के वर्तमान ऊपरी पैदल पुल की चौड़ाई 8 फुट है और इसे चौड़ा करने की जरूरत है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) ऊपरी पैदल पुल 1,28,000 रुपये की अनुमानित लागत से 8 फुट से बढ़ा कर 16 फुट तक चौड़ा करने का प्रस्ताव है, बशर्ते रेल उपयोगकर्त्ता सुविधा समिति इस प्रस्ताव का अनुमोदन करे और इसके लिए धन उपलब्ध हो। भोपाल वाले सिरे पर पार्सलों और डाक के थैलों की ट्रालियों के आने-जाने के लिए एक पक्के रास्ते की व्यवस्था करने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

माल डिब्बों की कमी

3027 श्री नाथूराम अहिरवार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल डिब्बों के निर्यात के क्या कारण हैं जब कि देश में उनकी कमी है; और

(ख) यदि माल डिब्बों की कमी नहीं है तो व्यापार सम्बन्धी इन्डेंटों के महीनों तक पूरा न करने के क्या कारण हैं और बन्द डिब्बों में भेजे जाने वाला सामान खुले माल डिब्बों में क्यों भेजा जाता है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) देश में कुल मिलाकर माल डिब्बों की कमी नहीं है और इसलिए माल डिब्बों का निर्यात ठीक ही है। फिर भी मांग और संचलन के स्वरूप में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव के कारण देश में माल-डिब्बों के वितरण में थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए क्षेत्रीय असंतुलन आ आता है जिसकी वजह से समय समय पर

व्यापारियों की मांग को पूरा करने में देर हो जाती है। देर कुछ अन्य कारणों से भी होती हैं जैसे बंद, हड़ताल, श्रमिक हड़ताल, नागरिक उपद्रव, यानान्तरण स्थलों पर मजदूरों की कमी, माल लादने और उतारने के स्थानों पर माल डिब्बों का रुका रहना, बाढ़, तूफान और अन्य देवी प्रकोप जिनकी वजह से चल-स्टाक निष्क्रिय हो जाता है, और माल डिब्बों के लदान के फेरे बढ़ जाते हैं। रेल परिचालन में जब कभी इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो जाती है, तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक आमतौर पर बंद माल डिब्बों में भेजे जाने वाले माल को कुछ हद तक खुले माल डिब्बों में भेजना आवश्यक हो जाता है।

ढके हुए वेगनों का निर्माण

3028 **श्री नाथू राम अहिरवार :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्यान्न को लाने ले जाने के लिये विशेष प्रकार के ढके हुए माल डिब्बे बनाने का है; जैसे कि कोयला लाने ले जाने के लिये बनाये गये थे;

(ख) क्या खाद्यान्नों को 'इ' श्रेणी से हटा कर 'ए' या 'बी' श्रेणी में रखने का है क्योंकि यह राष्ट्र के जीवन के लिये आवश्यक है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अनाज आम माल डिब्बों में ढोये जाते हैं। इस काम के लिए खास किस्म के माल डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ती।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अनाज के संचलन के लिए 'बी' श्रेणी की प्राथमिकता दी जा रही है जो प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बाद आती है। राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित अनाज के संचलन के लिए 'सी' श्रेणी की प्राथमिकता दी जाती है। व्यापारियों द्वारा भेजे जाने वाले गेहूं और चावल को 'डी' श्रेणी की प्राथमिकता दी जाती है। केवल मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, चना आदि के लिए 'ई' श्रेणी की प्राथमिकता दी जाती है लेकिन इसमें भी रेलों ने इस प्रकार के संचलन के लिए विशिष्ट कोटा निर्धारित कर रखे हैं, व्यापारियों के मोटे अनाज की शीघ्र निकासी के लिए भी रेलों को स्थायी अनुदेश दिये गये हैं।

नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के लेखा मुख्यालय के लेखपालों का रेलवे बोर्ड में सतर्कता निरीक्षकों के रूप में लिया जाना

3029 **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966 वर्ष में जनता की कुछ शिकायतों के आधार पर नई दिल्ली में उत्तर रेलवे के मुख्यालय में लेखा-कार्यालय के कुछ वरिष्ठ लेखापालों का लखनऊ डिवीजन में तबादला कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वरिष्ठ लेखापालों को रेलवे बोर्ड में सतर्कता निरीक्षकों के रूप में लिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1966 में जनता की शिकायतों के आधार पर किसी को उत्तर रेलवे मुख्यालय, नयी दिल्ली के लेखा कार्यालय से लखनऊ मण्डल में स्थानान्तरित नहीं किया गया।

(ख) 1967 में तीन वरिष्ठ लेखपालों को सामान्य क्रम में लखनऊ में तैनात किया गया। इनमें से वरिष्ठ लेखपाल को उत्तर रेलवे मुख्यालय में फिर तैनात किया गया। उसके बाद 1968 में उसे रेलवे बोर्ड में जांच निरीक्षक के पद पर तैनात किया गया।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेलवे में सतर्कता निरीक्षक

3030 **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में सतर्कता निरीक्षकों के पद तीन वर्ष की कालावधि के पद हैं,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने सतर्कता निरीक्षक हैं जिन्होंने क्षेत्रीय रेलवे तथा रेलवे बोर्ड में 3 वर्ष पूरे कर लिये हैं और उन्हें अब तक अपने पदों पर वापस नहीं भेजा गया है, और

(ग) प्रत्येक मामले में ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौकसी निरीक्षकों का कार्यकाल तीन वर्ष का है जिसे विशेष गुण के आधार पर कुछ मामलों में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ट्रैक्टर बनाने का कारखाना

3031. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ट्रैक्टर बनाने के एक कारखाने को स्थापित करने के बारे में भारत और बलगारिया के बीच एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) यह कारखाना किस हद तक देश की मांग को पूरा कर सकेगा और इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ होने की आशा है;

(घ) प्रस्तावित ट्रैक्टरों की क्षमता कितने हार्स पावर होगी;

(ङ) क्या ऐसा करार विदेशों के साथ भी किया गया है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम ने 13 अश्व शक्ति के 1,2000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की क्षमता का बलगेरिया के मैसर्स एग्रोमशीन एण्ड टेकनोक्स्पोर्ट के सहयोग से लुधियाना में एक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और अभी यह कह सकना सम्भव नहीं है कि इस संयंत्र में कब से उत्पादन प्रारम्भ हो सकेगा।

(ङ) तथा (च) : भारत सरकार ने अगस्त, 1965 में चेकोस्लोवाकिया के मैसर्स मोटोकोव से 20 अश्व शक्ति के 12,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष की क्षमता की एक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए करार किया है। आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन से सम्बन्धित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का प्रथम भाग प्राप्त हो चुका है और उसकी जांच की जा रही है।

दिल्ली, रोहतक, भिवानी तथा बीकानेर को मिलाने वाली मीटर गेज लाइन

3032. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में दिल्ली, रोहतक, भिवानी तथा बिकानेर को मिलाने वाली एक मीटर गेज लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विद्यमान दिल्ली-फरुखनगर लाइन को चर्खीदादरी, भिवानी तथा बीकानेर तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

Survey of Diva Dahanu and Tarapore railway line

3033. **Shri Baswant** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the survey of a new Railway line between Diva, Dahanu and Tarapore has been completed;

(b) when the survey work was started; and

(c) the details in regard to the survey ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The Survey proposed is from Diva to Vangaon, It is not cempleted yet

(b) The survey was sanctioned on 6-7-1968.

(c) Reconnaissance Engineering and Traffic Survey for the Vangaon to Dive route has been sanctioned. This is to find out the economics of this route vis-a-vis Mira Road-Diva and Virar-Diva routes.

Soft Coke

3034. Shri P. G. Sen : Will the Minister of Steel, Mines and Metalsi be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any scheme to make available soft coke to rural population of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar in order to conserve firewood and dung;

(b) if so, when the scheme is likely to be implemented; and

(c) how far it would be possible to give concession in the price of coke ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak): (a), (b) & (c) : A scheme has been prepared by Central Fuel Research Institute for conducting experiments in selected villages in each of the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Bihar, for popularising the use of soft coke as domestic fuel in replacement of cow-dung and firewood. The State Governments concerned have been advised to examine the possibility of implementing the scheme.

भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों की कीमतें

3035 श्री वीरभद्र सिंह : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रशुल्क आयोग द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के ट्रैक्टरों के लिये सिफारिश की गयी कीमतें स्वीकार नहीं की हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ट्रैक्टर निर्माताओं को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 15 प्रतिशत लाभ की अनुमति देने सम्बन्धी आयोग की सिफारिश को भी नहीं स्वीकार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने उक्त भाग (क) और (ख) के बारे में क्या निर्णय किये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 3 जून, 1968 में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प सं० 54/4/67 ए० ई० आई० 2 के पैराग्राफ 3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। संकल्प की प्रतिलिपि संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

Stoppage of Trains at Datia Station

3036. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the details of trains coming from Delhi and Bhopal which halt at Datia station on Gwalior-Bhopal line in Madhya Pradesh during day-time and night-time, respectively; and

(b) whether at least one fast passenger train from either side is proposed to be halted at Datia during day-time in view of its being capital of a former State, present Headquarters of a District, a famous city, and a major market and the need of the people therefor ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) (a)and(b): At present, 58Up Amritsar-Bombay Express, 360Up Delhi-Jhansi Passenger, 347 Dn. Jhansi-Agra Passenger and 17Dn. Madras-Delhi Janata Express stop at Datia station during day-time while 18 Up Delhi-Madras Janata Express, 348Up Agra-Jhansi Passenger, 359Dn. Jhansi-Delhi Passenger and 57Dn. Bombay-Amritsar Passenger stop there at night.

Thus, one Passenger and one Fast Express train each way already stop at Datia station during day-time.

Electrification of Railway Stations on Gwalior Sheopur-Kalan Section

3037. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Min ster of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway stations of Ghosipura Jn. and Sabalgarh on Gwalior-Sheopur-Kalan Sections of Narrow gauge Railway in Madhya Pradesh as also the quarters of Station Masters and other staff of these stations have been electrified; and

(b) if not, the reasons therefor especially where the electric lines are quite close to these places.

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Ghosipura Junction station has not been electrified so far but Sabalgarh station has been electrified on 5-12-1967. The quarters of station masters and other staff have not been electrified upto now.

(b) Ghosipura station has not been electrified as no trains stop at this station during night time.

The quarters of station masters as well as other staff at Sabal garh have not been electrified upto now due to paucity of funds.

Supply of Electricity to Bhilai Steel Plant

3038. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the quantum of electric power being supplied at present to the Bhilai Steel Plant in Madhya Pradesh;

(b) whether it is sufficient and, if not the steps taken to meet the increased requirements of the Plant;

(c) since when more power was required and the reasons for not making it available to the Plant so far according to its requirement; and

(d) by what time this requirement will be fulfilled so as not to interrupt the production of the Steel Plant ?

The Deputy Minister in the Ministy of Steel Mines and Metals (Shri Ram Sewak) (a) At present, the Bhilai Steel Plant is receiving electric power from the Madhya Pradesh Electricity Board to the extent of 60 MW. In addition, Bhilai Steel Plant has its own generating unit with a capacity of 24MW.

(b) The electric power received is sufficient to meet the Plant's present requirements.

(c) and (d) : Additional power requirements of the Plant for expansion as from 1966 onwards. were communicated to the Madhya Pradesh Electricity Board in early 1962, and the Plant's requirements have been fully met since January. 1968.

Collieries at Korba and Patharkheda in Madhya Pradesh

3039. Shri Yashwant Singh Kushwah : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether the question of handing over (Captive) Collieries of Korba and Patharkheda areas in Madhya Pradesh to the State Government is under consideration of Government;

(b) when this request was received from the State Government and the reasons for not accepting it so far; and

(c) whether the request is likely to be acceded to shortly ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines & Metals (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) The request of the State Government was received about 4years ago : all the implications of the transfer have been under correspondence. Recently the matter was discussed with the Ministers of M. P. Government.

(c) The proposal is still under consideration.

Price of Coal

3040. Shri Yashwant Singh Kushwah: Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have requested the Central Government to refix the coal prices by reducing the enhanced price in respect of coal being supplied to the M. P. Electricity Board;

(b) if so, whether the State Government have mentioned any propriety therefor; and

(c) the action being taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministy of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) (a) Sir.

No, (b) and (c) : Do not arise.

मध्य रेलवे की यातायात लेखा शाखा के दूसरी श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति

3041 श्री सूरज भान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 दिसम्बर, 1966 के पत्र संख्या 62/ जी० एस० जी० ए० तथा 4 अप्रेल, 1968 के पत्र संख्या इ० (एन० जी०) 66 आर० आर० आई /12/ इकानमी/ई०/(जी०)/पी० टी० द्वारा संशोधित रूप में के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये आदेशों के बावजूद मध्य रेलवे के भूतपूर्व यातायात लेखा कार्यालय, जिसका मुख्य कार्यालय सिकन्दराबाद में था, के दूसरी श्रेणी के लिपिकों को, जिन्हें अब दक्षिण मध्य रेलवे के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय में शामिल कर लिया गया है, अब तक पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे कर्मचारियों ने, जिन्होंने सभी प्रकार से अभ्यावेदन कर लिये थे, सिकन्दराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्य रेलवे के मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय के सामने 19 जनवरी, 1968 को एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की थी; और

(ग) यदि हां, तो सन्तप्त कर्मचारियों के साथ किये गये अन्याय को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) किसी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया गया है, लेकिन मध्य, दक्षिण और दक्षिण-मध्य रेलों के 'छाया पदों' के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के निर्णय पर अमल करने में कुछ कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं, क्योंकि 1.10.62 को दक्षिण मध्य रेलवे नहीं बनी थी।

(ख) 19-1-1968 को एक प्रदर्शन हुआ था।

(ग) 12-8-1968 को तीनों रेलों के वरिष्ठ अधिकारियों और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की एक बैठक नियत की गयी है ताकि इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करके इन तीनों रेलों में 'छाया पद योजना' पर अमल करने के लिए कोई सूत्र निकाला जा सके। उसके बाद आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

Mineral Wealth of U. P.

3042. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) wether any survey was ever conducted to prospect cement-stone and other minerals in district Banda (U. P.);

(b) if so, the number of times such surveys were conducted and the results thereof;

(c) whether a factory is proposed to be set up there if any mineral has been found worthy of exploitation as a result of these surveys; and

(d) whether sand used in making glass is also found in this district and if so, whether a glass-factory can be set up there ?

The Deputy Minister in the Ministery of Steel, Mines and Metals (Shri Ram Sewak) : (a) and (b) Yes, Sir. The Geological Survey of India have conducted surveys at different periods. As a result of surveys carried out, workable deposits of dolomite and glass sands have been located.

(c) Government of India have no such proposal.

(d) Yes, Sir. Glass sand has been found in Banda district. which can be used in a glass factory.

Railway line Connecting Lalitpur station with Khajuraho, Ajaygarh, Naraini and Atara

3043. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a new Railway line connecting Lalitpur Station with Khajuraho, Ajaygarh, Naraini, Atara, Baweru, Rajapur and Bargarh ;

(b) whether it is also a fact that survey in regard to the construction of this line was made long back and at a time when people did not use means of transport much and that now the number of passengers and road transport have increased tremendously thereby necessitating the construction of this new Railway line; and

(c) when Government propose to start construction of the said line ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) No.

(b) and (c) The previous survey revealed that this line will not be remunerative. Since the last surve y was carried out, there appears to have been no major development in the area, offering a large volume of traffic. During the present financial stringency it is not possible to consider the construction of this line.

केरल से निर्यात

3044. श्री मंगलथुमाडोम : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से काली मिर्च, काजू, नारियल जटा से बनी वस्तुओं, रबड़ आदि का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप वर्ष 1966-68 की तुलना में वर्ष 1968-69 में कितनी अधिक विदेशी मुद्रा कमाई जाने का अनुमान है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) केरल से निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पादों की देखभाल काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद, मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद, समुद्री उत्पादन निर्यात संवर्द्धन परिषद्, इलायची बोर्ड, नारियल जटा बोर्ड, रबड़ बोर्ड तथा चाय बोर्ड द्वारा की जाती है। निर्यात बढ़ाने के लिए उन्होंने निम्नलिखित उपाय किये हैं। व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेकर, पैम्फलेटों, फिल्मों आदि द्वारा विदेशों में उत्पादों का प्रचार करना, बाजार सर्वेक्षण करना, विदेशी खरीदारों से उनके विदेश स्थित कार्यालयों तथा विदेश स्थित भारत के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्पर्क रखना, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों तथा बिक्री/अध्ययन दलों को विदेशी बाजारों में भेजना और निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से उनपर विचार-विमर्श हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना।

(ख) निर्यात के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते फिर काजू, समुद्री उत्पादों, मसालों तथा नारियल जटा के माल के निर्यात में वर्ष 1967-68 की तुलना में 1968-69 में लगभग 4 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशंका है।

कोयला खानों का आधुनिकीकरण

3045. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में सरकारी क्षेत्र में कोयला खानों का आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कार्यवाही की गई; और

(ख) इस कार्य के लिये यदि कोई विदेशी मुद्रा खर्च की गई तो कितनी ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

3046. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने के प्रशासनिक ढांचे के पुनंगठन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध ढांचे के बारे में कई सिफारिशें की हैं। इनमें से कुछ सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय 10 मई, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध के पुनर्गठन के बारे में सरकार के निर्णय उस वक्तव्य में दिये गये हैं जिसकी प्रति इस्पात खान और धातु मन्त्री द्वारा 20 मार्च, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में बने विद्युत चालित इंजन

3047. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में 1967-68 में कितने विद्युत चालित इंजन बनाये गये; और

(ख) उनमें प्रयुक्त आयातित सामग्री की प्रतिशतता क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 30 इंजन।

(ख) लगभग 40 प्रतिशत।

इन्टेगरल कोच फैक्ट्री

3048. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरम्बूर स्थित इन्टेगरल कोच फैक्टरी ने 1967-68 के दौरान अपने रेल के सवारी डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य पूरा कर लिया था; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पूनाचा) : (क) जी हां।

(ख) सवाल नहीं उठता।

छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन

3049. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों को स्थिर करने तथा विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता कर सकने के उद्देश्य से छोटे पैमाने के क्षेत्रों को अधिक प्रोत्साहन और सुविधायें देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) लघु उद्योग उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं का सम्भरण करके मूल्यों को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इस सम्बन्ध में लघु उद्योगों द्वारा बहुत सस्ते मूल्य के ट्रांजिस्टर बनाकर उनका सम्भरण करना इसका एक उदाहरण है। राज्य व्यापार निगम भी लघु उद्योगपतियों को निर्यात में बढ़ावा देने के लिए विपणन सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था कर रहा है। वह विदेशी बाजारों का पता लगाता है, उनकी ओर से आर्डर प्राप्त करता है, पैकिंग तथा उपहार सामग्री में सहायता करता है, समुद्रपार के खरीदारों को ऋण देता है और छोटे निर्यातकों के लिये वित्त व्यवस्था करता है। लघु उद्योगों के विकास आयुक्त लघु उद्योगों के लिए तकनीकी तथा प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था करने में सहायता करते हैं जिससे उनका उत्पादन बढ़े, किस्म का स्तर ऊंचा हो तथा विदेश के बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में सुधार हो।

निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहन के लिये दावे

3050 श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे निर्यातक जिन्होंने रुपये के अवमूल्यन से पहले अपनी वस्तुएं निर्यात की थी उस समय मिलने वाले निर्यात प्रोत्साहन के हकदार थे तथा उन्हें अवमूल्यन के पश्चात् तथा उपर्युक्त निर्यात प्रोत्साहन हटाये जाने के पश्चात् किये गये निर्यात के सम्बन्ध में इस हक से वंचित रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनमें से कुछ व्यक्तियों के दावों को विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लिया गया था;

(ग) क्या ऐसे बहुत से दावे अभी भी अनिर्णित पड़े हैं अथवा सरकार ने उन पर निर्णय कर लिया है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे दावे कितने मूल्य के थे; और

(घ) न्यायालयों के उपयुक्त निर्णयों को दृष्टि में रखते हुए उन्हें निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा क्या उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित मामलों को इस बीच पुनः चालू किया गया है और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) रुपये के अवमूल्यन से पहले निर्यातित अनुमोदित उत्पाद (1) आयात हकदारी (2) नगद सहायता तथा (3) इंजीनियरी वस्तुओं के निर्माण के लिए लोहे तथा इस्पात की रियायती पूर्ति के लिये पात्र थे । अवमूल्यन से पूर्व निर्यातित उत्पादों को, जिनके सम्बन्ध में भुगतान की राशियों अवमूल्यन से पूर्व रुपये की पुरानी सममूल्य दर पर प्राप्त भी हो गई थीं, उपर्युक्त तीनों सुविधाएं दी गई हैं । रुपये के अवमूल्यन से पूर्व निर्यातित उत्पादों के मामले में, जिनकी भुगतान राशियां अवमूल्यन के बाद, अवमूल्यन के बाद की रुपये की सममूल्य दर पर प्राप्त हुई थीं, सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया है कि एक ऐसा अध्ययन शुरू किया जाये जिसमें यह देखा जाये कि निर्यातक द्वारा बढ़ी हुई रुपया प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए क्या उसे निर्यात में कोई वास्तविक हानि हुई है । इस अध्ययन के पूरा हो जाने के बाद इस सम्बन्ध में एक अन्तिम निश्चय किया जायेगा कि उन मामलों में नकद सहायता और लोहे तथा इस्पात की रियायती पूर्ति की सुविधायें दी जायें अथवा नहीं । जहां तक, आयात हकदारियों का सम्बन्ध है, रुपये के अवमूल्यन से पूर्व किये गये तमाम निर्यातों पर, रुपये के अवमूल्यन से पहले लागू निर्यात समर्थन योजना के अन्तर्गत देय आयात हकदारियां दे दी गई हैं ।

(ख) जहां तक ज्ञात है, विशिष्ट लोहे तथा इस्पात के केवल एक निर्यातक ने, रुपये के अवमूल्यन से पूर्व के इस्पात निर्यातों पर नगद सहायता न देने के सम्बन्ध में कलकत्ते के उच्च न्यायालय में कार्यवाही की है । अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) भाग (क) तथा (ख) के उत्तरों को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते ।

औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प का पुनरीक्षण

3051. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक नीति संबंधी संकल्प को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने या विस्तार करने की आवश्यकता होगी, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में खनिज पदार्थ

3052. **श्री के० आर० गणेश** : क्या इस्पात खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के खनिज संसाधनों का कोई सर्वेक्षण किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसा सर्वेक्षण करने का विचार है ?

इस्पात खान तथा धातु मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप चूना पत्थर, क्रोमाइट, ऐस्बेस्टास, गंधक, ज्वालामुखी राख, लिगनाइट, कोयले और मिट्टियों के पाये जाने का पता चला है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दीमापुर-मनीपुर रोड स्टेशन पर सीटों का आरक्षण

3053. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मनीपुर और नागालैंड के यात्रियों को बड़ी असुबिधा होती है, क्योंकि दीमापुर-मनीपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सीटें नहीं मिलती और वहां पर सभी श्रेणी की सीटों के आरक्षण की गुंजाइश सीमित होती है ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर और नागालैंड के लिए इस समय कितनी सीटें आरक्षित करवाई जा सकती हैं; और

(ग) क्या सरकार का मनीपुर और नागालैंड के यात्रियों के लिये दीमापुर मनीपुर रोड स्टेशन पर और उससे आगे वाले स्टेशनों पर उपलब्ध आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) मनीपुर और नागालैंड से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दीमापुर मनीपुर रोड स्टेशन के लिये आरक्षण का कोटा नियत है, जिसका ब्योरा इस प्रकार है:-

(i) **4 डाउन प्रसम मेल में**

पहला दर्जा—1 शायिका
3—टियर शयन यान—1 शायिका
2—टियर शयन यान--1 शायिका और 5 सीटें

(ii) **5 डाउन एक्सप्रेस में (गौहाटी से)**

पहला दर्जा -- 1 शायिका
2--टियर शयन यान--1 शायिका और 3 सीटें

(iii) **20 डाउन सिलिगुड़ी सवारी गाड़ी**

पहला दर्जा	—1 शायिका
8—टियर शयन यान	--4 शायिकाए
तीसरा दर्जा	-6 सीटें

उपर्युक्त कोटे के अलावा, इम्फाल आउट एजेंसी के लिए 4 डाउन मेल में पहले दर्जे की एक शायिका और 3--टियर-शयन यान में एक शायिका तथा तीसरे दर्जे की 2 सीटें और 15 डाउन एक्सप्रेस में तीसरे दर्जे की 1 सीट का कोटा नियत है ।

दीमापुर-मनीपुर रोड स्टेशन अथवा रास्ते के किन्हीं अन्य स्टेशनों के लिए दूसरे दर्जे में स्थान आरक्षित करने का कोई कोटा नियत नहीं है । इसका कारण यह है कि दीमापुर-मनीपुर रोड स्टेशन से होकर जाने वाली गाड़ियों में दूसरे दर्जे की बहुत कम जगह होती है ।

इस समय 4 डाउन असम मेल में तीसरे दर्जे का जो कोटा नियत है, केवल उसी का पूरा-पूरा उपभोग किया जा रहा है, जबकि अन्य गाड़ियों में कोटे का उपभोग 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता । पिछले तीन महीनों में प्रतीक्षा सूची में रखा गया कोई यात्री स्टेशन पर नहीं छूटा और न कोई आरक्षण न मिलने के कारण यात्रा करने से वंचित रहा । इसलिये मनीपुर और नागालैंड से आने वाले यात्रियों को दीमापुर-मनीपुर रोड स्टेशन पर सीट न मिलने के कारण कोई असुविधा नहीं होती ।

फिलहाल कोटा बढ़ाने का औचित्य नहीं है । लेकिन हर 6 महीने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

मनीपुर में उद्योग

3054. **श्री एस० मेघचन्द्र :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में वर्ष 1968–69 में बड़े अथवा छोटे कितने उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या मनीपुर की सरकार से अब तक कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें मनीपुर में कागज तथा चीनी के कारखाने स्थापित करने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) वर्ष 1968–69 में मणिपुर में एक आरा मिल, एक री-रोलिंग मिल तथा प्लास्टिक की वस्तुएं बनाने के संयंत्र बनाने एवं पीनाफाइबर एक्सट्रेक्शन के कारखाने गैर–सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने की आशा है :

(ख) तथा (ग) कागज की मिल लगाने का कुछ समय पूर्व मणिपुर प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव विचाराधीन है । मणिपुर में चीनी का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

मनीपुर हथकरघा उत्पाद

3055. **श्री एस० मेघचन्द्र :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और भारत से बाहर मनीपुर हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ख) भारत के नगरों तथा कस्बों में इस समय कितने विक्रयालय हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) तथा (ख) मनीपुर सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा और जो बिक्री एम्पोरियम खोले गये हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार हैं:—

1. हथकरघा शीर्ष समिति द्वारा नागालैंड में दीमापुर में एक विक्रय-डिपो खोला गया है।

2. मनीपुर में ही हथकरघा के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिये प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा कई विक्रय डिपो खोले गये हैं।

3. दिल्ली में एक विक्रयालय खोला जा रहा है।

4. हथकरघा उत्पादों की उचित विपणन व्यवस्था करने के लिये एक लघु उद्योग निगम की स्थापना की जा रही है।

5. राज्य सरकार विक्रयालय तथा शीर्ष हथकरघा समिति भारत के अन्दर तथा भारत से बाहर होने वाले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिल्चर रेल पर्यन्त से जिरी तक रेलवे लाइन का निर्माण

3056. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्चर रेल पर्यन्त से मनीपुर के जिरीवम सब-डिवीजन के जिरी स्टेशन तक रेलवे लाइन का निर्माण किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या मनीपुर सरकार और मनीपुर की जनता उक्त रेल सम्पर्क बनाये जाने की इच्छुक है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किये गये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) धन की कमी के कारण इस समय इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

बिहार में सुपाल-प्रतापगंज तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

3057. श्री गुणानन्द ठाकुर : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में सुपाल से प्रतापगंज तक रेलवे लाइन के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण किस स्थान तक किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए सुपाल-प्रतापगंज लाइन का होना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेलवे लाइन के बारे में कार्य कब हाथ में लिया जायेगा और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) इस क्षेत्र का विकास करने के लिये सुपाल से थरमीटा तक की रेलवे लाइन को हाल में पुनः चालू कर दिया गया है । आगे थरमीटा से भपतियाही तक अर्थात 13 किलोमीटर रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । जब सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल जायेगी और रेलवे बोर्ड उसकी जांच कर लेगा, उसके बाद भपतियाही तक रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के बारे में अन्तिम निर्णय दिया जायेगा । अर्थोपाय की वर्तमान कठिन स्थिति के कारण प्रतापगंज तक रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के प्रस्ताव पर निकट भविष्य में विचार किये जाने की संभावना नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों में संशोधन करने के बारे में सरकार के निर्णय के फलस्वरूप देश में बिजली उपक्रमों के कर्मचारियों में कथित असन्तोष

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I call the attention of the Minister of Labour, Employment and Rehabilitation to the following metter of urgent public importance and request him to make a statement thereon.

"Serious discontent among the employees of Electricity Undertakings in the country following the Government's decision to unilatierally amend the interim recommendations of the wage Board.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : सरकार ने 20 जून, 1968 के अपने संकल्प द्वारा बिजली उपक्रमों से संबंधित केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को निम्नलिखित संशोधनों / स्पष्टीकरणों के साथ स्वीकार किया ।

(1) मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के लागू होने की तारीख ।

(2) इन सिफारिशों का सरकारी विभागीय उपक्रमों पर लागू न होना ।

(3) जिन मामलों में मजूरी बोर्ड के गठन के बाद कर्मचारियों को कोई सहायता दी गई है—पिछली तारीख से या बाद की तारीख से—वहां इसको मजूरी बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई अन्तरिम सहायक के साथ समजंन किया जायेगा, परन्तु यह उपबन्ध वार्षिक वेतन-वृद्धि की मजूरी, पदोन्नति या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली होने के कारण मजूरी वेतन में हुई वृद्धि पर लागू नहीं होगा।

जहां तक इन सिफारिशों के लागू होने की तारीख का सम्बन्ध है, इस सिफारिश पर भली भांति विचार करने के बाद यह महसूस किया गया कि बोर्ड द्वारा सिफारिश की गई पिछली तारीख से, अर्थात 1 जनवरी, 1967 से अन्तरिम सहायता की अदायगी करने से, बिजली उद्योग की आर्थिक दशा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और बिजली की दरों में वृद्धि हो सकती है। अतः यह निर्णय किया गया कि इन सिफारिशों को केवल 1 जुलाई, 1967 से लागू किया जाय।

इस संशोधन के अलावा यह स्पष्ट करने का निर्णय किया गया कि ये सिफारिशें सरकारी उपक्रमों के रूप में काम करने वाले बिजली उपक्रमों पर लागू नहीं होंगी। सरकारी कर्मचारियों की सेवा-शर्तें और वेतन-मान विभागीय आदेशों द्वारा विनियमित किए जाते हैं और उनकी उपलब्धियों में तथा अन्य सेवा-शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में आयोग समितियां आदि अलग रूप से जांच करती हैं। अब तक 14 मजूरी बोर्डों ने अपनी अन्तिम सिफारिशें पेश कर दी हैं और छः अन्य बोर्डों ने अन्तरिम सिफारिशें की हैं। परन्तु इनमें से कोई भी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होती। यह भी स्पष्ट है कि श्रमिकों के मन का यह डर सही नहीं है कि इस संशोधन से राज्य बिजली बोर्डों के कर्मचारी इन सिफारिशों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह संशोधन केवल उन उपक्रमों पर लागू होता है जो कि सरकार द्वारा सरकारी उपक्रमों के रूप में चलाये जाते हैं।

स्वयम् इस बोर्ड ने यह सिफारिश की है की अन्तरिम सहायता जो एक अथवा अधिक किश्तों में कर्मचारियों को 28 मई, 1966 से अथवा 28 मई, 1968 के बाद लेकिन पहली सितम्बर, 1967 से पहली की तारीख से मिली हो, कुल उपलब्धि के साथ, जैसा कि बोर्ड ने सिफारिश की है, समंजित की जानी चाहिये। सरकारी संकल्प में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां मजूरी बोर्ड की स्थापना के बाद, मंहगाई भत्ते में और अथवा उपलब्धि में वृद्धि करके किसी भी प्रकार की कोई सहायता पूर्व व्याप्ति अथवा बिना पूर्व व्याप्ति के दी गई है, उसे मजूरी बोर्ड द्वारा मंजूर की गई अन्तरिम सहायता के साथ समंजित कर दिया जाना चाहिये। लेकिन ऐसा समंजन वार्षिक वृद्धियां, पदोन्नति और एक जगह से दूसरी जगह बदली होने के परिणामस्वरूप हुई मजूरी वेतन में हुई वृद्धि पर लागू नहीं होगा। हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ राज्य बिजली मजूरी बोर्डों ने 28 मई, 1966 अर्थात बोर्ड के गठन की तारीख के बाद अपने कर्मचारियों की उपलब्धियों में वृद्धि करने के आदेश जारी किये हैं और यह कि कुछ मामलों में ऐसे आदेश बोर्डों की नियुक्ति से पहले की तारीख से लागू किये जाते हैं।

मैं इस बात की सराहना करता हूं कि कुछ क्षेत्रों में यह विचार व्यक्त किये गये कि बोर्ड की सर्व-सम्मत सिफारिशों को बिना किसी परिवर्तन के सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना

चाहिये । परन्तु सदन इस बात से सहमत होगा कि सरकार को बोर्ड की सिफारिशों से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सब प्रकार के प्रभावों को ध्यान में रखना पड़ता है और यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि सिफारिशों की क्रियान्विति से उद्योग तथा उपभोक्ताओं पर असाधारण रूप से कोई बोझ न पड़ने पावे। इस प्रकार यह मालूम होगा कि इस मामले में मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का पिछली तारीख से क्रियान्वित किये जाने के बारे में किये गये परिवर्तन के अलावा बाकी दो परिवर्तन स्पष्टीकरणों के रूप में हैं।

Shri S. M. Joshi: The stand of the Government that the recommendations of this Wage Board, which were received late, will not apply to those Electricity Boards, which are run by Government as departmental undertakings is not at all Justified, because the Government always expressed their inability to do anything for the employees of these Boards, whenever they had put forth their demands, on the ground that a Wage Board had already been constituted for them. I want to know categorically whether the wage board recommendations will apply to those who are employees of State Electricity Boards, but who are governed by the conduct rules of the Government are who are not strictly speaking Government servants. Secondly, when the Labour Act was enacted it was assured by the Government that they would accept the unanimous recommendations of the Wage Board and that the unanimous recommendation of any wage board would not be tampered with, or modified or amended by the Govt. Now the Government are going back from their assurance. I want to know whether Government have made any change in their wage policy.

श्री हाथी : जहां तक राज्य बिजली बोर्डों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मजूरी बोर्ड की ये सिफारिशें उन पर लागू होंगी, केवल दो राज्य ऐसे हैं,– जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड तथा संघ राज्यक्षेत्र, जहां राज्य बिजली बोर्ड नहीं है, यह संशोधन केवल उन उपक्रमों पर लागू होता है, जो सरकार द्वारा विभागीय उपक्रमों के रूप में चलाये जाते हैं।

जहां तक सर्वसम्मत सिफारिशों का सम्बन्ध है, इन पर कर्मचारी तथा नियोजक दोनों ही सहमत हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि इससे बिजली की दर में वृद्धि करनी पड़ेगी। दोनों ने यह कहा है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाये कि वे इन बोर्डों को दर में तदनुसार समायोजन करने की अनुमति दें, यह भी एक एकमत सिफारिश है, इसका मतलब यह है कि गरीब उपभोक्ताओं को, जिसमें किसान शामिल है, पिछली अवधि से बढ़ी दर पर पैसे देने होंगे। इसलिये हमें इस पहलू पर भी विचार करना है। क्योंकि यह उद्योग अन्य उद्योगों से भिन्न है, जहां अधिक से अधिक बैंक दर से केवल 2 प्रतिशत अधिक प्रतिलाभ लिया जा सकता है और वहां कोई लाभ नहीं कमाया जा सकता, राज्य बिजली बोर्डों के मामले में तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : संबद्ध कर्मचारियों की अनुमति के बिना इन अन्तरिम सिफारिशों में परिवर्तन किये जाने के क्या कारण है, क्या उसे पुनः मूल रूप दिया जायेगा और क्या मंत्री महोदय बिजली कर्मचारियों की आम-हड़ताल की बाट देख रहे हैं और क्या वह अन्त में इस विवाद के आधार पर त्याग पत्र देंगे ?

श्री हाथी : इस विवाद पर त्याग पत्र देने का कोई प्रश्न नहीं है. बिजली कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जब मुझ से मिला था, वास्तव में - श्री बनर्जी उनके साथ आने वाले थे - पहली बात पर - अर्थात भूतलक्षी प्रभाव के सम्बन्ध में मैं उन्हें विश्वास दिलाने में सफल रहा हूं और वे उस बात पर अड़े हुए नहीं थे, यद्यपि ये सर्वसम्मति सिफारिशें हैं, तथापि उनकी क्रियान्विति के फलस्वरुप बिजली की दरें पिछली अवधि की दरों से बढ़ानी पड़ेगी। हमें इस पहलू पर विचार करना है। जहां तक सिफारिश में परिवर्तन करने का प्रश्न है, संसद के परामर्श से परिवर्तन करने की प्रथा कभी नहीं रही है, प्रथा यह है कि सरकार मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करती है और उन पर वह जो कुछ निर्णय लेती है उसे सभा - पटल पर रखती है। इस मामले में, सरकार का निर्णय सभा - पटल पर रखा गया है । इसके अलावा स्थिति इस प्रकार है कि इन बोर्डों को उपभोक्ताओं से धन प्राप्त करके कर्मचारियों को देना पड़ता है । हमें गरीब उपभोक्ताओं के हितों पर भी विचार करना पड़ता है। जम्मू तथा काश्मीर और नागालैंड में कोई भी राज्य बिजली बोर्ड नहीं है और उन्हें सरकारी विभागों के तौर पर चलाया जाता है। इसलिये उन पर वेतन आयोग अथवा समिति की सिफारिशें और सरकारी नियम लागू होते हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): In view of the statement made by the Minister that he himself appreciated the view point expressed in certain quarters that unanimous recommendations of the board should be accepted by Government without any modification, may I know whether there had been any basic change in the Governments policy and attitude towards the Indian Labour Conference ? The Minister had stated that all the rules and regulations and Bills relating to, Trade Unions should be passed only after these are considered and approved by the Indian Labour Conference. I want to know in what circumstances the Government have modified this recommendation when they have assured that all the unanimous recommendations of the Wage Boards would be implemented in full without any modification at all? When they have accepted in principle that no labour legislation would be brought forward without consulting the Indian Labour Conference, why a clause relating to labour was inserted in the Banking Laws (Amendment) Bill ?

श्री हाथी : जहां तक मजूरी बोर्डों की सर्वसम्मत सिफारिशों का सम्बन्ध है, उन्हें आम तौर पर स्वीकार किया जा रहा है, हमें समूची स्थिति पर विचार करना पड़ता है । अन्ततोगत्वा, क्या उसे स्वीकार किया जाये अथवा नहीं, यह निर्णय करना सरकार का काम है, आम तौर पर उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है । परम्परा यह है कि जब कभी श्रम सम्बन्धी विधान लाया जाता है, तो हम उस पर भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार-विमर्श करते हैं। इस बात का वास्तव में श्रमिकों से सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) पिछली बार कोयला उद्योग और लोहा तथा इस्पात उद्योग में मजूरी बोर्डों की सर्वसम्मत सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की मजूरियों की दरों में वृद्धि की गई थी और साथ ही साथ कोयला तथा इस्पात का मूल्य बढाने की भी अनुमति दी गई थी । किन्तु इस मामले में मंत्री महोदय कहते हैं कि इस एकमत सिफारिश की क्रियान्विति के परिणाम स्वरुप बिजली की दर बढ़ानी पड़ती है इसलिये कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा जायेगा, यह कैसा सिद्धान्त है और तथा कैसी नीति है ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मजूरी बोर्ड में सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व दिया गया

था-क्या इसमें इन उपक्रमों के नियोजकों के प्रतिनिधि भी शामिल थे ? क्या इस बोर्ड के सदस्य यह नहीं जानते थे कि उनकी इस एकमत सिफारिश का प्रभाव इस उद्योग पर क्या पड़ेगा-जिसमें इन उपक्रमों के मालिक शामिल थे, क्या बिना सोचे-समझे यह सिफारिश की है ? सरकार ने आज तक मजूरी बोर्डों की सभी एकमत सिफारिशों को स्वीकार किया है, केवल इस मामले में ही सरकार ऐसा अनुचित बर्ताव तथा भेद-भाव कर रही है, जिससे मजूरी बोर्डों के भविष्य पर आंच आयेगी और आगे कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति मजूरी बोर्डों का अध्यक्ष अथवा सदस्य बनने के लिये सहमत नहीं होगा क्योंकि सरकार एकमत सिफारिशों में फेर-बदल कर रही है । क्या मंत्रीजी इस बात को अनुभव करते हैं ?

श्री हाथी : जहां तक कोयला मजूरी बोर्ड का सम्बन्ध है, हमने क्रियान्विति की तारीख बदली थी जहां तक कोयले के मूल्यों का सम्बन्ध है, नियोजक चाहते थे, कोयले का दाम बढ़ाया जायें किन्तु दाम नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ कोयले पर से नियंत्रण हटा लिया गया, इसलिये सरकार के लिये मूल्य बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं था । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, इस बोर्ड में नियोजकों का प्रतिनिधि-नहीं था । इस सम्बन्ध में मेरा उत्तर यही था कि दोनों इस बात के लिये सहमत हो गये थे कि उसमें बृद्धि की जानी चाहिए । किन्तु नियोजक चाहते थे कि उन्हें बिजली का दर बढाने की अनुमति मिल जाये, ताकि उन्हें कोई हानि न हो ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The statement of the Minister is not convincing. It is rather misleding. I want to know whether Government Propose to invite the representations of the workers in order to discuss the issue with them and have a negotiated settlement ?

Shri Hathi : I had called them and they met me, their main contention was that it would not apply to those workers who are governed the Government departmental rules. I had clarified the position that it was not so. So far as this apprehension is concerned that one third of the workers would not be covered, I have asked them to let me know have the figures, as to who were the one-third ?

श्री श्री० ग्र० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : चूंकि सरकार ने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करने के लिये एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया था, इस मामले में भी वह इसी तरह का एक सम्मेलन आयोजित करके इस विवाद का निपटारा कर सकती हैं ।

श्री हाथी : तथ्यों के मिलने पर ही ऐसा किया जा सकेगा ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कृषिक ट्रैक्टरों के मूल्य निर्धारित करने के बारे में टेरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1967)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या 5/44/67/ए ई आई० II दिनांक 3 जून, 1968

(तीन) ऊपर की (एक) और (दो) में उल्लिखित दस्तावेजों के उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रख सकने के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1629/68]**

(2) ट्रैक्टर (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1967 के खण्ड 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1955 की एक प्रति जो दिनांक 3 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1629/68]**

निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मैं निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) डि-आयल्ड राइस ब्रान का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 12 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2537 में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) मेंढ़क की टांगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 18 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2609 में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(तीन) पी० वी० सी० चर्म वस्त्र का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 24 जुलाई 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2619 में प्रकाशित हुए थे। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 1630/68]**

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाए

इस्तपात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति

(एक) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 1 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 634 में प्रकाशित हुऐ थे। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 873/68]**

(दो) खनिज रियायत (चौथा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 703 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 जो दिनांक 13 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 704 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 988/68]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति—

(एक) नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1631/68]**

(दो) नेशनल मिनरल डैवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966–67 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1631/68]**

(तीन) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नागपुर के 1966–67 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1631/68]**

(चार) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड का 1966--67 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1631/68]**

उत्तर प्रदेश बांट तथा माप (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम और इस अधिसूचना को सभा - पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूँ :

---

*अधिसूचना पहले 16 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई थी और प्रक्रिया नियमों के नियम 234 (2) के अन्तर्गत पुनः सभा पटल पर रखी गई ।

**अधिसूचना पहले 23 अप्रैल, 1968 को सभा पटल पर रखी गई और प्रक्रिया नियमों के नियम 234 (2) के अन्तर्गत पुनः सभा पटल पर रखी गई ।

(एक) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1967 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या डब्ल्यू एम आर–ए-ए एम- 10658/XXIX डी-61 (49)–67 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1632/68]**

अनुदानों (सामान्य) की अनुपूरक मांगे
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं 1968–69 के आयव्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का विवरण देने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी० (कानपुर) : क्या त्यागपत्र देने वाले मंत्री अपने त्यागपत्र के कारण बताने वाला वक्तव्य सभा में देंगे ? क्या उन्होंने आपको या सदन के नेता को इसकी सूचना दी है ।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है कि : 2 अगस्त, 1968 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने, दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1964 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने के समय को राज्य सभा के 66 वें (नवम्बर-दिसम्बर, 1968) सत्र के आखिरी दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : आज सायं 5 बजे नियम 193 के अन्तर्गत किसी मामले पर चर्चा की जानी थी । परन्तु सम्बन्धित सदस्यों अर्थात् जिन्होंने उपरोक्त मामले पर चर्चा उठानी थी, के अनुरोध पर यह चर्चा स्थगित कर दी गयी है ।

बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक–जारी

BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL–Contd.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Deputy Speaker *in the Chair*. }

खण्ड 2–धारा 5 का संशोधन

Amendment of Section 5

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 30, 31 और 32 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं संशोधन संख्या 56 और 57 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 58 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : मैं संशोधन संख्या 122 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 123, 124 और 126 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : बैंकों में धन जमा करने वाले लोगों के हितों और सार्वजनिक हितों को सदा ध्यान में रखना चाहिये । बैंकिंग नीति की प्रस्तावित परिभाषा में केवल इतना ही कहा गया है कि जमाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखा जायेगा । मेरे विचार में केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है । मेरे विचार में बैंकों के विकास की अभी बहुत गुंजाइश है । परन्तु यदि जमाकर्ताओं के हितों को सर्वोपरि न रखा गया तो मेरे विचार में लोग बैंकों में अधिक धन-राशि जमा नहीं करवायेंगे । इसलिये मेरे विचार में सार्वजनिक हित के बाद जमाकर्ताओं के हितों को सर्वोपरि माना जाना चाहिये । यदि कहीं रिजर्व बैंक और जमाकर्ताओं के हितों का संघर्ष हो, तो जमाकर्ताओं के हित को प्रमुख स्थान देना चाहिये ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : इस खण्ड में यह कहा गया है कि (1) धन-राशि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये और (2) यह 5 लाख रुपये से अधिक भी नहीं होनी चाहिये । मेरे विचार में इस प्रकार के दोहरे प्रतिबन्ध आवश्यक नहीं है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि "पांच लाख रुपये" शब्दों का हटा दिया जाये । यदि किसी कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 2 करोड़ रुपये हो तो उस मामले से पांच लाख रुपये की धनराशि तो बहुत ही कम रहेगी । अतः इस खण्ड में केवल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत वाला प्रतिबन्ध रखा जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : खण्ड 2 में लघु उद्योग उस उद्योग को कहा गया है जिसमें 20 लाख रुपये की पूंजी लगी हो। मेरे विचार में इस धनराशि को घटा कर 10 लाख रुपये कर दिया जाये क्योंकि छोटे उद्योग के लिये 10 लाख रुपये काफी हैं।

दूसरी बात यह है कि सामाजिक नियन्त्रण के लिये जो बोर्ड बनाया जाये उसमें बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाये। ऐसा करने से सरकार को बैंकिंग उद्योग की बुराइयों का पता लगता रहेगा। मेरे विचार में बैंक कर्मचारियों की इस मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री लोबो प्रभु : हमें इस विधेयक पर जन-साधारण के हित को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये। मेरे विचार में रिजर्व बैंक की सिफारिशों के बाद ही वे प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किये जाने चाहिये, उससे पहले नहीं। रिजर्व बैंक में सब काम वित्त मंत्री की इच्छा के अनुसार होते हैं। राष्ट्रीय ऋण परिषद भी वित्त मंत्री की इच्छा के अनुसार ही कार्य करने वाली संस्था है। बैंकिंग नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस नीति पर सभा को विचार करना चाहिये जिससे सभी पक्ष इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर सकें।

ऋण लेने वाले यह जानते हैं कि यद्यपि रिजर्व बैंक की दर 5 प्रतिशत है तथापि 9 प्रतिशत से कम दर पर ऋण उपलब्ध नहीं होता। ब्याज की उचित दर निश्चित करना भी बैंकिंग नीति का ही अंग होना चाहिये ताकि उससे जनसाधारण को लाभ पहुंच सके। बैंकों के सम्बन्ध में आर्थिक प्रबन्ध की व्यवस्था की जानी चाहिये। बकों के कुल खर्च का 80 प्रतिशत भाग कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है। जनसाधारण को हानि पहुँचा कर बड़े-बड़े वेतन दिये जाते हैं। बैंकों को भी किसी अन्य संस्था की तरह कार्य करना चाहिये। इससे जनसाधारण को लाभ पहुँचेगा। एक अच्छे साम्यवादी का भी यही उद्देश्य होता है। बैंक के कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा जो अधिक वेतन दिये जाते हैं, उनसे सर्वसाधारण पर ही भार पड़ता है।

श्री स्वतंत्रसिंह कोठारी (मंदसौर) : नयी बैंकिंग नीति के परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। इससे बैंक के ऋणों का उपयोग राजनीतिक संरक्षण के लिये किया जा सकता है। अब बोर्ड का पुनर्गठन किया जायेगा और सम्भव है कि राजनीतिज्ञ और सेवा-निवृत्त असैनिक कर्मचारी बोर्ड में आ जायें और वे कुछ ऐसे लोगों को ऋण देने के लिये अध्यक्ष (चेयरमैन) पर दबाव डालें, जिनमें उनका या उनके दल का हित निहित हो। इससे बचने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिये अन्यथा जमाकर्ताओं के धन तथा उनके हित खतरे में पड़ जायेंगे।

दूसरी बात यह है कि रिजर्व बैंक के दबाव के कारण उपयुक्त प्रतिभूति पर ऋण देने के बारे में बैंक के चेयरमैन के निर्णय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। सरकार को ऋणों का बीमा करने के लिये एक निगम स्थापित करना चाहिये। यदि इस प्रकार के निगमों की स्थापना न की जा सकती हो तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि बैंक में धन जमा करने की सीमा, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये 5000 रुपये तक है, धीरे-धीरे 50,000 रुपये

या एक लाख रुपये तक कर देनी चाहिये और अन्ततोगत्वा बैंक में जमा समस्त धन-राशि की गारन्टी बीमा निगम द्वारा दी जानी चाहिये ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा संशोधन लघु उद्योग की परिभाषा के सम्बन्ध में है । अब तक लघु उद्योगों के लिये 5 लाख रुपये की अनुमति है । मूल विधेयक में इस राशि की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये की गई थी । अब इस राशि को बढ़ा कर 20 लाख रुपये किया जा रहा है । लघु उद्योग के सम्बन्ध में 20 लाख रुपये की सीमा निर्धारित करने से लघु उद्योग की परिकल्पना ही समाप्त हो जाती है । अतः इस सम्बन्ध में पुनः विचार किया जाना चाहिये ।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : बैंकिंग नीति में शेयर-होल्डरों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । मेरा संशोधन यह है कि "जमाकर्ताओं" के बाद "और शेयर-होल्डरों" को जोड़ दिया जाना चाहिये जिससे कि शेयर-होल्डरों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Local Committee members should also be clubbed with Director and similarly there should be as joint auditor from Reserve Bank also. It should be Rs. ten lakhs instead cf Rs. twenty lakhs, and the percentage brought down from ten percent to 5 per cent.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The main purpose of this Bill is to provide loans to farmers for the development of agriculture as the farmers were being ignored for want financial resources. The interests of the farmers should find its due place in the banking policy, otherwise farmers would find it difficult to increase their produce.

My second amendment is to substitute Rs. 10,000 for Rs. 7½ lakh. In case a person wants to instal a 'huller', consting Rs. 10,000, he should be allowed to do so in the small scale industry. He should not be deprived of this facility by putting the ceiling of Rs. 7,500.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जायेगी । यदि उनके हितों की रक्षा नहीं की जाती तो न कोई धन जमा करवायेगा और न ही बैंकों का कोई अस्तित्व रहेगा । अतः उनके हितों की रक्षा से तो कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

जब यह कहा जाता है कि सभी को संतुष्ट करने के लिये ब्याज की दर कम होनी चाहिये तो हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि हमें बैंकों को भी चलाना है । यदि हम आसानी से ऋण देने लग जायें, तो यह भी बहुत हानिकारक होगा क्योंकि लोगों को बुरी आदत पड़ जायेगी और उनको नुकसान होगा । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अर्थ-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए ब्याज निर्धारित किया जाना चाहिये । यह भी कहा गया है कि बैंक की नीति में जो भी परिवर्तन किया जाये, संसद् की स्वीकृति के बाद ही किये जाने चाहिये । मेरा यह विचार है कि यदि सरकार को मामूली-सी बात के लिये भी संसद् से पूछना पड़े तो सरकार का चलना असंभव हो जायेगा । दूसरी ओर संसद् के लिये भी छोटी छोटी बातों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा ।

श्री बनर्जी ने कहा था कि अधिकतम सीमा को कम करके 10 लाख कर दिया जाना चाहिये। इन पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर प्रवर समिति ने विस्तारपूर्वक विचार किया था कि छोटे उद्योगों की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होनी चाहिये या दस लाख रुपये। मैं यह समझता हूं कि अब उसे घटा कर 10 लाख रुपये करना उचित नहीं है। जिन उद्योगों में 7½ लाख रुपये से कम पूंजी लगी हुई है उन पर रोक नहीं लगाई गई है जो कुछ सदस्यों की धारणा थी।

एक दूसरी बात यह कही गई थी कि बैंक के संसाधनों का प्रयोग मुख्य रूप से किसानों के लिये किया जाये। परन्तु मैं यह बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि बैंक केवल किसानों के लिये ही नहीं है। उनके संसाधनों का प्रयोग मुख्यतः किसानों के लिये ही नहीं हो सकता। इसमें सन्देह नहीं कि हम कृषि को प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानते हैं परन्तु मेरा निवेदन यह है कि प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र भी तो हैं। हमें उन्हें भी तो स्थान देना होगा।

मुझे खेद है कि मैंने लेखा-परीक्षक की टिप्पणी का उल्लेख नहीं किया है। अतः मैं अब यह बता देना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक का कोई गवर्नर किसी व्यक्ति को ऋण देने के बारे में कोई अनुदेश नहीं देगा। वित्त मंत्री भी न तो स्वयं ऐसा करेगा और न किसी और को ऐसा करने देगा। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि राजनीतिक प्रश्रय का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दांडेकर अपने संशोधन संख्या 3 और 4 वापिस लेना चाहते हैं।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

The amendments were, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूँ :

अन्य संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The other amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : 'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा स्थगित होती है और 2.15 बजे म० प० पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये सवा दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till quarter past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा सवा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after lunch at quarter past fourteen of the Clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 3 पर चर्चा करेंगे। इस खण्ड पर बहुत से संशोधन है। जो सदस्य इस खण्ड पर संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

श्री नारायण दांडेकर : (जामनगर) मैं अपने संशोधन संख्या 6, 7, 8, 76 और 77 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 33 और 34 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपने संशोधन संख्या 46 और 47 प्रस्तुत करता हूं।

-ी लोबो प्रभु (उदीपी); मैं अपने संशोधन संख्या 60, 61 और 62 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 75 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री इरास्मो डी सेक्वीरा (मारमा गोआ) : मैं अपने संशोधन संख्या 100, 101, 102, 125, 127, 128 और 129 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नारायण दांडेकर : संशोधन संख्या 6 बहुत सरल है। इस खण्ड के अधीन निदेशक मंडल में 51 प्रतिशत ऐसे गैर उद्योगपति लोग होंगे जिनको 9 विषयों में से एक या एक से अधिक विषय का विशेष ज्ञान होगा इस सम्बन्ध में मेरी आपत्ति यह है कि हम अचानक ही ऐसी स्थिति को छोड़कर जहां कानूनी आवश्यकता नहीं है, उस स्थिति पर जा रहे हैं जहां 51 प्रतिशत लोगों को इस प्रकार शामिल करना अपेक्षित है। अतः मेरा सुझाव है कि 51 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत की व्यवस्था करना अधिक अच्छा होगा।

जहां तक संशोधन संख्या 7 का सम्बन्ध है मेरा यह सुझाव है कि बैंक के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन को रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत वित्तीय संस्था का डाइरेक्टर नियुक्त किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये। मेरा एक यह भी सुझाव है कि किसी व्यक्ति को, किसी फर्म या कम्पनी में निदेशक के अतिरिक्त और कोई हित होने के कारण, चेयरमैन बनने के लिये अयोग्य नहीं समझा जाना चाहिये क्योंकि ऐसे पहले ही व्यवस्था है कि यदि किसी बैंक का डाइरेक्टर इस तरह की संस्थाओं का डाइरेक्टर हो तो उन संस्थाओं को बैंक ऋण नहीं देगा। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रतिबन्ध को हटा दिया जाना चाहिये।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जिस व्यक्ति को नियुक्त करने की बात चल रही हो, उसे इसलिए अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिये कि नियुक्ति के समय उसमें अयोग्यतायें हैं। मेरा

कहना यह है कि अयोग्यता का प्रश्न उसके चेयरमैन नियुक्त किये जाने के पश्चात ही उठाया जाना चाहिये। यदि वह व्यक्ति उन अयोग्यताओं को निर्धारित अवधि के अन्दर दूर नहीं कर पाता तो उसे हटाया जा सकता है।

अन्त में मेरा एक निवेदन यह है कि इसमें एक यह उपबन्ध है कि रिजर्व बैंक को यह शक्ति दी गई है कि यदि वह चेयरमैन को उस पद के योग्य नहीं समझता तो वह उसे उस पद से हटा सकता है। यह एक खतरनाक उपबन्ध है; क्योंकि उसे अयोग्य ठहराने के सैंकड़ों कारण हो सकते हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि इस में एक यह उपबन्ध जोड़ दिया जाना चाहिये कि किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर काम करने के लिये केवल इसलिये अयोग्य नहीं समझा जायेगा कि वह रिजर्व बैंक की वित्तीय नीति तथा बैंक नीति अथवा सरकार की वित्तीय या आर्थिक नीति का आलोचक है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मेरा संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन है। यह संशोधन ऐसे चेयरमैन को अपील करने के अधिकार के बारे में है जिसके विरूद्ध भारत का रिजर्व बैंक उसे हटाने का आदेश पास करे। मेरा निवेदन यह है कि जिस चेयरमैन को हटाने का आदेश भारत के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है उसे अपील करके मामले को पंच निर्णय के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास ले जाने का अधिकार होना चाहिए। इस विधेयक के अन्तर्गत सरकार से, जिसका उसमें अपना स्वार्थ होता है, अपील की जा सकती है क्योंकि रिज़र्व बैंक ने सरकार के आदेशानुसार भी कार्य करता है। केवल तभी न्याय किया जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा निवेदन यह है कि पृष्ठ 5 पर 8 से 12 तक पंक्तियां निकाल दी जानी चाहिये। मन्त्री महोदय को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। पृष्ठ 5 पर पंक्ति 20 से 22 तक हटाये जाने के बारे में विस्तार में न जाता हूँ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन के स्वीकार किये जाने से विधेयक के स्वरुप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा यह भी निवेदन है कि संशोधन संख्या 35 स्वीकार किया जाये।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा पहला संशोधन संख्या 46 है; जिसमें पृष्ठ 6 पर दिये गये उपबन्ध की मद (ङ) को हटाने का प्रस्ताव है। चाहे हमने उसमें जो विचार व्यक्त है वे सारे देश के विचार हैं परन्तु उसका मन्त्री महोदय पर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध एजेन्ट अथवा किसी व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक संस्था का साझेदार या मालिक भी चेयरमैन नहीं बन सकता। अतः मेरा निवेदन यह है कि फिर चेयरमैन कौन व्यक्ति बन सकता है। शायद उनका यह कहना है कि चेयरमैन बनने के पश्चात वह कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हमें ऐसे शब्दों को निकाल देना चाहिये जिसमें यह कहा गया है कि अमुक व्यवसाय करने के कारण उसे चेयरमेन बनने के अयोग्य माना जायेगा।

दूसरा संशोधन पृष्ठ 7 पर धारा 10 ग के बारे में है। इस खण्ड के भी बड़े दूरगामी परिणाम निकलेंगे क्योंकि धारा 10 क या 10 ख के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले किसी निदेशक या चेयरमैन के पास बैंकिंग कम्पनी के योग्यता शेयरों का होना आवश्यक

नहीं होगा । ऐसी स्थिति में यह बात होगी कि यदि उस व्यक्ति का अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा तो वह बड़े बड़े उद्योगपतियों के आदेशानुसार काम करने लगेगा ।

श्री लोबो प्रभु : मेरे संशोधनों पर बैंकों के ढांचे के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिये । हमारे बैंकों का ढांचा अंशधारियों के कुछ अंशों और विशेषकर जनता द्वारा जमा की जाने वाली राशि से बना होता है । इसलिये जिस कानून से राशि जमा होने पर ठेस पहुंचे वह कानून जन साधारण के हितों के विपरीत होता है । यदि निदेशकों में 51 प्रतिशत ऐसे लोग शामिल किये जायें जिनका बैंकों में या निजी शेयरों में अथवा अपनी जमा रकम में कोई स्वार्थ नहीं है तो बैंकों में जमा पूंजी नहीं बढ़ेगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि हमारा उद्देश्य जमा पूंजी बढ़ाने का है तो हमें बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में जमाकर्त्ता रखने होंगे । मेरा यह भी निवेदन है कि बैंक के उक्त पदों पर ऐसे लोगों को रखना न्यायोचित नहीं होगा जो बेरोजगार हों ।

मेरा दूसरा संशोधन चेयरमैन के बारे में है । मेरा यह सुझाव है कि निदेशकों का चुनाव भी अंशधारियों अथवा जमाकर्त्ताओं द्वारा ही किया जाना चाहिये ।

मैने अपने तीसरे संशोधन में कहा है कि बर्खास्त किये गये चेयरमैन को अपील का निर्णय सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि रिजर्व बैंक सरकारी बैंक है और सरकार उसका अवश्य समर्थन करेगी । इस मामले पर सभा को ही निर्णय लेना चाहिये कि चेयरमैन बर्खास्तगी न्यायोचित है अथवा नहीं । इसके लिये बर्खास्तगी की कार्यवाही वृत्तान्त सभा पटल पर रखा जाना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत सिंह गुप्त : कल आम चर्चा के दौरान मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि इस कानून के बनने से पहले ही बड़े बड़े बैंकों ने अपने महा प्रबन्धकों को चेयरमैन नियुक्त कर लिया है । इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे लोग इस विधेयक में उल्लिखित अनर्हता के अन्तर्गत आयेंगे । अतः मेरा निवेदन यह है कि यदि वे लोग अनर्हता के अन्तर्गत नहीं आयेंगे तो अर्हता खण्ड के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन अनावश्यक है ।

संशोधन संख्या 75 पर आते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि निदेशक बोर्ड में ऐसे व्यक्ति होने चाहिये जिनको सूची में दिये गये एक या अधिक विषयों में विशेष योग्यता या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो । बैंक उद्योग में मजदूर संघ आन्दोलनों से सम्बन्धित जानकारी या अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को भी इस बोर्ड में लिया जाना चाहिये । ऐसा कार्य बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य के अनुरूप होगा । मेरा यह विचार है कि बैंकों को अच्छी तरह तथा कुशलतापूर्वक चलाने के लिये उनका प्रबन्धकों के साथ निकट सम्बन्ध होना चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar : The representative of the employees should be taken on the Board of Directors of a bank. He will be the only person who would be in a position to point out cases of embezzlement and other corrupt practices by the management.

श्री सेक्वीरा : इस विधेयक की योजना के अनुसार बैंक रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत कार्य करेंगे । इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि रिजर्व बैंक की सहमति से,

निदेशक मण्डल में 51 प्रतिशत से अधिक सदस्य उल्लिखित विषयों की विशेष जानकारी रखने वाले लोग होने चाहिये। इसमें संशोधन किया जाना चाहिये ताकि 51 प्रतिशत सदस्य बैंक के पूर्णकालिक कर्मचारी हो सकें।

यदि बैंक का चेयरमैन किसी क्लब का अध्यक्ष बनना चाहता है तो कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि उनका यह पद धारण करना लोक हित में है। इसलिये मैंने अपने संशोधन द्वारा इन शब्दों को हटाना चाहा है।

मेरे संशोधन संख्या 100 का उद्देश्य उपखण्ड (7) के पश्चात् एक परन्तुक जोड़ना है। प्रस्तावित विधेयक में यह व्यवस्था है कि बैंक का चेयरमैन जिसके विरुद्ध रिजर्व बैंक ने पद से हटाने का आदेश जारी किया है, आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार से अपील कर सकता है। इसके साथ एक परन्तुक यह जोड़ देना चाहिये कि यह अपील करने पर पद से हटाने का कथित आदेश उस तारीख तक निष्प्रभावी रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार उक्त अपील पर निर्णय न दे दे।

Shri Bibhuti Mishra : The Proviso says :

> "Provided that out of the aforesaid number of directors not less than two shall be persons having special Knowledge or Practical experience in respect of agriculture and economy, cooperation or small-scale industry."

The Finance Minister should assure the House that the representatives of the actual tillers will be taken on the Board of Directors and that the representatives of big industry establishments who own large farms shall not be taken on the Board of Directors of a bank. It is necessary to safeguard the interests of farmers.

Shri George Fernandes : Clause 3 which relates to the composition of the Board of Directors is a very vital clause of this Bill. If we are really anxious to bring about social control of banking institutions we should include the representative of trade union in the Board of Directors. Government should accept this amendment otherwise all talk of social control of banks is meaningless.

श्री मोरारजी देसाई : पहले संशोधन का अभिप्राय निदेशक मण्डल में विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व 51 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करना है। इस संशोधन से इस विधेयक की समूची योजना ही विफल हो जायेगी। हम चाहते हैं कि निदेशक मण्डल बड़े उद्योगपतियों के प्रभुत्व से मुक्त हो। यदि प्रबन्ध में उनका बहुमत हो तो उनको नहीं हटाया जा सकता।

इसलिये ऐसा करना संभव नहीं है और यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां तक खातेदारों को प्रतिनिधित्व देने के लिये सशोधन का सम्बन्ध है यह व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि वे बदलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त उनको उसमें रखना जरूरी भी नहीं है। वास्तव में अधिकांश निदेशक खातेदारों के ही प्रतिनिधि होंगे; क्योंकि उनकी भी रकम जमा होगी। इसलिये उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा श्री द्वार चाहते हैं कि कर्मचारी संघ आन्दोलन की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति को भी निदेशक बोर्ड में नियुक्त किया जाना चाहिये। मैं व्यक्तिगत

रूप से इसके विरुद्ध नहीं हूं परन्तु यह विषय तो सामान्य नीति तय करने से सम्बन्ध रखता है। प्रस्तावित संशोधन की भाषा ऐसी है जिससे मेरे माननीय मित्र की तरह के राजनीतिज्ञों को निदेशक बोर्ड में स्थान मिल सकेगा, क्योंकि वे बैंक कर्मचारियों के कर्मचारी संघ आन्दोलन की अच्छी जानकारी रखते हैं।

श्री सेक्वीरा चाहते हैं कि निदेशक पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि केवल कर्मचारी ही निदेशक होंगे चाहे। वे योग्यता रखते हों या नहीं। दोनों बातें संभव नहीं है। मेरे विचार में इसका समर्थन कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा।

श्री विभूति मिश्र 2 प्रतिनिधियों के स्थान पर 25 प्रतिनिधि चाहते हैं। निदेशकों की संख्या 10 या 15 होती है। इसलिये मैं 25 कैसे नियुक्त कर सकता हूं? मैंने कहा है कि कम से कम दो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। उनमें बड़े उद्योगपति जो कृषक भी हैं नहीं आ सकते। वे 49 प्रतिशत के अन्तर्गत आएंगे, 51 प्रतिशत के अन्तर्गत नहीं।

श्री बनर्जी ने कहा है कि यदि निदेशक मण्डल के गठन में कोई त्रुटि पाई जाये तो निदेशक मण्डल की कार्यवाही अवैध हो जायेगी। यह तो बहुत खतरनाक चीज होगी। इससे तो बैंक कार्य ही नहीं कर सकेंगे। उस त्रुटि को निदेशक मण्डल बाद में ठीक कर सकता है।

श्री दांडेकर "या रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में स्वीकृत किसी वित्तीय संस्था का निदेशक" शब्द जोड़ना चाहते हैं। एक ओर तो वे सभी शक्तियां भी नहीं देना चाहते जो यहां पर दी गई हैं और दूसरी ओर वे उन शक्तियों को और बढ़ाना चाहते हैं। यह किसी बैंक के हित में नहीं होगी कि चेयरमैन कहीं अन्यत्र भी निदेशक होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि वे किसी अन्य कारोबार में व्यस्त हों। उन्हें केवल बैंकों के हितों की ही रक्षा करनी चाहिये। इसीलिये मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरे संशोधन संख्या 46 और 47 के बारे में स्थिति क्या है?

श्री मोरारजी देसाई : मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे कोई अन्य कारोबार या धन्धा नहीं कर सकते।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या वे मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे?

श्री मोरारजी देसाई : वे चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों को ही सब कुछ करना चाहिये। यह संभव नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : मेरा संशोधन सभा पटल पर आदेशों को रखने के बारे में है। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : प्रत्येक आदेश सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : संशोधन संख्या 75 को पृथक से मतदान के लिये रखा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 75 को मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 42, विपक्ष में 90

Ayes 42, Noes 90

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4 (धारा 16 में संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई संशोधन नहीं है ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं । इसका उद्देश्य मूल अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करना है और इस आशय की उपधारा (3) जोड़ना है कि उपधारा (1) में उल्लिखित कोई बात रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किये गये किसी निदेशक पर लागू नहीं होगी ।

उपधारा (1) बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें उल्लिखित अनर्हताओं से ऐसे किसी निदेशक को अछूता नहीं रखा जाना चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : रिजर्व बैंक किसी निदेशक की नियुक्ति करते समय यह बात अवश्य देखेगा कि उसका किसी अन्य कारोबार में हाथ न हो । परन्तु कभी-कभी एक ही व्यक्ति को कई स्थानों पर नियुक्त करना जरूरी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस उपबन्ध का होना जरूरी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 (धारा 20 के स्थान पर नई धारा का रखना)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अब्दुल गनी दार : मैं अपने संशोधन संख्या 26, 27 और 82 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं अपने संशोधन संख्या 35 और 36 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं अपने संशोधन संख्या 63 और 66 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 64 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मनुभाई शाह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

पृष्ठ 9 पर पंक्ति 36 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of all, all or any of its affairs.

(ख) "निदेशक" में किसी बैंकिंग कम्पनी के सभी या किसी मामले के प्रबन्ध के बारे में सलाह देवें अथवा उसका प्रबन्ध करने के योजनार्थ उस बैंकिंग कम्पनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल है ।] (83)

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे संशोधन संख्या 10, 11 और 12 का उद्देश्य उधार लेने वाली उस कम्पनी को एक बैंक से उधार लेने के लिये केवल तभी अनर्ह करार देना है जबकि निदेशक का उसमें काफी हित हो ।

संशोधन संख्या 13 का सम्बन्ध केवल ऋण देने से है । हित आदि के होते हुए भी ऋण ऐसी संस्थाओं को, जिनमें केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का पर्याप्त हित हो, कम्पनियों की सहायक कम्पनी और स्थानीय प्राधिकार को दिये जाने चाहिये । इसका कोई कारण नहीं है कि उन्हें केवल इस कारण अयोग्य कर दिया जाये कि किसी कम्पनी या बैंक के निदेशक का इनमें से किसी एक के साथ सम्बन्ध है ।

ऋण की अदायगी का समय एक वर्ष निर्धारित किया गया है । यह समय उचित प्रतीत नहीं होता और इसे बढ़ा कर 3 वर्ष कर दिया जाना चाहिये ।

Shri Abdul Ghani Dar : Clause 5 contains certain restrictions on the giving of loans and advances by a bank. It should contain the provision that any Director or Member of any local committee of any bank will not be able to obtain loan or advance unless security to the extent of 10 per cent of the amount is given. That clause also mentions that no bank will give loan or advance on the security of its shares to any person to whom any Director is related as a partner or in this form of a guarantee. After the word "Director" "any member of the regional committee" should be inserted. It should also be provided that no bank will give loans or advances to any person who is black-listed, unable to repay Government debt or who is an undischarged insolvent.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल विधेयक में एक वर्ष के समय का उल्लेख है जिसके भीतर ही ऋण तथा पेशगी धन का चुकाया जाना अपेक्षित है। प्रवर समिति ने यह अवधि बढ़ा कर 3 वर्ष कर दी है। अब रिजर्व बैंक को यह और शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है कि वह कुछ प्रकार के ऋणों और पेशगी धन को, इस प्रयोजन के लिये ऋण और पेशगी धन न कहें। यह बड़ी खतरनाक बात है। पहले ऋण और पेशगी धन बिना किसी प्रतिभूति के दिये गये हैं और उन्हें चुकाया नहीं गया। इस उपबन्ध में ऐसी छूट प्राप्त करने के लिये रिजर्व बैंक पर अनुचित दबाव डालने की शक्ति निहित है। इसलिये इस उपबन्ध का विरोध किया जाना चाहिये।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : जितने समय में यह ऋण चुकाया जाना चाहिये उसे 3 वर्ष से कम करके 1 वर्ष कर दिया गया है। यह उचित नहीं है क्योंकि जिस कम्पनी ने अधिक ऋण लिया है उसके लिये इस थोड़े से समय में ऋण चुकाना कठिन हो जायेगा। इसलिये यह अवधि 3 वर्ष ही रखी जानी चाहिये। रिजर्व बैंक को यह शक्ति दी जानी चाहिये कि यह आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर इस अवधि को बढ़ा सके ताकि उद्योगों को कोई हानि न पहुंच पाये।

श्री लोबो प्रभु : आज देश के सामने प्रश्न यह है कि क्या बैंकों का उद्योगों के साथ झगड़ा होना देश के हित में है। मंदी के समय में उद्योगों के रास्ते में अड़चन डालना उचित न होगा। उद्योग को अब तक बहुत धक्के लगे हैं। अत: माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि यह इस उपबन्ध को रहने दें कि ऋण केवल रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से ही दिये जायें।

श्री मनुभाई पटेल : मेरा संशोधन बहुत सरल है और इसका उद्देश्य निदेशक की परिभाषा में परिवर्तन करना है। "निदेशक" शब्द में किसी बैंक में सभी या किसी मामले के प्रबन्ध में सलाह देने के उद्देश्य से या प्रबन्ध करने के उद्देश्य से उस बैंक द्वारा गठित भारत में किसी बोर्ड या समिति के सदस्य को शामिल किया जाना चाहिये।

श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा : इस समय ऋणों को चुकाने की अवधि एक वर्ष है और रिजर्व बैंक को इसे बढ़ाने की शक्ति दी गई है। यह अवधि 3 वर्ष होनी चाहिये और रिजर्व बैंक को समय बढ़ाने के लिये दी गई शक्ति समाप्त कर दी जानी चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : मैं उस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें ऋणों को चुकाने की अवधि एक वर्ष से बढ़ा कर 3 वर्ष करने का सुझाव है। इस प्रश्न पर प्रवर समिति

में चर्चा की गई थी और समय बढ़ाने के मामले पर सहमति नहीं मिली। रिजर्व बैंक को यह शक्ति केवल एक समझौते के तौर पर दी गई है।

मैं संशोधन संख्या 83 को स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 83 को छोड़कर सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

(All amendments except amendment No. 83 were put and negatived.)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 9 पर पंक्ति 36 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

(b) "director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, as for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.'

[‘(ख) "निदेशक" में किसी बैंकिंग कम्पनी के सभी या किसी मामले के प्रबन्ध के बारे में प्रयोजनार्थ सलाह देने अथवा उसका प्रबन्ध करने के उस बैंकिंग कम्पनी द्वारा भारत में गठित किसी बोर्ड या समिति का सदस्य शामिल है’] (83)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 6

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं खण्ड 6 पर अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 48 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 48 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was then added to the Bill.

खण्ड 8–(धारा 30 का संशोधन)

Shri Bibhuti Mishra : I move my amendment No. 139. At present the accounts of the banks are audited by Chartered Accountants. If these accounts are audited by Government Auditors many lapses would be detected.

श्री मोरारजी देसाई : रिजर्व बैंक को पहले से ही यह शक्ति प्राप्त है कि वह यदि आवश्यक समझे तो किसी बैंक के लेखों का सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण करा सकता है ।

संशोधन संख्या 129 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 139 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 9 and 10 wereadded to the Bill.

खण्ड 11

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं अपने संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा : मैं अपने संशोधन संख्या 108 और 109 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं चाहता हूं कि निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त किया । रिजर्व बैंक बाद में अपना अनुमोदन दे सकता है । यदि रिजर्व बैंक अपना अनुमोदन नहीं देता तो उसे हटाया जा सकता है ।

श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा : मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष को नियुक्त करने अथवा पुनः नियुक्त करने या नियुक्ति को समाप्त करने की शक्तियां रिजर्व बैंक को नहीं दी जानी चाहिये ।

यदि अंशधारी ये निर्णय करें कि अध्यक्ष को निकाल दिया जाये, तो रिजर्व बैंक के पास उसे न हटाये जाने के लिये अनुरोध करने की शक्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई : इस संशोधन को स्वीकार करना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the Amendments were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खण्ड 12

श्री श्रीनिवास मिश्र : उप-प्रधान मंत्री के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि जमाकर्ताओं के हितों को हमेशा ध्यान में रखा जायेगा, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted,

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13 और 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 13 and 14 were added to the Bill.

खण्ड 15

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 20 और 21 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपने संशोधन संख्या 22, 23, 24 और 25 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 19, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44 प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 51 और 53 प्रस्तुत करता हूं।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपना संशोधन संख्या 69 प्रस्तुत करता हू।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं अपने संशोधन संख्या 70, 71 और 72 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इरास्मो डी सेक्वीरा (मारमागोआ) : मैं अपने संशोधन संख्या 111 113, 115, 116, 117, 118, 119 और 120 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ए० श्रीधरन (बड़ागरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 114 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 140 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने संशोधन संख्या 37 के बारे में बोलना चाहता हूं जिसका उद्देश्य क्रमश: पृष्ठ संख्या 12 और 13 पर पंक्ति 26 से 38 और 1 से 8 को निकालना है।

श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुई
Shrimati Tarkeshweri Sinha *in the Chair*

इस खण्ड विशेष से न केवल बैंकों के कर्मचारियों अपितु इस देश के समस्त श्रमजीवियों में असंतोष उत्पन्न हुआ है क्योंकि पहली बार दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता अथवा औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन न करके एक विधेयक द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करना है, यह दाण्डिक खण्ड प्रस्तुत किया गया है, मुझे बताया गया है कि जब इसे विधि मन्त्रालय को भेजा गया, तो विधि अधिकारियों ने इसके विरुद्ध निर्णय दिया था।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : जी, नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि वे नहीं कहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि विधि मंत्रालय की राय सभा पटल पर रखी जाये। मैंने इसके बारे में पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, जब भी हमने इस बात को उठाया, उन्होंने विधि मन्त्री से परामर्श नहीं किया कि क्या बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण रखने के उद्देश्य वाले विधेयक में ऐसा खण्ड रखना संविधान के विरुद्ध अनियमित और कानूनी नहीं है।

यदि उस ओर के गला घोंट बहुमत से इस खण्ड को पारित कर दिया गया, तो श्रमजीवी सारे देश में हड़ताल करके अपना आन्दोलन आरम्भ कर देंगे। जब तक श्रमजीवी वर्ग अपने कार्मिक संघ अधिकारों के प्रति सजग है, वे इस घृणापूर्ण खण्ड के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और वित्त मन्त्री को बाध्य होकर अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा।

Shri Abdul Ghani Dar : The bank employees and officers are the cream of the country. They are no ordinary people. Have they no right to fight for the legitimate rights? The popularity of Morarji Bhai was very much affected when he brought forward the Gold Control Bill and after passing the Bill it will be further reduced.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Madam, the clause under consideration is perhaps the most disputed clause of the Bill. I am unable to follow why a provision to curb the trade union rights of workers has been included in a Bill meant for social control on banks. Are the general laws of the country not adequate ? So far display of violence is a penal offence. By sneeking this clause into this Bill, it is being made controversial.

Even now the bank employees are prohibited to resort to demonstrations during hours of duty. Nor do the various labour laws allow holding up the working of banks. Inspite of the general laws of the country and the various awards the Deputy Prime Minister has brought forward a bill which will result in widespread discontentment in the country. If he is afraid that the trade union activities are going to violate the limits, there can be other ways to restrict and check them. But to include such a provision in the present Bill is a mockery, unnecessary, improper and unjustified we are determined to oppose it. I will appeal the hon. Deputy Prime Minister to delete this clause from the Bill. It can be considered proper from no point of view.

श्री श्री अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : इस देश में ऋणों पर नियंत्रण रखने और विनियोजन की अच्छी नीति बनाने की आड़ में एक एक करके लोकतंत्रीय स्वतन्त्रता पर ताना शाही ढंग से हमला किया जा रहा है । सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों तथा अन्य श्रमजीवियों पर मजूरी बार्डों के निर्णय को क्रियान्वित न करके हमला किया जा रहा है । कामिक संघों के बारे में सरकार की नीति को लोकतन्त्र विरोधी ढंग से चलाई जा रही हैं और इस विधेयक से भी यह स्पष्ट है ।

इस विधेयक की पृष्ठ भूमि यह बताई गई है कि कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं और वे बैंकों के काम में बाधा डाल रहे हैं । केवल इस कारण से कि बैंकों के कर्मचारी काम में बाधा डालना चाहते हैं, किसी बैंक के काम में बाधा नहीं पड़ी है । यदि आप गत 10वर्षो का इतिहास देखें, तो पता चलेगा कि बैंकों के कर्मचारी द्वित्तीय आधार पर समझौते की मांग करते रहे हैं चूंकि बैंक व्यवसायिओं का संसद् सदस्यों, सरकार, ऋण, उद्योग आदि सभी पर नियंत्रण है, वे द्वियत्तीय समझौते के लिये सहमत नहीं हुए हैं, इसलिये कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिये हड़तालों और प्रदर्शनों का मार्ग अपनाना पड़ा है । जब पहले वित्त मन्त्री ने मजूरी बोर्ड के निर्णय में संशोधन किया था, तो तत्कालीन श्रम मन्त्री श्री गिरि को त्याग पत्र देना पड़ा था, बैंक कर्मचारियों के संघर्ष का यही इतिहास है । अन्त में सभी बैंकों के मालिकों के साथ एक द्विपक्षीय करार हुआ था और कार्य सुचारु रूप से चल रहा था ।

अब यह विधेयक लाया गया है, जो कर्मचारियों के कामिक संघों सम्बन्धी अधिकारों पर कुठाराघात करता है, इससे हमें पता लगता है कि वे किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, एक ऐसी नीति अपना रहे हैं जिनका उद्देश्य इस देश में श्रमजीवी वर्ग के कामिक संघों सम्बन्धी लोकतन्त्रीय अधिकारों को समाप्त करना और लोकतन्त्र के नाम पर तानाशाही स्थापित करना है ।

लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाले कांग्रेसमैनों से मेरा अनुरोध है कि वे इस दिशा में कार्यवाही को रोकें । ये विधेयक हमें लोकतन्त्र को कुचलने, श्रमजीवी वर्ग के लोकतन्त्रीय अधिकारों

के दमन की दिशा की ओर ले जाता है । जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाता है, ऋणों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता हैं । लोगों द्वारा जमा किये गये धन को कुछ व्यक्तियों द्वारा जिनका उन पर नियंत्रण होता है, निजी लाभ के लिये उपयोग किया जाता है, हम मांग करते रहे हैं कि जनता द्वारा जमा किये गये धन पर कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व और नियंत्रण समाप्त करके समाज तथा राष्ट्र का नियंत्रण हो । क्या आप समझते हैं कि मैनेजर को निदेशक के पद से अलग करने से सामाजिक नियंत्रण हो जायेगा ? इस देश में ऐसे मेनेजर हुए हैं, जिन्होंने श्री मोरारजी देसाई और उनके निजी सचिव की सहायता के बिना बैंकों और उद्योगों का प्रबन्ध किया है। श्री पोत्रीकामावाल ने इस देश में ब्रिटिश बैंकों द्वारा विरोध किये जाने पर भी सेन्ट्रल बैंक बनाया, सरैया नाम के एक व्यक्ति ने, जो चांदी का सट्टा करता था, भारतीय बाजार पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था । हमने सोचा था कि स्वतन्त्र भारत में बैंक उद्योग का सच्चा विकास करेंगे, परन्तु ऐसा नहीं हुआ । इसलिए हमने राष्ट्रीयकरण के लिये कहा । परन्तु इसके स्थान पर उन्होंने हमें बैंक कर्मचारियों पर तानाशाही दी है ।

गैर सरकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के नियंत्रण से सच्चा सामाजिक नियंत्रण नहीं हो सकता है । हम मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण से भी पूर्णतः ऐसा न हो, परन्तु हम यह आशा कर सकते हैं कि राष्ट्रीकरण से लोकतन्त्रीय प्रबन्ध हो जायेगा । किसी बैंक की आलोचना कि वह जमा धन का दुरुपयोग कर रहा है और सट्टेबाजी में सहयोग कर रहा है, इस खण्ड के अन्तर्गत दण्डनीय होगी, यदि किसी समाचार पत्र का सम्पादक अथवा कोई लेखक अथवा सार्वजनिक सभा में कोई वक्ता आलोचना करता है, तो उसे छः महीने के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस खण्ड को निकाल दिया जाना चाहिए ।

श्री नारायण दांडेकर : यह खण्ड कर्मचारियों अथवा जमाकर्त्ताओं अथवा अंशधारियों से विशेष रुप से सम्बन्धित नहीं हैं । यह तो सभी से सम्बन्धित है । 'इसमें पहले तो यह उपबन्ध है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंकिंग कम्पनी के कार्यालय अथवा कार्य स्थान में कम्पनी रूप में प्रवेश करने अथवा वहां से जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अथवा बैंकिंग कम्पनी के कारोबार में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा । दूसरा उपबन्ध जो अधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंकिंग कम्पनी के कार्यालय अथवा कार्य स्थान पर कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं करेगा, जो हिंसात्मक हो अथवा जिससे बैंकिंग कम्पनी के सामान्य कार्यकरण में बाधा उत्पन्न होती हो । गत वर्ष जुलाई महीने से सितम्बर और अक्टूबर के महीने तक एक बैंक का कार्य ठप्प कर दिया गया है, चूंकि यहां यह कहा गया है कि इस प्रकार की बात नहीं हुई है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि क्या शब्द बोले गये थे ?

वह शब्द थे:

"बैंक के नालायक, गन्दे, बदमाश और जालिम हाकिमों होश में आओ" । ऐसी स्थिति में भला कहीं बैंक का कार्य चल सकता है ? इसलिये यह कहना ठीक नहीं कि इस प्रकार की घटनायें हुई ही नहीं । बैंक उद्योग में ठीक रुप से कार्य चलने के लिये इस प्रकार के उपबन्ध आवश्यक हैं ।

यदि हम बैंकों के कार्य को बढ़ाना चाहते हैं, तथा पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों का कार्य ले जाना चाहते हैं, तथा कृषि के कारण ग्रामीण क्षेत्र धन जुटाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की कार्यवाहियों को समाप्त करना होगा।

ठीक प्रकार से न्याय करने के लिये इस खण्ड में यह उपबन्ध करना चाहिये कि इसके अन्तर्गत किए गये अपराध को हस्तक्षेप अपराध माना जायेगा तथा उस मुकद्में की सुनवाई एक प्रेसिडेन्सी मैजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकेगी।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : सभापति महोदय मैं केवल अपने संशोधनों तक ही सीमित रहूँगा। वह संशोधन संख्या 22, 23, 24 तथा 25 है तथा इनका सम्बन्ध कुछ बैंक उद्योग के अर्जन से है। विधेयक के अनुसार यदि रिजर्व बैंक से किसी बैंक के बारे में रिपोर्ट मिलने पर केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाये कि जो हिदायतें उस बैंकिंग कम्पनी को दी थीं उन्हें वह पालन करने में एक से अधिक बार असफल रहा है तो उस बैंकिंग कम्पनी का अर्जन किया जा सकता है। इस समय तो उपबन्ध हैं वह न्यायसंगत नहीं है। जब इस प्रकार का उल्लघन बार बार तथा जान बूझ कर हो, केवल तब ही अर्जन किया जाना चाहिये, क्योंकि इस खण्ड की भावना ऐसी ही प्रतीत होती है।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या 23 है जिसका सम्बन्ध भी अर्जित करने से है। विधेयक अपने अधिकार क्षेत्र से आगे गया हुआ है जब यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार केवल कानून पास करने से बैंक का अर्जन अथवा राष्ट्रीयकरण कर सकती है। यह तो संविधान के भी विरूद्ध है क्योंकि किसी भी प्रकार के अर्जन के लिये संसद की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

मेरे संशोधन संख्या 24 में कहा है कि हस्तान्त्रित किये बैंक या कोई बात केवल तब लागू होगी जब उस बैंक की पूर्व स्वीकृति इस सम्बन्ध में प्राप्त करली हो।

मेरे संशोधन संख्या 25 का सम्बन्ध अर्जित किये हुए बैंकों के बारे में है। विधेयक में कहा गया है कि अर्जित किये बैंकों के फार्म के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से परामर्श करके केन्द्रीय सरकार योजना निर्धारित करेगी। मेरा कहना यह है कि हिस्सेदारों तथा जमा करने वालों का ही परामर्श लेना आवश्यक है। यह वित्त मन्त्री जी से भूल हो गई और मैं आशा करता हूँ कि वह मेरा संशोधन स्वीकार कर लेंगे।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

Shri S. M. Joshi (Poona) : From the speech of hon. Shri Dandekar it appears that the struggle and strikes are daily affair in the banks. I may submit that it is not so. It seems that the Government has now abundoned those policies which it cherished when we were in the freeedom struggle. Its policy towards Labour now was very dangerious. Government can prevent strikes only with the co-operation of the workers. I have urged upon the Finance Minister to accept my demand which is so simple but he did not do so. The Government has not accepted the recommendations of the Wage Board. We had a liberal policy towards the Labour out that is being abundoned. The Government should not abandon those policies. We will oppose it.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I would request Shri Morarji Desai to bring some moderation in the Bill as the clause in its present for form is very hard. In the absence of it the bank employees would be suppressed by the bank management.

I have an amendment too. I want only the "sitting judgi" in place of "sitting judge or retired judge". A retired judge would be interested only in his money and litigation would linger on.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के दूरगामी परिणाम होंगे। मै श्री दांडेकर से सहमत हूं कि बैंकिंग उद्योग एक बड़ा उद्योग है। परन्तु यदि श्रमिक वही कार्य जिसे आप बैंक की परिधी में समाप्त करना चाहते हैं, बैंक की हद से बाहर करने लगें तो आपके पास उसका क्या इलाज है ? ऐसा करने से बैंक का सारा कार्य ठप्प हो जायेगा।

कार्यकर्ता उत्तेजना से प्रभावित होकर इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं।

श्रमिकों तथा बैंक प्रबन्धकों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध होने चाहिये। यदि उन्हें शिकायत होगी तो इस प्रकार की कार्यवाहियां भी होती रहेंगी। मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय इस बात को अब भी वापिस लेलेंगे।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि बैंकों को वाणिज्यिक संस्था बनने के स्थान पर सेवा संस्था बनना चाहिये। उन्हें केवल एक ही वर्ग की सेवा नहीं बल्कि सब वर्गों की सेवा करनी चाहिये चाहे वे नगरों में रहते हों अथवा गांवों में और चाहे वे कृषि करते हों अथवा उद्योग में हों। इस कार्य के लिये सब कर्मचारियों तथा उनसे ऊपर के वर्ग का सहयोग चाहिये। इस कारण मैं पहले दो भागों अर्थात भाग (क) तथा भाग (ख) का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं भाग (ग) के विरूद्ध हूं और इसे हटाया जाना चाहिये। यह खण्ड किसी का भला करने वाला नहीं हैं।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : 1 अगस्त को 15000 बैंक के कर्मचारियों ने कलकत्ता में हड़ताल की, वैसे भी कलकत्ता से लेकर केरल तक सब स्थानों पर हड़तालें हुई। अपने समय में श्री जवाहरलाल नेहरू तथा श्री गिरी ने उन लोगों की भर्त्सना की है जो हड़ताल के समय काम पर जाते हों। इस विधेयक के अनुसार ही नारे लगाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

मजदूर संगठन के इतिहास में हड़ताल का महत्वपूर्ण स्थान है जिसका श्रमिकों ने प्रयोग किया है।

खण्ड (ग) बहुत व्यापक है। जनता ने 3400 करोड़ रु० की राशि बैंकों में जमा करा रखी है परन्तु इसमें से 2300 करोड़ रु० तो केवल टाटा, बिड़ला आदि के ही प्रयोग में आ रहे हैं।

कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

यह विधेयक टाटा, बिड़ला आदि का समर्थक है। मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): मेरी समझ में यह नहीं आता कि केवल एक खण्ड के हटा देने से विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वर्तमान विधेयक से सामाजिककरण का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। देश को और किसी बात की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के बारे में प्रस्तुत किये गये विवरण में, सरकार के उद्देश्य का पता नहीं लगता। यहां तक कि इससे यह नहीं बताया गया है कि श्रमिकों द्वारा कठिनाईयां उत्पन्न किये जाने के कारण सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ी है।

क्या वर्तमान कानून इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं है ? क्या इन प्रतिबन्धों के लगाने के बाद भी सरकार इस स्थिति में होगी कि वह इस प्रकार के अभियान को रोक सकेगी ? इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला करने के लिये कानून में बहुत से उपबन्धों की व्यवस्था है। सरकार इसके लिये विशेष उपबन्ध बनाना क्यों चाहती है ?

सरकार बैंक के प्रबन्ध की भी आलोचना नहीं कर सकती। वह उसके कार्य में सुधार करने का भी सुझाव नहीं दे सकती क्योंकि ऐसा करने से यह समझा जायेगा कि सरकार बैंक में जनता द्वारा प्राप्त विश्वास में कमी करना चाहती है।

सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिये कि अब बैंक उद्योग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के बिना उसका काम करना असम्भव हो गया है। और जब तक कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होगा सामाजिक नियंत्रण प्रभावी नहीं होगा। यदि वह इस काम में सफलता चाहते हैं तो उन्हें इस बारे में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। यदि अब भी इस खण्ड को समाप्त कर दिया जाता है तो इस विधेयक का प्रयोजन सब प्रकार से ठीक ही होगा और सम्भवतः यह विधेयक एक मत से पारित हो जाये।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Mr. Deputy Speaker it is a very serious matter and I may kindly be permitted to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल से श्री जोशी और डांगे बोल चुके हैं और अब मैं आपके दल के किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

Shri George Fernandes : I have nothing but to disobey you. I must speak on this matter. This Government is going to finish the rights of the labour. It is a question of principle. I am very sorry that I have to disobey you. Please allow me to speak on the amendment for least two minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रकार मैं प्रत्येक सदस्य को एक मिनट बोलने की अनुमति दूं तो इसमें कम से कम 50 मिनट लग जायेंगे।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : सरकार आज भी गांधीजी के बताये मार्ग का अनुसरण कर रही है और भारतीय श्रमिक संघों सम्बन्धी सब कानून और नियम गांधीजी के विचारों पर आधारित हैं। मेरी यह समझ में नहीं आता कि श्री मोरारजी देसाई जैसे व्यक्ति जिनका गांधीजी से सम्पर्क रहा है और जिन्हें अहमदाबाद कपड़ा संघ के बारे में जानकारी है,

ने कैसे इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया । कल सब बैंक कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं और परसों जब यह विधेयक पास हो जायेगा तब क्या वह यह आशा करते हैं कि वे इस कानून का आदर करेंगे ।

श्री इरास्मो सेक्वीरा : जैसा कि उप प्रधान मन्त्री ने उल्लेख किया है, यदि सरकार का विचार वास्तव में कर्मचारियों के वैध अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं है तो मैं यह सुझाव दूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये जिसमें यह कहा गया है कि यदि यह उप खण्ड बैंकिंग कम्पनियों या इसके कर्मचारियों के शान्तिपूर्ण प्रदर्शन या धरना देने पर लागू नहीं होना चाहिये ।

क्या खन्ड 36 ए ई संविधान के अन्तर्गत दिये गये मूलभूत अधिकारों के अन्तर्गत आता है?

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि मुआवजा नियुक्त तिथि के छः महीने के भीतर दिया जाना चाहिये और यह रुपयों में दिया जाना चाहिये ।

"एक व्यक्ति जिसे केन्द्रीय सरकार की राय में वाणिज्य बैंकों का अनुभव हो" के स्थान पर "किसी अनुसूचित बैंका अध्यक्ष हो किया जाना चाहिये"

न्यायधिकरण को किसी भी दस्तावेज को मांगने का अधिकार होना चाहिये । लेकिन यदि सरकार का यह विश्वास है कि कोई किताब या दस्तावेज गोपनीय है तो सरकार को इस बारे में न्यायाधिकरण को सन्तुष्ट करना चाहिये कि वास्तव में वह किताब या दस्तावेज गोपनीय है ।

इस खण्ड का मैं इसलिये विरोध करता हूँ कि उससे वैध क्रमिक संघों की गतिविधियां रुक जायेंगी ।

Shri George Fernandes : I have to state that clause 36 (A) (B) (C) will,

"at in any manner calculated to undermine the confidence of the depositors in any banking company"

With the help of the law the Government intends to give this power in the hands of the employers to immediately remove any of those employees from the service who had taken part in Banking employees agitation.

Under clause 36 (A) (B) (C) there is a provision that the bank employees can be sent to jail or fined one thousand rupees on the basis of the complaint made by the Chairman, director or the employer. This clause should be withdrawn.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) यदि सरकार का यह विश्वास है कि वह अपने आदेशों द्वारा कर्मचारियों में अनुशासन पैदा कर सकती या उनके प्रदर्शन को रोक सकती है, तो यह सरकार की भूल है । वह इस कार्य में कभी सफल नहीं होगी । यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो हड़तालें और प्रदर्शन और बढ़ जायेंगे । सरकार जो भी करने जा रही है वह श्रम नीति और समस्त विश्व के मजदूर क्षेत्र में प्रगतिशील प्रवृति के विरुद्ध है । यदि सरकार इस

कानून का कर्मचारियों को दबाने और जमाकर्ताओं का अपमान करने के लिये प्रयोग करेगी तो जनता यह मामला अपने हाथ में लेगी और फिर सरकार के लिये स्थिति में सुधार करना बहुत कठिन हो जायेगा।

सरकार की यह नीति रही है कि वह रिजर्व बैंक या किसी सरकारी विभाग को न्यायाधिकरण के समक्ष अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती।

जब प्रतिकर का मामला न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब भी, हालांकि रिजर्व बैंक लेखा पुस्तकें या दूसरे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये बाध्य नहीं है, फिर भी उचित यही है कि सभी मामले न्यायाधिकरण के सामने अवश्य रखे जायें जिससे न्यायाधिकरण उचित निष्कर्ष निकाल सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : इस विधेयक द्वारा मजदूरों के मूलभूत अधिकारों को वापिस ले लिया गया है।

यह विधेयक बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का पहला हथियार है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जबकि देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हैं सरकार ने चोरी छिपे माल ले जाने वाले और करों का अपवंचन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कानून बनाया है ? जोकि वित्त मन्त्री ने केवल बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कानून बनाया है। भारत का कर्मचारी वर्ग इसको सहन नहीं करेगा और वह उसका तीव्र विरोध करेगा।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यह केवल बिरला और टाटा का ही मामला नहीं हैं। इससे लगभग 10 लाख ऐसे लोग जो बैंकों में रुपया जमा कराते हैं और जिनका बैंकों से व्यापार होता है, सम्बन्ध है। मैं सरकार द्वारा किये जा रहे उपबन्ध का उल्लेख कर रहा था जिसमें कहा गया है कि सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श कर बैंक का अर्जन कर सकती है लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक एक ही है और इसका अभिप्राय सरकार द्वारा स्वयं ही से राय लेना है। बैंक का अर्जन करने से पूर्व यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिये संसद के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : मुझे इस बात की जानकारी है कि बहुत से सदस्य धारा 36 ए डी के विरोधी हैं, प्रस्तावित धारा 36 ए डी में बैंक कर्मचारियों के मजदूर सम्बन्धी वैध अधिकारों को कम नहीं किया गया है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें शान्तिपूर्ण धरना देने की मनाही नहीं की गईहैं। किसी हड़ताल का अर्थ यह कदापि नहीं है कि खातेदारों का विश्वास उठ गया है। कोई भी वैध मजदूर संध आन्दोलन, यहां तक कि बैंक के अन्दर शान्तिपूर्ण घटना भी, इस खण्ड के अन्तर्गत नहीं आती यदि कर्मचारी अधिकारियों या दूसरे लोगों को अपना काम करने से जबरदस्ती नहीं रोकते। संविधान में ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी व्यक्ति को, जो काम करना चाहता है, को काम करने से रोका जाये। शान्तिपूर्ण आग्रह पर किसी पर कोई अभियोग नही चलाया जायेगा। लेकिन शान्तिपूर्ण आग्रह क्या है, इसका निर्णय बैंक अधिकारियों, पुलिस या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा। इसका निर्णय केवल न्यायालय द्वारा किया जायेगा और वह एक नियमित न्यायालय होगा जिसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी, सरकार के नहीं।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि इन प्रदर्शनी और धरनों से बैंक की कार्यवाही में कोई प्रभाव न पड़े।

कुछ सदस्यों ने मुझे तथा सरकार को धमकी दी है। मैं किसी को धमकी नहीं देना चाहता। मैं तो केवल यह कहूंगा कि कानून अपना रास्ता अपनायेगा और जो सरकार कानून लागू नहीं कर सकती वह सरकार रहने योग्य नहीं है।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : यह बात केवल बैंकों पर ही लागू नहीं होती, बल्कि यह वाणिज्यक और उद्योगों की गतिविधियों पर भी लागू होती है। इस विषय पर सामान्य कानून बना कर इसको क्या नहीं रोका जाता है ?

श्री मोरारजी देसाई - यह विचार करने योग्य सुझाव है और इस पर सरकार अवश्य विचार करेगी।

मेरे माननीय मित्र ने खातेदारों के विश्वास के बारे में कहा है। यह एक या दो खातेदारों का प्रश्न नहीं है। यह सामान्य अधिकांश खातेदारों का प्रश्न है। यदि वह बैंक में रुपया जमा नहीं करते और इसके परिणाम स्वरूप बैंकों पर दौरों पर जायें तो इसका मतलब इस प्रकार की चीज है। इस खण्ड का प्रयोग केवल इस कारण से नहीं किया जायेगा कि किसी व्यक्ति ने यह कहा है कि इससे खातेदारों के विश्वास को धक्का पहुचेगा। अतः मैं इन सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker, ***in the chair*** }

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या, 51 और 53 मतदान के लिये रखे गये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

Lok-Sabha divided :

पक्ष में 53, विपक्ष में 119

Ayes 53, Noes 119

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

(श्री अ० डांगे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठ कर चले गये।)

(Shri S. A. Dange and some other hon. Members left the House.)

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

All the other amendments were put and negatived,

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

The motion was adopted.

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was to added to the Bill

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 से 23 तक विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16 से 23 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 16 to 23 were added to the Bill.

खण्ड 24

संशोधन किया गया :

Amendment made :

पृष्ठ 30, पंक्ति 8 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये :

'1(a) far clause (11A) substitute-

"(11A) the acting as agent for the Central Government.-

(a) in guranteeing the due performance by any small scale industrial concern ; approved by the Central Government, of its obligations to any bank or other financial institution in respect of loans and advances made or other credit facilities provided, to it by such bank or other financial institution and the making as such agent of payments in connection with such guarantee, and

(b) in administering any scheme for subsidising the rate of interest or other charges in relation to any loans or advances made, or other credit facilities provided, by banks or the financial institutions for the purpose of financing or facilitating any export from India and the making as such agent of payments on behalf of the Central Government ;"

['(1क) खण्ड (11क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये–

"(11क) केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी लघु उद्योग द्वारा किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को ऐसे बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्था द्वारा उसे दिये गये ऋणों तथा अग्रिम धन-राशियों या अन्य ऋण सुविधाओं के बारे में अपने दायित्वों की विधिवत पूर्ति की गारंटी देने और ऐसे एजेंट के रूप में ऐसी गारन्टी के सम्बन्ध में भुगतान करने में, और

(ख) भारत से किसी निर्यात के लिये धन देने या उसमें मदद देने के उद्देश्य से बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये किन्हीं ऋणों या अग्रिम धनराशियों या अन्य ऋण सुविधाओं के बारे में व्याज दर या अन्य शुल्कों में रियायत देने के लिए किसी योजना के प्रशासन तथा ऐसे एजेंट के रूप में केन्द्रीय सरकार की ओर से भुगतान करने में।"] (29)

(श्री मोरारजी देसाई)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 24, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 से 30 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 25 से 30 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 25 to 30 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जा निष्कासन) संशोधन विधेयक–जारी

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) AMENDMENT BILL.- Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जगन्नाथ राव द्वारा 2 अगस्त, 1968 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेंगे :

"कि सरकारी भू-गृहादि (अनाधिकृत कब्जा निष्कासन) अधिनियम, 1958 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Clause 2 provides that the Government., any company, corporation, Municipal Committee, town area committee or Delhi Development Authority having acquired the proprietory rights or lease rights on a premises will be entitled to eject any shopkeeper or a farmer in a sumauary manner from those premises. This will cause great hardship to the people concerned. For example, there are millions of people who have come to India from Pakistan. The Government have settled them in the various colonies in Delhi. Some of them have turned portions of their residences in to shops and are there by earning their livelihood. Now, the authorities concerned can say that they are misusing the house allotted to them for living purposes and they can therefore eject them from those places with the result that they will again be homeless. From this point of view, the provision is most objectionable and should be deleted from the Bill.

The Bill applies to the rural areas also. Under its provisions the Government can acquire or take on lease some land and then lease it out to some other agency but the land cannot be used for the benefit of the villagers. In the villages, the land does not belong to any particular individual ; it is a common property. So this provision will affect lakhs of farmers in the villages.

There is a Land Acquisition Committee and its report has not yet been received. The consideration of the Bill should be postponed till the report of that committee comes in hand. Besides, some uniform policy of acquisition of land should be formulated for the entire country.

The Bill also gives unlimited powers to the company. This provision is unfair because the company has vested interests. The interest of the poor people must not be sacrificed for the sake of any company. I can understand vesting of Powers to Govt. Corporations, etc., but not to Companies. The Minister should reconsider over the whole matter and bring forth a comprehensive bill.

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : I have risen to oppose this Bill. It appears that the Government wants to set up a police Raj in all the spheres. It has been provided for in this Bill that public cpmpanies would also be authorised to acquire land and that the persons whose land was so acquired would not have the right to appeal in any court of law. This is altogether against the basic spirit of democracy.

The people of Delhi are well aware of the high handed attitude of officers of various department in regard to land acquision. For instance, in Rajendra Nagar, New Delhi, permission was given to run shops only after imposing heavy penalty on the people. If in a residential area permission is not given to run shops that could be understood. But to permit it after imposing a heaving penalty is something which is difficult to understand. If the public companies are authorised to acquire land, it will result in undue harassment of a large number of people who will not have even a right of appeal in any civil court. Therefore the House should reject this Bill. The vesting of unlimited powers in the officers in the matter of ejectment is neither desirable nor warranted. It is against democracy and there for I oppose the bill.

Shri D.N.Tiwary (Gopalganj): There are a big number of cases where people have taken unauthorised possession of public premises and are not willing to vacate their possession. For instance, in Matia some people have been living on the land of the Heavy Engineering Corporation but they also kept cattle with them which destroy the gardens and roads of that area. If one goes to a court of law to get the land vacated it takes a long time to get the matter decided. Therefore, it is necessary that Government should have the power to evict those people, who have unauthorised possesson of Govts. land. As such there is nothing wrong in the Bill. But care has to be taken that its provisions are implemented judiciously.

Some people have a misconception that whatever the Government does, it is with a view to harass and harm the people. If it was correct how long could the Government contiune ? We are living in a democracy in which Government is based on the support of the people. Therefore, if it be haves in the manner suggested by some it cannot function even for a day, No permission should be given for running shops on lease land under the conditions of lease.

With these words I support this Bill.

श्री हुचे गौडा (चिकमगलूर) : यह विधेयक सरकार द्वारा मुख्यत: सरकारी जमीनों पर झुग्गी-झोंपड़ियों में बसे व्यक्तियों को बेदखल करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। एक लोकप्रिय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि गरीब लोगों की आवश्यकताओं की ओर समुचित ध्यान दिया जाये। उसे उन स्थानों से, जहां ये गरीब लोग रहते हैं, उन्हें कोई सहायता दिये बिना बेदखल नहीं करना चाहिये। इसलिये लोगों को बेदखल करने से पहले दिल्ली के आसपास भूमि अर्जित की जानी चाहिये और वह केवल उन लोगों को दी जानी चाहिये जो वहां से हटाये गये हैं, और जो बहुत गरीब हैं।

बहुत से लोगों ने विशेषकर दक्षिण भारतीय लोगों ने भूमि खरीद रखी है, परन्तु उन्हें अभी तक उसका कब्जा नहीं दिया गया है। सरकार को देखना चाहिये कि उनके द्वारा खरीदी गई भूमि की पैमाइश की जाये और शीघ्र ही उन्हें उस पर कब्जा दिलाया जाये।

बेदखली का आदेश केवल न्यायालयों द्वारा ही दिया जाना चाहिये। यदि मनमाने ढंग से ऐसा किया जायेगा तो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 7 अगस्त, 1968/16 श्रावण, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, August 7, 1968/Sravana 16, 1890 (Saka)